वार्षिक रिपोर्ट

2009-10

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

योजना आयोग

नई दिल्ली

वेबसाइट : **planningcommission.gov.in**

विषय-सूची

अध्याय नं.	विवरण	पृष्ठ
अध्याय 1	भूमिका, गठन और कार्य	1-4
अध्याय 2	अर्थव्यवस्था और योजना : सिंहावलोकन	5-12
अध्याय 3	योजना	13-21
अध्याय 4	योजना आयोग में प्रमुख कार्यकलाप	22-156
4.1	कृषि प्रभाग	22-34
4.2	सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग	34-38
4.3	भारत निर्माण कार्यक्रम	38-39
4.4	संचार एवं सूचना प्रभाग	40-45
4.5	विकास नीति प्रभाग	45-46
4.6	शिक्षा प्रभाग	46-48
4.7	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	48-49
4.8	राष्ट्रीय ज्ञान आयोग	50-50
4.9	पर्यावरण और वन प्रभाग	50-53
4.10	वित्तीय संसाधन प्रभाग	54-55
4.11	स्वास्थ्य, पोषाहार तथा परिवार कल्याण प्रभाग	55-63
4.12	आवासन और शहरी विकास प्रभाग	63-67
4.13	उद्योग प्रभाग	67-69
4.14	अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग	69-72
4.15	श्रम, रोजगार और जनसाधन प्रभाग	72-74
4.16	बहुस्तरीय योजना (एमएलपी) प्रभाग	74-76
4.17	योजना समन्वय प्रभाग	77-78
4.17.1	योजना समन्वय	77-78
4.17.2	संसद अनुभाग	78-78
4.18	विद्युत और ऊर्जा प्रभाग	78-80
4.19	परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग	80-85
4.20	भावी योजना प्रभाग	86-87
4.21	ग्रामीण विकास प्रभाग	87-88
4.22	विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग	89-90
4.23	अवसंरचना समिति के लिए सचिवालय	91-99
4.24	समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग	99-107
4.25	राज्य योजना प्रभाग	107-109
4.26	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	109-111
4.27	परिवहन प्रभाग	111-113
4.28	पर्यटन प्रकोष्ठ	113-113
4.29	ग्राम और लघु उद्यम	113-114
4.30	स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ	115-115

अध्याय नं.	विवरण	पृष्ठ
4.31	जल संसाधन	115-128
4.32	महिला और बाल विकास	128-131
4.33	प्रशासन और अन्य सेवा	131-156
4.33.1	प्रशासन	131-131
4.33.2	कैरियर प्रबंधन क्रियाकलाप	131-132
4.33.3	संगठन पद्धति और समन्वय अनुभाग	132
4.33.4	हिन्दी अनुभाग	132-133
4.33.5	पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र	133-134
4.33.6	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र- योजना भवन यूनिट	134-151
4.33.7	विभागीय अभिलेख कक्ष	152-152
4.33.8	योजना आयोग क्लब	152-153
4.33.9	कल्याण एकक	153-154
4.33.10	चार्ट, नक्शे एवं उपस्कर एकक	154-156
4.33.11	सूचना अधिकार प्रकोष्ठ (सी तथा आई प्रभाग)	156-156
अध्याय 5	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	157-160
अध्याय 6	सतर्कता क्रियाकलाप	161
संलग्नक	सी एंड ए जी की ऑडिट टिप्पणियाँ	162
संलग्नक	योजना आयोग का संगठन चार्ट	

अध्याय 1
भूमिका, गठन और कार्य

1.1 योजना आयोग का गठन भारत सरकार के एक संकल्प के तहत मार्च, 1950 में किया गया था और यह राष्ट्रीय विकास परिषद के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करता है और उनके कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखता है। आयोग शीर्ष स्तर पर एक सलाहकार योजना निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

कार्य

1.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

(क) देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का, तकनीकी कार्मिकों सहित, मूल्यांकन करना और इनमें से ऐसे संसाधनों की वृद्धि करने के लिए जो कम पाए जाएं, प्रस्तावों का निर्माण करना।

(ख) देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।

(ग) उन चरणों की परिभाषा करना जिन्हें प्रत्येक चरण की पूर्णता हेतु योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण और संसाधनों का आबंटन किया जाना चाहिए।

(घ) योजना के सभी पहलुओं की दृष्टि से योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र की प्रकृति का विनिर्धारण करना।

(ड.) उन कारकों का निर्धारण करना जिनसे आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही है और उन स्थितियों का निर्धारण करना जिन्हें योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्थापित किया जाना चाहिए।

(च) योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना और नीतियों तथा उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जो ऐसे मूल्यांकन के अनुसार जरूरी समझे जाएं।

(छ) राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग।

(ज) समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास हेतु विशेष कार्यक्रम।

(झ) भावी योजना।

(ञ) जनसाधन अनुसंधान संस्थान।

(ट) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) का समग्र समन्वय तथापि, पीएमजीवाई के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रक कार्यक्रमों का समग्र प्रबंधन और अनुश्रवण करना संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी होगी।

टिप्पणीः प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) का समग्र समन्वय करना योजना आयोग की जिम्मेदारी होगी। तथापि पीएमजीवाई के अधीन स्वतंत्र क्षेत्रक कार्यक्रमों के समग्र प्रबंध और मॉनीटरण की जिम्मेदारी संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग की होगी।

आयोग का गठन

भारत के प्रधान मंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। योजना आयोग का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से हैः

1.	डॉ0 मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	डॉ0 मोंटेक सिंह अहलूवालिया	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रणब मुखर्जी, विदेश कार्य मंत्री	सदस्य
4.	श्री शरद पवार कृषि एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री	सदस्य
5.	श्री पी.चिदम्बरम, गृह मंत्री	सदस्य
6.	कु0 ममता बनर्जी, रेल मंत्री	सदस्य
7.	श्री गुलाब नबी आजाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	सदस्य
8.	श्री कमलनाथ, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री	सदस्य
9.	श्री दयानिधि मारन, कपड़ा मंत्री	सदस्य
10.	श्री कपिल सिब्बल, मानव संसाधन विकास मंत्री	सदस्य
11.	श्री वी0 नारायणसामी, योजना एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री	सदस्य
12.	श्री बी0के0 चतुर्वेदी	सदस्य
13.	प्रो0 अभिजीत सेन	सदस्य
14.	डॉ0 (सुश्री) सईदा हमीद	सदस्य
15.	डा0 सुमित्रा चौधरी	सदस्य
16.	डा0 नरेन्द्र जाधव	सदस्य
17.	डा0 मिहिर शाह	सदस्य
18.	डा0 के0 कस्तूरीरंगन	सदस्य
19.	श्री अरूण मायरा	सदस्य

1.3 उपाध्यक्ष, योजना आयोग केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जे के हैं जबकि सभी पूर्णकालिक सदस्य और सदस्य-सचिव (उपर्युक्त गठन के क्रम संख्या 12 से 19) केन्द्रीय राज्य मंत्री दर्जे के हैं।

1.4 योजना आयोग के अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री सभी प्रमुख नीतिगत मुद्दों के संबंध में आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

1.5 योजना आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित) विस्तृत योजना निर्माण कार्य के मामले में एक संहत निकाय के रूप में कार्य करते हैं। वे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दृष्टिकोण पत्र/प्रलेख और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने, मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों में आयोग के विभिन्न विषय प्रभागों को निर्देशन, परामर्श एवं सलाह प्रदान करते हैं। योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के परिवीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु भी विषय प्रभागों को उनका विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होता है।

1.6 योजना आयोग अनेक विषय प्रभागों और कुछ विशेषज्ञ प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी होता है जो संयुक्त सचिव अथवा अपर सचिव के स्तर पर सलाहकार के रूप में पदनामित होता है और/अथवा सचिव स्तर का अधिकारी जिन्हें प्रधान सलाहकार के रूप में पदनामित किया गया है।

1.7 ये प्रभाग दो प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :

(1) विशेषज्ञ प्रभाग जो संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं से संबंधित हैं; यथा भावी योजना, वित्तीय संसाधन, विकास नीति प्रभाग, आदि; और

(2) विषय प्रभाग, अर्थात् कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास प्रभाग आदि जो सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास के विशिष्ट विषयों से सम्बद्ध हैं।

योजना आयोग में कार्यरत विशेषज्ञ प्रभाग इस प्रकार हैं:

(i) विकास नीति प्रभाग

(ii) वित्तीय संसाधन प्रभाग, राज्य और केन्द्रीय वित्त सहित

(iii) अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग

(iv) श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग

(v) योजना समन्वय प्रभाग

(vi) परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

(vii) समाजार्थिक अनुसंधान एकक

(viii) राज्य योजना प्रभाग

(ix) बहु-स्तरीय योजना प्रभाग, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास, पश्चिमी घाट विकास, विकास और सुधार सुविधा, विकेन्द्रीकृत योजना आदि शामिल हैं

(x) अवसरंचना संरचना प्रभाग (अवसंरचना समिति के सचिवालय के रूप में)।

विषय प्रभाग इस प्रकार हैं :

(i) कृषि प्रभाग

(ii) पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास प्रभाग

(iii) संचार और सूचना प्रभाग

(iv) युवा कार्यक्रम और खेल तथा संस्कृति सहित शिक्षा प्रभाग

(v) पर्यावरण और वन प्रभाग

(vi) स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण प्रभाग

(vii) आवास और शहरी विकास प्रभाग

(viii) उद्योग और खनिज प्रभाग

(ix) विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

(x) ग्रामीण विकास प्रभाग

(xi) विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

(xii) सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण प्रभाग

(xiii) परिवहन प्रभाग

(xiv) ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग

(xv) स्वैच्छिक कार्रवाई समन्वय प्रकोष्ठ

(xvi) जल संसाधन प्रभाग (जल आपूर्ति सहित) और

(xvii) पर्यटन प्रकोष्ठ।

उपरोक्त के अलावा, योजना आयोग को विभिन्न समितियों की सेवा करनी होती है और/ अथवा ऐसे विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना होता है जो समय-समय पर इसे सौपे जाएं।

1.8 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, चुनिंदा योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करता है, ताकि आयोजकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगी अभिपुष्टि (फीडबैक) उपलब्ध हो सके। दिल्ली में अपने मुख्यालय के अलावा, पीईओ के कुछ राज्यों की राजधानियों में सात क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय हैं तथा उनसे सम्बद्ध आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

1.9 जनवरी, 2009 में भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना, योजना आयोग के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में की गई थी। यूआईडीएआई की जिम्मेदारी होगी कि वह यूआईडी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजना एवं नीतियां निर्धारित करे, वह अपना यूआईडी डेटा बेस रखे और उसका प्रचालन करे तथा सतत् आधार पर उसके अनुरक्षण और उसे अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी बने। यूआईडीएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और आठ स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

अध्याय 2
अर्थव्यवस्था और योजना - एक सिंहावलोकन

अर्थव्यवस्था का निष्पादन

2.1 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान संकल्पित तीव्र विकास का उद्देश्य 9% के औसतन विकास का लक्ष्य रखा गया था और इस विकास दर को योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) के दौरान सफलता के साथ हासिल किया गया। वैश्विक वित्तीय खराब स्थिति अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तीव्र उछाल, मजबूत मुद्रास्फीति दाब के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में अगस्त, 2008 में पिछले वर्ष उसी अवधि के मुकाबले मुद्रास्फीति 12.8% तक पहुंच गई थी। परिणामस्वरूप विकास दर में गिरावट के कारण यह 2008-09 में 6.7% तक (1999-2000 की कीमतों के आधार पर) नीचे आ गई, कृषि मे विकास 7.6%, उद्योग में 4.2% और सेवा क्षेत्रक में यह 10% था। फिर भी 2009-10 के दौरान कुछ कारक जैसे - आईआईपी औद्योगिक उत्पाद सूचक से बढ़ोतरी, बिजनैस विश्वसनीयता में वृद्धि, राजकोषीय प्रेरक पैकेज का प्रभाव और पूंजी प्रवाह में तेजी आदि धारणीय विकास के संकेतक हैं और तीव्र रिकवरी के लिए सशक्त है। वित्तीय बाजारों मेंआई पुनर्जागृति निवेशकों में घरेलू बाजार में फिर से विश्वसनीयता के निर्माण के संकेत हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक में ठोस विकास जमा राशियों में उछाल से शुद्ध अदृश्य सरप्लस पूंजी प्रवाह की वापसी आदि के संकेतों से रिकवरी के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अद्यतन अनुमानों से अर्थव्यवस्था में बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है, जिस से संकेत मिलते हैं कि अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो रही है और यह 2009-10 के विकस प्रक्षेपणों को हासिल करेगी।

2.2 2004-05 को आधार वर्ष मानते हुए सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखलाओं के साथ द्रुत अनुमान जारी कर दिए हैं। पुरानी श्रृंखलाओं के स्थान पर जिनका आधार वर्ष 1999-2000 था। तालिका 2.1.1 कारक लगात और 11वीं योजना के लिए प्रथम दो वर्षों के दौरान बाजार की कीमतों पर दोनों पुराने (1999-2000 आधार वर्ष) और नए (2004-05 आधार वर्ष पर श्रृंखलाओं) पर जीडीपी विकास दर दर्शाती है। बाजार की कीमतों पर जीडीपी में शामिल है- शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (अप्रत्यक्ष कर नैट आफ सब्सिडी) जो कारक लागत पर जीडीपी से अधिक है। 2009-10 के दौरान सीएसओ द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार कारक लागत पर जीडीपी विकास दर (2004-05 की स्थिर कीमतों के आधार पर) 2008-09 की 6.7% विकास दर की तुलना में 7.2% आंकी गई है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में ठोस सुधार दर्शाती है।

तालिका 2.1.1

कारक लागत पर जीडीपी विकास दर और बाजार कीमतों पर जीडीपी विकास दर

वर्ष	कारक लागत पर जीडीपी		बाजार की कीमत पर जीडीपी	
	पुरानी श्रृंखला (1999-00)	नई श्रृंखला (2004-05)	पुरानी श्रृंखला (1999-00)	नई श्रृंखला (2004-05)
11वीं योजना का लक्ष्य	9.0	9.0	9.0	9.0
2007-08	9.0	9.2	9.1	9.6
2008-09(क्यूआई)	6.7	6.7	6.1	5.1
2009-10 (एई)	-	7.2	-	6.8

क्यूई- द्रुत अनुमान एई - अग्रिम अनुमान

बचत और निवेश दर

2.3 11वीं योजना में बचत और निवेश की दर क्रमशः 34.8% और 36.7% के महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं, क्योंकि 9वीं और 10वीं योजना के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में घरेलू बचत और निवेश ऊपर की ओर ही देखा गया है (तालिका 2.1.2) 4.1% के इंक्रिमैंट ल कैपिटल आउटपुट अनुपात निवेश की यह दर 11वीं योजना के 9% के जीडीपी विकास लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। 11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान (2007-08) बचत और निवेश की दर पहले ही लक्ष्य से आगे निकल चुकी है। फिर भी, वर्ष 2008-09 के दौरान बचत और निवेश दोनों की दरों में गिरावट देखी गई है। इसके रहते हुए भी, ये दरें दसवीं योजना के औसत मुकाबले अधिक रही है एवं वैश्विक वित्तीय खराब स्थिति के रहते हुए भी अर्थव्यवस्था में तीव्र बहाली के संकेत देखे गए हैं।

तालिका 2.1.2

बचत और निवेश दर (जीडीपी % के रूप में)

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	बचत दर	निवेश दर
नवीं योजना	23.6	24.3
दसवीं योजना (औसत)	31.54	31.46
11वीं योजना - लक्ष्य	34.8	36.7
2007-08	36.4	37.7
2008-09 (क्यूई)	32.5	34.9

क्यूई - द्रुत अनुमान

बचत की संरचना

2.4 सकल घरेलू बचतों (जीडीएस) को सार्वजनिक और निजी बचत के रूप में रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्रक की बचत में सरकारी विभागों (केंद्र और राज्य) एवं सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की बचत शामिल है। निजी क्षेत्रक की बचत में घरेलू बचत, जिसमें घरों की प्रत्यक्ष बचत और निगमित क्षेत्रक की बचत भी शामिल है। 2007-08 में हुई बचत का श्रेय सभी क्षेत्रकों को जाता है और उन में पारिवारिक क्षेत्रक घरेलू बचत में अग्रणी रहा है। सार्वजनिक बचत में वृद्धि का प्रमुख कारण रहा है - गैर विभागीय उद्यमों की बचत में वृद्धि, विभागीय उद्यमों में हुई बचत की अल्प वृद्धि और सरकारी प्रशासन की डिस-सेविंग्स में भारी कमी। राजकोषीय जिम्मेदारी बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) का कार्यान्वयन और 2008-09 के लिए अपनाई गई राजकोषीय और राजस्व घाटे के लक्ष्यों से सरकारी क्षेत्रक के राजकोषीय अनुशासन की बात शुरू करने में सहायता मिली है। उच्च आय विकास के साथ कर प्रशासन के सुधारों से आए कर राजस्व में उछाल से 2007-08 के दौरान सरकारी बचत में सुधार हुआ और 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हुई।

फिर भी, 2008-09 के दौरान घरेलू बचत में गिरावट रही जिसका कारण सार्वजनिक क्षेत्रक की बचत में आई कमी रहा है। तालिका 2.1.3 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में बचत संरचना को दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3

बचत की संरचना

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	पारिवारिक क्षेत्र	निजी निगमित क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	जीडीएस
2006-07	22.9	8.0	3.6	34.4
11वीं योजना लक्ष्य	23.0	7.3	4.5	34.8
2007-08	22.6	8.7	5.0	36.4
2008-09 (क्यूई)	22.6	8.4	1.4	32.5

क्यूई उ द्रुत अनुमान

2.5 निगमित बचत में विशेष रूप से उछाल आया है और 2007-08 तक निजी क्षेत्रक के वित्तीय निष्पादन से सुदृढ़ विकास प्रदर्शित होता है, जो अगलेवर्ष 8.4% तक मध्यम स्तर का रहा। जिसका मुख्य कारण था वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और निष्पादन में आया बदलाव।

निवेश की संरचना

2.6 कुल निवेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक की सापेक्ष हिस्सेदारी में आए बदलाव से अर्थ व्यवस्था में निवेश के तरीके में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बीच निवेश की संरचना निजी निवेश के पक्ष की ओर झुकी है। कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्रक के निवेश में कमी आई है, यह नवीं योजना (1997-2002) में 29% था, जो कि दसवीं योजना (2002-2007) तक 22.3% तक नीचे आ गया। 11वीं योजना का उद्देश्य है कि समग्र योजना अवधि में कुल निवेश के स्तर को 36.7% की औसत दर पर बढ़ाया जाए ताकि उच्च विकास की गति बनाई रखी जा सके। तालिका 2.1.4 कुल निवेश और सार्वजनिक निवेश दरों को दर्शाती है।

तालिका 2.14

निवेश की संरचना

वर्ष	कुल निवेश	निजी निवेश	सरकारी निवेश	सरकारी निवेश (कुल निवेश के ऽ के रूप में)
	(जीडीपी का %)			
9वीं योजना (1997-2002)	24.3	17.3	7.0	29.0
10वीं योजना (2002-07)	34.2	26.6	7.6	22.3
11वीं योजना (लक्ष्य) (2007-12)	36.7	28.7	8.0	21.9
2007-08	37.7	28.8	8.9	23.7
2008-09(क्यूई)	34.9	25.5	9.4	27.0

क्यूई - द्रुत अनुमान

2.7 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रक के निवेश में वृद्धि हुई है और यह निर्धारित प्लान के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ है। कुल निवेश में सार्वजनिक निवेश का हिस्सा, जो 2007-08 में 23.7% था बढ़कर 2008-09 में 27% हो गया है। फिर भी, निजी निवेश में ठोस कमी आई है और निजी क्षेत्रक के निवेश में वैश्विक मंदी का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

विकास एवं क्षेत्रकीय निष्पादन

2.8 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) का लक्ष्य है कि9% औसत विकास किया जाए, कृषि क्षेत्रक में प्रति वर्ष की विकास दर 4%, औद्योगिक क्षेत्रक में प्रति वर्ष 10-11% और सेवा क्षेत्रक में प्रति वर्ष 9% से 11%.। 11वीं योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) के दौरान जीडीपी की विकास दर का अनुमान 9.2% लगाया गया है, कृषि में 4.7% विकास, उद्योग में 8.2% और सेवाओं में 10.6% का अनुमान लगाया गया है। यद्यपि 2007-08 के दौरान विकास दर अपेक्षा के अनुसार ही रहा है, फिर भी, 2008-09 के दौरान, सूखे की स्थिति के कारण कृषि क्षेत्रक में नकारात्मक विकास दर और वैश्विक मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी मंदी देखी गई है। तालिका 2.1.5 अर्थव्यवस्था की क्षेत्रकीय विकास निष्पादन की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 2.1.5

क्षेत्रकीय वृद्धि दर (% में)

(फैक्टर लागत - 2004-05 की कीमतों पर)

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवा	जीडीपी
11वीं योजना (लक्ष्य)	4.0	10-11	9-11	9.0
2007-08	4.7	8.2	10.6	9.2
2008-09 (क्यूई)	1.6	3.7	10.5	6.7
2009-10 (एई)	-0.2	8.1	8.8	7.2

क्यूई = द्रुत अनुमान, आरई = संशोधित अनुमान

2.9 11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्रक ने 4.7% की उच्च विकास दर हासिल की है, जबकि औद्योगिक क्षेत्रक की विकास दर लक्ष्य से पीछे रही है। कृषि संबंधी विकास दर 2008-09 में 1.6% घट गई है जो देश में सूख के कारण हुआ है और 2009-10 तक यह चिंता का विषय बना रहा है। 2007-08 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रक में 8.2% से ठोस रूप में गिरावट आई जो 2008-09 में 3.7% तक नीचे आ गया। फिर भी 2009-10 के दौरान ओद्योगिक विकास दर में 2008-09 की तुलना में सुधार हुआ और यह 8.1% तक पहुंच गई। सेवा क्षेत्रक, जिनके 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम दोनों वर्षों के दौरान सतत रूप से अच्छा निष्पादन दिखाया हो सकता है कि 2009-10 से यह उसको कायम न रख पाए जिसका कारण है कि वैश्विक मंदी।

2.10 प्रति व्यक्ति आय को प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय अनुपात, जो 2008-09 में कारक लागत 5.0 की दृष्टि से नापी गई है जिसकी 2007-08 के दौरान उपलब्धि 8% रही है। सीएसओ के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2009-10 के लिए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 5.4% लगाया गया है।

2.11 अर्थ व्यवस्था की कुल विकास दर में काफी अंतर क्षेत्रीय भिन्नताएं रही हैं। 2008-09 के दौरान जिन राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से अधिक विकास दर प्रदर्शित की है वे हैं - बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। संलग्नक 2.1 में दसवीं योजना अवधि का राज्यवार विकास निष्पादन दर्शाया गया है। 11वीं योजना के लिए राज्यवार लक्ष्य और वार्षिक विकास दर (2007-08 और 2008-09) विशिष्ट राज्यों के बारे में दर्शाए गए हैं जो कि उपलब्ध अंतिम आंकड़ों पर आधारित हैं।

राजकोषीय निष्पादन

2.12 एफआरबीएम द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राजकोषीय पुनर्संरचना से समानता बनाए रखते हुए, केंद्र के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% तक नियंत्रित करने और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए भी इसे 3% तक रखने की जरूरत है, जिससे एफआरबीएम विधान लागू किया है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के अलावा सभी राज्य सरकारों ने एफआरबीएम लागूकर दिया है। इससे सकल राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे दोनों में ही दसवीं योजना के दौरान ठोस सुधार हुआ है। केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2002-03 में जीडीपी का 9.6% था, जो 2006-07 के दौरान 5.6% तक आ गया और फिर 2007-08 में 5.3% तक नीचे आ गया। घरेलू अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मांग को बढ़ाने के लिए तीन प्रेरक पैकेजों की घोषणा की। 2008-09 के लिए मौजूदा बाजार की दरों पर जीडीपी के 3.5% बनते हैं। मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए संयुक्त राजकोषीय घाटा जीडीपी के 8.9 प्रतिशत तक पहुंच गया। केन्द्र व राज्य का संयुक्त राजस्व घाटा वर्ष 2002-03 में जीडीपी के 6.6% से वर्ष 2006-07 में जीडीपी के 1.3% तक और आगे 2007-08 में 0.9% तक पहुंच गया। वर्ष 2008-09 के लिए संयुक्त राजस्व घाटा जीडीपी के 5.5% तक पहुंच गया।

तालिका 2.1.6

केन्द्र और राज्य सरकार के घाटे की प्रवृत्तियां

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा
2002-03	5.9	4.4	4.1	2.3
2003-04	4.5	3.6	4.4	2.3
2004-05	4.0	2.4	3.4	1.2
2005-06	4.1	2.5	2.5	0.2
2006-07	3.4	1.9	1.9	-0.6
2007-08	2.7	1.1	2.3	-0.5
2008-09 (आरई)	6.0	4.4	2.7	-0.1
2009-10 (बीई)	6.8	4.8	-	-

टिप्पणीः राज्य वित्त के लिए बजट नम्बर है 2008-09 के लिए बजट अनुमान है और 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान
आरई - संशोधित अनुमान, बीई बजट अनुमान

2.13 तालिका 2.1.6 अंतिम कुछ वर्षों से राज्यों और केंद्र के राजकोषीय निष्पादन को दर्शाते हैं। केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे में ठोस सुधार हुआ है जो 2002-03 में जीडीपी का 5.9% था, जो 2007-08 में 2.7% तक आ गया। केंद्र सरकार का राजस्व घाटा जीडीपी के 4.4% से घट कर उसी अवधि में 1.1% तक आ गया। फिर भी, वैश्विक मंदी का मुकाबला करते हुए भारतीय अर्थ व्यवस्था में राजकोषीय प्रेरणा के माध्यम से केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा 2008-09 के दौरान संशोधित स्तर पर क्रमशः 6% और 4.4% तक पहुंच गया।

2.14 12वां वित्त आयोग एवार्ड के कार्यान्वयन के सा राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन प्रयास ने राज्यों के राजकोषीय घाटे में सुधार किया, जो 2002-03 में जीडीपी का 4.1% था और 2007-08 में संशोधित स्तर पर 2.3% तक आ गया, लेकिन 2008-09 में संशोधित स्तर पर बढ़ कर 2.7% हो गया और सैनवैट और सेवा कर दरों में कमी के कारण पींछे सीमित राजकोषकीय स्पेश छोड़दिया (तालिका 2.1.6) राज्यों का राजस्व घाटा 2006-07 तक पूरी तरह समाप्त हो गया और उसके बाद सभी राज्य राजस्व खातों में अधिकता (सरप्लस) महसूस कर रहे हैं। यह सब दोहरे विकास उपायों, उच्च कर-समाहरण और गैर योजना राजस्व व्यय पर नियंत्रण के कारण संभव हो पाया है।

2.15 केंद्र सरकार का कुल खर्च 2002-03 में जीडीपी का 16.84% था, जो 2007-08 में 14.4% तक आ गया फिर भी 2008-09 (आरई) में कुल खर्च बढ़कर 16.16% हो गया जिसका मुख्य कारण था - छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, साथ में इसके लिए खाद्य सब्सिडी में वृद्धि और व्यापक राजकोषीय घाटेके कारण उच्चतर ब्याज भुगतान भी इसके लिए जिम्मेदार है। यह खर्च 2009-10 (बीई) स्तर पर और बढ़कर 16.56% तक पहुंच गया। सभी राज्यों का कुल खर्च 2002-03 में जीडीपी के 17.13% से घटकर 2007-08 (आरई) स्तर पर 16.67% हो गया। सरकारी खर्च में 2002-03 के दौरान जीडीपी की लगभग 13.52% से 2007-08 (आरई) में जीडीपी के 11.29% तक की गई ठोस कटौती से आंका जाता है। इस अवधि के दौरान राज्य योजना खर्च 2007-08 (आरई) में जीडीपी का 3.61% से बढ़कर 5.39% हो गया। 2008-09 के बजट अनुमान में राज्य सरकारों के कुल खर्च को जीडीपी का 16.45% तक नीचे लाया गया है।

2.16 प्राप्ति की तरफ केंद्र सरकार का सकल राजस्व कर में काफी सुधार देखा गया है जो 2003 में जीडीपी 8.8% से 2007-08 में जीडीपी 12.6% तक पहुंच गया (तालिका 2.1.7) फिर भी 2008-09 (आरई) में कर राजस्व 11.3% तक नीचे आ गया और 2009-10 (बीई) में जीडीपी 10.4% होना संभावित है। केंद्र के गैर कर राजस्व 2007-08 में जीडीपी के लगभग 2.2% थे जो 2008-09 (आरई) में 1.7% हो गया। गैर कर राजस्व की प्राप्तियों में उम्मीद की जाती है कि 2009-10 (बीई) में यह बढ़कर जीडीपी के 2.3% तक पहुंच जाएगी। इस अवधि में राज्य सकरार के निजी कर राजस्व मेंवृद्धि हुई जो जीडीपी 5.8% से 6.2% तक पहुंच गए। राज्यों के गैर कर राजस्व में भी 2002-03 की तुलना में 2008-09 के दौरान जीडीपी के 3.3% में वृद्धि होकर यह 3.9% तक पहुंच गया है।

तालिका 2.1.7

केन्द्र और राज्य सरकारों के राजस्व के रूझान

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	कर राजस्व		गैर-कर राजस्व	
	केन्द्र का सकल कर राजस्व	राज्यों का सकल कर राजस्व	केन्द्र	राज्य
2002-03	8.8	5.8	2.9	3.3
2003-04	9.2	5.8	2.8	3.2
2004-05	9.7	6.0	2.6	3.3
2005-06	10.2	5.9	2.1	3.5
2006-07	11.5	6.1	2.0	3.8
2007-08	12.6	6.2	2.2	3.9
2008-09 (सं.अनुमान)	11.3	6.2	1.7	3.9
2009-10 (बजट अनुमान)	10.4	-	2.3	-

टिप्पणीः राज्य वित्त के लिए बजट नम्बर है 2008-09 के लिए बजट अनुमान है और 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान

2.17 केंद्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां 2002-03 में जीडीपी 63.5% से घटकर 2008-09 की संशोधित स्तर पर 56.25% तक नीचे आ गई और 2009-10 के संशोधित स्तर पर मामूली वृद्धि के बाद यह 56.70% हो गई। इसी प्रकार सभी राज्यों की कुल मिलाकर देनदारियां 2002-03 में 32.0% से घट कर 2007-08 में संशोधित स्तर पर 28.4% हो गई और 2008-09 में बजट अनुमान स्तर पर फिर से जीडीपी के 27.4% हो गई।

बाह्य क्षेत्रक निष्पादन

2.18 11वीं योजना में निर्यात के बारे में अनुमान है कि यह प्रति वर्ष लगभग 20% की वृद्धि यूएस डॉलर के रूप में होगी। जीडीपी के अनुपात में निर्यात के बढ़ने का अनुमान है कि यह 2006-07 में 13.9% से 2011-12 के अंत तक 22.5% तक हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में उपलब्ध सूचना के अनुसार 2007-08 के दौरान निर्यात का मूल्य 166.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था जो कि 2006-07 के दौरान 129 बिलियन अमरीकी डालर था और इसमें 28.9% की वृद्धि रिकार्ड की गई थी। 2008-09 के लिए निर्यात का मूल्य 175.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जिसमें 5.4% की वृद्धि दर देखी गई जो कि दर्शाती है कि वैश्विक मंदी के कारण भारतीय निर्यातों के आर्थिक गतिविधि पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

2.19 11वीं योजनावधि के दौरान आयात के बारे में अनुमान किया जाता है कि उसमें 23% की औसतन वृद्धि रहेगी। 2007-08 के दौरान आयात का मूल्य 258 बिलियन यूएस डॉलर था और इसमें 2006-07 की तुलना में 21.8% के मुकाबले वार्षिक विकास 35.4% रिकार्ड किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए आयात का मूल्य 294.6 बिलियन यूएस डॉलर था जिसमें 14.3% की वृद्धि रिकार्ड की गई है। पीओएल (पैट्रोल, ऑयल लुब्रिकेंट्स) के आयात के लिए उसी अवधि में विकास दर 14.6% पंजीकृत की गई में 39.4% थी। गैर तेल आयात में 16.5% वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष 33.6% थी। आयात के विकास में मुख्य रूप से यह कमी अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी, पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियों में मंदी का व्यापक प्रभाव भी इसका कारण रहा है।

2.20 सौदा व्यापार घाटा 2006-07 में 64.9 यूएस डॉलर से बढ़कर 2008-09 में बढ़कर 108.8 यूएस डॉलर हो गया। दूसरे शब्दों में जीडीपी के 7.5% की तुलना में यह जीडीपी के 9.4% अनुमानित की गई है। भारत का चालू खाता घाट ा (सीएडी) 2006-07 में (जीडीपी का 1.5%) यूएस 17.0 बिलियन डॉलर की तुलना में 2008-09 के दौरान 29.8 यूएस डॉलर हो गया। कैड की इस वृद्धि का कारण विश्व मंदी और विश्व व्यापार में गिरावट का प्रभाव रहा है।

2.21 भारत में 2008-09 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का शुद्ध प्रवाह 17.5 यूएस बिलियन डॉलर जो कि 2007-08 के दौरान 15.5 बिलियन यूएस डॉलर था। एफआईआई (ज) में 2008-09 के दौरान 15 बिलियन यूएस डॉलर का निवल प्रवाह दर्ज किया है जब कि 2007-08 में शुद्ध प्रवाह 20.3 बिलियन यूएस डॉलर था। पूंजी निवेश के अन्य घट बाह्य वाणिज्यिक उधार, बाह्य सहायता एनआरआई (ज) द्वारा जमा राशि और अन्य पूंजी है। 2007-08 के दौरान निवल पूंजी प्रवाह (इनफलॉज - आउटफलोज/ अन्तस्राव - बाह्स्राव) 108 बिलियन यूएस डॉलर था, जो 2006-07 में 45.8 बिलियन यूएस डॉलर था। फिर भी 2008-09 के दौरान निवल पूंजी प्रवाह में अत्यधिक गिरावट आईऔर यह 9.1% बिलियन यूएस डॉलर तक नीचे आ गया।

2.22 मार्च, 2009 को समाप्त स्थिति के अनुसार भारत का बाह्य ऋण 229.9 बिलियन यूएस डॉलर था यानि पिछले वर्ष की तुलना में 2.4% की वृद्धि हुई। मार्च, 2008 के अंत में कुल बाह्य ऋण224.6 बिलियन यूएस डॉलर था। इस में दीर्घकालीन ऋण 180.5 बिलियन यूएस डॉलर और अल्पकालीन ऋण 49 बिलियन यूएस डॉलर शामिल है। 2005-06 से जीडीपी अनुपात में कुल ऋण बढ़ता हीरहा है। यह मार्च, 2007 के अंत में 18.1% था जो कि मार्च, 2009 के अंत में 22% हो गया। वर्ष 2008-09 में सेवा अनुपात ऋण घटकर 4.6% हो गया, जबकि वर्ष 2007-08 में यह 4.8% था। इस प्रकार भारत के कुल बाह्य ऋण में यूएस डॉलर (56.5%) डिनोमिनेशन में अग्रणी मुद्रा बनी रही।

2.23 विदेश विनिमय रिजर्व (सोना एसडीआर एवं रिजर्व नकदी स्थिति आईएमएफ के साथ) काफी समय से लगातार बढ़ रही है और 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि में यह 309.7 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई है। फिर भी 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि में यह

रिजर्व तेजी से घटकर 252 बियन यूएस डॉलर तक आ गई है। रिजर्व का यह स्तर मार्च, 2008 के अंत तक 10.3 माह के आयात कवर के बराबर है।

कीमतों की स्थिरता

2.24 दसवीं योजना में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में वृद्धि द्वारा मापित औसत वार्षिक मुद्रास्फीति जो 5% पर मॉडरेट थी जबकि दसवीं योजना के तीसरे और चौथे वर्ष में तेल की कीमतों में 40% प्रति वर्ष की अधिकता थी। 11वीं योजना (2007-08) के प्रथम वर्ष के दौरान डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति 4.7% थी जो कि वर्ष 2006-07 में 5.4% थी। अंतिम वित्त वर्ष में थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में व्यापक दायरे में बदलाव देखा गया जो अगस्त 2008 में 12.82% अधिकतम था और मार्च, 2009 में 1.20% के न्यूनतम पर आ गया। वित्त वर्ष 2009-10 की शुरूआत अप्रैल, 2009 में 1.31 प्रतिशत मुद्रास्फीति की हैडलाइन के साथ शुरूआत हुई और जून से अगस्त, 2009 के दौरान यह नकारात्मक जोन में आ गया और जिसकी अक्तूबर, 2009 में 1.34% दर्ज किया गया। 2007-08 के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो औद्योगिक कर्मचारियों के लिए है और कृषि श्रमिक (सीपीआईएएल) के आधार पर कीमतों मेंवृद्धि की वार्षिक दर क्रमशः 6.1% और 7.5% थी। 2008-09 के दौरान इस में और वृद्धि हुई जो क्रमशः 9.1% और 10.6% हो गई।

2004-05 के लिए गरीबी के अनुमान

2.25 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 61वें चक्र (जुलाई, 2004 से जून, 2006 तक) के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुपात एकसमान प्रत्याह्वान अविध (यूआरपी, जिसके अंतर्गत सभी मदों के संबंध में उपभोक्ता व्यय आंकड़े 30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से एकत्र किए जाते हैं) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत तथा समूचे देश के लिए 27.5 प्रतिशत तथा मिश्रित प्रत्याह्वान अवधि (एमआरपी जिसके अंतर्गत पांच खाद्य-भिन्न मदों अर्थात कपड़े, जूते, उपभोज्य वस्तुएं, शिक्षा और संस्थानगत चिकित्सीय व्यय के संबंध में उपभोक्ता व्यय आंकड़े 365 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से तथा शेष पांच मदों के संबंध में उपभोक्ता आंकड़े 30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से एकत्र किए जाते हैं) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 21.8 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 21.7 प्रतिशत और समूचे देश के लिए 21.8 प्रतिशत अनुमानित है। यूआरपी खपत (27.5 प्रतिशत) पर आधारित 2004-05 में गरीबी के अनुमान 1993-94 के गरीबी अनुमानों के साथ तुलनीय हैं, जो 36 प्रतिशत थे। एमआरपी खपत (लगभग 21.8 प्रतिशत) पर आधारित 2004-05 में गरीबी के अनुमान मोटे तौर पर (कठोरतः नहीं), 1999-2000 के गरीबी अनुमानों के साथ तुलनीय हैं, जो 26.1 प्रतिशत हैं। यूआरपी उपभोग विभाजन तथा एमआरपी उपभोग पर आधारित तुलनीय गरीबी अनुमान क्रमशः तालिका-2.1.8 और तालिका-2.1.9 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.1.8

एकसमान प्रत्याह्वान अवधि पर आधारित गरीबी अनुमानों की तुलना

(प्रतिशत में)

	1993-94	2004-05
ग्रामीण	37.3	28.3
शहरी	32.4	25.7
योग	36.0	27.5

तालिका 2.1.9

मिश्रित प्रत्याह्वान अवधि पर आधारित गरीबी अनुमानों की तुलना

(प्रतिशत में)

	1999-2000	2004-05
ग्रामीण	27.1	21.8
शहरी	23.6	21.7
योग	26.1	21.8

2.26 तालिका 2.8 और 2.9 में दिए गए गरीबी अनुमान यूआरपी उपभोग विभाजन द्वारा अनुमानित 1993-94 तथा 2004-05 के बीच एमआरपी उपभोग विभाजन के लिए 1999-2000 तथा 2004-05 के बीच तुलना की छूट देते हैं। ये दोनों ही तुलनाएं गिरावट का परिचय देती है और इस गिरावट की दर दोनों अवधियों के दौरान एकसमान अर्थात -0.8 प्रतिशत बिंदु प्रति वर्ष है।

संलग्नक-2.1

1999-2000 के मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)

क्रम संख्या	राज्य	Xवीं योजना (सीएजीआर)*	XIवीं योजना (लक्ष्य)	2007-08 (वार्षिक वृद्धि)	2008-09 (वार्षिक वृद्धि)
1	2	3	4	5	
1.	आंध्र प्रदेश	7.39	9.50	10.62	5.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.80	6.40	3.74	एनए
3.	असम	5.7	6.50	6.06	6.04
4.	बिहार	7.87	7.60	8.04	11.44
5.	झारखंड	7.56	9.80	6.18	5.52
6.	गोवा	9.32	12.10	11.14	एनए
7.	गुजरात	10.40	11.20	12.79	एनए
8.	हरियाणा	8.99	11.00	9.35	8.02
9.	हिमाचल प्रदेश	7.68	9.50	8.59	एनए
10.	जम्मू तथा कश्मीर	5.59	6.40	6.28	एनए
11.	कर्नाटक	5.98	11.20	12.92	5.08
12.	केरल	8.74	9.50	10.42	एनए
13.	मध्य प्रदेश	3.80	6.70	5.25	एनए
14.	छत्तीसगढ़	9.01	8.60	8.63	7.69
15.	महाराष्ट्र	8.29	9.10	9.18	एनए
16.	मणिपुर	5.78	5.90	6.77	7.13
17.	मेघालय	5.81	7.30	5.2	एनए
18.	मिजोरम	6.44	7.10	5.54	6.44
19.	ज़ागालैंड	एनए	9.30	एनए	एनए
20.	उड़ीसा	8.47	8.80	5.85	6.74
21.	पंजाब	5.07	5.90	6.54	6.26
22.	राजस्थान	5.41	7.40	7.33	7.12
23.	सिक्किम	7.97	6.70	7.4	8.00
24.	तमिलनाडु	7.53	8.50	4.41	4.55
25.	त्रिपुरा	7.58	6.90	एनए	एनए
26.	उत्तर प्रदेश	5.24	6.10	7.16	6.46
27.	उत्तराखंड	9.45	9.90	9.37	8.67
28.	पश्चिम बंगाल	6.51	9.70	7.74	एनए
अखिल भारत जीडीपी (99-00 आधार)		7.78	9.00	9.00	6.70

स्रोतः XIवीं योजना (लक्ष्य)-11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज प्राप्त की गई जीएसडीपी वृद्धि की गणना सीएसओ द्वारा 9.2.09 को संकलित जीएसडीपी विषयक आंकड़ों के आधार पर की गई है।

*सीएजीआर- संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर

अध्याय 3
योजना

वार्षिक योजना 2009-10 के आबंटन अधिक तेज और समावेशी वृद्धि के निमित्त 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टि कोण दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्यों और कार्यनीतियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। तदनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला तथा बाल विकास, एससी/एसटी/अल्पसंख्यक, शहरी विकास, आधारिक-तंत्र (सिंचाई, सड़क और विद्युत), विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए आबंटन तय करते समय योजना आयोग ने भारत निर्माण प्रमुख कार्यक्रमों सहित पहले से चले आ रहे अग्रणी कार्यक्रमों की जरूरतों पर भी विचार किया है। भौतिक आधारिक-तंत्र, उच्च शिक्षा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर बल दिए जाने से अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार का विस्तार होगा और इससे आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप रोजगार उपलब्ध होंगे और संसाधनों की उत्पत्ति होगी। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी अनिवार्य सेवाओं पर बल दिए जाने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्नति के लाभ समान रूप से वितरित हों और वह जनसाधारण द्वारा विकास की प्रक्रिया से वंचित किए जाने की धारणा का शमन हो।

3.1 वार्षिक योजना 2009-10 की पृष्ठभूमि

वार्षिक योजना 2009-10 योजना प्रस्ताव बनाने के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को दिए गए निम्न निर्देशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर तैयार की गई थी:

(i) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपनी 'कोर योजना' और क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं का, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में दी गई समग्र प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण करना चाहिए, जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक समझदारी और किफायती, सुचारू ढंग से उपयोग किया जा सके।

(ii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सभी स्कीमों के संबंध में जेडबीबी पद्धति को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। निधियों की आवश्यकताओं और योजना आबंटनों के बीच बेमेलपन को रोकने के लिए और वित्तीय आबंटन की बजाय वांछित भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देने के लिए यह आवश्यक है।

(iii) 2009-10 11वीं योजना का तीसरा वर्ष है इसलिए वार्षिक योजना 2009-10 में पहले से चली आ रही केवल ऐसी स्कीमें/कार्यक्रम परियोजनाएं शामिल की जानी चाहिए जो जनहित में हो और जिन्हें अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव डाले बिना खत्म न किया जा सकता हो। प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन पहले ही किया जा चुका हो जो वार्षिक योजना 2009-10 में शामिल प्रत्येक कार्यक्रम/परियोजना के महत्व को दर्शाएगा।

(iv) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोटि सुधारने के लिए वित्तीय परिव्ययों को परिणामों में बदलने पर बल दिया गया। मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के मध्यवर्ती परिणाम/उत्पादन का लक्ष्य तय किया जा सकता है तथा परिणामी बजट दस्तावेज में दिए गए अनुदेशों के अनुसार क्वांटीफाइबल डिलीवरेबल्स के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन किया जाना चाहिए।

(v) छमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों से उभरे इन्पुट तथा परिमाणनीय सुपुर्दगियों के लक्ष्यों के संदर्भ में उनकी उपलब्धि का गुणवत्तात्मक आकलन को 2009-10 के लिए योजना आबंटन करते समय उसे ध्यान में रखना चाहिए।

(vi) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपने वार्षिक योजना प्रस्ताव में प्रस्तावित/संभावित ईएपी को सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं (ईएपी) और प्रत्यक्ष वित्तपोषित परियोजनाओं को (अर्थात बजटीय प्रवाहों से बाहर) को एकीकृत किया जा सके। इससे योजना प्रक्रिया और बजटीय संसाधनों के आबंटन कार्य के लिए बढ़ावा मिले।

(vii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की पहल के अनुसरण में, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट का कम से कम 10% पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित करना है, (विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर)।

(viii) सरकारी निधियों का लाभ उठाने के लिए, धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदान करने की कोटि सुधारने के लिए, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रूप में उत्तम परिवहन सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए अवस्थापना को प्रोत्साहित करने में सरकारी-निजी भागीदारी को उत्साहित करने की जरूरत है।

3.2 वार्षिक योजना 2009-10 के बजटीय आबंट न की मुख्य विशेषताएं

3.2.1 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए बजट आबंट न, सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वर्णित लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और विशेष रूप से केन्द्रीय योजना आबंटन निर्धारित करने में निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गयाः

- सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों (भारत निर्माण के सभी घटकों सहित) का समुचित वित्तपोषण सुनिश्चित करना;
- परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तपोषण को प्राथमिकता देना;
- कृषि (पशुपालन और जल संसाधन सहित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, माध्यमिक शिक्षा तथा ग्रामीण विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

3.2.2 जबकि लगभग 50% ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, अतः समावेशी विकास का उद्देश्य कृषि को महत्व दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तदनुसार, कृषि क्षेत्रक के मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए 11वीं योजना उच्च प्राथमिकता देती है। इस प्रकार अपनी वार्षिक योजना परिव्यय में (2008-09 के बजट अनुमान) कृषि एवं सहकारिता विभाग को 4.14% की वृद्धि मिली है, ताकि पर्याप्त प्रावधान (1100 करोड़ रुपए) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए लघु सिंचाई के लिए (430 करोड़ रुपए) और बृहद कृषि प्रबंधन के लिए (950 करोड़ रुपए) किया जा सके। इसी प्रकार कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए 1760 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय का प्रावधान किया गया था, ताकि स्थिति विशिष्ट जरूरतों के अनुसार प्रौद्योगिकी जनरेशन का पुनश्चर्याकरण/ पुनईंजीनियरी हो सके एवं साथ में क्षेत्रीय प्रसार कार्यक्रमों के लिए केवीके लिंकेज में सुधार किया जा सके ताकि जानकारी संबंधी अभाव को पाटा जा सके। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के परिव्यय में 10% की वृद्धि करते हुए प्रति व्यक्ति दूध, अण्डा, मास मछली उपलब्ध कराने और नस्ल सुधार एवं बीमारी नियंत्रण के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को सघन बनाने की प्राथमिकताओं के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

3.2.3 शिक्षा सबसे बड़ा समताकारी तत्व है क्योंकि यह जनसाधारण को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने में समर्थ बनाता है। इसलिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

के लिए 26,800 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) तथा मध्याह्न भोजन (एमडीएम) नामक कार्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करना था। इसके अलावा बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी गिरावट लाई जाएगी और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। 13,100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन (जिस में पूर्वोत्तर क्षेत्र का 1166.08 करोड़ रुपए) सर्व शिक्षा अभियान के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और नवोदय विद्यालय और खोले जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा के सहायतार्थ राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जो मध्याह्न भोजन स्कीम के नाम से लोकप्रिय है, वह प्राथमिक और अपर प्राथमिक बच्चों के लिए विश्व के सबसे बड़े स्कूल कार्यक्रम के रूप में उभरा है। प्राथमिक स्तर पर सफलता के बाद यह स्कीम 1 अक्तूबर, 2007 से 3479 शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में अपर प्राथमिक स्तर पर भी लागू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत 2008-09 से देश के सभी क्षेत्रों में अपर प्राथमिक स्तर तक (कक्षा-1 से कक्षा-VIII) के सभी बच्चे कवर किए गए हैं। परिणामस्वरूप मध्याह्न भोजन स्कीम केलिए 8000 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जिस में 2009-10 के लिए पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए 800 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

3.2.4 ज्ञान सेवा क्षेत्रक हमारी अर्थ व्यवस्था में विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में उभरा है। फिर भी, दक्षता की अत्यधिक कमी इस क्षेत्र में स्पर्धा का लाभ और अनुरक्षण प्राप्त करने में हमारी योग्यता बाधा का कार्य कर रही ही है। अतः 11वीं योजना में हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है और उस में "विस्तार, समावेश और उत्कृष्टता " पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तद्नुसार, उच्चतर शिक्षा विभाग को 2009-10 के लिए 9600 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया।

3.2.5 अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी निगरानी समिति (मोयली कमेटी) "विस्तार, समावेश और उत्कृष्ठता " के सिद्धांत पर आधारित है, जिसने केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईएम(एस)/ आईआईटी/ एनआईट ी इंजीनियरी/ चिकित्सा/कृषि संस्थानों में 54% विस्तारण का प्रस्ताव है, ताकि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% का आरक्षण दिया जा सके।

3.2.6 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभागों को क्रमशः 36,400 करोड़ रुपए, 19,534 करोड़ रुपए, 1775 करोड़ रुपए, 1350 करोड़ रुपए और 1760 करोड़ रुपए वर्ष 2009-10 में जारी किए गए।

3.2.7 11वीं योजना के अधीन बेहतर स्वास्थ्य तथा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, समग्र प्रजनन क्षमता दर और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के बीच अरक्तता जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में भारी सुधार सुनिश्चित करने के वास्ते एक व्यापक कार्यनीति पर बल दिया गया। तदनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय में 18.44% की बढ़ोतरी करके उसे 19,534 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए 14,127 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। एनआरएचएम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 18 राज्यों जिनमें दुर्बल जन स्वास्थ्य स्वास्थ्य संकेतक अथवा दुर्बल आधारिक-तंत्र है, विशेष बल देते हुए ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था में अंतरालों की ओर ध्यान देगा। इसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए एकीकृत जिला योजनाओं के माध्यम से पोषण जैसे निर्धारक तत्वों सहित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का प्रभावी एकीकरण करना है। नमनशील निधियों का प्रावधान है जिससे कि राज्य उनका प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में कर सके जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझें। इसी प्रकार, आयुष विभाग के लिए वर्ष 2009-10 का योजना परिव्यय 734 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

3.2.8 बीमारियों को कम करने और कुपोषण पर नियंत्रण के लिए सुरक्षित पेय जल जरूरी है। किसी भी स्वास्थ्य हस्तक्षेप एवं रणनीति के लिए साफ सफाई भी एक आवश्यक घटक है। अतः पेय जल आपूर्ति विभाग के कुल परिव्यय में 8.24% की वृद्धि करके इसे ग्रामीण पेयजल के लिए 2009-10 के लिए 9,200 करोड़ रुपए कर दिया गया (2008-09 में यह 8,000 करोड़ रुपए था) है। वर्ष 2009-10 के लिए समस्त साफ सफाई अभियान के लिए

1200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

3.2.9 महिला और बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2009-10 हेतु योजना परिव्यय में 2.08% की वृद्धि करके 7,350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे कि एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों, विशेष रूप से 0-6 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषणिक और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है के वास्ते समुचित व्यवस्था की जा सके। आईसीडीएस के लिए 6705 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन में शामिल है - स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा सेवाएं 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, गर्भवती महिला एवं नर्सिंग माताओं यानि पूरक पोषण, टीकाकरण स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा गैर औपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए एकीकृत पैकेज।

3.2.10 ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल परिव्यय में 79.66% की बढ़ोतरी करके उसे 69,170 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिससे कि स्व-रोजगार, मजदूरी रोजगार, ग्रामीण आवासन तथा ग्रामीण संयोज्यता जैसी अग्रणी स्कीमों के लिए समुचित प्रावधान किया जा सके। एनआरईजीपी जिसे देश के सभी जिलों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 39,100 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में समाजार्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण सड़कें महत्वपूर्ण आधारिक सुविधाएं होती हैं और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए 12,000 करोड़ रुपए (59.36% की वृद्धि) का आबंटन किया गया है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिए गए महत्व को स्वीकार करते हुए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लिए सकल बजटीय सहायता 69.26% बढ़ाकर 8800.00 करोड़ रुपए कर दी गई है। वर्ष 2009-10 के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) के लिए 2350 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 236 करोड़ रुपए शामिल हैं) का योजना परिव्यय घोषित किया गया है।

3.2.11 11वीं योजना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अल्पसंख्यकों तथा अलग थलग अन्य समूहों की आवश्यकताओं और जरूरतों पर विशेष ध्यान देती है ताकि उन्हें समाज के शेष लोगों के बराबर लाया जा सके। तद्नुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जन जातीय मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के लिए परिव्यय को क्रमशः 2500 करोड़ रुपए, 805 करोड़ रुपए ओर 1740 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

3.2.12 तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधा असरंचना की अपर्याप्तता एवं उसकी गुणवत्ता को लेकर है। तदनुसार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए बजट ीय आबंटन 7000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसका उद्देश्य है कि गैर विद्युतीकृत सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराई जाए और सभी बीपीएल घरों में बिजली का कनैक्शन दिया जाए। वित्त वर्ष 2009-10 इस जरूरी अधिदेश के लिए अंतिम वर्ष है। अतः कार्यक्रम का कार्यान्वयन त्वरित गति से करने की आवश्यकता है ताकि भारत निर्माण के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसके अलावा, ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों का भी विकास किया जाए ताकि बिजली व ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सके। इसलिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को 1346.78 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये गये हैं। जिसमें 726.78 करोड़ रुपए आईईबीआर के रूप में हैं। परिवहन सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना आर्थिक विकास की पूर्व अनिवार्य जरूरत है। अपर्याप्त परिवहन क्षेत्रक एवं अपूर्ण सुविधाओं के कारण उच्च ट ांजैक्शन लागत के कारण अर्थ व्यवस्था में पूरा विकास नहीं हो पाता है और अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति नहीं हो पाती। इस प्रकार सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नागर विमानन मंत्रालय और पोत परिवहन विभाग के लिए क्रमशः 20,450 करोड़ रुपए, 12164.76 करोड़ रुपए और 5098.71 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

3.2.13 शहरी विकास मंत्रालय के लिए 5284.15 करोड़ रुपए बजटीय आबंटन किया गया, जिसमें आईईबीआर के माध्यम से दी गई राशि 2224.15 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। शहरी आवास और गरीबी उमशमन मंत्रालय को किये गये योजना आबंटन 7579.83 करोड़ रुपए मुख्य

रूप से इसलिए किया गया था ताकि स्वर्ण जयंती शहरी योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान हो सके। इस योजना का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि शहरी क्षेत्रों में त्वरित रोजगार सृजन की आवश्यकता है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 2008-09 के बजट आबंटन को 87.69 से बढ़ाकर 2009-10 के बजटीय आबंटन में 12,887 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शहरी गरीबों की बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान और आवासन के लिए 2009-10 के बजट अनुमान में वृद्धि कर इसे 3973 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस आबंटन में राजीव आवास योजना नामक नई स्कीम भी शामिल है।

3.2.14 भारत को एक प्रबुद्ध अर्थ व्यवस्था में बदलने के लिए विभिन्न गतिविधियों के विकास हेतुअनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तद्नुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रकों को काफी बढ़ावा दिया गया है जो कि तालिका 3.1.1 और तालिका 3.1.2 से देखा जा सकता है। परमाणु ऊर्जा (अनुसंधान एवं विकास विभाग) के लिए आबंटन 1638 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है (33.39% की वृद्धि)।

3.2.15 जैव-प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में अंतःविषयक्षेत्रीय ग्रैंड चैलेंज परियोजनाओं को समर्थित करने के लिए "ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम" नामक एक नई पहल हाथ में लेगा जिसके तहत जैव-प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपणीय उपाय उत्पाद और प्रक्रिया विविधता में महत्वपूर्ण मूल्यवर्द्धन, लागत प्रभाविता और प्रतियोगिता ला सकेंगे। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के लिए परिव्यय 11.11% बढ़ाकर वर्ष 2009-10 के लिए 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

3.2.16 राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) ने विनर्माण के लतिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माण पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो कि एनएमसीसी द्वारा किये गये उपायों का कार्यान्वयन करेगी। एचएलसीएम ने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान को प्राथमिकता दी है:- वस्त्र, चमड़ा और फुट वियर, खाद्य प्रसंस्करण एवं आईटी हार्डवेयर एवं इलैक्ट्रॉनिक्स। तदनुसार वस्त्र मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं विकास विभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए परिव्यय बढ़ाकर क्रमशः 4500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए और 340 करोड़ रुपए कर दियचा गया है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के लिए 209 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन प्राथमिक रूप से इसलिए किया गया है ताकि उपभोक्ता जागृति बढ़ाने के लिए सुदृढ़ उपाय किये जा सके एवं उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की जा सकें। वाणिज्य मंत्रालय को 1560 करोड़ रुपए इसलिए उपलब्ध कराए हैं ताकि वह प्राथमिक रूप से "निर्यात के लिए असंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता " में सहयोग दे सके और प्लांटेशन को मजबूती दे सके।

3.2.17 गृह मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय 50% तक बढ़ाकर इसे 1200 करोड़ रुपए इसलिए किया गया है ताकि शिक्षा और प्रशिक्षण, फॉरन्सिक प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, सड़क और यातायात सुरक्षा प्रणाली और अपराधों का पता लगाने की बेहतरीन प्रणालियों विशेष रूप से जो आर्थिक अपराधों, आतंक और आपदा के वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिकता देना है। विधि और न्याय मंत्रालय को 260 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के योजना परिव्यय को बढ़ाकर 629 करोड़ रुपए कर दिया है क्योंकि इस मंत्रालय द्वारा पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाएं कार्यन्वित की जा रही है। (पूनातसंगचू भूटान में, पूल-ए कुमरी अफगानिस्तान में और डंग सम म्यामार में) पर्यअन जीवनयापन का एक प्रमुख स्रोत है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तद्नुसार पर्यटन मंत्रालय को 1000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

3.3 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं को सहायता

3.3.1 राज्य/संघशासित क्षेत्र योजना के लिए 85309.00 करोड़ रुपए तय किया गया है जिसमें राज्य योजनाओं के लिए 80066.71 करोड़ रुपए तथा संघशासित क्षेत्र योजनाओं के लिए 5242.29 करोड़ रुपए शामिल हैं। सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) जोकि 2008-09 (बीई) में 17991.98 करोड़ रुपए थी उसे 2009-10 (बीई) में बढ़ाकर 19110.61 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रमुख एसीए स्कीमें जिनमें बढ़ोतरी की गई है वे इस प्रकार हैं:

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (अनुदान घटक 9700 करोड़ रुपए सहित अनुमानित परिव्यय 35000 करोड़ रुपए है)।

- राज्य योजनाओं में सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 336.98 करोड़ रुपए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

3.3.2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) को बिहार तथा उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाओं के वास्ते 5800 करोड़ रुपए (जिला घटक के रूप में 4670 करोड़ रुपए और राज्य घटक के लिए 1130 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसा करने से देश के सबसे अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

3.3.3 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को 12887.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें राज्य घटक के रूप में 11618.62 करोड़ रुपए है। जेएनएनयूआरएम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शहरी स्थानीय निकायों में चिरअपेक्षित सुधार लाएगा और साथ ही 63 मिशन शहरों में तेज विकास लाएगा।

तालिका 3.1.1

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2009-10 के बजट अनुमान

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	विकास का शीर्ष	कुल परिव्यय केन्द्र	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	योग
1	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	10628.81	15661.90	26290.71 (3.49)
2	ग्रामीण विकास	43850.70	19776.53	63627.23 (8.45)
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	439.00	41742.95	42181.95 (5.60)
4	ऊर्जा	115573.65	35492.00	151065.65 (20.07)
5	उद्योग और खनिज	35740.33	9482.05	45222.38 (6.01)
6	परिवहन	94305.76	35440.20	129745.96 (17.24)
7	संचार	16730.92	0.00	16730.92 (2.22)
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	11207.17	3794.50	15001.67 (1.99)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	6270.33	9205.44	15475.77 (2.06)
10	सामाजिक सेवाएं	111774.31	119209.40	230983.71 (30.69)
11	सामान्य सेवाएं	1400.33	7422.64	8822.97 (1.17)
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	7501.11	7501.11 (1.00)
	योग	447921.31	304728.72	752650.03

केन्द्रीय कुल परिव्यय में आईईबीआर शामिल है।
कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।
@ महाराष्ट्र और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के योग
स्रोतः- बजट दस्तावेज 2009-10, भारत सरकार

चित्र 3.1.1

चित्र 3.1.1: केन्द्र, राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2009-10 के बजट अनुमान

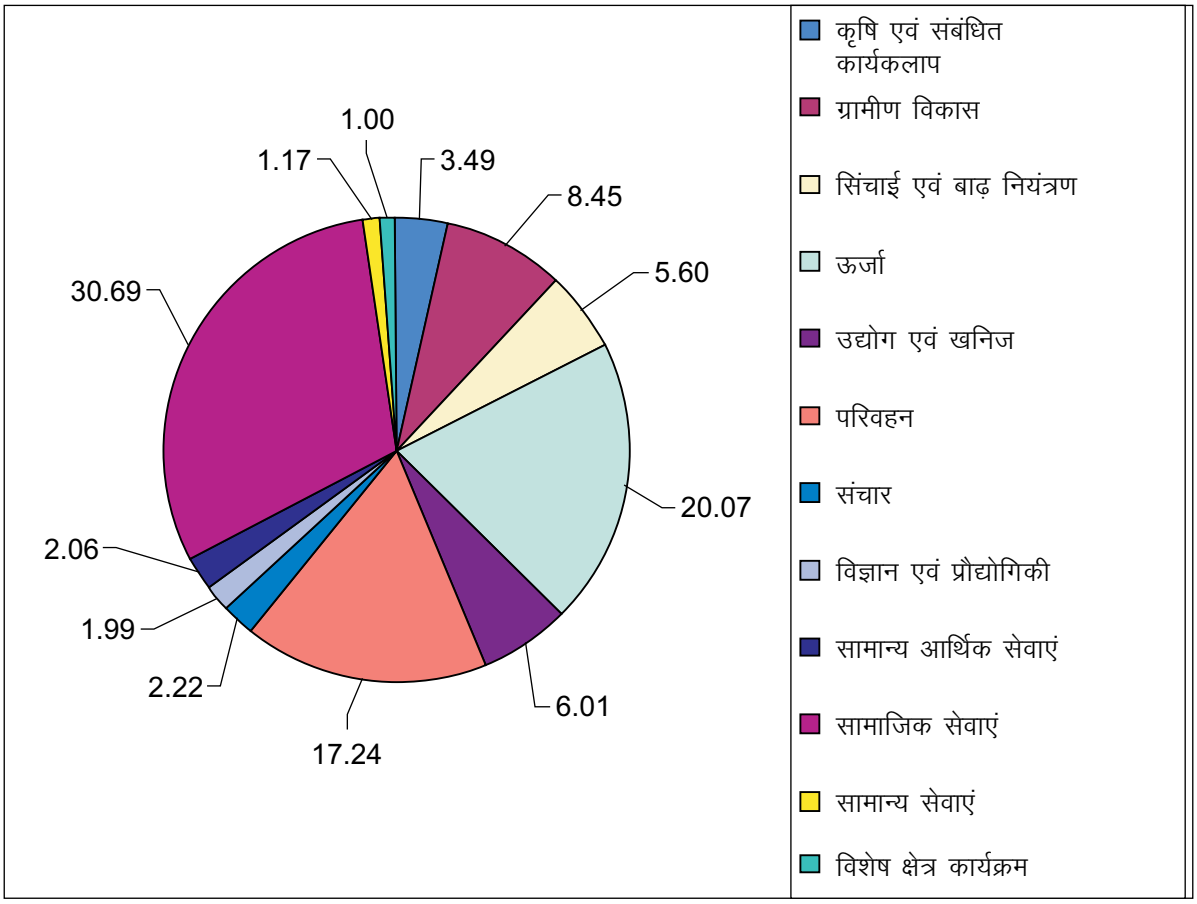

3.4 वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

वाषिक योजना 2008-09 के लिए केंद्रीय क्षेत्रक का संशोधित परिव्यय 3,88,077.90 करोड़ रूपए था। यह बजट अनुमान रूपये 3,75,485.04 करोड़ रूपये के मुकाबले 3.35% कीवृद्धि थी। केंद्र, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के संशोधित अनुमान विकास शीर्षों द्वारा सारांशतः तालिका 3.1.2 एवं चित्र 3.1.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.1.2

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के संशोधित अनुमान

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	विकास का शीर्ष	कुल परिव्यय केन्द्र	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	योग
1	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	9969.33	13435.72	23405.05 (3.46)
2	ग्रामीण विकास	40964.7	20369.95	61334.65 (9.07)
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	367.44	42928.48	43295.92 (6.40)
4	ऊर्जा	98877.23	33717.61	132594.84 (19.60)
5	उद्योग और खनिज	27193.13	5024.03	32217.16 (4.76)
6	परिवहन	78268.6	36505.23	114773.83 (16.97)
7	संचार	20236.68	0.00	20236.68 (2.99)
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	8546.88	3542.27	12089.15 (1.79)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	5277.04	8001.15	13278.19 (1.96)
10	सामाजिक सेवाएं	97610.86	111994.00	209604.86 (30.98)
11	सामान्य सेवाएं	766.01	4781.05	5547.06 (0.82)
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	8152.05	8152.05 (1.20)
	योग	**388077.90**	**288451.54**	**676529.44 (100.00)**

*केन्द्रीय कुल परिव्यय में आईईबीआर शामिल है। *कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोतः बजट दस्तावेज 2009-10, भारत सरकार

चित्र 3.1.2

केन्द्र, राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के संशोधित अनुमान

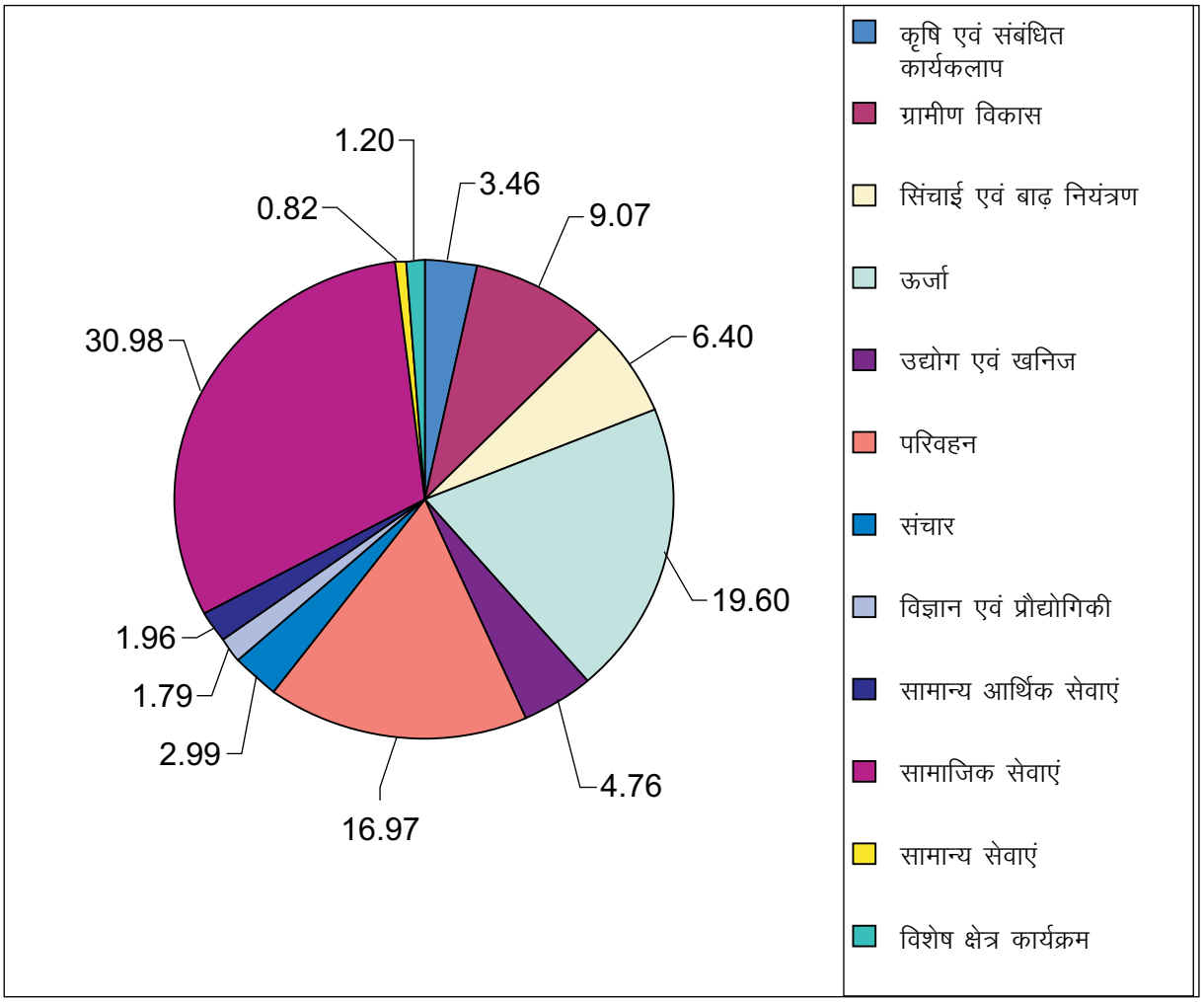

अध्याय 4
योजना आयोग में प्रमुख क्रियाकलाप

4.1 कृषि प्रभाग

4.1.1 कृषि प्रभाग केन्द्र और राज्यों द्वारा कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक के सम्बन्ध में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/ कार्यक्रमों के बारे में नीति तैयार करने, योजना परिव्यय निर्धारित करने और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, यह प्रभाग पहले से चल रहे कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं का मानीटरन भी करता है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत नई स्कीमों और योजना प्रस्तावों के बारे में अपने विवेचनात्मक विचार/ सुझाव देता है।

परिव्यय और व्यय

4.1.2 कृषि और सहकारिता विभाग के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का कुल अनुमानित जीबीएस 36,549 करोड़ रुपए (2006-07 मूल्य) और 41,903 करोड़ रुपए (चालू मूल्य) है। पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग का कुल परिव्यय 7,121 करोड़ रुपए (2006-07 मूल्य) और 8,054 करोड़ रुपए (चालू मूल्य) है। इसके अलावा, ग्यारहवीं योजना के दौरान एवियन इन्फ्लुएंज़ा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए इस विभाग का ई.ए.पी. 120 करोड़ रुपए का है। कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग का कुल योजना परिव्यय 11,131 करोड़ रुपए (2006-07 मूल्य) और 12,589 करोड़ रुपए (चालू मूल्य) निर्धारित किया गया है। ये आबंटन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के अलावा हैं। कृषि मंत्रालय के तीन विभागों के योजना परिव्यय में हुई वृद्धि को तालिका 4.1.1 में देखा जा सकता है।

तालिका 4.1.1 :
कृषि मंत्रालय का परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	पंचवर्षीय योजना	डीएसी	डीएसी + आरकेवीवाई + डब्ल्यूएसडीपीसीएससी	डीएएचडीएफ	डीएआरई	जोड़	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
क	ग्यारहवीं योजना (चालू मूल्य)	41903.00 (66.74)	42143.00 (67.12)	8054.00 (12.83)	12589.00 (20.05)	62786.00	
I	2007-08 (बी.ई.)	5520.00 (68.23)	5560.00 (68.73)	910.00 (11.25)	1620.00 (20.02)	8090.00	
	2007-08(आर.ई.)	5887.94 (64.20)	6927.94 (75.53)	810.00 (8.83)	1434.00 (15.63)	9171.94	
	2007-08 (व्यय)	5771.62 (63.24)	7058.50 (77.34)	784.09 (8.59)	1284.26 (14.07)	9126.85	

क्रम सं.	पंचवर्षीय योजना	डीएसी	डीएसी + आरकेवीवाई + डब्ल्यूएसडीपीसीएससी	डीएएचडीएफ	डीएआरई	जोड़	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
II	2008-09 (बी.ई.)	6900.00 (53.63)	10105.67 (78.55)	1000.00 (7.77)	1760.00 (13.68	12865.67	59.03%
	2008-09 (आर.ई.)	6933.98 (55.18)	9865.68 (78.51)	940.00 (7.48)	1760.00 (14.01)	12565.68	37.00%
III	2009-10 (बी.ई.)	7200.00 (50.82)	11340.00 (80.04)	1100.00 (7.76)	1760.00 (12.42)	14167.07	10.12%
स्रोतः ६ वेरियस इश्यूज ऑफ यूनियन एक्सपेंडिचर बजट्स, खंड रू, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार							

फसल उत्पादन परिदृश्य

4.1.3 वर्ष 2008 के दौरान, समूचे देश में, दक्षिण-पश्चिमी मानसून के मौसम (जून-सितम्बर, 2008) में मौसमी वर्षापात लांग पीरियड औसत के 98 प्रतिशत के बराबर हुआ। चालू वर्ष में (अर्थात 2009) में, समूचे देश में कुल मौसमी वर्षापात (1 जून से 30 सितम्बर, 2009 तक) लम्बी अवधि औसत का 77% था। मौसमी वर्षापात उत्तर-पश्चिमी भारत में एल पी ए का 64%, केन्द्रीय भारत में एल पी ए का 80%, दक्षिणी प्रायद्वीप में उसके एल पी ए का 96% और उत्तर-पूर्वी भारत में उसके एल पी ए का 73% था।

4.1.4 कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा दिसम्बर, 2009 में जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2008-09 के दौरान खाद्यान्नों का 233.88 मिलियन ट न का उत्पादन होने का अनुमान है (तालिका 4.1.2)। यह 2007-08 की तुलना में 1.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। घरेलू खाद्यान्न उत्पादन का कार्य-निष्पादन हाल के वर्षों में काफी अधिक स्थिर रहा है; यह 2004-05 में 198.36 मिलियन टन था, जो बढ़ कर 2008-09 में 233.88 मिलियन टन हो गया।

तालिका 4.1.2 :

कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित कुछ चुनिंदा मदों का 2008-09 के दौरान वास्तविक उत्पादन

क्रम सं.	मदें	यूनिट	2008-09 चौथे अग्रिम अनुमान
1.	खाद्यान्न	मिलियन टन	233.88
2.	गेहूं	मिलियन टन	80.58
3.	चावल	मिलियन टन	99.15
4.	मोटे अनाज	मिलियन टन	39.48
5.	दालें	मिलियन टन	14.66
6.	तिलहन	मिलियन टन	28.16
7.	कपास	प्रत्येक के 170 किलोग्राम मिलियन बेल्स	23.156
8.	गन्ना	मिलियन टन	273.93
स्रोतः कृषि और सहकारिता विभाग, नई दल्ली के आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा 2009-10 के लिए 16.12.2009 को जारी किए गए खाद्यान्नों के उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमान।			

4.1.5 वाणिज्यिक फसलों के मामले में, तिलहनों का उत्पादन घट कर 2008-09 में 28.16 मिलियन टन हो गया, जबकि इसकी तुलना में उससे पिछले वर्ष 29.75 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। वर्ष 2008-09 में, कपास का उत्पादन थोड़ा-सा घट कर 23.16 मिलियन गांठ रह गया, जबकि 2007-08 में 25.88 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। गन्ने का उत्पादन, 2007-08 के 348.19 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में, 2008-09 में कम अर्थात 273.93 मिलियन टन था।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई)

4.1.6 राष्ट्रीय विकास परिषद की 29 मई, 2007 को हुई 53वीं बैठक के फलस्वरूप, वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम) नामक दो नई स्कीमें शुरू की गईं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 2007-08 के दौरान 1247 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की गई। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमशः 3165.67 करोड़ रुपए और 2891.7 करोड़ रुपए के थे। वर्ष 2009-10 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए बजट अनुमान 4100 करोड़ रुपए के थे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यों को अपनी अनुभूत जरूरतों के अनुसार स्वयं अपनी योजनाएं बनाने और आबंटन के अपने हिस्से के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए उन्हें राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से राज्य स्तर पर मंजूर कराने के लिए लचीला कार्यक्रम मुहैया करती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व्यापक जिला कृषि योजनाओं को बढ़ावा देने के जरिए तृणमूल स्तर पर कृषि योजनाएं बनाने की प्रक्रिया में सुधार की परिकल्पना करती है।

देश में जिला कृषि योजना की स्थिति

4.1.7 जिला कृषि योजनाएं और राज्य कृषि योजना तैयार करना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की कार्यनीति की आधारशिला है।

4.1.8 जिला कृषि योजनाएं तैयार करने का काम प्रत्येक राज्य को प्रत्येक जिले के लिए 10 लाख रुपए मुहैया करके 2007-08 के मध्य में शुरू किया गया था। योजना आयोग से मार्गनिर्देशों, अर्थात "व्यापक जिला कृषि योजना - एक मेनुअल" के रूप में एक सुनिर्धारित ढांचा विकसित किया गया था। योजना आयोग द्वारा ये मार्गनिर्देश राज्यों और जिलों को जिला कृषि योजनाएं तैयार करने के लिए मुहैया किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों ने विभिन्न जिलों के लिए जिला कृषि योजनाओं का पहला प्रारूप तैयार किया।

4.1.9 राज्यों को जिला कृषि योजनाओं को और अधिक परिष्कृत करने में सहायता देने के लिए तीन कृषि आर्थिक अनुसन्धान यूनिटों (ए ई आर यू), अर्थात इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनामिक ग्रोथ, नई दिल्ली, इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल ऐण्ड इकोनामिक चेंज (आई एस ई सी), बेंगलुरु; इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, जयपुर द्वारा समन्वित कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रों को प्रत्येक राज्य की नमूने की जिला कृषि योजनाओं की समकक्ष समीक्षा करने के काम में शामिल किया गया। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद ने राज्यों की जिला कृषि योजनाओं में सुधार के लिए राज्यों की क्षमता के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। समकक्ष समीक्षा और क्षमता-निर्माण का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम)

4.1.10 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खाद्यान्नों के उत्पादन में कम से कम 20 मिलियन टन की वृद्धि करने के उद्देश्य से मिशन-मोड में शुरू किया गया है। कृषि और सहकारिता विभाग ने लगभग 4882 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत तीन फसलें, अर्थात गेहूं, चावल और दालें शामिल हैं। इस मिशन का उद्देश्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गेहूं के उत्पादन में 8 मिलियन टन, चावल के उत्पादन में 10 मिलिटन टन और दालों के उत्पादन में 2 मिलियन टन की वृद्धि करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 17 राज्यों के 312 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एन एफ एस एम-चावल 14 राज्यों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल,

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 136 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं 9 राज्यों, नामतः बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 171 निर्धारित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बीजों के प्रतिस्थापन को बढ़ाने और पुरानी किस्मों को नई किस्मों से प्रतिस्थापित करने की ओर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। 2008-09 के 1,100 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय की तुलना में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 2009-10 का वार्षिक योजना परिव्यय 1,350 करोड़ रुपए रखा गया है। यह परिव्यय तेलहनों, दालों, खजूर तेल और मक्की की एकीकृत स्कीमें और कृषि के बृहद प्रबन्धन की स्कीम के लिए, जो चावल, गेहूं और दाल उत्पादन के संघटकों को कवर करती हैं, रखे गए 320 करोड़ रुपए के परिव्यय के अलावा है।

गौण (सेकंडरी) कृषि सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार समिति

4.1.11 कृषि संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और प्राथमिक उत्पाद का मूल्य संवर्धन करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के जरिए गौण कृषि को बढ़ावा देने से सम्बन्धित मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए प्रोफेसर डी.पी.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गई थी। इस तकनीकी सलाहकार समिति ने "गौण कृषिः प्राथिमक कृषि का मूल्य संवर्धन" शीर्षक वाली अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने देश में गौण कृषि उद्योगों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए 21 सिफारिशें दी हैं और इन सिफारिशों को 6 उप-शीर्षों, अर्थात संगठनात्मक, तकनीकी, वित्तीय, संस्थात्मक विचारों, फार्म स्तरीय संगठनों और जैव प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना में वर्गीकृत किया गया है। योजना आयोग ने देश में गौण कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इन सिफारिशों के बारे में सम्बन्धित मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त कर ली हैं।

पुनर्वास पैकेज

4.1.12 चार राज्यों के 31 आत्महत्या-प्रवण जिलों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश (प्रकाशम, गुन्टूर, नेल्लोर, चित्तूर, अनन्तपुरम, कुरनूल, आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडक, नालगोण्डा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, वारंगल कडपा), कर्नाटक (बेलगाम, हासन, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, कोडागू, शिमोगा) केरल (वायनाड, पलक्कड, कासरगोड) और महाराष्ट्र (अकोला, वर्धा, अमरावती, बुलढाना, वासिम, यवतमाल) में, सरकार ने 16978.69 करोड़ रुपए के एक पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें सब्सिडी/ अनुदान के रूप में 10579.43 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 6399.26 करोड़ रुपए शामिल हैं। इन चार राज्यों के लिए निर्धारित राशि की जानकारी तालिका 4.1.3 में दी गई है।

तालिका 4.1.3 :
जिलों के लिए पुनर्वास पैकेज (करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	जिलों की संख्या	राशि
आन्ध्र प्रदेश	16	9650.55
कर्नाटक	06	2689.64
केरल	03	765.24
महाराष्ट्र	06	3873.26
जोड़	31	16978.69

4.1.13 पुनर्वास पैकेज का उद्देश्य इन जिलों में संस्थात्मक ऋण सहायता का सुदृढ़ीकरण करना, सिंचाई विकास, माइक्रो सिंचाई को बढ़ावा देना, वाटरशेड विकास, सेवाओं का विस्तार, बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाना, बागबानी के जरिए आय सृजन, पशुधन और मात्स्यिकी विकास करना था। 30 सितम्बर, 2009 तक 16953.04 करोड़ रुपए रिलीज़ किए जा चुके थे।

पुनर्वास पैकेज में मध्याविधक संशोधन करने के लिए, मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित संशोधन अनुमोदत किए गए हैं:

- ऋण-भिन्न संघटक के कार्यान्वयन को दो वर्ष आगे तक अर्थात 30 सितम्बर, 2011 तक बढाना।

- सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों को आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता देने के लिए सिद्धान्त के रूप में अनुमोदन।

- बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति किसान क्षेत्र सीमा को एक हेक्टेयर से बढ़ा कर दो हेक्टेयर किया जाना

- एन आर ए ए द्वारा अनुमोदित सामान्य मार्गनिर्देशों के अनुसार और इस शर्त के अध्यधीन कि आर्थिक सहायता डब्ल्यू डी एफ के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार होगी, सहभागितापूर्ण वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के लिए 'केफेटेरिया दृष्टिकोण' अपनाना।

- विस्तार सेवाओं के अन्तर्गत महिला कृषक सशक्तीकरण कार्यक्रम को शामिल करना।

- संशोधन करने अथवा सहायक आय-सृजन क्रियाकलापों के अन्तर्गत नए संघटकों को इस शर्त के अध्यधीन शामिल करने के सम्बन्ध में, कि कुल वित्तीय प्रभाव सम्बन्धित राज्य के लिए मौजूदा अनुमोदित परिव्यय की सीमा के भीतर बना रहेगा, निर्णय लेने के लिए पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्तिप्राप्त समिति का गठन, जिसमें सदस्यों के रूप में कृषि और सहकारिता विभाग, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

4.1.14 योजना स्कीमों के कार्य-निष्पादन को मानीटर करने के लिए, इस प्रभाग ने सदस्य के स्तर पर कृषि और सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग तथा कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग की केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमों और केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के बारे में छमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठक आयोजित की। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का निष्पादन बढ़ाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग के कुछ प्रमुख कार्यक्रम ये हैं:

तेलहनों, खजूर-तेल, दालों और मकई के बारे में एकीकृत स्कीम (आई एस ओ पी ओ एम)

4.1.15 तेलहनों, खजूर तेल, दालों और मकई की एकीकृत स्कीम का बुनियादी उद्देश्य यह था कि अतिरिक्त क्षेत्र को इन फसलों के अन्तर्गत लाकर और विभिन्न निविष्टि प्रोत्साहनों और प्रौद्योगिकीय सहायता से इन फसलों की उत्पादकता को बढ़ा कर तेलहनों, दालों, मकई और खजूर-तेल के उत्पादन को बढ़ाया जाए। निम्नलिखित स्कीमों का विलय करके, आई एस ओ पी ओ एम को 2004 से कार्यान्वित किया जा रहा है: (i) तेलहन उत्पादन कार्यक्रम, (ii) राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम, (iii) त्वरित मकई विकास कार्यक्रम, और (iv) खजूर-तेल विकास कार्यक्रम। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आई एस ओ पी ओ एम के लिए 1500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। 2008-09 की वार्षिक योजना के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमशः 320 करोड़ रुपए और 400 करोड़ रुपए के थे। वर्ष 2009-10 का बजट अनुमान 320 करोड़ रुपए रखा गया है।

कपास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी)

4.1.16 कपास की कम उत्पादकता और घटिया किस्म को देखते हुए, अनुसन्धान, उत्पादन, विपणन और प्रोसेसिंग अवसंरचना का एकीकरण करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन फरवरी, 2000 में शुरू किया गया था। कपास विषयक प्रौद्योगिकी मिशन को कपास उगाने वाले 13 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में टी एम सी के अन्तर्गत 450 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। वार्षिक योजना 2008-09 में इस मिशन के लिए बजट अनुमानों में 90 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिसकी तुलना में 58.57 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2009-10 के लिए, बजट अनुमानों में टी एम सी के लिए 60.00 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

कृषि विस्तार

4.1.17 कृषि विस्तार प्रणाली को एक विकेन्द्रीकृत, कृषक-संचालित, कृषक के प्रति उत्तरदायी और मांग-संचालित तरीके से पुनः जोरदार बनाने के उद्देश्य से "विस्तार सुधारों के लिए

राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता'' (ए टी एम ए) नामक एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम 2005 से कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम अनुसन्धान - विस्तार - कृषक तालमेल, बहु एजेंसी विस्तार सेवाओं और जिला स्तर पर क्रियाकलापों और सहायता सेवाओं के अभिसरण को बढ़ावा देती है। 28 राज्यों और दो संघ राज्यक्षेत्रों में सितम्बर, 2008 तक कुल 566 ए टी एम स्थापित किए जा चुके हैं। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2009-10 के लिए 298 करोड़ रुपए (बी.ई.) की व्यवस्था की गई है।

कृषि का बहद् प्रबन्धन

4.1.18 पिछली 27 केन्द्र - प्रायोजित स्कीमों का आपस में विलय करके, 'बृहद प्रबन्धन' नामक एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम 2000-01 से कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों को निधियों के अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी आबंट न के साथ, इस स्कीम को 2008-09 से संशोधित किया गया है। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 922.68 करोड़ रुपए का वास्तविक सुधार हुआ है और 2009-10 के बी.ई. में इस स्कीम के वास्ते 950.00 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन ए आई एस) तथा मौसम-आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यू बी सी आई एस)

4.1.19 खरीफ-2007 में, कर्नाटक राज्य में, कार्यान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए, मौसम-आधारित फसल बीमा स्कीम को 70 चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया गया था। किन्तु रबी-2007-08 के दौरान, स्कीम को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया गया और चार राज्यों, अर्थात राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को कवर किया गया। रबी-2008-09 में, 10 राज्यों को इसके दायरे में लाया गया। इस स्कीम ने 2.09 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया है और 3.19 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र को कवर किया है और 53.52 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि का सृजन किया है। इस प्रायोगिक स्कीम को 2009-10 में जारी रखा जा रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एन ए आई एस के अन्तर्गत, जिसमें डब्ल्यू बी सी आई एस भी शामिल है, 35,00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। 2008-09 के दौरान 694 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की तुलना में, 794 करोड़ रुपए (आर.ई.) खर्च किए गए हैं। 2009-10 में इस स्कीम के लिए बी.ई. और आर.ई. क्रमशः 644 करोड़ रुपए और 1,319 करोड़ रुपए हैं। 2010-11 के लिए बी.ई. आबंटन 950 करोड़ रुपए है। 2009-10 में डब्ल्यू बी सी आई एस के लिए बी.ई. और आर.ई. 50 करोड़ रुपए हैं।

बागबानी

4.1.20 राष्ट्रीय बागबानी मिशन, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड तथा कृषि और सहकारिता विभाग का बागबानी प्रभाग बागबानी क्षेत्रक के प्रमुख विकास कार्यक्रमों के नोडल कार्यान्वयन अभिकरण हैं।

राष्ट्रीय बागबानी मिशन

4.1.21 राष्ट्रीय बागबानी मिशन की केन्द्र-प्रायोजित स्कीम का प्रचालन 10वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष (2005-06) से किया जा रहा है। इसमें हारिजेंटल और वर्टिकल संयोजन सुनिश्चित करते हुए, बागबानी क्षेत्रक के सम्पूर्णतावादी विकास के लिए उत्पादन, फसल-कटाई बाद के प्रबन्धन, प्रोसेसिंग और विपणन को कवर करने वाली एक सिरे से दूसरे सिरे तक की कार्य-पद्धति की परिकल्पना की गई है। इसमें बागबानी में 6 प्रतिशत की संवृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के जरिए 300 मिलियन टन के उत्पादन के साथ 2011-12 तक बागबानी उत्पादन को दुगुना करने की परिकल्पना की गई है। इस समय, उत्तर-पूर्व के 8 राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सिवाय सभी राज्यों के 363 जिले और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप नामक दो संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय बागबानी मिशन को कार्यान्वित कर रहे हैं। Xवीं योजना के अन्तिम दो वर्षों (2005-06 और 2006-07) के दौरान 1,630 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 865.95 करोड़ रुपए का व्यय होने की सूचना है। ग्यारहवीं योजना के लिए 8,809.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित है। 2007-08 में 1,150.00 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय की तुलना में, 959.02 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 2008-09 के दौरान, 1,100 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 1,131.25 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 2009-10 का परिव्यय 1100.00 करोड़ रुपए है।

4.1.22 वर्ष 2008-09 तक, 1986 पौधशालाएं (माडल और लघु) स्थापित की गईं, 12.6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागबानी फसलों के अन्तर्गत लाया गया और 1.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आर्गेनिक फार्मिंग के अन्तर्गत लाया गया, जराजीर्ण बागानों वाले 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया और इसके अलावा 66,036 वर्मी काम्पोस्ट यूनिटों और 321 आई पी एम/ आई एन एम अवसंरचनात्मक सुविधाओं (जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं, पौधा स्वास्थ्य क्लिनिकों, पत्ता ऊतक विश्लेषण प्रयोगशालाओं, रोग पूर्वानुमान यूनिटों) की स्थापना की गई, 13,120 सामुदायिक जलाशयों का निर्माण किया गया और 5.51 लाख किसानों के लिए प्रशिक्षण/ प्रदर्शन दौरों की व्यवस्था की गई। फसलोत्तर प्रबन्धन और विपणन के अन्तर्गत, 1108 पैक हाउस, 109 शीतागारों (कोल्ड स्टोरेज) की स्थापना, 23 रेफ्रिजेरेटेड वाहनों, 08 थोक मंडियां और 51 ग्रामीण मंडियां स्थापित करने और इसके अलावा 5.51 लाख किसानों के लिए क्षमता निर्माण/ मानव संसाधन विकास के लिए सहायता दी गई।

राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड

4.1.23 राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड की स्थापना, जो एक स्वायत्त निकाय है, 1984 में की गई थी। राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड का उद्देश्य उत्पादन केन्द्रों (हब) के विकास और गुणवत्ता वाली पौधारोपण सामग्री के सुनिश्चयन, फसलोत्तर प्रबंधन और शीत श्रृंखला अवसंरचना, उत्पाद संवर्धन, मार्केट विकास और उत्पादक किसानों, विस्तार कार्यकर्ताओं, अनुसन्धान संगठनों, प्राइवेट पणधारियों और ऋण संस्थाओं के साथ सहक्रिया के जरिए निर्यात संवर्धन, नई बागबानी फसलों/ किस्मों की शुरुआत; नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और किसानों की क्षमता के निर्माण के जरिए वाणिज्यिक बागबानी को बढ़ावा देना है।

4.1.24 राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड का योजना व्यय नौवीं योजना की अवधि में 292.67 करोड़ रुपए और दसवीं योजना के दौरान 391.73 करोड़ रुपए था। ग्यारहवीं योजना के ढाई वर्षों के दौरान योजना व्यय 300 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। वर्ष 2008-09 के दौरान 100 प्रतिशत व्यय के साथ परिव्यय 122.47 करोड़ रुपए था। 2009-10 का परिव्यय 125.00 करोड़ रुपए है। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्र विस्तार और पी एच एम अवसंरचना के लिए राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड द्वारा मुहैया की गई पिछले सिरे की सब्सिडी ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए के गैर-सरकारी निवेश को और शीतागार क्षेत्रक के लिए 2,750 करोड़ रुपए के गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित किया है।

4.1.25 अब तक, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड ने अपनी वाणिज्यिक बागबानी स्कीम के अन्तर्गत उच्च प्रौद्योगिकी वाली बागबानी की लगभग 30,000 परियोजनाओं को सहायता दी है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1,45,000 एकड़ क्षेत्र विस्तार हुआ है और 1,100 यूनिटों के जरिए शीत भंडारण की 35 लाख एम टी से अधिक की अतिरिक्त क्षमता का सृजन हुआ है।

नारियल प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड

4.1.26 नारियल विकास बोर्ड 1982-83 से "भारत में नारियल की खेती और उद्योग का एकीकृत विकास" नामक स्कीम को और वर्ष 2001 से "नारियल प्रौद्योगिकी मिशन" को कार्यान्वित कर रहा है। यह बोर्ड देश में नारियल के उत्पादन की स्थायी क्षमता का सृजन करने और नारियल की उत्पादकता को बढ़ाने, नारियल के बढ़िया किस्म के पौधों के उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने, देश में नारियल उद्योग के प्रसंस्करण और विपणन के आधार का विकास करने, प्रमुख नाशी जीवों और रोगों का एकीकृत नियंत्रण करने, उत्पाद को बढ़ावा देने, आदि का कार्य करता है । नारियल प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य कीटों, नाशी जीवों और रोगों के प्रबंधन के जरिए नारियल के बागाबानों की उत्पादकता बढ़ाना और प्रोसेसिंग की प्रौद्योगिकियों के विकास और उन्हें अपनाने के जरिए उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा देना और मार्केट को बढ़ावा देने के जोरदार क्रियाकलाप चलाना है।

4.1.27 पिछले पांच वर्षों के दौरान, उत्पादकता को बढ़ाने और मूल्य संवर्धन के उद्देश्य वाले कार्यक्रमों में झुंड पद्धति (क्लस्टर एप्रोच) वाली एकीकृत खेती और फसलोत्तर विकास (प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धन और विपणन) पर पर्याप्त जोर दिया गया है। नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र, जो 2004-05 में 19.35 लाख हेक्टेयर था, घट कर 2007-08 में 19.03 लाख हेक्टेयर रह गया। उत्पादन 12.83 बिलियन नट से बढ़ कर 14.74 बिलियन नट हो गया और उसी

अवधि में उत्पादकता 6,632 नट प्रति हेक्टेयर से बढ़ कर 7,747 टन प्रति हेक्टेयर हो गई।

4.1.28 प्रौद्योगिकी मिशन ने चार उप-संघटकों के अन्तर्गत लगभग 158 परियोजनाओं को सहायता दी है और अब तक 74 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। बोर्ड द्वारा जो सहायता दी जाती है, उसमें कोमल नारियल परिरक्षण और पैकिंग यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता, खोल का चूर्ण (शैल पाउडर) यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता, एक्टिवेटेड कार्बन यूनिटों के लिए सहायता, वर्जिन नारियल उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए सहायता और गरी (कोपरा) ड्रायरों को लोकप्रिय बनाना, आदि शामिल है।

4.1.29 नारियल उद्योग के एकीकृत विकास की स्कीम का, जिसमें नारियल प्रौद्योगिकी मिशन भी शामिल है, कार्यान्वयन 1982-83 से कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें जोर दिए जाने वाले क्षेत्र ये हैं: बढ़िया किस्म की पौधारोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, उत्पादन और रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, उत्पाद विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकास, नारियल के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, आदि। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान, क्रमशः 52.00 करोड़ रुपए और 75.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी और क्रमशः 52.00 करोड़ रुपए और 65.37 करोड़ रुपए के व्यय होने की जानकारी दी गई है। चालू राजकोषीय वर्ष के लिए, 75 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागबानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम एन ई)

4.1.30 टी एम एन ई नामक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम 2001-02 से 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में कार्यान्वित की जा रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2003-04 से), इस स्कीम का विस्तार उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा 03 हिमालयी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कर दिया गया है और इस प्रकार इस स्कीम का प्रचालन 11 राज्यों में हो रहा है। टी एम एन ई में चार लघु (मिनी) मिशन शामिल हैं, अर्थात एमएम-I (अनुसन्धान), एमएम-II (उत्पादन और उत्पादकता), एमएम-III (पी एच एम और विपणन), एमएम-IV (प्रसंस्करण)। इस स्कीम को केन्द्र से 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त होती है। टी एम एन ई की स्कीम बागबानी की क्षमता को उपयोग में लाने, वांछनीय विविधीकरण के जरिए आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सामाजिक लाभों को अधिकतम बनाने, पौधारोपण सामग्री के उत्पादन के लिए और भंडारण और प्रोसेसिंग के लिए अवसंरचना का विकास करने और लाभदायक रोजगार का सृजन करने की परिकल्पना करती है। नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान परिव्यय क्रमशः 229.38 करोड़ रुपए और 845.00 करोड़ रुपए (उत्तर-पूर्वी राज्य - 585.00 करोड़ रुपए + हिमालयी राज्य - 260.00 करोड़ रुपए) था। ग्यारहवीं योजना में 1500.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान 323.40 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 321.76 करोड़ रुपए का व्यय होने की रिपोर्ट दी गई है। 2008-09 के लिए परिव्यय (आर ई) 384.00 करोड़ रुपए का था और इसकी तुलना में 291.39 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। वर्ष 2009-10 के दौरान इस स्कीम के लिए 349.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है (280.00 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए + 69.00 करोड़ रुपए हिमालयी राज्यों के लिए)।

4.1.31 2008-09 तक, 4.94 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागबानी खेती के अन्तर्गत लाया गया था (अर्थात फल - > 3 लाख हेक्टेयर, सब्जियां - 0.78 लाख हेक्टेयर और मसाले - 0.62 लाख हेक्टेयर), जिसमें बगान फसलें, चिकित्सीय/ सुगन्धित पौधे और फूल, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 935 माडल पौधशालाओं, 10,032 सामुदायिक तालाबों, 11,106 नलकूपों, 26 ऊतक संवर्धन यूनिटों, 25 माडल फ्लोरीकल्चर केन्द्रों, 25 खुमी (मशरूम) केन्द्रों के अतिरिक्त 47 थोक मंडियों, 262 ग्रामीण प्राइमरी मंडियों, 64 अपनी मंडियों, 18 स्टेट ग्रेडिंग प्रयोगशालाओं, 31 रज्जु मार्गों और 49 प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना की गई है और 25 लाख वर्ग मीटर ग्रीन हाउसों का सृजन किया गया है।

राष्ट्रीय बांस मिशन

4.1.32 राष्ट्रीय बांस मिशन को, जो एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम है, 2006-07 से देश के 27 राज्यों में

कार्यान्वित किया जा रहा है। यह स्कीम 19 अनुसन्धान और विकास संस्थाओं को निधियां मुहैया करती है। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य ये हैं : ग्रामीण क्षेत्रक में गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन के लिए बांस का विकास, प्रौद्योगिकीय/ वित्तीय सहायता के जरिए बांस-आधारित उद्योगों का विविधीकरण/ आधुनिकीकरण/ विस्तार और पारिस्थितिकीय सुरक्षा प्राप्त करने के एक साधन के रूप में बांस का उपयोग। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, बांस प्रौद्योगिकी सहायता समूहों, एन एच बी (केरल, देहरादून) और सी बी टी सी (गुवाहाटी) को 75.71 करोड़ रुपए और 110.80 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे और क्रमशः 64.75 करोड़ रुपए और 57.18 करोड़ रुपए व्यय होने की सूचना दी गई है। वर्ष 2008-09 के लिए परिव्यय 89.00 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था और 44.55 करोड़ रुपए का व्यय हुआ बताया गया है। 2009-10 के लिए बजटीय परिव्यय 70.00 करोड़ रुपए रखा गया है।

माइक्रो सिंचाई

4.1.33 माइक्रो सिंचाई की केन्द्र-प्रायोजित स्कीम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनवरी, 2006 में शुरू की गई थी और उसे ग्यारहवीं योजना की अवधि में जारी रखा गया था। यह स्कीम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने की कुल लागत के 50 प्रतिशत की दर से और एच आर डी संघटक के लिए 75 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता देती है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जल-उपयोग की बेहतर कार्यकुशलता के लिए सिंचाई के उन्नत तरीके के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र को लाया जाए और अन्य लाभ प्राप्त किए जाएं, जैसे उर्वरकों की खपत में बचत (40 प्रतिशत तक), उपज में वृद्धि (30-100 प्रतिशत); इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्रक में संवृद्धि को प्रोत्साहित करना भी है।

4.1.34 ग्यारहवीं योजना में इस स्कीम के लिए 3,400.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। वर्ष 2008-09 में 430.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था और 470.00 करोड़ रुपए का व्यय होने की सूचना है। वर्ष 2009-10 के लिए बजट परिव्यय 430.00 करोड़ रुपए रखा गया है। 2005-06 से 2008-09 तक कुल 1,590.39 करोड़ रुपए का व्यय होने की रिपोर्ट है। अब तक 14.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के उन्नत तरीके के अन्तर्गत लाया गया है।

केन्द्रीय बागबानी संस्थान - नागालैंड

4.1.35 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संस्थाओं के विकास के लिए, विशेष रूप से पैशन फल, खासी मंडारिन, बड़ी इलायची, आदि की क्षमता को उपयोग में लाने के लिए संस्थात्मक सहायता देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक की एक स्कीम (2006) के अन्तर्गत नागालैंड में 20.00 करोड़ रुपए के आबंटन के जरिए पांच वर्षों की अवधि में केन्द्रीय बागबानी संस्थान का विकास करने का कार्य किया जा रहा है। दसवीं योजना में 8.35 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था और ग्यारहवीं योजना के शेष तीन वर्षों के लिए 11.65 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित है।

4.1.36 केन्द्रीय बागबानी संस्थान की स्थापना करने की स्कीम में, जो 2006-07 में केन्द्रीय क्षेत्रक की एक स्कीम के रूप में अनुमोदित की गई थी, मानव संसाधन विकास के क्रियाकलापों/ विस्तार कार्यकर्ताओं, किसानों, उद्यमियों, आदि के क्षमता-निर्माण के क्रियाकलापों, उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन और आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। मेडज़िफेमा (दीमापुर) में स्थापित इस संस्थान से प्रौद्योगिकियों के परिष्करण/ प्रदर्शन, विशिष्ट पर्यटन, बढ़िया किस्मों के बीजों और पौधारोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति, एच आर डी, पी एच एम प्रोसेसिंग और मूल्य वर्धन के बारे में अन्य सम्बन्धित संगठनों के साथ तालमेल स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमशः 4.00 करोड़ रुपए और 5.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। मौजूदा राजकोषीय वर्ष में इस स्कीम के लिए बजट में 7.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

4.1.37 अब पैशन फल की 1,000 रूटेड कटिंगों (मणिपुर की जामुनी किस्म), काजू की उन्नत किस्मों के 50,000 पौधों, 2 लाख निम्बू-वंशीय (सिटरस) पौधों का उत्पादन किया गया है।

पशुपालन और डेयरी उद्योग

4.1.38 पशुधन क्षेत्रक के लिए ग्यारहवीं योजना की नीति का उद्देश्य दुग्ध समूह में 5 प्रतिशत तथा मांस और कुक्कुट

पालन में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर सहित इस समूचे क्षेत्रक के लिए 6 से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से समग्र संवृद्धि प्राप्त करना है। चालू कीमतों पर पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी के लिए ग्यारहवीं योजना में 8,174 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

वार्षिक योजना 2009-10

4.1.39 वर्ष 2009-10 के दौरान इस विभाग का विचार 29 स्कीमों को कार्यान्वित करने का है, जिनमें आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के 31 आत्महत्या प्रवण जिलों के लिए विशेष पैकेज भी शामिल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली "राष्ट्रीय डेयरी योजना " को योजना आयोग की "सिद्धांत रूप से मंजूरी " प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना (बी ई) 11,00 करोड़ रुपए की है, जिसमें एवियन इन्फ्लुएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए 56.46 करोड़ रुपए का विदेशी सहायताप्राप्त संघट क भी शामिल है।

मात्स्यिकीः

4.1.40 केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों, जैसे समुद्री मात्स्यिकी और मत्स्य-संग्रहणोत्तर (पोस्ट-हारवेस्ट) प्रचालनों का विकास, अन्तर्देशीय मात्स्यिकी और जल कृषि और मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय स्कीम, मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार की स्कीमों को 2009-10 में जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मात्स्यिकी और पशुपालन के डाटा-आधार और सूचना नेटवर्किंग को मजबूत बनाने की स्कीम और मात्स्यिकी संस्थाओं को सहायता और एन एफ डी बी जैसी स्कीमों को 2009-10 में जारी रखने का विचार है।

4.1.41 वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी) के लिए 135.00 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था के साथ मात्स्यिकी के अन्तर्गत सभी छः केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमों के लिए 258.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

4.1.42 एन एफ डी बी के अन्तर्गत जोर दिए जाने के लिए निर्धारित क्षेत्र ये हैं : जल कृषि का विकास, घरेलू और निर्यात विपणन सहित अवसंरचना का विकास, जलाशय मात्स्यिकी, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, मेरीकल्चर, आदि, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और मछुवारों और मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आय और रोजगार का सृजन किया जा सके।

कृषि अनुसन्धान और शिक्षा

4.1.43 कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग देश में कृषि अनुसन्धान और शिक्षा के विकास तथा अभिशासन के लिए जिम्मेदार है। कृषि अनुसन्धान और शिक्षा से सम्बन्धित सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में कार्रवाई भी इसी विभाग द्वारा की जाती है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद (आई सी ए आर) के माध्यम से किया जाता है, जो देश के भीतर कृषि अनुसन्धान और शिक्षा के संवर्धन, कार्यान्वयन और समन्वय के लिए एक शीर्ष और स्वायत्तशासी संगठन है। इस समय आई सी ए आर में विभिन्न विषय-वस्तु वाले आठ प्रभाग हैं, जिनकी सहायता उनके अपनी-अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों की अनुसन्धान स्कीमों/ संस्थानों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। आई सी ए आर का लक्ष्य आजीविका और पर्यावरणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यकुशल और प्रभावकारी संस्थात्मक, अवसंरचनात्मक और नीतिगत सहायता द्वारा संपूरित शिक्षा, अनुसन्धान और विस्तार की पहलों की सहक्रियाशीलता के जरिए देश में संधारणीय और समावेशी कृषि संवृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है।

वार्षिक योजना 2009-10 की समीक्षा

4.1.44 विभिन्न विषयों और जिन्सों के बारे में पैनी धार वाले (कटिंग ऐज) अनुसन्धान के लिए, महाराष्ट्र में, डीम्ड विश्वविद्यालय की हैसियत वाले, राष्ट्रीय अजैव दबाव प्रबन्धन संस्थान (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रैस मैनेजमेंट) की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय जैव दबाव प्रबन्धन संस्थान और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को भी अनुमोदित कर दिया गया है। पौधा और पशु जगत की सीमा को पार करने वाला, एक डी एन ए बैंक स्थापित किया गया है, ताकि नई किस्मों, संकर (हाइब्रिडों), नस्लों, आदि का विकास करते समय वांछनीय विशेषताओं को शामिल किया जा सके। मूल्य-वर्धन और आनुवंशिक संसाधनों के

कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए और जैव-चोरी को रोकने के लिए, जीन प्रास्पेक्टिंग और एल्लेली माइनिंग, फीनोमिक्स, कार्यात्मक जीनोमिक्स और बायोइन्फार्मेटिक्स पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आई सी ए आर ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए "बायो प्रास्पेक्टिंग ऑफ जीन्स ऐण्ड एल्लेली माइनिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रैस ट ालरेंस " नामक एक महत्त्वाकांक्षी बहुविषयक कार्यक्रम हाथ में लिया है। इस परियोजना में पैंतीस संस्थान शामिल हैं। यह परियोजना प्रतिकूल जलवायु में उगाई जाने वाली फसलों के लिए संवृद्धि की इष्टतम स्थितियों की खिड़की को भी व्यापक बना देगी और इसके जरिए बदली हुई जलवायु स्थितियों में उपज में वृद्धि होगी और उत्पादन में अधिक स्थिरता आएगी।

4.1.45 पशुधन उत्पादन की रक्षा के लिए, एक पी-4 उपायों वाली उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। इसने टीका विकसित करने के अलावा, एवियन इन्फ्लुएंज़ा के लिए नैदानिक सेवाएं मुहैया करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल में 6 जून, 2009 को एक नई और उन्नत "हस्त-निर्देशित क्लोनिंग तकनीक " के जरिए भैंस के एक क्लोन्ड बछड़े "गरिमा " का जन्म हुआ। बछड़े की संवृद्धि सामान्य है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। पहली बार, कृत्रिम वीर्य-सेचन के जरिए एक मिथुन बछड़े को जन्म दिया गया।

4.1.46 भारत के वर्षापोषित क्षेत्रों से अलग-थलग की गई *स्यूडोमोनस* नस्लों (किस्मों) में, *पी. पुटिदा* "जीएपी-पी-45" पौदों में नई प्रोटीनों के संश्लेषण को प्रविष्ट करने में समर्थ हुई, जिससे सूखे के दबावों के प्रति सहनशीलता उत्पन्न हुई। खोई श्रिम्प जल कृषि में अमोनिया और नाइट्रेट को दूर करने में एक सफल जैव-उत्प्रेरक सिद्ध हुई। यह प्रौद्योगिकी किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए उपलब्ध है।

4.1.47 उड़ीसा के पुरी जिले के गहरे जल-जमाव वाले (1.0-2.5 एम की जल की गहराई) प्रतिनिधिक क्षेत्र में ताल-आधारित फार्मिंग प्रौद्योगिकी (खरीफ में गहरे जल वाला चावल + सर्दियों में तरबूज, ओकरा, पालक, लाल मिर्च + आन-डाइन सब्जियां-फल + तालाब के अन्दर मछलियां) ने निवल जल उत्पादकता को 7.21 /एम 3 तक बढ़ा दिया और चावल में निवल लाभ (22,100 रुपए) को बढ़ा दिया। वर्षा-जल के संचयन की प्रणाली तैयार की गई और जल के बहुविध उपयोग से छोटे और सीमान्त किसानों के लिए संचित वर्षा जल से कृषि विविधीकरण माडल का विकास किया गया(आन-डाइक बागबानी, विविधीकृत फील्ड फसलों की मात्स्यिकी खेती, पपीता, केला जैसे अल्पकालिक फल और गेंदा और कंदाकार, आदि जैसे पुष्पों का उत्पादन)। इस प्रौद्योगिकी को भारत के पूर्वी राज्यों के वाटरशेडों में कार्यान्वयन के लिए "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" में शामिल करने की सिफारिश की गई है। जल की कमी का सामना करने वाले राज्यों में,कक्टस (नागफनी) को चारे का मनपसन्द सम्मिश्रण बना कर, नागफनी + घास/ घास-भूसा खाने वाले पशुओं की जल की आवश्यकताओं में कमी की गई। 47 माडल वाटरशेडों का एक नेटवर्क विकसित किया गया है, जो परियोजनाओं को प्राकृतिक वाटरशेड विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में हाथ में लेने का आधार मुहैया करता है।

4.1.48 नियंत्रित पर्यावरणिक स्थितियों (मुक्त वायु कार्बनडाई ऑक्साइड समृद्धि, खुले ऊपरी चेम्बर) और माडलिंग के अन्तर्गत किए गए अध्ययनों ने यह दर्शाया कि वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड में 550 पी पी एम तक वृद्धि ने गेहूं, चिकपी, हरे चने, अरहर, सोयाबीन, टमाटर और आलू की उपज को 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत बढ़ा दिया। नारियल, सुपारी और कोकोआ के मामले में, बढ़ी हुई कार्बन डाइ आक्साइड ने बायोमास (जैव पिंड) के उत्पादन को बढ़ा दिया। साहीवाल और होल होलस्टीन फ्राइएसिन संकर नस्ल (करन-फ्राइस) कलेरों के अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि तापीय अनावरण से एच एस पी 72 प्रोटीन स्तर में साहीवाल (22.4 प्रतिशत) की अपेक्षा करन-फ्राइस (106 प्रतिशत) में अधिक वृद्धि हुई। एन-हानि और जी एच जी निस्सरण को घटाने के लिए संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी सर्वाधिक सस्ती कार्यनीति है, जबकि ग्रीनहाउस गैसों (जी एच जी) के निस्सरण को घटाने के लिए एकीकृत एन प्रबन्धन ऊंची लागत वाली प्रौद्योगिकी है।

4.1.49देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए, प्रमुख खाद्य फसलों की, जिनमें चावल, गेहूं, जौ, मकई, पर्ल मिल्लेट और दालें और तेलहन शामिल हैं, एक सौ इकतीस किस्में/ संकर किस्में रिलीज़ की गई हैं/ अभिज्ञात की गई हैं।

4.1.50 महत्त्वपूर्ण फसल सुधार अनुसन्धान में चावल की किस्मों, जैसे उन्नत पूसा बासमती और उन्नत साम्बा महसुरी का विकास, दालों की अधिक उपज वाली 17 किस्मों, मूंगफली की छः किस्मों, सोयाबीन की एक किस्म

और विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकियों में रिलीज किए जाने के लिए सूरजमुखी फूल की दो संकर किस्मों का पता लगाया जाना और केन्द्रीय रूप से विमोचित फूल की दो संकर किस्मों का पता लगाया जाना और केन्द्रीय रूप से विमोचित फील्ड फसल किस्मों के लिए प्रजनक बीजों का 7,339.7 टन का उत्पादन शामिल है। नए जीनों वाले यूजी99 रस्ट के प्रतिरोध के लिए जीन साधनों का विकास किया गया है और यूजी99 और इसके शीत तापमान व्युत्पादों के प्रति जाति-सापेक्ष और प्रौढ़ पौधा प्रतिरोध का समावेश भारतीय गेहूं प्रजनक सामग्रियों में सफलतापूर्वक किया गया है।

4.1.51 बड चिप प्रौद्योगिकी, अन्य लाभों के साथ-साथ, गन्ना-उत्पादन की लागत को घटाने के एक सर्वाधिक सक्षम और किफायती विकल्प के रूप में उभरी है। खारी जमीनों में गेहूं की संवृद्धि और उपज को बढ़ाने के लिए खारेपन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विकसित जीवाण्विक टीकों का पता 16एस आरडीएनए के अनुक्रमण के जरिए लगाया गया था। वाइटेक्स निगुंडी के पत्ते के चूर्ण और पालीगोनम-संसाधित खाद्य को प्रयोगशाला में चूहों (रेट्ट स) द्वारा न्यूनतम तरजीह दी गई, जिससे उनकी मूषक-रोधी विशेषाताओं का पता चलता है।

4.1.52 आर्गेनिक स्रोतों से जिंक और तांबे का अनुपूरण एस्ट्रस और एनोएस्ट्रस वर्णसंकर गायों को प्रेरित करने में अधिक प्रभावकारी था। शुष्क-पदार्थ आधार पर ताजे गोबर से मीथेन का उत्सर्जन वर्णसंकर पशुओं की अपेक्षा जेबु पशुओं में कम था। हरा चारा खाने से गायों और भैंसों में दुग्ध कान्जुगेटेड लिनोनिक एसिड (सी एल ए) बढ़ गया। सी एल ए में कैंसर-रोधी गुण है, और देशी तरीके से बनाए जाने वाले घी में यह 310 प्रतिशत बढ़ जाता है। वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध सूक्ष्म जैविक खाद्य योगजों ने मांस उत्पादन के लिए मेमनों को मोटा करने में उनकी संवृद्धि को 12 प्रतिशत और उनके आहार की मात्रा को 11.6 प्रतिशत बढ़ा दिया। दूध-छुड़ाई के बाद की अवस्था में कान्सेन्ट्रेट मिश्रण के अनुपूरण ने मेमनों के देह के वजन को बढ़ा दिया, और किसानों को मार्केट में 25-33 प्रतिशत अधिक कीमत प्राप्त हुई।

4.1.53 खुरहा रोगाणु टाइपिंग "एलिसा" किट बनाए गए और देश भर में अनुप्रयोग और परीक्षण-परिणामों में एकरूपता सुनिश्चित की गई। एक अन्तर्राष्ट्रीय खुरहा रोग निर्देशन प्रयोगशाला की स्थापना से वैश्विक भागीदारिता में और दक्षिण एशिया से इस रोग के उन्मूलन में सहायता मिलेगी।

4.1.54 वर्ष 2008-09 के दौरान भारत में समुद्री मछली उत्पादन में उससे पिछले वर्ष के अनुमानों की तुलना में 0.327 मिलियन टन (11.3 प्रतिशत) वृद्धि हुई और वह 3.21 मिलियन टन तक पहुंच गया। गत वर्षों में उपभोक्ता रुपए में मछुवारों के प्रतिशत हिस्से (पी एस एफ सी आर) में भी वृद्धि हुई है। अधिक मूल्य वाली मछलियों, जैसे तटवर्ती ट्यूना और समुद्री ट्यूना ने क्रमशः 23 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पश्चिमी तट पर गहरे समुद्र की शार्कों के लिए लक्ष्यगत मात्स्यिकी शार्कों और चिमेराओं की 14 से अधिक प्रजातियों के बारे में थी। बायोसिक्युर्ड ज़ीरो वाटर एक्सचेंज सिस्टम टेक्नोलाजी (जैव-सुरक्षित शून्य जल विनिमय प्रणाली प्रौद्योगिकी) किसानों के लिए खेत पर प्रदर्शन और प्रसारित किए जाने के लिए तैयार है।

4.1.55 देश में कृषि विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक सहायता और वित्तीय सहायता दे कर कृषि शिक्षा के स्तर और उसकी गुणवत्ता में निरन्तर उन्नयन करने और उसे बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान प्रबन्धन अकादमी, हैदराबाद ने सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन और बौद्धिक सम्पत्ति प्रबन्धन सम्बन्धी अपने दो कार्यक्रमों के अलावा, प्रबंधन (कृषि) के बारे में एक दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया। पांच राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के एम बी ए कार्यक्रम को मान्यता दी गई। इस प्रकार, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए 31 संस्थाएं मान्यताप्राप्त हैं।

4.1.56 38 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय के निर्माण, 44 कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव कार्यक्रम के लिए आबंटन और "फसल सुधार के लिए कृषि जैव-प्रौद्योगिकी के बारे में नार्मन बोरलाग पीठ" की स्थापना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की अपेक्षा की जाती है। उभर रही चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के लिए माडल अधिनियम को संशोधित किया गया था और सभी

विश्वविद्यालयों को अपनाने के लिए भेजा गया था। आई सी ए आर द्वारा सभी स्नातकोत्तर (मास्टर और डाक्टरल) कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों और उनकी पाठ्यचर्याओं को उपयोगी, अद्यतन और प्रतियोगी बनाने के लिए गठित किए गए एक राष्ट्रीय कोर समूह ने इन पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्याओं को संशोधित किया है। भारतीय और विदेशी उम्मीदवारों के लिए भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों और विदेशी विश्वविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) का एक नया संघटक शुरू किया गया है। 3000 से अधिक शोध-प्रबंधों का डिजिटीकरण किया गया है और पूरा पाठ (टेक्स्ट) डाटा चढ़ाया गया है (www://www.hau.ernet.in)। "एग्रोपीडिया" का और आगे विविधीकरण किया गया है और 165 देशों के 30,000 से अधिक लोग इस साइट (www://www.agropedia.net) को देखते हैं।

4.1.57 कृषि प्रभाग ने नई आई सी ए आर संस्थाएं और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/ आई सी ए आर के प्रस्तावों का निरीक्षण किया है।

4.2 सामाजिक न्याय और समाज कल्याण प्रभाग

4.2.1 यह प्रभाग मुख्य रूप से सामाजिक रूप से सुविधावंचित समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों, जैसे अशक्तता वाले लोगों, वृद्ध व्यक्तियों और नशीली औषधों के व्यसनी लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग जनजातीय उप-योजना (टी एस पी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एस सी एस पी) की विशेष कार्यनीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए भी, जो क्रमशः अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार की योजना बनाने का प्रभावकारी साधन है, सलाह प्रदान करता है।

4.2.2 वार्षिक योजना 2009-10 में प्रमुख जोर स्वैच्छिक कार्य के प्रभावकारी साम्मिलन और अनुपूरण के जरिए इन सुविधावंचित समूहों की विशेष समस्याओं और आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के लिए समन्वित प्रयासों और नवाचारी कार्रवाइयों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को समेकित करने और उन्हें मजबूत बनाने पर दिया गया है।

उपलब्धियां

4.2.3 इस प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान हाथ में लिए गए विभिन्न क्रियाकलापों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, और अन्य कमजोर समूह - आशक्तता वाले व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और नशीली दवाओं के व्यसनी लोग

4.2.4 वर्ष 2008-09 के दौरान 2,400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के जरिए हुई प्रगति के आधार पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 2,500 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय आबंटित किया गया था (2,145.00 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति और ओ बी सी विकास के लिए + 355 करोड़ रुपए अन्य कमजोर समूहों के लिए)। यद्यपि विशेष रूप से शैक्षिक विकास के जरिए उनके सामाजिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है, लेकिन सामान्य लोगों और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच गरीबी के अन्तर को समाप्त करने और घटाने के कार्य को भी प्राथमिकता प्रदान की गई, ताकि इन सामाजिक रूप से सुविधावंचित समूहों को आत्म-निर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए।

4.2.5 योजना आयोग ने अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के निर्माण, कार्यान्वयन और मानीटरन के लिए 2005 में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को और वर्ष 2006 में केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को मार्गिनर्देश और अतिरिक्त मार्गनिर्देश जारी किए थे। 25 राज्यों ने एस सी एस पी और टी एस पी के लिए अलग बजट शीर्ष खोला है और वे एस सी एस पी और टी एस पी के लिए अलग दस्तावेज़ भी तैयार कर रहे हैं। किन्तु, एस सी एस पी विभाग ने सचिव को एस सी एस पी और टी एस पी के लिए निर्धारित आबंटन के लिए वित्त तथा योजना सचिव की तरह अधिकार प्रदान नहीं किए गए

हैं। योजना आयोग एस सी एस पी और टी एस पी के मार्गनिर्देशों का पालन करने के बारे में राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को निरंतर लिखता रहा है।

4.2.6 मंत्रालय ने अपने पहले से चल रहे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जारी रखा और दो नई स्कीमों के लिए व्यवस्था की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में "प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना" नाम की एक नई केन्द्र-प्रायोजित स्कीम की घोषणा की, जिसे 1000 ऐसे गांवों में कार्यान्वित किया जाना है, जिनमें अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो। इस स्कीम के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। अनधिसूचित और घुमन्तु जनजातियों (डी एन टी) के शैक्षिक और आर्थिक विकास की एक नई स्कीम के लिए भी 5.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

4.2.7 प्रभाग ने अशक्तताओं (लोको-मोटर, दृष्टि, श्रवण, वाक् तथा मानसिक विपथगामियों, जैसे नशीली दवाओं के व्यसनियों, अतिशय मद्यपान करने वाले व्यक्तियों, भिखारियों, आदि का सुधार करने और अन्य सुविधावंचित लोगों, जैसे वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने के अपने प्रयास नोडल मंत्रालय/ अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अन्य संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके जारी रखे, ताकि इन लक्ष्यगत समूहों के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण के ध्येय वाली विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

4.2.8 अशक्त व्यक्तियों का पुनर्वास और सशक्तीकरण, अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय ने यथासंभव अधिकतम अशक्त लोगों को सशक्त बनाने की अपनी पहले की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, जिससे कि वे समाज निर्माण के क्रियाकलापों में सक्रिय और सार्थक रूप से योगदान कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें, अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों को हाथ में लिया है।

4.2.9 इस बात को स्वीकार करते हुए कि अतिशय मद्यपान करने वाले लोगों और नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों जैसे सामाजिक दृष्टि से विपथगामी लोग पक्के व्यसनी नहीं होते बल्कि परिस्थितियों और हालात के शिकार होते हैं, दुरुपयोग निवारण की स्कीम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को नशामुक्ति और नशीली दवाओं के व्यसनी लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम चलाने में सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति विकास

4.2.10 अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न समाजार्थिक विकास कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए, 2009-10 में जनजातीय कार्य मंत्रालय का परिव्यय 805 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा, जनजातीय क्षेत्रों में आय सृजन के विभिन्न क्रियाकलापों और अवसंरचना विकास के लिए असाधारण कमियों को पूरा करने के लिए जनजातीय उप-योजना के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने के रूप में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आबंटन किए गए थे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और जनजातीय लोगों को शेष लोगों के स्तर पर लाने के लिए जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुदान दिए जाते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की समस्या से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई थी।

4.2.11 इस प्रभाग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलुओं, जैसे वन ग्रामों का विकास, जिसमें जनजातीय लोगों पर ध्यान केंद्रित हो और 15 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में फैले हुए 75 आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए संरक्षण-व-विकास योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए 2008-09 के दौरान आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लिया। वार्षिक योजना की तुलना में ग्यारहवीं योजना में 75 निर्धारित आदिम जनजातीय समूहों (पी टी जी) को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता दी जाती है। विभाग ने विभिन्न पी टी जी-सापेक्ष विकास योजना प्रस्तावों की जांच करने और जनजातीय लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सिंचाई की अवसरंचना के सृजन के प्रस्तावों की जांच करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई बैठकों में प्रभावकारी रूप से भाग लिया और उन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा, जिन्हें ऐसी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए प्रायोजित किया गया है, किए जाने वाले प्रभावकारी और उपयुक्त उपायों का सुझाव दिया।

4.2.12 वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान, योजना आयोग ने जनजातीय लोगों के सशक्तीकरण के लिए, उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन से संबंधित प्रयासों के बारे में जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ घनिष्ठ रूप से और निरंतर पारस्परिक कार्रवाई की। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए योजना और नीति तैयार करने और समन्वित करने का कार्य किया, ताकि जनजातीय लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिए उनकी प्रतिभा और विकास के आचार का पूरा ध्यान रखते हुए, लक्ष्यगत समूह को मुख्य धारा में लाया जाए।

अल्पसंख्यक विकास

4.2.13 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के परिव्यय को, जो 2008-09 में 1000 करोड़ रुपए था, विभिन्न पहले से चल रही स्कीमों और नई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बढ़ा कर 2009-10 में 1740 करोड़ रुपए कर दिया गया। जून, 2006 में प्रधान मंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने तीन छात्रवृत्ति स्कीमें कार्यान्वित कीं, अर्थात (i) स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए योग्यता-व-साधन आधारित छात्रवृत्ति स्कीम, (ii) अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और अल्पसंख्यक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, और (iii) मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां। अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले अभिज्ञात जिलों में बहु-क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम का प्रयोजन अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले अभिज्ञात जिलों में, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों और सामान्य रूप से समाज के अन्य सुविधावंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। शिक्षा, सफाई, पक्के मकानों, पेय जल और विद्युत आपूर्ति के लिए बेहतर अवसंरचना के लिए जिला-सापेक्ष योजनाओं, और उसके अलावा आय सृजन के अवसर पैदा करने वाली लाभभोगी-उन्मुख स्कीमों के अन्तर्गत व्यवस्था किए जाने के तरीके से 'विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए' अभिज्ञात जिलों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। जिला योजनाओं के अनुमोदन के लिए आयोजित बैठकों में योजना आयोग भी भाग लेता है।

4.2.14 चालू वर्ष में तीन नई स्कीमें अनुमोदित की गई थीं, अर्थात (i) अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप, (ii) राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, और (iii) अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास।

केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों की वार्षिक योजना चर्चाएं 2010-11

4.2.15 वार्षिक योजना 2010-11 को अन्तिम रूप देने के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। बाद में मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए, वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय के स्कीम-वार आबंटन किए गए थे। इसी प्रकार, राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की गई है और राज्य सरकारों को अपने वित्तीय और भौतिक कार्य-निष्पादन में सुधार करने के सुझाव दिए गए थे।

4.2.16 राज्यों की वाषिक योजनाओं 2010-11 को अन्तिम रूप देने के लिए, सलाहकार (एस जे) की अध्यक्षता में कार्य समूह की बैठकें/ चर्चाएं आयोजित की गई थीं, जिनमें राज्यों के प्रतिनिधियों और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्य समूहों ने विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा, प्रत्येक राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को आंका और क्षेत्रक के लिए संसाधनों के आबंटन की सिफारिश की और संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार की गई थीं, जिनमें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बीच होने वाली बैठकों के लिए निविष्टियां मुहैया की गई थीं।

बैठकें

4.2.17 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों और 2009-10 के आधे वर्ष के दौरान संबंधित क्षेत्रक में कार्यक्रम के प्रभाव को आंकने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधिक समीक्षा करने का कार्य पणधारियों, अर्थात केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और स्वैच्छिक क्षेत्रक के प्रतिनिधियों के साथ में हाथ में लिया गया। ब्योरा नीचे दिया गया है:

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के मध्यावधिक मूल्यांकन करने के लिए बैठकें 13 अगस्त, 2009, 4 सितंबर, 2009 और 25 सितंबर, 2009 को हुईं।

- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, संबंधी सलाहकार समूहों, समाज कल्याण समूहों की बैठकें 23 सितंबर, 2009, 5 अक्तूबर, 20 अक्तूबर और 28 अक्तूबर, 2009 को आयोजित की गईं।

- अनुसूचित जातियों संबंधी सलाहकार समूह की बैठकें 24 सितंबर, अक्तूबर, 2009 को हुईं।

- अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सलाहकार समूहों की बैठक 6 अक्तूबर, 2009 को हुई।

- संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन कार्यक्रम (यू एन एफ पी) और भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन (वी एच ए आई) के सहयोजन से अलपसंख्यक कार्यक्रम के बारे में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधिक समीक्षा के संबंध में पांच क्षेत्रीय परामर्श 1-2 सितम्बर को गुवाहाटी में, 7-8 सितम्बर को जयपुर में, 14-15 सितम्बर को भुवनेश्वर में, 25.9.2009, 26.10.2009, 3.11.2009 को चंडीगढ़ में और 30 सितम्बर और 1 अक्तूबर, 2009 को बेंगलुरु में हुए।

- एस सी एस पी और टी एस पी के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, दो क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं 18.11.2009 को हैदराबाद में और 24.11.2009 को कोलकाता में आयोजित की गई थीं।

- निर्धारण और मानीटरन प्राधिकरण (ए एम ए) की दूसरी बैठक 11 सितम्बर, 2009 को हुई।

4.2.18 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के लिए सामाजिक न्याय और समाज कल्याण के बारे में अध्याय तैयार किया गया है।

सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान प्रभाग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा भेजे गए अनुसन्धान प्रस्तावों, अनुसन्धान रिपोर्टों की जांच

4.2.19 प्रभाग ने अकादमिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा, जो योजना आयोग के समाजार्थिक अनुसन्धान प्रभाग और कार्यक्रम मूल्यांकन प्रभाग के अन्तर्गत अनुदान चाहते हैं, सुविधावंचित समूहों/ अन्य विशेष समूहों के बारे में भेजे गए विभिन्न अनुसन्धान प्रस्तावों/ परियोजनाओं की विवेचनात्मक रूप से जांच की और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी)/ व्यय वित्त समिति (ई एफ सी)/ मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सी सी ई ए)/ मंत्रिमंडल के लिए टि प्पणियों की जांच

4.2.20 इस प्रभाग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों के लिए प्रस्तुत अनेक स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी)/ व्यय वित्त समिति टि प्पणियों की जांच परियोजना मूल्यांकन और प्रबन्धन प्रभाग (पी ए एम डी) के निकट परामर्श से की है। इस प्रभाग ने इन मंत्रालयों द्वारा मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के लिए प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर भी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

संसद प्रश्न, वी आई पी संदर्भ आदि

4.2.21 इसके अलावा, इस प्रभाग ने संसद प्रश्नों, वी आई पी संदर्भों से संबंधित कार्य भी किया और प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए जाने वाले भाषणों के लिए निविष्टियां (इनपुट) मुहैया कीं। देश के विभिन्न भागों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों/ स्कीमों की प्रगति और उनके प्रभाव के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रभाग के अधिकारियों ने अनेक क्षेत्रीय दौरे किए।

4.3 भारत निर्माण

4.3.1 2009-10 के बजट में भारत नर्माण के संघटकों के परिव्यय में 2008-09 के परिव्यय की तुलना में 45 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

4.3.2 भारत निर्माण के बारे में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अध्याय तैयार किया गया और उसे अंतिम रूप दिया गया। भारत नर्माण के सम्बन्ध में वार्षिक योजना 2008-09 के अध्याय को भी अंतिम रूप दिया गया।

4.3.4 चूंकि भारत निर्माण सरकार के ध्वजपोत (फ्लैगशिप) कार्यक्रम का भाग है, इसलिए वार्षिक योजना तैयार करने के संबंध में कार्य समूह की चर्चाओं के दौरान योजना आयोग द्वारा अलग-अलग राज्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

4.3.5 भारत निर्माण के विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की मौजूदा स्थिति की जानकारी तालिका 4.3.1 में दी गई है:

तालिका 4.3.1

भारत निर्माण की 2005 से 2009 तक की कुल भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां

		लक्ष्य (2005-09)	कुल उपलब्धियां 2005-09 (8.7.2009 तक)	प्रतिशत उपलब्धि	बाकी रह गई उपलब्धियां	विमोचित की गई कुल राशि (2009)
1	ग्रामीण सड़कें					
क.	1000 (अथवा पहाड़ी/ जनजातीय क्षेत्रों में 500) की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए आबादियों की कवरेज सड़कें	59564	32269	54.2	27295	81262.6।
ख.	नए संयोजन - किलोमीटर में	146185	85405	58.4	60780	
ग.	सड़क स्तरोन्नयन - किलोमीटर में	194130	155019	79.9	39111	
2.	ग्रामीण आवास					25766.5*
	मकानों की कुल संख्या	6000000	6902000	115.0		
3.	पेय जल आपूर्ति					22347***
क.	कवर न की गईं/ अंशतः कवर की गई आबादियां	55067	51766	94.0	3301	
ख.	पीछे सरक गई आबादियां	331604	328998	99.2	2606	
ग.	गुणवत्ता की समस्या वाले गांव	216968	209961	96.8	7007	
4	टेलीफोन संयोजन					
	जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या	66822	57426	85.9	9396	156.03**
5	ग्रामीण विद्युतीकरण					
	गांवों का विद्युतीकरण	100000	59882	59.9	40118	15790**
	2.3 करोड़ घरों को कनेक्शन	23000000	5378558	23.4	17621442	
6	सिंचाई					19733**
	10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गन लाना	10	6.52	65.2	3.48	
	टिप्पणियां : *अगस्त 2009 तक के आंकड़े, ।।सितंबर 2009 तक के आंकड़े, ।।। मार्च 2009 तक के आंकड़े					

4.4 संचार और सूचना

4.4.1 संचार और सूचना प्रभाग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के दूर-संचार, डाक, सूचना और प्रसारण और सूचना प्रैद्योगिकी के क्षेत्रकों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। वर्ष के दौरान (अप्रैल 2009 - दिसंबर 2009) प्रभाग द्वारा निष्पादित किए गए कार्य की प्रमुख मदों में विभिन्न नीतिगत मुद्दों की जांच करना, क्षेत्रकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना और वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने से संबंधित प्रारंभिक कार्य शामिल था। उपर्युक्त के अलावा, यह प्रभाग योजना आयोग की वेबसाइट और सूचना द्वार के प्रबंध की देखभाल भी करता है। योजना आयोग में एन आई सी द्वारा दो आई टी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनकी देखभाल भी सूचना और संचार प्रभाग द्वारा की जाती है।

दूरसंचार

4.4.2 दूरसंचार क्षेत्रक ने 1991 से सर्वाधिक मूलभूत अवसंरचनात्मक और संस्थात्मक सुधार देखे हैं। जब से दूरसंचार नीति 1994 और 1999 कार्यान्वित की गई है, तब से इसने बहुत आगे छलांग लगाई है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति ने गैर-सरकारी और सरकारी दूरसंचार क्षेत्रकों को ग्राहकों के आधार का विस्तार करने के लिए गहरी प्रतियोगिता के मोड में ला दिया है। इस खुली और बिना प्रतिबंध वाली प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप इस क्षेत्रक की संवृद्धि तेजी से हुई है और उपभोक्ताओं के लाभों को निरंतर अधिकतम बनाया जा रहा है और काल दर में लगातार कमी हो रही है। भारत विश्व में एक गतिशील, आशाजनक और सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला दूरसंचार नेटवर्क बन गया है - नेटवर्क-वार विश्व में तीसरे स्थान पर और वायरलेस कनेक्शनों के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।

4.4.3 वर्ष 2008-09 और 2009-10 में भारतीय दूरसंचार क्षेत्रक की संवृद्धि (तालिका 4.4.1 से 4.4.3; डाटा स्रोतः डीओटी)

तालिका 4.4.1 :

भारतीय दूरसंचार क्षेत्रक की संवृद्धि (2008-2010)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	गैर-सरकारी	जोड़
2008 मार्च	79.50 मिलियन	220.94 मिलियन	300.49 मिलियन
2009 मार्च	89.55 मिलियन	340.18 मिलियन	429.73 मिलियन
2009 सितंबर	95.39 मिलियन	413.64 मिलियन	509.03 मिलियन

तालिका 4.4.2 :

टेलीडेन्सिटी (कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति)

वर्ष	शहरी	ग्रामीण	जोड़
2008	66.39	9.46	26.22
2009 मार्च	88.84	15.11	36.98
2009 सितंबर	101.38	18.97	43.50

तालिका 4.4.3 :

वायरलाइन की तुलना में वायरलेस संवृद्धि

वर्ष	वायरलेस	प्रतिशत	वायरलाइन	प्रतिशत
2002	6.68 मिलियन	14.85	38.29 मिलियन	85.15
208	391.97 मिलियन	91.17	37.97 मिलियन	8.83
2009 सितंबर	471.73 मिलियन	92.67	37.30 मिलियन	7.33

गैर-सरकारी क्षेत्रक मुख्य रूप से वायरलेस मोड में संवृद्धि कर रहा है, जबकि वायरलाइन मोड में उसकी संवृद्धि केवल 1.17 प्रतिशत है।

4.4.4 ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था : ग्रामीण संवृद्धि दर शहरी संवृद्धि की दर से कम है; 2008 में यह 9.46 कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति और 2009 में 15.11 कनेक्शन प्रति व्यक्ति थी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सर्वव्यापी सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) के अन्तर्गत ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन की स्कीम शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत नर्माण स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण सार्वजनिक ट `लीफोनों (वी पी टी) की व्यवस्था करना है। इसे कवर न किए गए 66,822 गांवों को वी पी टी के जरिए जोड़ना था और नवम्बर, 2009 तक 60,887 टेलीफोनों की व्यवस्था की गई है। 4,520 गांवों को या तो ऐसे गांवों के रूप में निर्धारित किया गया है, जिनका अस्तित्व नहीं है, अथवा विभिन्न कारणों से दुर्गम गांवों के रूप में निर्धारित किया गया है और उन्हें छोड़ दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिए वायरलेस फोन, उनकी सुगमता और लागत के कारण, स्वीकार्य प्रतीत होते हैं और इसलिए 27 राज्यों में 500 जिलों में 7,871 वायरलेस अवसंरचनाएं स्थापित करने की स्कीम को हाथ में लिया गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि ग्यारहवीं योजना की अवधि में 25 प्रतिशत ग्रामीण भागों को उपर्युक्त तरीके से जोड़ा जा सकता है।

4.4.5 ब्राडबैंड कनेक्शन : ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या, जो मार्च 2005 में बहुत कम अर्थात केवल 0.18 मिलियन थी, बढ़ कर मार्च 2009 में लगभग 6.22 मिलियन हो गई। यह भी परिकल्पना की जाती है कि इंटरनेट और ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या बढ़ कर 2010 तक क्रमशः 40 मिलियन और 20 मिलियन हो जाएगी। ग्रामीण ब्राडबैंड कनेक्निटविटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और 5000 ब्लॉकों/ तहसीलों को वायरलेस ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा। सरकार ने ब्राडबैंड वायरलेस एक्सेस (बी डब्ल्यू ए) सेवा मार्गनिदेश जारी किए हैं, जिनसे ब्राडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।

4.4.6 स्पेक्ट्रम विमोचन : मोबाइल प्रेषण आज दूसरी पीढ़ी (2जी) की प्रणालियों का उपयोग करता है और विस्तार के लिए अपर्याप्त है, चूंकि पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं है। बहुत-से देशों ने तीसरी पीढ़ी (3जी) प्रणाली की खोज पहले से कर ली है, जो मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, मनोरंजन, आदि के अलावा, तेज गति से अधिक डाटा संचार में सहायता देती है और जिसमें विशेष रूप से अधिक क्षमता और स्पेक्ट्रम कार्यकुशलता होगी। दूरसंचार विभाग जीएसएम और सीडीएमए में सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न बैंडों में स्पेक्ट्रम के उपलब्ध ब्लॉकों की नीलामी के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन चाहता है। यह इसके अलावा ब्राडबैंड वायरलेस एक्सेस की छूट देगा और देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्राडबैंड के प्रवेश को बढ़ाने में सहायता देगा।

4.4.7 योजना आयोग देशी दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देता है। भारतीय दूरसंचार उद्योग बहुत व्यापक किस्मों के दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण करते हैं, जो देश की विभिन्न प्रकार की जलवायु स्थितियों के अनुकूल होते हैं। बहुत सी प्रसिद्ध कम्पनियों, जैसे नोकिआ, मोटोरोला, सैमसुंग, एल जी ने मोबाइल फोनों और अन्य उपस्करों का उत्पादन देश के अन्दर करना शुरू कर दिया है और वे देश के अन्दर की 50 प्रतिशत से अधिक मांग को पूरा कर रहे हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, 518,000 मिलियन रुपए के मूल्य के टेलीकाम उपस्करों का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। आप्टिकल केबलों का उत्पादन, जो वर्ष 2007-08 के दौरान 5340 मिलियन रुपए का था, बढ़ कर 2008-09 में 6090 करोड़ रुपए का हो जाने की संभावना है।

4.4.8 वर्ष 2009-10 के दौरान, इस प्रभाग में दूरसंचार विभाग की निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं/ स्कीमों/ नीतिगत मुद्दों की जांच की गई थीः

- वार्षिक योजना 2010-11 - दूरसंचार विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन।
- ग्यारहवीं योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन और दूरसंचार विभाग की अर्ध-वार्षिक कार्य'निष्पादन समीक्षा बैठकें।
- रक्षा और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए समर्पित और पूर्णतः सुरक्षित संचार नेटवर्क।
- मुख्य भूमि और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बीच एक स्पर मार्ग (यू एम ए ऐण्ड एन) के जरिए समुद्र के नीचे (अंडरसी) केबल बिछाना।

- दूरसंचार क्षेत्रक के संबंध में जम्मू और कश्मीर के विकास पर कार्य बल की रिपोर्ट।

- मेसर्ज़ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पुनरुज्जीवित करने के बारे में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के लिए टिप्पणी।

- तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड को पुनरुज्जीवित करने के बारे में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के लिए टिप्पणी।

डाक क्षेत्रक

4.4.9 कवर किए गए क्षेत्र और सेवित जनसंख्या के रूप में, भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें समूचे देश के अन्दर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1.55 लाख से अधिक डाकघर हैं। चुने हुए डाकघरों द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे खुदरा डाक, ई-डाक, बिल मेल सेवा, पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की बिक्री, स्पीड पोस्ट वस्तुओं का संग्रह और वितरण और बैंकिंग और बीमा सेवाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तथा डाकघर बचत बैंक खातों के माध्यम से वद्धावस्था पेंशन की अदायगी जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं/ स्कीमों के बारे में इस विभाग द्वारा कुछ राज्यों के साथ करार किया गया है।

4.4.10 ग्राहक को कम लागत वाली और सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौती भी निरंतर एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। वर्ष 2008-09 के दौरान कुल राजस्व 5862.33 करोड़ रुपए था, जबकि निवल कार्यचालन व्यय 9455.42 करोड़ रुपए का था और इस प्रकार दोनों के बीच 3593.09 करोड़ रुपए का अंतर था।

4.4.11 वर्ष 2009-10 के दौरान, इस प्रभाग में डाक विभाग से संबंधित निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं/ स्कीमों/ नीतिगत मुद्दों की जांच की गई थी:

- वार्षिक योजना 2010-11 - डाक विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन।

- ग्यारहवीं योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन और डाक विभाग की छमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकें।

- डाक विभाग की विभिन्न परियोजनाओं/ स्कीमों, जैसे भारतीय डाक वैश्विक व्यापार के संवर्धन के लिए मार्केट ढांचे और तंत्र की स्थापना, टिकट-संकलन को बढ़ावा, डाकघरों की नेटवर्किंग का चरण-II, डाक सम्पदा प्रबंधन, आदि के बारे में ई एफ सी/ एस एफ सी टिप्पणियां।

"इंडिपेक्स 2011 विश्व डाक-संकलन प्रदर्शनी के लिए सचिवालय स्थापित करने " के बारे में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी

सूचना प्रौद्योगिकी

4.4.12 वर्ष 2008 की विशेषता अभूतपूर्व वैश्विक आर्थिक संकट था। वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2008 में एक व्यापक वित्तीय संकट के दबाव के कारण बहुत भारी मंदी के दौर में सरक गई और विश्वास बहुत कम हो गया। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी छाया डाली है, और वर्ष 2008-09 में इसमें 6.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में राजकोषीय वर्ष 2007-08 में इसमें 9.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी।

4.4.13 अनिश्चित वैश्विक संभावना के बावजूद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी - व्यापार प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण (आई टी-बी पी ओ) उद्योग राजकोषीय वर्ष 2008-09 के दौरान संधारणीय संवृद्धि प्राप्त करने में समर्थ रहा। आई टी-बी पी ओ उद्योग के कुल राजस्व में 12 प्रतिशत से अधिक संवृद्धि होने और वर्ष 2008-09 में उसके 71.7 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाने की संभावना है, जबकि इसकी तुलना में वह 2007-08 में 64 बिलियन डालर था। इस उद्योग के कार्य-निष्पादन की विशेषता राजस्व में दोहरे अंकों वाली संधारणीय संवृद्धि, नई सेवालाइनों में स्थायी विस्तार और संवर्धित भौगोलिक प्रवेश था।

4.4.14 भारतीय साफ्टवेयर और सेवाओं का, जिसमें आई टी ई एस - बी पी ओ शामिल है, वर्ष 2008-09 में 47 बिलियन डालर के मूल्य का निर्यात होने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में 2007-08 में 40.4 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात हुआ था, अर्थात 16.3 प्रतिशत वृद्धि होगी। वर्ष 2008-09 में आई टी सेवाओं का निर्यात 26.9 बिलियन अमरीकी डालर का होने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में 2007-08 में 23.1

बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात हुआ था, जो 2008-09 में 16.5 प्रतिशत वृद्धि होना दर्शाता है। अनुमान है कि आई टी ई एस - बी पी ओ निर्यात, जो 2007-08 में 10.9 बिलियन अमरीकी डालर का था, बढ़ कर 2008-09 में 12.8 बिलियन अमरीकी डालर का हो जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि वर्ष-प्रति-वर्ष 17.4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

4.4.15 भारतीय साफ्टवेयर और सेवाओं का निर्यात, जिसमें आई टी ई एस - बी पी ओ शामिल है, 2008-09 में 47 बिलियन अमरीकी डालर (216, 300 करोड़ रुपए) तक पहुंच जाने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में 2007-08 में 40.4 बिलियन अमरीकी डालर (164, 400 करोड़ रुपए) का नियात हुआ था, जिससे पता चलता है कि डालरों के रूप में 16.3 प्रतिशत और रुपयों के रूप में 31.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.4.16 वर्ष 2008-09 के दौरान, इलेकट्रानिक्स और आई टी निर्यात के 235,300 करोड़ रुपए के मूल्य का होने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में 2007-08 में 177,600 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जो 32.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

4.4.17 भारत में नियोजित आई टी और आई टी इ एस- बी पी ओ के व्यवसायिकों की कुल संख्या, जो 1999-2000 में 284,000 थी, बढ़ कर 2007-08 में 2.01 मिलियन हो गई थी। आईटी साफ्टवेयर और सेवाओं के रोजगार के 2008-09 में बढ़ कर 2.23 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है (हार्डवेयर क्षेत्रक के रोजगार को छोड़ कर)। यह वर्ष पर वर्ष (वाई ओ यू) की 10.9 प्रतिशत वृद्धि है। उस अप्रत्यक्ष रोजगार के, जिसका श्रेय इस क्षेत्रक को दिया जाता है, वर्ष 2008-09 में लगभग 8.0 मिलियन होने का अनुमान है।

4.4.18 अनुमान है कि राष्ट्रीय जी डी पी में इस उद्योग का योगदान, जो 2007-08 में 5.5 प्रतिशत था, बढ़ कर 2008-09 में 5.8 प्रतिशत हो जाएगा।

4.4.19 भारत सरकार ने योजना आयोग के अन्तर्गत सरकारी सूचना अवसंरचना और नवाचार के बारे में प्रधान मंत्री के सलाहकार के एक पद का सृजन किया और प्रधान मंत्री के सलाहकार की, जो मंत्रिमंडल के मंत्री के स्तर का है, नियुक्ति की। सरकारी सूचना अवसंरचना और नवाचार के बारे में प्रधान मंत्री के सलाहकार के विचारणीय विषय निम्नलिखित क्षेत्रों में होंगेः

- सभी ज्ञान संस्थाओं को जोड़ने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का प्रचालन।
- पंचायतों तक ब्राडबैंड संयोजन (कनेक्टिविटी) पर नजर रखना, सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार करने के लिए नागरिकों को भाग लेने में समर्थ बनाना और नागरिकों का सशक्तीकरण।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना।
- न्याय प्रणाली में सूचना संचार प्रणाली के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना।
- नवाचार के दशक के लिए एक कार्य योजना विकसित करना।

4.4.20 वर्ष 2009-10 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के जिन प्रमुख नीतिगत मुद्दों/ टिप्पणियों/ स्कीमों/ परियोजनाओं की जांच की गई, वे संक्षिप्त रूप से ये हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों का वार्षिक योजना 2009-10 के लिए आबंटन।
- योजना आयोग की दो परियोजनाएं, अर्थात 600 जिलों का बहु-सतही जी आई एस मानचित्रण और छः जिलों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नै, मुम्बई और हैदराबाद) के बारे में कंप्यूटर सहायताप्राप्त डिजिटल मानचित्रण परियोजना, जिन्हें एन आई सी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के बारे में ई एफ सी ज्ञापन और सी सी ई ए टिप्पणी।
- राष्ट्रीय डाटा केंद्र स्थापित करने के बारे में एन आई सी का प्रस्ताव।
- आई टी अनुसंधान अकादमी (आई टी आर ए) स्थापित करने के बारे में एन आर सी प्रस्ताव।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 के भाग के रूप में, जिसने 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, आई टी में कौशल विकास के बारे में प्रस्ताव।

- मीडिया लैब एशिया।
- ग्यारहवीं योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन और सूचना प्रौद्यागिकी विभाग की छमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकें।
- साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अंतर्गत एस टी पी यूनिटों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने के बारे में प्राप्त आवेदन और इलेक्ट ्रानिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और एस टी पी स्कीमों के बारे में अंतर्मंत्रालयिक स्थायी समिति की बैठकों में भाग लिया।
- सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के वार्षिक योजना 2009-10 के प्रस्ताव और जहां तक आई टी क्षेत्रक का संबंध है, उनके बारे में बहुमूल्य सुझाव दिए।
- आई टी क्षेत्रक के संबंध में उत्तर-पूर्वी राज्यों से विशेष केंद्रीय सहायता (एस सी ए) के बारे में प्राप्त प्रस्ताव।

सूचना और प्रसारण

4.4.21 सूचना और प्रसारण क्षेत्रक के ये तीन स्कन्ध हैं: फिल्म, सूचना और प्रसारण। योजना आयोग प्रौद्यागिकियों के आधुनिकीकरण और अन्य क्रियाकलापों के बारे में मार्गनिर्देश देता है, जिनमें इस क्षेत्रक की समग्र संवृद्धि के लिए एफडीआई की राशियों का उपयोग करने के बारे में सिफारिशें भी शामिल हैं। सूचना स्कन्ध में विभिन्न स्कीमों को हाथ में लेने के लिए 2009-10 के लिए 66 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। फिल्म स्कन्ध में, दो प्रमुख स्कीमों, अर्थात "फिल्म प्रभाग की चलती-फिरती प्रतिमाओं का संग्रहालय", और "एनीमेशन और गेमिंग, और विशेष आभासों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना" की जांच की गई। फिल्म स्कन्ध की विभिन्न स्कीमों को हाथ में लेने के लिए वर्ष 2009-10 के लिए 60 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

4.4.22 प्रसार भारती (प्रसारण स्कन्ध) के अन्तर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए उनकी विभिन्न स्कीमों के वास्ते क्रमशः 195.00 करोड़ रुपए और 280.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। पिछले पांच/छः दशकों में आकशवाणी (आल इंडिया रेडियो) का विकास 232 रेडियो स्टेशनों के रूप में हो गया है, जो 374 ट्रांसमीटरों (एफ एम सहित) के जरिए प्रसारण करते हैं और 91.82 प्रतिशत क्षेत्र और 99.16 प्रतिशत लोगों को कवर करते हैं। आकाशवाणी के पास अपने नेटवर्क में 149 एफ एम हैं, जो देश के 35-40 प्रतिशत लोगों को कवर करते हैं। सरकार का इरादा स्पेक्ट्रम की नीलामी और प्रसार भारती की अवसंरचना को बांटने के द्वारा गैर-सरकारी भागीदारिता के जरिए एफ एम प्रसारण का विस्तार करने का है और वह तदनुसार एफ एम चेनलों के विस्तार के चरण-I और II लाई है। 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार, प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं के माध्यम से 248 एफ एम स्टेशनों का प्रचालन हो रहा है। एफ एम प्रसारण चरण-II के परिणामस्वरूप सरकार के राजस्व में रोजगार-सृजन में भारी वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग मंत्रालय को एफ एम चेनलों से समाचारों के प्रसारण की नीति के साथ-साथ, स्तर-3 के शहरों के लिए पी पी पी मोड में एफ एम प्रसारण का विस्तार करने के लिए चरण-II की स्कीमें लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वर्ष 2009-10 के दौरान, दसवीं योजना की कार्यान्वित की जा रही स्कीम को पूरा करने के लिए 42 करोड़ रुपए का आबंट न किया गया है।

4.4.23 वर्ष 2009-10 के दौरान, हाथ में लिए गए कुछ महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप ये हैं:

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 2009-10 के निधियों के आबंटन।
- ग्यारहवीं योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की छमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकें।
- "जम्मू और कश्मीर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में ए आई आर और दूरदर्शन की सिग्नल शक्ति का सुदृढ़ीकरण " की विशेष स्कीम के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन।
- कामनवेल्थ खेलों की 483 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ इन खेलों के आई टी पी ओ और पी आई बी संघटकों का संशोधित अनुमोदन।
- (i) दूरदर्शन और आकाशवाणी के ट्रांसमिटरों और स्टूडियो का डिजिटीकरण, (ii) दूरदर्शन का एच डी टी वी, (iii) फिल्म डिवीजन की सचल प्रतिमाओं का संग्रहालय, और (iv) आई आई एम सी का मीडिया विश्वविद्यालय में रूपांतरण करने के लिए

सी सी ई ए/ ई एफ सी के अनुमोदन के लिए टिप्पणियों को वर्ष 2009-10 के दौरान प्रोसेस कर लिया गया है।

सी और आई (संचार और सूचना) प्रभाग के अन्य क्रियाकलाप

सूचना द्वार अथवा साइबर कैफे

4.4.24 यह प्रभाग 'सूचना द्वार' अथवा 'साइबर कैफे' के प्रबंधन से भी संबद्ध है। यह सुविधा भ्रमणकारी मीडिया व्यक्तियों को सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट को देखने और पढ़ने में समर्थ बनाती है। यह आम जनता को भी सूचना और प्रकाशन मुहैया करती है।

आंतरिक सूचना सेवा

4.4.25 यह एक अन्य सेवा है, जो इस प्रभाग को सौंपी गई है। इसमें चुनिंदा समाचारों का एक कम्प्यूटरीकृत दैनिक सारांश (डाइजेस्ट) प्रकाशित करना और योजना से संबंधित मदों की समाचारपत्र की कतरनें उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक आधार पर उपलब्ध कराना शामिल है।

योजना आयोग की वेबसाइट

4.4.26 यह प्रभाग योजना आयोग की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाता रहता है। इस वेब पर योजना आयोग के नवीनतम प्रकाशन शामिल करने के जरिए इसे वेबसाइट को अद्यतन बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

4.5 विकास नीति प्रभाग

4.5.1 विकास नीति प्रभाग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के बृहद-आर्थिक प्राचलों के मानीटरन, हित वाले क्षेत्रों में अनुसंधान कराने और नीति में सुधारों के सुझाव देने, आर्थिक नीति के मामलों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण, समीक्षाएं, टिप्पणियां तैयार करने, और आर्थिक नीति के मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित संसदीय प्रश्नों के बारे में कार्रवाई करने से संबंधित है। यह प्रभाग कृषि मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमतों (एम एस पी) के बारे में कृषि लागत और कीमत आयोग (सी ए सी पी) से प्राप्त होने वाली सिफारिशों की जांच करता है। इसके अलावा, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय के लिए एक नोडल प्रभाग के रूप में, यह प्रभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता कार्य विभाग की स्कीमों की जांच करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग भारतीय मानक कार्यालय, चीनी विकास निधि संबंधी शीर्ष समिति के प्रस्तावों और क्रियाकलापों और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी मुद्दों के संबंध में मानीटरन समितियों की बैठकों में भाग लेता है।

4.5.2 वर्ष 2009-10 के दौरान और दिसम्बर, 2009 के अंत तक, निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किए गए थे:

(i) विभाग ने खाद्यान्नों (खरीफ और रबी), तेलहनों, गन्ने, खोपरा और पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कृषि मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर की।

(ii) विभाग ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के वार्षिक योजना 2009-10 के प्रस्तावों की जांच की।

(iii) ग्यारहवीं योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन और वार्षिक योजना 2009-10 की छमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा।

(iv) प्रभाग ने शासन संबंधी अध्याय का प्रारूप वार्षिक योजना 2008-09 के दस्तावेज में शामिल किए जाने के लिए तैयार किया।

(v) प्रभाग ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता रक्षा के बारे में अध्याय का प्रारूप ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन दस्तावेज में शामिल किए जाने के लिए तैयार किया।

(vi) मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य संबंधी समिति और मंत्रियों के शक्तिप्राप्त समूह के लिए विभिन्न मुद्दों के बारे में विवरण तैयार किए और टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

(vii) इस विभाग से संबंधित विभिन्न तारांकित/अतारांकित संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार किए।

(viii) इस प्रभाग ने सार्वजिनक वितरण के संबंध में, राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की और उनके बारे में संबंधित मंत्रालयों के साथ मिल कर बैठकें आयोजित कीं।

4.6 शिक्षा प्रभाग

4.6.1 शिक्षा प्रभाग, शिक्षा, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा मामलों के क्षेत्र में विकास आयोजना के सभी पहलुओं से संबंधित हैं। तथापि, यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों, जन स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा और चिकित्सीय देखभाल से संबद्ध शिक्षा से संबंधित नहीं हैं।

4.6.2 शिक्षा प्रभाग के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं: (1) शिक्षा के विभिन्न स्तर, जैसेकि पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा, माध्यमिक, विश्वविद्यालय/उच्चतर और तकनीकी शिक्षा और साथ ही (2) विशेष क्षेत्र भी, जैसेकि लड़कियों; अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा। प्रमुख विकास कार्यक्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं: प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, माध्यमिक स्तर पर उत्तम शिक्षा की सर्वसुलभता और उसमें सुधार (सक्सेस) जिसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान (आरएमएसए) शामिल है, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायीकरण, अध्यापक शिक्षक, विज्ञान शिक्षा, शैक्षिक आयोजना, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, छात्रवृत्तियां, भाषा विकास, पुस्तक प्रोन्नयन, पुस्तकालय, युवा सेवा स्कीमें, सांस्कृतिक संस्थान और कार्यकलाप आदि।

4.6.3 2009-10 के दौरान शुरू की गई प्रमुख गतिविधियां 11वीं योजना की मध्यावधि मूल्यांकन से संबंधित रही है, जो योजना आयोग में आयोजित विभिन्न परामर्शी समूहों/उप-समूहों की स्कूली शिक्षा, साक्षरता, उच्च शिक्षा, संस्कृति और युवा मामलों के संबंध में संस्कृति, एचआरडी और युवा मामले और खेल मंत्रालय की सहभागिता पर आधारित थीं।

4.6.4 आलोच्य अवधि के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त, कार्यकलाप योजना स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित थे, यथा, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन), खेलकूद विभाग, युवा कार्य विभाग तथा संस्कृति मंत्रालय की स्कीमों के संबंध में एसएफसी/ईएफसी/सीसीए प्रस्तावों को 'सिद्धांत रूप में' मंजूरी प्रदान करना और उनकी जांच करने का काम जारी रखा गया। चालू वर्ष 2008-09 के तहत इन विभागों द्वारा व्यय की गति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (शिक्षा) की अध्यक्षता में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकें आयोजित की गईं। इन एचपीआर ने प्रगति की गहन समीक्षा की, स्कीमों को कार्यान्वित करने में आने वाली समस्याओं की पहचान की और बेहतर लक्ष्य निर्धारण/निधियों के प्रयोग के लिए उपयुक्त समाधान सुझाए।

4.6.5 वर्ष के दौरान प्रभाग के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), टीईक्यूआईपी तथा एसएसए के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) जैसे संस्थानों द्वारा आयोजित एमडीएमआरएमएसए, आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन की पीएबी बैठकों और मिशन की उपसमितियों जैसे तकनीकी समिति, ड्यू डिलीजेंस कमेटी और टीईक्यूआईपी कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा में भाग लिया।

4.6.6 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के संबंध में, शिक्षा, युवा मामले और खेलकूद तथा संस्कृति के क्षेत्रकों के अंतर्गत आबंटन भी किए गए। इस संदर्भ में, अधिकारियों ने राज्यों के वार्षिक योजना 2009-10

प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकारी समूहों की अनेक बैठकों में भाग लिया।

4.6.7 वर्ष के दौरान शिक्षा प्रभाग ने विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर अनेक पहलें शुरू कीं जिन में निम्नलिखित शामिल हैं-

- प्रभाग के अधिकारियों ने एमएचआरडी के साथ मिलकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर नीति की रूपरेखा तैयार करने संबंधी कार्य में भाग लिया।
- प्रभाग ने बड़े फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे - एसएसए और एमडीएम की प्रगति की प्रस्तुति में भाग लिया।
- प्रभाग ने एसएसए नाम फ्लैगशिप कार्यक्रम की समीक्षा बैठकों में भाग लिया।
- विभाग ने माध्यमिक शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों, मॉडल स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों आदि में बड़ी स्कीमों की जांच की।
- प्रभाग ने उच्चतर शिक्षा में नए कानूनों, मंत्रिमंउल नोट और प्रस्तावों जैसे शैक्षिक न्यायधिकरणों, प्रमाणन नियामक प्राधिकरण, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, चिकित्सा और इंजीनियरी शिक्षा में गलत प्रणालियों पर रोकथाम, विदेशी शिक्षा प्रदाता बिल, ब्रेन गेन नीति और नवप्रवर्त्तन विश्वविद्यालय, केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में संशोधन (प्रवेश के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा वित्त निगम और शांति एवं संधारणीय विकास के लिए महात्मा गांधी शिक्षा एमजीईआईपी की स्थापना, प्रशासनिक सुधार आयोग और उच्चतर शिक्षा के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जीवंत्तर और नवीकरण के लिए सलाहकार समिति (यशपाल समिति) की सिफारिशों की जांच की।
- प्रभाग ने 16 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय न्यू जीईआर जिलों में 374 डिग्री कालेजों, 8 नए आईआईटी (ज), आईआईएसईआरएक (ज) एसपीए (ज) और नए पॉलीटैक्नीज की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल नोट्स की जांच की।
- विभाग उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में पीपीपी संबंधी परामर्श पत्र पर भी कार्य कर रहा है और इस विषय पर विशेषज्ञों से मिलकर श्रृंखलाओं में प्रस्तुतियां आयोजित करता रहा है।
- प्रभाग, योजना समन्वय प्रभाग के साथ मिल कर शिक्षा क्षेत्रक में राष्ट्र को रिपोर्ट के लिए प्रारूप/ फार्मेट को अंतिम रूप दे रहा है।
- प्रभाग ने अनुसंधान अध्ययनों/ मूल्यांकन अध्ययनों के वित्त पोषण के संबंध में एनजीओ (ज) और स्वायत्त निकायों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच भी की है और अनुदान सहायता समिति को मूल्यांकन नोट उपलब्ध कराए हैं।
- शिक्षा प्रभाग संसदीय प्रश्नों को भी देखता है। आश्वासनों, शिक्षा क्षेत्रक से संबंधित मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के लिए टिप्पणियों से संबंधित कार्यों को भी देखता है।
- शिक्षा प्रभाग ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की राज्य विकास रिपोर्टों की भी जांच की है।

युवा कार्य और खेलकूद

4.6.8 भारत युवाओं का राष्ट्र है और यहां 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की प्रतिशतता 70 है। " जन सांख्यिकीय लाभांश " से नए अवसर सामने आएंगे और देश के विकास की दर में तीव्रता आएगी। राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति के सदुपयोग हेतु युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अनेक कार्यक्रम/ स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। अतः 11वीं योजना किशोरों और युवाओं से संबंधित समस्याओं पर ध्यानकेंद्रण करती है।

4.6.9 11वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन हेतु युवा कार्यक्रमों और खेल के लिए एक परामर्शी समूह गठित किया गया है। परामर्शी समूह ने 11वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की है और कार्य नीति की सिफारिश भी की है, जिसे 11वीं योजना के शेष दो वर्षों में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनाया जा सकता है।

4.6.10 सामन उद्देश्यों की कुछ स्कीमों के संयोजना के लिए जैडबीबी कार्रवाई की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय युवा कोर्प्स (एनवाईसी) " नामक केंद्रीय क्षेत्रक की स्कीम तैयार की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्वैच्छिक सेवा स्कीम (एनएसवीएस) और राष्ट्रीय सद्भावना योजना (आरएसवाई) को मिलाने की जांच मंत्रालय द्वारा की गई है। राष्ट्रीय सेवा स्कीम के वित्त यपोषण के तरीके में परिवर्तन और लागत संबंधी मानदंडों को बढ़ाने के लिए ईएफसी प्रस्ताव की जांच की गई। योजना आयोग के शिक्षा प्रभाग के अधिकारियों ने युवाओं और किशोरों के विकास संबंधी समस्याओं के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठक में भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को निचले स्तर पर व्यापक आधार प्रदान करने के लिए ''पीवाईकेकेए'' नामक एक स्कीम मंजूर की गई। पीवाईकेकेए की कार्यकारी समिति की बैठकों में भाग लिया गया जिससे कि ग्रासरूट स्तर पर खेलकूद की आधारिक सुविधाओं के सृजन के वास्ते वित्तीय सहायता के निमित्त उनके प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। सीजी-2010 को सफलतापूर्वक आयोजित करने तथा खेलकूद की आधारिक सुविधाओं को समय पर पूरा करने के लिए अनेक एसएफसी/ईएफसी/मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर विचार किया गया। सीजी-2010 से संबंधित सिविल निर्माण कार्य के निष्पादन/प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। सीजी-2010 के वास्ते अनुमोदित परिव्यय से बढ़कर अतिरिक्त निधियां मांगने के प्रस्तावों की जांच की गई। सीजी-2010 से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति की मासिक आधार पर समीक्षा की गई। केंद्रीय दल में योजना आयोग के एक अधिकारी ने प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने गोवा में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खोलों की खेल सुविधाओं हेतु निधि की जरूरत के मूल्यांकन के लिए गोवा का दौरा किया।

कला एवं संस्कृति

4.6.11 शिक्षा प्रभाग, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये संस्कृति विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम हैं, जिसके मुख्य कार्यकलापों में सम्मिलित हैंः पुरातत्वीय खुदाई, दृश्य तथा साहित्यिक कलाओं का प्रोन्नयन, सामग्री और सामग्री-भिन्न विरासत का परिरक्षण, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और संस्थानों का विकास। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, योजना आयोग अनेक अन्य मंत्रालयों/विभागों के तालमेल से जैसेकि पर्यट न, शिक्षा, कपड़ा और विदेश कार्य, राष्ट्रीय अभिज्ञान से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करता है। भारत की सम्पन्न, शीघ्र खराब होने वाली और शीघ्र खराब न होने वाली ज्ञान की विरासत के रखरखाव और संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है। इस विरासत में सांस्कृतिक गतिविधियां, ढेर सारी विरासत कवरेज में आती है जिन में शामिल हैं- स्मारक, पुरातत्व स्थल, एंथ्रोपोलॉजी और एथनोलॉजी, ग्रामीण और जनजातीय कला, संगीत, नृत्य, नाटक कलाएं प्रदर्शित करना, चित्रकला, ग्राफिक्स एवं साहित्य सहित हस्तकला।

4.6.12 11वीं योजना अवधि के लिए मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) हेतु सांस्कृतिक परामर्शी समूह का गठन किया गया। परामर्शी समूह ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की और कार्य नीति की सिफारिश की जिसे 11वीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शेष दो वर्षों और आगे के लिए भी अपनाया जा सकता है।

4.6.13 योजना अवधि में एसएफसी और ईएफसी प्रस्तावों और मंत्रिमंडल नोट के माध्यम से विभिन्न प्लान स्कीमों की जांच की गई और उन्हें 11वीं योजना में जारी रखने के लिए जांच की।

4.7 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

4.7.1 प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) दिनांक 11.8.2009 से कार्य कर रही है। परिषद की संरचना इस प्रकार हैः-

डा0 सी0 रंगाराजन, पूर्व राज्यपाल, आंध्र प्रदेश	पूर्णकालिक अध्यक्ष, (केबिनेट मंत्री के रैंक में
सुमन के0 बेरी, महा निदेशक, एनसीएईआर	राज्य मंत्री के रैंक में अंशकालिक सदस्य
डा0 सुमित्रा चौधरी, सदस्य, योजना आयोग	-वही-
डा0 एम0 गोविंदा राव निदेशक, एनआईपीएफपी	-वही-
डा0 वी0एस0 व्यास, प्रोफेसर अमैरिटस, अध्ययन विकास संस्थान	-वही-

4.7.2 ईएसी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- प्रधानमंत्री द्वारा इसे भेजे गए किसी मुद्दे का, आर्थिक अथवा अन्यथा, विश्लेषण करना तथा उस पर सलाह देना।
- वृहद आर्थिक महत्व के मुद्दों पर विचार करना तथा उनके संबंध में अपनी राय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना। यह स्वमेव हो सकता है अथवा प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य द्वारा भेजा गया कोई संदर्भ।
- आर्थिक नीति के लिए प्रभावों वाले मुद्दे और वृहद आर्थिक घटनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
- कोई अन्य कार्य करना जैसाकि प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर इच्छा जाहिर की जाए।

4.7.3 प्रशासनिक व्यवस्था प्रबंध तथा बजट

- योजना आयोग, ईएसी के लिए, प्रशासकीय, संभारतंत्रीय, आयोजना तथा बजटीय प्रयोजनार्थ, नोडल एजेंसी है।
- ईएसी के लिए वर्ष 2008-09 के लिए योजना मंत्रालय के अधीन एक अलग बजट आबंटित किया गया है।
- ईएसी ने अपना कार्यालय विज्ञान भवन एनेक्सी के हाल 'ई' में स्थापित किया है। यह अत्यंत अल्प स्टाफ के साथ कार्य कर रहा है। अधिकारी स्तर पर इसका एक पूर्णकालिक सचिव (सरकार के संयुक्त सचिव के दर्जे का), निदेशक के दर्जे का एक अधिकारी तथा एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी है।

किए गए कार्य

4.7.4 विचारार्थ विषयों के अनुसरण में ईएसी ने पीएम/पीएमओ द्वारा भेजे गए अनेक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह दी है। ईएसी द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दिया गया है उनमें ये शामिल हैं: कच्चे कपास के निर्यात पर प्रोत्साहन, तेल कंपनियों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट और मुद्रास्फीति नीति के विकल्प और वस्तु एवं सेवा कर पर रिपोर्ट।

4.7.5 अक्तूबर, 2009 में ईएसी ने इकॉनामिक आउटलुक 2009-10 निकाली है, जिस में विकास परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है।

4.7.6 नोट्स के माध्यम से औपचारिक सलाह देने के अतिरिक्त परिषद के अध्यक्ष ने समय-समय पर महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों के संबंध में प्रधानमंत्री को औपचारिक सलाह भी दी।

4.7.7 परिषद के अध्यक्ष ऊर्जा समन्वय समिति, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति, कृषि समन्वय समिति, आधारिक सुविधाओं संबंधी समिति, विनिर्माण संबंधी समिति, शिक्षा के अधिकार संबंधी समिति तथा मौसम बदलाव संबंधी समिति जो सभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती हैं के सदस्य हैं।

4.7.8 आर्थिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सलाह के संबंध में अपने विचारों को ठोस रूप देने के लिए ईएसी की बैठकें सारे वर्ष नियमित रूप से आयोजित की जाती रही हैं।

4.8 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

4.8.1 सरकार की 13 जून, 2005 की अधिसूचना के तहत निम्न विचारार्थ विषयों के साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की स्थापना की गई:

- 21वीं शताब्दी में ज्ञान चुनौतियों का सामना करने और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ में वृद्धि करने के लिए शैक्षिक पद्धति में उत्कृष्टता का निर्माण करना।
- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगे संस्थानों के प्रबंधन में सुधार करना।
- कृषि और उद्योगों में ज्ञान अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना।
- सरकार को नागरिकों के लिए एक कारगर, पारदर्शी तथा जवाबदेह सेवा प्रदाता बनाने में ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा सार्वजनिक हित को अधिकतम बनाने के लिए ज्ञान की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना।

4.8.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रमुख उद्देश्य एक स्पंदनशील ज्ञान आधारित सोसायटी का निर्माण संभव बनाना है। इसके अंतर्गत विज्ञान पद्धतियों में आमूल सुधार करना और ज्ञान के नए स्वरूप पैदा करने के लिए अवसरों का सृजन करना, दोनों शामिल हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में समाज के सभी वर्गों के बीच अधिकाधिक भागीदारी तथा ज्ञान तक और अधिक समतापूर्ण सुलभता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तदनुसार एनकेसी आगे बताए गए प्रयोजनों, उपयुक्त संस्थानगत तंत्र विकसित करने का प्रयास करता है: (क) शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, घरेलू अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रकों में ज्ञान के प्रयोग को सुविधापूर्ण बनाना; (ख) अभिशासन और संयोज्यता बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना; (ग) वैश्विक स्तर पर ज्ञान प्रणालियों के बीच आदान-प्रदान तथा वैचारिक आदान-प्रदान के लिए तंत्र तैयार करना।

4.8.3 एनकेसी ने 27 विभिन्न पक्षों के बाबत 260 से अधिक सिफारिशें की हैं। जिन विभिन्न पक्षों की बाबत एनकेसी ने अपनी सिफारिशें की हैं उनमें निम्न शामिल हैं:

I. पुस्तकालय; II. अनुवाद; III. स्कूल में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण; IV. एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क; V. पोर्टल; VI. शिक्षा का अधिकार; VII. आईआरएएचईई; VIII. चिकित्सीय शिक्षा; IX. उच्चतर शिक्षा; X. व्यावसायिक शिक्षा; XI. ई-अभिशासन; XII. कानूनी शिक्षा; XIII. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा; XIV. मुक्त शैक्षिक संसाधन; XV. प्रबंध शिक्षा; XVI. स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क; XVII. राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान; XVIII. सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के संबंध में कानूनी तंत्र; XIX. बौद्धिक संपदा अधिकार; XX. परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली; XXI. स्कूली शिक्षा; XXII. प्रतिभाशाली छात्रों को गणित और विज्ञान की ओर आकृष्ट करना; XXIII. नवाचार; XXIV. और अधिक उत्तम पी.एचडी. को आकृष्ट करना; XXV. इंजीनियरी शिक्षा; XXVI. उद्यमशीलता; XXVII. कृषि में ज्ञान का अनुप्रयोग।

4.8.4 यह आयोग 31 मार्च, 2009 को समाप्त कर दिया गया है। एक सेल की स्थापना की गई है जिसे योजना आयोग द्वारा "आयोजना के लिए 50वें वर्ष की पहल" नामक स्कीम के माध्यम से सेवित किया जाएगा जिससे कि एनकेसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके।

4.9 पर्यावरण और वन प्रभाग

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

4.9.1 ई तथा एफ प्रभाग पर्यावरण, वन मंत्रालय तथा वन्य जीवन और मौसम बदलाव से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है।

वन मंत्रालय की निषपादन समीक्षा के उपक्रम के रूप में निम्नलिखित कार्यों का आकलन किया गया।

1. वैटलैंड्स की स्कीम के तहत गठित किये गए विशेषज्ञ समूह ने प्रमुख वैटलैंड्स का दौरा किया और एमओईएफ को वैटलैंड्स के संबंध में सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

2. वन और वैटलैंड स्कीमों पर विशेषज्ञ समूह द्वारा प्राप्त अंतिम रिपोर्टों की जांच की गई।

3. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का दौरा किया ताकि कार्यक्रमों की समीक्षा कर संस्थागत मजबूती प्रदान की जा सके। एक रिपोर्ट भी तैयार की गई और प्रत्येक विभाग को 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से मंजूर करने की सिफारिश की गई।

4. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यक्रमों और वायु एवं जल गुणवत्ता के मॉनीटरण के लिए इसकी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

5. देश में एशियाई शेरों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए एमओईएफ को सुझाव दिया गया है कि 12वीं योजना में " वन्य जीवन पर्यावास का एकीकृत विकास " स्कीम के तहत एक नई उप स्कीम "एशियाई शेर का संरक्षण " शामिल की जाए।

6. अनुसंधान शिक्षा और विस्तारण के क्षेत्र में उत्कृष्ठता को मान्यता देने की दृष्टि से आईसीएफआरई देहरादून के लिए 100 करोड़ रुपए के एक मुश्त अनुदान की सिफारिश की गई।

7. एमओईएफ से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एनआरसीपी और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के लिए वित्त पोषण केन्द्र और सहभागी राज्यों के बीच 90:10 रखने की जांच की गई और 1-4-2009 के बाद एनआरसीपी के अंतर्गत नई परियोजनाओं को मंजूरी के संबंध में इसके लिए सहमति दी गई लेकिन एनएलसीपी के अंतर्गत हिस्सेदारी का तरीका 90:10 प्रत्येक परियोजना के आधार पर ही होगा।

4.9.2 2009-10 के दौरान पर्यावरण, वन और वन्य जीवन क्षेत्रक में निर्णय लेने के लिए ध्यान केंद्रण के सहमति वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं -

1. "वनों की कटाई को रोकने के लिए प्रोत्साहन और वनों के प्रकृति तंत्र के संरक्षण " पर एक पेपर तैयार किया गया और आईपीसी मीटिंग में उस पर विचार विमर्श किया गया तथा 23 मार्च, 2009 को एक कार्यशाला भी आयोजित की गई ताकि राज्यों के पीसीसीएफ के विचारों को प्रकट किया जा सके। 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता आबंटित की गई जो निर्धारित मानदंडों पर आधारितानुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वितरित की जाएगी।

2. राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आबंट न हेतु गार्डगिल फार्मूले में पर्यावरणीय मानदंडों को प्राथमिक बिंदुओं के साथ शामिल करने के लिए एक पेपर तैयार किया गया और 15 जनवरी, 2010 को आयोजित आईपीसी बैठक में उस पर विचार किया गया।

3. राजस्थान में कैला-देव नैशनल पार्क को जल आपूर्ति शुरू करने संबंधी राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा की गई और 44.76 करोड़ रुपए के एसीए पैकेज को जारी करने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई।

4. राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (एनईपीए) की स्थापना पर विमर्श पत्र के विचारों को एमआईएफ को सूचित किया गया।

5. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) की स्थापना की गई और 5 अक्तूबर, 2009 को इसकी पहली बैठक आयोजित की गई। कार्यसूची के कागजात की जांच की गई और विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत की गई। एनजीआरबीए अंतर्गत परियोजनाओं की क्लीरियंस के लिए फास्ट ट्रैक संबंधी अंतिम मंत्रिमंडल के नोट की जांच की गई और सारांश तैयार किए गए।

6. एमओईएफ को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) बिल संबंधी टिप्पणियां भेजी गई।

7. सौर-ऊर्जा मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन और हिमालियन प्राकृतिक तंत्र की संधारणियता के लिए राष्ट्रीय मिशन पर प्रारूप मिशन दस्तावेज संबंधी टिप्पणियां उपाध्यक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत की गई ताकि जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री विचार कर सके।

8. मौसम बीमा एवं पीएसयू में स्वच्छ विकास तंत्र संबंधी अवसरों को संबंधित समितियों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

9. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तत्कालीन सदस्य (ऊर्जा) द्वारा गंगा कार्रवाई योजना में निधि के सदुपयोग पर एक रिपोर्ट तैयार की गई।

10. सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में सांविधिक संपुष्टता पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति की दो बैठकें 18 फरवरी, 2009 और 5 मई, 2009 को आयोजित की गई। सवीपीसीबी द्वारा तैयार एचपीसी रिपोर्ट के प्रारूप की जांच की जा रही है।

11. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) गंगा नदी के अंतर्गत बिहार राज्य के मुंगेर, हाजीपुर, बेगुसराय और बक्सर में प्रदूषण कम करने संबंधी कार्यों के संबंध में प्रस्तुत ईएफसी/ एसएफसी प्रस्तावों की जांच की गई।

12. जलवायु और पर्यावरण के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए तथा जलवायु और पयावरणीय अध्ययन संबंधी राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने के लिए 14-1-2010 को बैठक आयोजित की गई और यह निर्णय लिया गया कि एनआईसीईएस का वित्त पोषण अंतरिक्ष विभाग (इसरो), एमओईएफ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

13. हिमालियन राज्यों के विकास के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना हेतु लोक सभा में किए गए रिजोल्यूशन डिबेट के संबंध में योजना राज्य मंत्री को इनपुट्स दिए गए। इनपुट्स के आधार पर रिजोल्यूशन को वापस लिया गया। उसी विषय पर दूसरा बिल लाने पर विचार किया जा रहा है।

14. अंकलेश्वर, गुजरात के टीएसडीएफ और वडोदरा में एसएचआरआई सुविधा के लिए वहां का दौरा करने के बाद 12वीं योजना अवधि में सलज हाईजिनेशन रिसर्च इरेडियेशन (एसएचआरआरई) पर और अनुसंधान एवं विकास के लिए खतरनाक उत्सर्जन के निपटान हेतु 50 ट्रीटमैंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसीलिटीज (टीएसडीएफ) स्थापित करना।

4.9.3 मंत्रालय द्वारा प्रभाग को निम्नलिखित प्रस्तुत नई स्कीमों में से निम्न को सहमति प्रदान की गईः -

1. 80 करोड़ रुपए की लागत पर एमओईएफ के नए भवन के निर्माण हेतु एमओईएफ को अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. विश्व सहायता परियोजना घटक "भारतीय तट के साथ तटीय क्षेत्रों/ मैपिंग के साथ असुरक्षित रेखा का डिमार्केशन और हैजार्ड लाइन का डैलिनिएशन " को 125 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्थापित करने के लिए डीएसटी और एमओईएफ के बीच एमओयू निष्पादित करना।

3. जम्मू कश्मीर में डल लेक में निवास करने वालों के पुनर्स्थापन के लिए सैद्धांतिक रूप में 356 करोड़ रुपए प्रदान करने की संपुष्टि की गई ताकि राज्य क्षेत्रक की स्कीम के रूप में वित्त पोषण के साथ इसका कार्यान्वयन किया जा सके।

4. गंगटोक में रैंचू नदी के लिए एनआरसीपी/ एनएलसीपी के तहत और जेआईसीए सहायता प्राप्त गंगा कार्रवाई योजना फेज-2 परियोजना में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, नागालैंड की मोकोकचंग झील और गोरखपुर में रामगढ़ झील पर प्रदूषण करने संबंधी कार्यों के लिए राज्यों द्वारा ईएफसी/ एसएफसी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

5. केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "ग्राम/ पंचायत वन योजना " जिसका उद्देश्य 2.2 लाख ग्राम पंचायातों की 50 हेक्टैयर भूमि पर वन लगाने का लक्ष्य है ताकि वन क्षेत्र के बाहर एफटीसी को बढ़ाया जा सके। (एनएपी की तरह नहीं) के लिए एमओईएफ द्वारा ईएफसी प्रस्तुत ज्ञान की जांच की गई और

एमओईएफ की टिप्पणियां भेजी गईं। प्रस्ताव के संबंध में ईएफसी बैठक में भाग लिया और टि प्पणियों को दोहराया गया।

6. बाघ आरक्षण की पहलों के लिए एमएसएनटीसीए के वर्तमान पद जेजीएफ/ जेएम रैंक को अतिरिक्त पीसीसीएफ के पद पर क्रमोन्नत करने और ग्रेड वेतन रूपये 10,000 से रूपये 12,000 बढ़ाने के लिए भेजे गए मंत्रिमंडल नोट की जांच की और सहमति प्रदान की गई।

7. भूटान और मालदीव में सार्क वनीकरण और पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए के आबंटन हेतु एमओईएफ से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की और योजना परिव्यय में से 4 करोड़ रुपए का प्रावधान एमओईएफ के लिए पहले ही कर दिया गया था और वार्षिक योजना 2010-11 के लिए शेष 6 करोड़ रुपए के प्रावधान हेतु सहमति दी गई।

8. देश में प्रभावी बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु एमओईएफ, राज्य सरकार और टाइगर रिजर्व प्रबंधन के बीच त्रिपक्षीय एमओयू के ड्राफ्ट की जांच की और उसे सहमति प्रदान की गई।

4.9.4 विचाराधीन प्रस्ताव जिन्हें सहमति नहीं दी जा सकीः-

1. क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण के लिए वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्लयूसीसीबी) से प्राप्त प्रस्ताव जो परिव्यय बढ़ाने के लिए था, पर सहमति दी गईऔर डब्ल्यूसीसीबी के स्टाफ के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का मामला विचाराधीन है।

2. कॉमन एफलयूएंट ट्रीटमैंट प्लांट (सीईटीएफ) के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता हेतु तिरूपुर डायर्स एसोसिएशन के प्रस्ताव पर जो कि ई एंड एफ प्रभाग डब्ल्यूआर प्रभाग द्वारा भेजा गया था का समर्थन नहीं किया जा सका।

4.9.5 प्रभाग द्वारा निम्नलिखित के लिए सहमति प्रदान कर दी गईः-

1. एमओईएफ की 11वीं योजना के एमटीए के भाग के रूप में परामर्शी समूहों की 2 बैठकें और एक कार्यशाला आयोजित की गई। एमटीए अध्याय को अंतिम रूप दिया गया और पीसी प्रभाग को उसकी सिफारिश की गई। मॉनीटरण योग्य लक्ष्यों की प्राप्ति, सीओई (ज) की समीक्षा, ईएनवीआईएस केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और वन क्षेत्रक पर विशेष जोर दिया गया।

2. वार्षिक योजना 2010-11 संबंधी परिव्यय के लिए एमओईएफ के कार्यक्रमों पर स्कीमवार विचार विर्मा किया गया और स्कीमें की उपलब्धियों के आधार पर उपयुक्त परिव्यय की सिफारिश की गई।द्य

3. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की 2009-10 की वार्षिक योजना के लिए डब्ल्यूजी बैठकें आयोजित की गई और सिफारिशें प्रस्तुत की गई। वार्षिक योजना संबंधी विमर्शों के लिए राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्लान प्रस्तावों में प्रस्ताव प्रदर्शित करने की सलाह दी गई और पर्यावरण शीर्ष के अंतर्गत विनियमन और प्रकृति तंत्र के लिए अनुपालन सहित प्रदूषण को कम करने के लिए बजट प्रावधान करने को कहा गया, ताकि वनीकरण और वन्य जीव को अलग-अलग रूप में देखा जा सके।

4.9.6 सम्पन्न कार्यों की अन्य मदें -

1. ईएफ और जलवायु परिवर्तन का मामला अद्यतन किया गया और आर्थिक संपादक सम्मेलन 2009 के लिए इसे पीसी प्रभाग को भेज दिया गया।

2. वार्षिक योजना 2009-10 के दस्तावेजों के पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन एवं अध्याय-1 जो समावेशी विकास पर है प्रस्तुत किया गया।

3. ध्यान केंद्रण वाले क्षेत्रों की पहचान की गई और 2009-10 और 2010-11 के लिए अनुसंधान अध्ययन पूरा करने की सिफारिश एसईआर प्रभाग को की गई।

4. नागालैंड और मेघालय की एसडीआर पर टिप्पणियां एसपी प्रभाग को भेजी गई।

5. प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उद्योग प्रभाग का सीओएस नोट के प्रारूप की जांच की गई और टिप्पणियां प्रस्तुत की गई।

4.10 वित्तीय संसाधन प्रभाग

4.10.1 राज्यों और केन्द्र के वित्तीय संसाधनों का आकलन आयोजना प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग है। योजना तैयार करते समय संसाधनों की उपलब्धता का गहन मूल्यांकन किया जाता है, संस्थानगत तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, संसाधन जुटाने की पिछली प्रवृत्ति पर विचार किया जाता है। केन्द्र और राज्यों--दोनों की वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना के आकार पर निर्णय लेते समय अवशोषी क्षमता का अध्ययन करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

4.10.2 केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के वित्तीय संसाधनों का आकलन करने में, सकल बजटीय समर्थन के स्तर पर कामकाज करना और सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आईईबीआर) का मूल्यांकन करना शामिल है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना के कुल संसाधनों के अंतर्गत राज्यों के अपने संसाधन (जिनमें उधार शामिल है) तथा केन्द्रीय सहायता सम्मिलित हैं। वित्तीय संसाधन प्रभाग केन्द्रीय योजना के लिए और साथ ही राज्य संघशासित योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

4.10.3 समीक्षा अधीन अवधि में सभी राज्यों और विधान सभाओं से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2009-10 के केंद्र और संघ शासित क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन किया। वार्षिक योजना 2009-10 तैयार करते समय, वार्षिक योजना 2008-09 के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया।

वार्षिक योजना 2009-10 : केन्द्र और राज्य

4.10.4 2009-10 के लिए केंद्र के वार्षिक योजना परिव्यय के लिए 447921 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। केंद्रीय योजना का वित्त पोषण संबंधी तरीका तालिका 4.10.1 में दर्शाया गया है। सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 305413.68 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान में 300634.61 करोड़ रुपए के संसाधनों का प्रावधान किया गया। वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 346622.90 करोड़ रुपए के संसाधन अनुमोदित किए गए। योजना के वित्त पोषण की संरचना तालिका 4.10.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.10.1

केन्द्र की वार्षिक योजना के लिए जीबीएस के वित्तपोषण की स्कीम

रुपए करोड़ में

क्रम संख्या		2008-09 बीइ	2008-09 आरई	2008-09 अनंतिम	2009-10 बीई
1	चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	104781	-43365	-55453	-61297
1क	विदेशी अनुदान	1795	2748	2794	2136
2	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से शेष	3523	-2941	-2005	-16686
3	राजकोषीय घाटा	133287	326515	330114	400996
4	योजना के लिए सकल बजट सहायता (1+1क+2+3)	243386	282957	275450	325149
5	राज्यों और संघशासित क्षेत्र की योजनाओं के लिए सहायता	63432	78829	77098	85309
(कुल जीबीएस में % हिस्सा)			26.1	27.9	28.0
6	केन्द्रीय योजना के लिए बजट सहायता (4-5)	179954	204128	198352	239840
(कुल जीबीएस में ऽ हिस्सा)			73.9	72.1	72.0
7	सीपीएसई का आईईबीआर	195531	183950	एनए	208081
8	केन्द्रीय योजना परिव्यय (6ञ7)	375485	388078	एनए	447921

तालिका 4.10.2

राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के कुल योजना संसाधन

(रुपए करोड़ में)

वित्तपोषण के स्त्रोत	2008-09		2009-10
	एपी	आरई/एलई	एपी
राज्य के अपने संसाधन।	2,39,281.82	2,33,556.45	2,59,930.32
(% हिस्सा)	(78.3)	(77.7)	(75.0)
केन्द्रीय सहायता	66,131.86	67,078.16	86,692.58
(% हिस्सा)	(21.7)	(22.3)	(25.0)
कुल संसाधन	3,05,413.68	3,00,634.61	3,46,622.90

*पीएसई और स्थानीय निकायों के आईईबीआर सहित

वार्षिक योजना 2010-11:

4.10.5 वार्षिक योजना 2010-11 के लिए वित्तीय संसाधन अनुमानों संबंधी सरकारी क्षेत्र की चर्चाएं 30 नवंबर, 2009 से शुरू की जा चुकी हैं। योजना आयोग ने राज्यों की वार्षिक योजना 2010-11 के संबंध में अनुसूचि के अनुसार चर्चाएं शुरू कर दी हैं, जो जनवरी, 2010 तक पूरी कर ली जाएगी।

रिपोर्टें, समीक्षा टिप्पणियां तथा अन्य क्रियाकलाप

- 2010-11 के केन्द्रीय बजट में शामिल किए जाने के लिए केन्द्र, राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2010-11 के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) को अंतिम रूप देना।

- राज्यों की वित्तीय स्थिति तथा वार्षिक योजना 2010-11 के लिए योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच बैठकों के वास्ते योजना वित्तपोषण पर टिप्पणियां तैयार करना।

- आर्थिक सर्वेक्षण तथा भारत के रिजर्व बैंक में शामिल किए जाने के लिए राज्यों की वित्तीय स्थिति तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक सर्वेक्षण में समावेश हेतु) के प्रयोग के वास्ते योजना वित्तपोषण के संबंध में टिप्पणियां तैयार करना।

- बजट-पूर्व चर्चाओं में भाग लेने के लिए योजना आयोग में क्रियाकलापों का समन्वय करना।

4.11 स्वास्थ्य, आयुष, परिवार कल्याण और पोषण

4.11.1 यह एक मान्य कहावत है कि किसी भी राष्ट का स्वास्थ्य विकास का एक अनिवार्य घटक होता है, राष्ट्र की आर्थिक उन्नति और आंतरिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनसाधारण के लिए भौतिक, शारीरिक और दिमागी स्वास्थ्य देखभाल की न्यूनतम आवश्यकता है, देश की समाजार्थिक व्यवस्था कुछ भी क्यों न हो। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मुख्य ध्यान विकास नीतियों के मुख्य तत्व हैं - स्वास्थ्य की बेहतरीन सुलभता और उसका सदुपयोग, परिवार कल्याण और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराना।

4.11.2 देश को स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती हुई लागतों और लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं से निपटना है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती को तात्कालिक आधार पर पूरा किया जाना है। समस्या के परिमाण को देखते हुए हमें सरकारी स्वास्थ्य देखभाल को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक जवाबदेह, सुलभ और उत्तम सेवाओं की वहनीय प्रणाली के रूप में बदलना है।

4.11.3 स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण प्रभाग की निम्नलिखित जिम्मेवारी है -

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) नामक अग्रणी कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण, आयुष तथा पोषण से संबंधित नीति और कार्यनीति मार्गनिर्देश तैयार करना।

- स्वास्थ्य क्षेत्रक में अर्थात जानपदिकरोगवैज्ञानिक, जनांकिकीय, सामाजिक और प्रबंधकीय चुनौतियों में बदलती प्रवृत्तियों का मानीटरन।
- राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रक--दोनों में चालू नीतियों, कार्यनीतियों और कार्यक्रमों की जांच करना और उपयुक्त फेर-बदलों और मध्य मार्ग में किए जाने वाले संशोधनों के सुझाव देना।
- सेवाओं की कार्यकुशलता और गुणवत्ता में सुधार के तरीकों के सुझाव देना।
- जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने/तथा त्वरित जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए जरूरी बुनियादी, नैदानिक तथा प्रचालनात्मक अनुसंधान के लिए प्राथमिकताएं तैयार करना।
- अंतर्क्षेत्रकीय मुद्दों की जांच करना और सेवाओं के अभिसरण के लिए उपयुक्त नीतियां विकसित करना ताकि जनता इस समय चालू कार्यक्रमों से इष्टतम लाभ उठा सके।
- इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक के लिए अल्पकालिक, मध्यावधिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और लक्ष्य तय करना।
- यह प्रभाग निम्न में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:

  i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न समितियां।

  ii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित ईएफसी/एसएफसी।

  iii भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया आदि के वैज्ञानिक सलाहकार दल आदि।

- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण संसाधनों जिनमें अपेक्षित जनशक्ति और सामग्री, शुरू किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्माण और उपकरण के मानक तथा चिकित्सीय अनुसंधान का विकास आदि शामिल है, से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के संबंध में योजना आयोग को सलाह देने के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ पैनलों का गठन किया जाता है।

वार्षिक योजना पर चर्चाएं

4.11.4 प्रभाग ने वार्षिक योजना 2010-11 के लिए अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केसाथ व्यापक विमर्श किए। चर्चा में स्कीमें/ कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सूचकों, स्वास्थ्य अवसंरचना, मानव संसाधन महत्वपूर्ण लक्ष्यों/ उद्देश्यों आदि की समीक्षा पर ध्यान केंद्रण किया गया। सामान्य जनों को परिष्कृत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्रक में प्रतिवर्ष कम से कम 10% की वृद्धि के लिए परिव्ययों में वृद्धि के लिए राज्यों की वचनबद्धता के लिए उन्हें अनुस्मारक दिया गया। 2010-11 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के योजना परिव्ययों में युक्तिसंगत वृद्धि की गई।

4.11.5 समीक्षा अधीन वर्ष के दौरान चालू रही गतिविधि प्लान स्कीमों जैसे - सैद्धांतिक अनुमोदन देना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभाग की स्कीमों के संबंध में ईएफसी/ एसएफसी/ सीसीईए प्रस्तावों की जांच के बारे में रही।

4.11.6 योजना आयोग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव निम्नलिखित हैं

सैद्धांतिक अनुमोदन

- 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्लान बजट में देश

में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए मेडी-पार्क कर विकास।

- 500 करोड़ रुपए की विशेष निधि में से वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान राशि जारी करने के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई।
- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य शिक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) फेज-2 के तहत बी0डी0 शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का क्रमोन्नयन।
- चेन्नै के पास चेंगलपट्टू में एकीकृत वैक्सीन परिसर (आईवीसी) की स्थापना

एसएफसी प्रस्ताव

- 11वीं योजना के अंत तक परियोजना के विस्तारण के लिए परम्परागत ज्ञान की डिजीटल लाइब्रेरी।
- हरियाणा के झज्जर के बादशाह गांव में एम्स परिसर-2 के लिए आउटरीच ओपीडी का निर्माण - एम्स।
- अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्र (एआईआईपीएमआर) मुम्बई में सुविधाओं का विकास और पदों का सृजन ताकि वहां शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के लिए सरकार में 27% सीटों के आरक्षण संबंधी सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन किया जा सके।
- त्रिपुरा के अगरतल्ला में कैंसर अस्पतला का क्रमोन्नयन।
- राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर में ओबीसी अभ्यार्थियों के आरक्षण के लिए जरूरत के अनुसार अवसंरचना में बढ़ोतरी करना।
- राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अवसंरचना में वृद्धि और पदों का सजृन।
- न्यूरौसाईंस के विकसित केन्द्र के लिए 'निमहान्स' में अवसंरचना का विकास।

(i) सैंटर ऑफ मोलिक्यूलर बॉयलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स (ii) सैंटर फॉर स्टैम सैल (iii) सैंटर फॉर क्लिनिकल रिसर्च एवंड कोगनिटिव न्यूरोसाईंस।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ओबीसी आरक्षण नीति का कार्यान्वयन।

ईएफसी प्रस्ताव

- मधुमेय, कार्डियो - वसकुलर बीमारियों और स्ट्रॉक से बचाव और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- जीएफएटीएम - आरसीसी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में संशोधित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) का कार्यान्वयन।
- एम्स के समकक्ष छह संस्थान स्थापित करने और पीएमएसएसवआई फेज-1 में विभिन्न राज्यों में 13 सरकारी महाविद्यालयों संस्थानों को क्रमोन्नत करना।
- केंद्रीय वित्त पोषण के माध्यम से राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण और क्रमोन्नयन का प्रस्ताव।
- भारतीय दवाई, आयुष विभाग के लिए फार्माकोपोइया आयोग की स्थापना का प्रस्ताव।
- आयुष विभाग के अंतर्गत भारतीय दवा प्रणाली (सीआईसीआईएसएम) अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए परिषद का गठन।
- भारत सरकार द्वारा गर्भनिरोधक की विशिष्ट विपणन स्कीम के तहत ओरल गर्भ निरोधक गोलियों की बिक्री के विपणन संगठनों को बिक्री बढ़ाने संबंधी प्रोत्साहनों का भुगतान जारी रखना।

- अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई - मास्टर प्लान अवसंरचना विकास।
- एकीकृत परामर्श की अपस्केलिंग की रोलिंग कांस्टीट्यूशन चैनल प्रोजैक्ट हेतु वैश्विक निधि पुरस्कार हेतु प्रयास, पीपीटीसीटी का परीक्षण एवं रैफर करना जो भारत में एचआईवी के साथ रह रहे लोगों के लिए सहयोग देकर ईलाज कर सके।
- राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय संक्रामक बीमारी संस्थान (एनआईसीडी) को राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) दिल्ली के बराबर क्रमोन्नत करना।

मंत्रिमंडल नोट

- मानव अंगों का ट्रांसप्लान्टेशन अधिनियम, 1990-1999 में संशोधन।
- स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य एवं स्वांडा गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का अनुमोदन।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सात स्वायत्त चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के संकाय सदस्यों के वेतनमानों में संशोधन।
- स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य एवं बुलगारिया गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का अनुमोदन।
- संशोधित/ परिष्कृत पद्धति के अनुसार नर्सिंग सेवाओं के विकास के लिए मौजूदा केंद्रीय क्षेत्रक की स्कीमों को जारी रखने के लिए प्रस्ताव।
- एचआईवी/ एड्स और कार्य की दुनिया पर राष्ट्रीय नीति।
- आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (एएसयू) भेषजों के लिए फार्माकोपिअल स्टैंडर्ड के विकास के लिए भारतीय दवा फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना।
- पायलैट परियोजना आधार पर 2009-10 के दौरान किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रमों को जारी रखना।
- देश में रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाओं को परिष्कृत करने के लिए राष्ट्रीय रक्त ट्रासफ्यूजन प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव।
- वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के लिए पोलियो उन्मूलन रणनीति का कार्यान्वयन।
- प्लाज्मा फ्रकशनेशन सैंटर स्थापित करना।
- आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी (आयुष) अस्पतालों और औषधालयों तथा एनआरएचएम के तहत आयुष को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में संशोधन।
- सेवा - रिग्पा को मान्यता, भारतीय दवा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में संशोधन।
- केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) - प्रमाणित पत्रकारों के लिए अंशदान की दर और शर्तें निर्धारित करना।
- जिला स्वास्थ्य सेवा परियोजना तैयार करने के लिए एसएजी स्तर के पद (परियोजना निदेशक) का सृजन करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण।
- एवियन एनफल्यूएंजा के नियंत्रण और रोकथाम के लिए रणनीति की तैयारी हेतु सचिवों की समिति।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

- भेषज और कॉस्मेटिक्स (संशोधन) बिल, 2009 में संशोधन, यह राज्य सभा में लंबित है।

- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) एनआरएचएम की संस्थागत रूपरेखा का प्रचालन। प्राधिकृत कार्यक्रम समिति एवं एनआरएचएम के मिशन स्टीयरिंग समूह के निर्णय।
- केंद्रीय प्रापण एजेंसी सीपीए की स्थापना।
- केंद्रीय आयुर्वेद, सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्लीको विभाजित कर के सिद्ध में केंद्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना।
- एड्स, टीबी, मलेरिया के लिए वैश्विक निधि, रोलिंग सतत् चैनल, संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम सहायता प्रदत्त परियोजना।

बैठकें

- एनआरएचएम के अंतर्गत आयुष को मुख्य धारा में लाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 8 मई, 2009 को एक बैठक का आयोजन किया गया।
- प्रो0 अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 25-9-2009 को राजीव आरोग्य सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के संयुक्त मूल्यांकन अध्ययन हेतु एक बैठक आयोजित की गई।
- डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 29.9.2009 को एमटीए की बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नाको के अधिकारियों के साथ हुई।
- डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 29.9.2009 को एमटीए की बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अधिकारियों के साथ हुई।
- डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8.10.2009 को एमटीए की बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवों के साथ आयोजित की गई।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पोषण क्षेत्रक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के एमटीए परामर्श के लिए विशेषों/ शिक्षाविदों/एनजीओ (ज) दिनांक 8.10.2009 को डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 14.10.2009 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आयोजित हुई।
- डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 15.10.2009 को आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आयोजित हुई।
- भारत की पौषण चुनौतियों पर प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 17-11-2009 को उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

चुनौतियां

- सामान्य रूप से तैयार खाद्य की दस्तावेजी स्वास्थ्य जोखिमों पर 30-1-2009 को एक प्रस्तुति जैफ्रे एमस्मिथ द्वारा रखी गई।
- डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य), योजना आयोग की अध्यक्षता में 18 मार्च, 2009 को भारत में डैंटल मैनपावर के सर्वेक्षण संबंधी

प्रस्ताव पर डॉ0 अनिल कोहली, अध्यक्ष, डैंटल काउनसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुति रखी गई।

- 13 मई, 2009 को डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य सहयोग द्वारा फेलिसीपरम मलेरिया में रिविजिटिंग मुद्दोंपर प्रस्तुति रखी गई।

- 21.7.2009 को आंध्र प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक प्रस्तुति आंध्र प्रदेश की सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम राजीव आरोग्यश्री के बारे में दी गई, जिसकी संयुक्त अध्यक्षता प्रो0 अभिजीत सेन और डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य, योजना आयोग द्वारा की गई। दिनांक 23.7.2009 को उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में राष्ट ्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक प्रस्तुति दी गई।

- पोषण पर कंडीशन कैश ट्रांसफर कार्यक्रम के प्रभाव पर एक प्रस्तुति डॉ0 मेरी रूउल निदेशक, आईएफपीआरआई, नई दिल्ली द्वारा डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) द्वारा दिनांक 13.10.2009 को रखी गई।

- डॉ0 निरूपम वाजपेयी, वरिष्ठ विकास सलाहकार एवं निदेशक दक्षिण एशियाई कार्यक्रम, द्वारा एक प्रस्तुति रखी गई दिनांक 7-12-2009 को डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कोलम्बिया विश्वविद्यालय के पृथ्वी संस्थान पर रखी गई।

- डॉ0 मदमावैंकट, संयुक्त निदेशक (एफआरएलएचट ी) द्वारा आयुष ज्ञान प्रणाली के आधार पर संक्रमण और डायरिया से बचाव पर जल शुद्धिकरण प्रणाली पर प्रस्तुति दिनांक 9.12.2009 को रखी गई जिसकी संयुक्त अध्यक्षता डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, और डॉ0 के कस्तूरी रंगन, सदस्य, योजना आयोग द्वारा की गई।

- दाई परम्परा के महत्व पर जीव परियोजना पर एक प्रस्तुति डॉ0 मीरा सदगोपाल द्वारा दिनांक 30-12-2009 को डॉ0 (श्रीमति) सैय्यद हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य), सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में रखी।

11वीं पंचवर्षीय योजना

4.11.7 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र, व्यापक आधार एवं यसमावेशी विकास के न्यू विजन को ध्यान में रखते हुए नीतियों की पुनर्संरचना हेतु नया अवसर प्रदान करती है। स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों की कमी को मद्देनजर रखते हुए कमजोर अभिशमन और प्रबंधन योजना के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं, जिनके लिए सामुदायिक अभिमुख प्रणालियां लागू करनी होंगी, ताकि गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख की सुलभता सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य सुलभ क्षेत्रों और समुदायों में औषधालयों को कम करते हुए वाजिब स्वास्थ्य देखरेख पोषणयुक्त भोजन की सुलभता कर चुनौती होगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्रक हेतु व्यापक अवधारणा की संकल्पना की गई, जिसमें वैयक्तिक स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्यपरक ज्ञान एवं भोजन तथा फीडिंग प्रणालियों को व्याप्ति में लिया गया है। 11वीं योजना में वचनबद्धता है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे - किशोरियां, सभी आयु की महिलाएं तीन वर्ष से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जनजातीय समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी नागरिकों के अधिकार के रूप में स्वास्थ्य का विकास जैंडर समानता को विशेष चिंता के दायरे में रखा गया।

11वीं पंचवर्षीय योजना(स्वास्थ्य क्षेत्रक) के लिए समयबद्ध लक्ष्य

- मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे 1 तक लाना।

- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे 28 तक लाना।

- समग्र जनन क्षमता दर घटकार 2.1 तक लाना।
- 2009 तक सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और इसमें किसी भी तरह का पिछड़ापन न होने देना सुनिश्चित करना।
- 0-3 आयुवर्ग के बच्चों के बीच कुपोषण की दर मौजूदा स्तर से घटाकर आधी करना।
- महिलाओं और लड़कियों के बीच अरक्तता में 50 प्रतिशत की कमी लाना।
- 0-6 आयुवर्ग के लिए लैंगिक अनुपात 2011-12 तक बढ़ाकर 935 और 2016-17 तक 950 तक लाना।

4.11.8 वचनबद्धताओं की समीक्षा और 11वीं योजना में हुई प्रगति के संतुलित मूल्यांकन के अतिरिक्त क्षेत्रकीय आंकड़ों के विश्लेषण, कार्यालयीय दस्तावेजों और अन्य रिपोर्टों की समीक्षा, फील्ड में विशेषज्ञों, कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों के नोडल विभागों और विषम को देखने वाले राज्य सरकारा के संबंधित विभागों से परामर्श करने के लिए निर्णय लिया गया कि " फील्ड की आवाजों को सुनो " जो कि मध्यावधि मूल्यांकन का एक भाग होगा। तदनुसार योजना निष्पादन में कमियों के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके कारणों का पता लगा कर मध्यावधि सुधार योजना के कार्यान्वयन में जरूरत के अनुसार किए जाएंगे और उसके लिए नीति उपायों/ योजना रणनीतियों में सुधार किए जाएंगे और स्वास्थ्य क्षेत्रक में प्राथमिकताओं की भी पहचान की जाएगी।

4.11.9 समाज में स्वास्थ्य खोजने वाले व्यावहारिक रूख सुझाते हैं कि दवाइयों की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए बढ़ती हुई चेष्टाएं की जा रही हैं। शल्य चिकित्सा संवेदनशील परिस्थिति और आकस्मिकता के लिए आधुनिक दवाइयां ही पहली पसंद रहती है। सामान्य और लम्बे समय से चली आ रही बीमारियों के लिए आयुष को कुछ प्राथमिकता दी जाती है। 11वीं योजना के लिए आयुष को मुख्य धारा में लाने की रणनीति अपनाई जा रही है।

4.11.10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) अन्य प्रयास है, जो संगठित क्षेत्रकों में बीपीएल घरों को स्वास्थ्य शौक जिन्हें अस्पताल में भर्ती होना शामिल है, को वित्तीय देनदारियों से मुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

4.11.11 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा दर्शाती है कि इसने अपने चतुर्थ वर्ष में एनआरएचएम ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में सुधार लाने की प्रक्रिया में सुधारों को गति प्रदान कर दी है। फिर भी, निचले स्तरों पर तीव्र गति के साथ स्थिति में तीव्र परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सुधारों में चहुंमुखी सुधार करने होंगके जिस में जैनेरिक ड्रग्स, कम लागत की परम्परागत प्रौद्योगिकी, आरएमपी (ज) की सहभागिता, वित्त पोषण की समानता, लागत की हिस्सेदारी/ वसूली, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, जोखिम की भागीदारी निष्पादन आधारित वित्त पोषण, सरकार को पॉकिट खर्च से बाहर पर नियंत्रण करना होगा, विशेष रूप से गरीबों के लिए और स्वास्थ्य देखरेख कोललागति को नियंत्रण में रखना होगा। 30.11.2009 की स्थिति दर्शाती हैः-

- 7.36 लाख प्राधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा (ज) का चयन किया गया, 5.58 लाख रूपये आशा (ज) प्रशिक्षण का चौथा मॉड्यूल पूरा कर चुके हैं और लगभग 1.67 लाख आशा (ज) 5 मॉड्यूल पूरा कर चुके हैं। 2008 तक 6 लाख पूरी तरह प्रशिक्षित आशा (ज) के लक्ष्य के मुकाबले 4.95 लाख आशा (ज) ड्रग किट उपलब्ध करा दिए गए हैं। पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित आशा (ज) की 72% कमी देखी गई है।
- 2008 तक 6 लाख वीएचएससी (ज) के लक्ष्य के मुकाबले 4.42 लाख ग्रामीण स्वास्थ्य एवं साफ सफाई समितियां (वीएचएससी (ज) गठित की जा चुकी हैं।
- 2009 तक तीन स्टाफ नर्स के साथ 18000 पीएचसी (ज) के लक्ष्य के मुकाबले 8326 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी(ज) 24X7 आधार पर कार्य कर रहे हैं और 6588 पीएचसी (ज) के पास 3 स्टाफ नर्स हैं।

- 3610 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी(ज) 24X7 आधार पर कार्य कर रहे हैं। फिर भी, 2009 तक लक्षित 3250 सीएचसी (ज) के सुदृढ़ीकरण/ स्थापना, जिनके पास 7 विशेषज्ञ और 9 स्टाफ नर्स हों की कोई सूचना नहीं है।

- कुल 578 जिला अस्पतालों (डीएच) में से 517 को प्रथम संदर्भ एकक के रूप में कार्य के लिए सुदृढ़ बना दिया गया है।

- 2009 तक 37100 आरकेएस के मुकाबले पीएचसी/ सीएचसी/ डीएच स्तर पर 21,358 रोगी कल्याण समितियां/अस्पताल विकास समितियां गठित कर ली गई हैं।

- राज्य स्तर पर पश्चिम बंगाल को छोड़कर राज्य और जिला समितियां कार्यरत हैं। क्रमशः 577 और 575 जिलों में जिला कार्यक्रम प्रबंधक/ जिला लेखा प्रबंधक तैनात कर दिए गए हैं।

- 2009 तक लक्षित 600 एमएमयू (ज) के मुकाबले 343 भ्रमणीय चिकित्सा एकक (एमएमयू) प्रत्येक जिले में प्रचालित हैं। इसके अलावा, असम और पश्चिम बंगाल में बोट क्लिनिक आपात कालीन प्रणाली है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, असम और राजस्थान में जीपीएस समर्थित एमएमयू (ज) गुजरात में कार्यरत हैं।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

4.11.12पीएमएसएसवाई फेज-1 के तहत छह एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना और 13 राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों को क्रमोन्नत करने का विचार किया गया था, न्यू एम्स जैसे संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतताल परिसरों के निर्माण और आवासीयपरिसरों के निर्माण को अलग कार्य के रूप में लिया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पताल परिसरों के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। संशोधित लागत अनुमानों के आधार पर राज्य परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 13 राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों के क्रमोन्नयन की प्रगति बेहतरीन है। क्योंकि 6 राज्य सरकार चिकित्सा कालेज संस्थानों को दिसम्बर के अंत तक पूरा करने का विचार किया गया था, 5 को 2010 तक और शेष दो को 2011 तक। 5 फरवरी, 2009 को 2 न्यू एम्स जैसे संस्थान 6 राज्य सरकार चिकित्साम महाविद्यालय संस्थानों एम्स के स्तर तक क्रमोन्नत करने का निर्णय भी पीएमएसएवाई के फेज-2 में पूरा करने का था।

आयुष

4.11.132009-10 के दौरान देश में आयुष औषधालयों और अस्पतालों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने, शिक्षा सुधारों, शिक्षा संस्थानों के सुदृढ़िकरण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य फार्माकोपियल स्टैडर्डस की स्थापना, आयुष प्रणालियों की मजबूती और सीमाओं के बारे में सार्वेजनिक जागृति का सृजन (राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से) विभिन्न जैव भौगोलिक और कृषि जलवायु प्रदेशामें में दवाइयों के पौधों की खेती और उनके संरक्षण के कार्यनीतिक हस्तक्षेप, आयुष अनुसंधान परिषदों का सुदृढ़ीकरण, अखिल भारतीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित प्रदर्शन परियोजनाएं क) आयुष एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य ख) आयुष इन्फार्मेटिक्स ग) मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स का कैटोलोगिंग और डिजिट इजेशन घ) समुदाय आध्शारित स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं आदि को जीवंत बनाना आदि प्रमुख ध्यान केंद्रण के क्षेत्र होंगे।

किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम

4.11.142002-03 के दौरान 51 जिलों में पायलैट आधार पर किशोरियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2005-06 से यह कार्यक्रम महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है और इसे 2009-10 में भी कार्यान्वित किया गया।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पोषण घटक

4.11.15एकीकृत बाल विकास स्कीम, जो तीन दशकों से चल रही है का ध्येय था कि बाल और मातृ कुपोषण की समस्या का समाधान किया जाए। दशक के दौरान बाल कुपोषण काफी हद तक घट गया है तथा महिलाओं

और बच्चों में रक्तहीनता के मामलों में भी वृद्धि हुई है और 1990 और 2005-06 के अंत की स्थिति के अनुसार प्रौढ़ महिलाएं अल्प पोषित स्थिति में रही हैं। कार्यक्रम के पोषण घटक का लक्ष्य 0-6 आयु वर्ष समूह के बच्चों में और गर्भवती महिलाओं विकास मॉनीटरण से बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना है और उन्हें पूरक पोषण उपलब्ध कराना है, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य प्रदाताओं पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा परामर्शदाताओं को रैफर करना है। फिर भी, सीएसडीएस के अंतर्गत न केवल व्याप्ति को बढ़ाना है अपितु कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार भीकरना।

4.12 आवास तथा शहरी विकास प्रभाग

4.12.1 भारत में शहरों का जनसांख्यिकीय तथा आर्थिक महत्व बढ़ गया है और इसलिए उनकी तरफ जितना ध्यान अभी तक दिया जा रहा है उससे कहीं अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। देश के जीडीपी में शहरों का योगदान 55-60% जितना अधिक रहा है। इसलिए हमें शहरों में उपयुक्त आधारिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जिससे कि शहरों को रहने योग्य, वहनीय और विश्वसनीय बनाया जा सके। समावेशी विकास की कार्यनीति का एक प्रमुख तत्व यह होगा कि शहरी गरीब व्यक्ति को जल आपूर्ति, सफाई, जल निकासी, परिवहन, वहनीय आवास आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराने की दिशा में पूरे प्रयास किए जाएं।

4.12.2 हाल के दशकों में भारत में शहरीकरण के मुख्य पक्ष निम्नानुसार रहे हैं:

- बड़े शहरों और समूहनों में शहरी जनसंख्या के संकेन्द्रण की प्रवृत्ति अधिक सुदृढ़ बनती जा रही है;
- 1971-1981, 1961-1971 के मुकाबले 1981-1991 तथा 1991-2001 के दौरान शहरीकरण में गिरावट आई है; तथा
- विभिन्न राज्यों और शहरों में शहरीकरण की पद्धतियों में बड़ी भिन्नताएं हैं।

देश के भीतर अपेक्षित त्वरित आर्थिक उन्नति के चलते उदारीकरण की प्रवृत्ति के भविष्य में तीव्र होने की संभावना है। ऐसी आशा की जाती है 2021 तक की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत दिल्ली में 93 से बढ़कर 97.5, तमिलनाडु में 44 से बढ़कर 69, महाराष्ट्र में 42 से बढ़कर 52, पंजाब में 34 से बढ़कर 46, गुजरात में 37 से बढ़कर 45, कर्नाट क में 34 से बढ़कर 42 तथा हरियाणा में 29 से बढ़कर 41 हो जाएगा।

4.12.3 शहरी समूहनों और कस्बों की संख्या जो 1991 में 3768 थी वह 2001 में बढ़कर 5161 हो गई है। इसके अलावा इस शहरीकरण की विशेष्ता है: निर्वाचित निकायों को कार्यों का अधूरा प्रत्यायोजन, समुचित वित्तीय संसाधनों की कमी, नगर स्वायत्तता की ओर बढ़ने की अनिच्छा, संपत्ति कराधान के मामले में पुरानी पद्धतियों का अनुपालन, उपभोक्ता प्रभार लगाने में हिचकिचाहट, बुनियादी सेवाओं जैसेकि जल आपूर्ति और स्वच्छता आदि के प्रावधान में परोक्षतः नियंत्रित निकायों की असंतोषपूर्ण भूमिका। इसके अलावा जिला आयोजना समितियों और महानगर आयोजना समितियों के संबंध में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अधीन अभिशासन अपेक्षाएं अनेक राज्यों में पूरी नहीं की गई हैं।

4.12.4 आवास और शहरी विकास (एचयूडी) प्रभाग के ऊपर शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), आवास और शहरी निर्धनता उपशमन (एचयूपीए), गृह मंत्रालय (एमएचए) तथा न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों/कार्यक्रमों की आयोजना, समन्वय, निर्माण, प्रासेसेसिंग, जांच, विश्लेषण और मानीटरन आदि की जिम्मेदारी है। विस्तृत क्षेत्रक में ये शामिल हैं: सामाजिक आवास, शहरी विकास, शहरी परिवहन, शहरी निर्धनता उपशमन, मलिन बस्तियों का स्तरोन्नयन, आदि।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

4.12.5 सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के रूप में दिसंबर, 2005 में एक प्रमुख पहल की गई जिसका उद्देश्य शहरी गरीब व्यक्ति को 7 वर्ष की अवधि के भीतर आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता,

मलिन बस्ती सुधार, सामुदायिक टायलेटों/स्नानागारों आदि सहित बुनियादी सेवाओं उपलब्ध कराने पर बल देते हुए शहरी आधारिक सुविधाओं और सेवाओं के एकीकृत विकास पर केन्द्रित ध्यान देना था। यह उस अभिधारण पर टिकी है कि भारत के आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में शहर काफी योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम सहस्त्राबदी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की पूर्ति करता है और शहरी अवसंरचनाओं में निवेश केमाध्यम से प्रचालन की संकल्पना की गई है। मिशन निर्धारित 65 मिशन शहरों के एकीकृत विकास के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए प्रत्येक शहर को अपनी शहर विकास योजना बनानी (सीडीपी) होगी। शहर के लिए दीर्घकालीन विजन तैयार करना होगा और अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से प्रयासों को बढ़ाना है। मिशन की जरूरी आवश्यकता है कि मिशन अवधि के दौरान शहरी सुधारों का कार्यान्वयन किया जाए। इसका यह भी उद्देश्य है कि इस व्यवस्था के लिए विकास, प्रबंधन, परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन में निजी क्षेत्रक की क्षमताओं का पीपीपी व्यवस्था के जरिए, जहां संभव हो लाभ उठाया जाए।

4.12.6 कार्यान्वयन की स्थिति - जेएनएनयूआरएम के सभी चार के कार्यान्वयन की सूचना जिसमें अभी तक जनवरी, 2010 संशोधित आबंटन और एसीए वचनबद्धता की राशि इस प्रकार हैः-

(i) जहां तक शहरी अवसंरचना और अभिशासन पर उप मिशन-1 की बात है, 24236 करोड़ रुपए की एसीए वचनबद्धता के साथ 473 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं और 8986 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए 12807 करोड़ रुपए की एसीए वचनबद्धता के साथ 25343 करोड़ रुपए की लागत पर 462 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं और 4191 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

(ii) जहां तक आईएचएसडीपी के तहत छोटे शहरों और कस्बों की बात है 8517 करोड़ रुपए की लागत पर 842 परियोजनाएं, जिस में 5692 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के हैं मंजूर की जा चुकी हैं और 3000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। शहरी अवसंरचना विकास स्कीम के लिए लघु और मध्यम कस्बों के लिए (यूआईडीएसएसएमटी) 12820 करोड़ रुपए की लागत पर कुल 752 परियोजनाएं और 10267 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का हक मंजूर किया जा चुका है, जिस में से 5858 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

4.12.7 शहरी विकास मंत्रालय ने वित्त पोषण और जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत मिशन शहरों के लिए घरों की खरीद शुरू कर दी है। लगभग 15260 घर शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंजूरी और मानीटरण समिति द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं जिसके लिए 2092 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता स्वीकार्य होगी और उसमें 1037 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

4.12.8 शहरी सुधार - मिशन सुधार संचालित है यानि राज्यों और शहरों को कुछ सुधार करने चाहिएं जिनमें कुछ जरूरी हैं और कुछ वैकल्पिक, जो कि विभ्न्न परियोजनाओं के लिए वित्त की सुलभता के लिए पूर्व शर्त है। इन सुधारों का लक्ष्य है कि सथानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए, सृजित परिसम्पत्तियों को कायम रखा जाए, शहरी शासन और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार किया जाए और इन्हें मिशन अवधि में पूरा किया जाए। सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाती है कि कुछ राज्य अनुसूची से पीदे चल रहे हैं। इस में शीघ्रता की आवश्यकता है।

4.12.9 2009-10 के लिए जेएनएनयूआरएम के लिए 12685 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जो कि 2008-09 के दौरान 6890 करोड़ रुपए था। 200910 के लिए घटकवार आबंटन इसस प्रकार हैः-

I)	यूआईजी	5960.13 करोड़ रुपए
II)	बीएसयूपी	2524.65 करोड़ रुपए
III)	यूआईडीएसएसएमटी	3082.82 करोड़ रुपए
IV)	आईएचएसडीपी	117.58 करोड़ रुपए

4.12.10एचयूडी प्रभाग के अधिकारी केंद्रीय मंजूरी और मॉनीटरण समितियों की बैठकों और संबंधित मंत्रालयों की समीक्षा बैठकों में भाग लेते रहे हैं।

4.12.11 **जेएनएनयूआरएम की अपेक्षित उपलब्धियां**

- बेहतर अभिशासन और सेवा आपूर्ति के लिए वित्तीय रूप से संधारणीय शहर।
- शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की सर्वसुलभता।
- अभिशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही।
- आधुनिक पारदर्शी बजट निर्माण, लेखांकन और वित्तीय प्रबंध प्रणालियां अपनाना।

नगरपालिकाओं में ई-अभिशासन

4.12.12 नगरपालिकाओं में ई-अभिशासन पर राष्ट्रीय मिशन पद्धति परियोजना 423 श्रेणी I शहरों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि नागिरकों को एकल खिड़की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें जिससे कि यूएलबी की प्रभाविता और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले कुल मिलाकर 35 शहरों को जेएनएनयूआरएम के एक अंग के रूप में कवर किए जाने का प्रस्ताव है। स्कीम का उद्देश्य है कि 8 सेवाओं की डिलीवरी में सुधार किया जाए जिन में शामिल है - जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, सम्पत्ति कर और यूटीलिटी बिलों का भुगतान, भवन योजना का अनुमोदन, स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि। पहल के रूप में 6 व्यापक परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित की जा चुकी है, जिनकी लागत 56.26 करोड़ रुपए है और 24.20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

सैटलाइट कस्बों/काउंटर-मैग्नेट शहरों का विकास

4.12.13 महानगरों और मेगा शहरों जोकि व्यापार और वाणिज्य का केन्द्र बन चुके हैं उन्हें छोटे और मझोले कस्बों तथा विशाल ग्रामीण भीतरी प्रदेश से अक्षुण्ण अंतःप्रवसन की समस्या से जूझना पड़ता है। स्कीम का कार्यान्वयन शहरी अवसंरचना सुधार - जैसे पेयजल, मलजल निकासी, जल निकासी, ठोस उत्सर्जन प्रबंधन आदि जो सात मेगा शहरों के आस पास सैटलाइट टाउन्स काउंटर मैग्नैट्स के पास हैं, ताकि मेगा शहरों के दबाव को कम किया जा सके। यह स्कीम 7 मेगा शहरों के आस-पास 8 सैट लाइट कस्बों में पायलैट आधार पर कार्यान्वित की जा रही है और 11वीं योजना में इसके लिए 500 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इस स्कीम को हाल ही में जुलाई, 2009 में अनुमोदित किया गया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कवर किए जाने वाले शहरों सीडीपी और डीपीआर आदि तैयार करें।

राष्ट्रमंडल खेल

4.12.14 आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए खेलगांव, खेलकूद प्रतियोगिताओं जैसेकि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश तथा बिलियर्ड्स और स्नूकर्स आदि के लिए प्रतियोगिता स्थलों के विकास की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीउए) को सौंपी गई है। दिल्ली में खेल परिसरों में अपेक्षित सुविधाएं विकसित करने के प्रयोजन से शहरी विकास मंत्रालय के वास्ते 2009-010 के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे संशोधन स्तर पर बढ़ाकर 529.55 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

शहरी निर्धनता उपशमन

4.12.15 भारत में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाली आबादी का प्रतिशत जोकि 1993-94 में 32.3% था वह 2004-05 (एकसमान प्रत्यावाहन अवधि पर आधारित) में घटकर 25.7% हो गया है। एनएसएसओ का 61वां दौर यह दर्शाता है कि जहां शहरी निर्धनता में प्रतिशत के अर्थों में गिरावट आई है, इसी अवधि के दौरान वास्तविक संख्या की दृष्टि से इसमें 4.4 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि हुई है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

4.12.16 1997 में शुरू की गई इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य शहरी बेरोजगार/ अल्प-रोजगार (शहरी निर्धनता रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाले) व्यक्तियों को निम्न के माध्यम से लाभकारी रोजगार प्रदान करना था:

- स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देकर; तथा
- मजदूरी रोजगार की व्यवस्था।

4.12.17 भारत सरकार की शहरी गरीब के प्रति समर्पित एकमात्र स्कीम जोकि स्वयंसेवी समूहों सहित शहरी गरीब के लिए सामुदायिक अभिप्रेरण, रोजगार, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के मुद्दों की तरफ ध्यान देती है वह आवास तथा शहरी निर्धनता उपशमन मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत पैकेज के रूप में कार्यान्वित की जाने वाली स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) है। योजना आयोग के सुझाव के आधार पर मंत्रालय ने इस स्कीम का मूल्यांकन किया है। 2009-10 के लिए 515 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी जिसे संशोधित स्तर पर घटा कर 428.69 कर दिया गया।

आवास

4.12.18 आवास जहां शहरी निवासियों के लिए एक अत्यंत बुनियादी जरूरत है, वह विकास की गति में तेजी लाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी अन्य उद्योग की भांति आवास में निवेश का आय और रोजगार पर एक तीव्रकारी प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि आवास/विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में समग्र रोजगार सृजन प्रत्यक्ष रोजगार की तुलना में आठ गुना होता है। विनिर्माण क्षेत्रक रोजगार में 7% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। आवास गृह-आधारित आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। साथ ही आवास का इस्पात, सीमेंट, संगमरमर/सिरेमिक टाइलों, विद्युत वायरिंग, पीवीसी पाइपों और विभिन्न प्रकार के फिटिंग पर, उद्योगों जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक योगदान रहता है सीधा प्रभाव पड़ता है।

4.12.19 XIवीं योजना के आरंभ में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए मकानों की कमी अनुमानतः 24.71 मिलियन थी। इस संख्या में 2007-12 के वर्षों के दौरान 1.82 मिलियन की आवास जरूरतों की अनुमानित वृद्धि जोड़ी जाएगी और इस प्रकार XIवीं योजना अवधि के अंत में कुल मिलाकर 26.53 मिलियन आवासों की कमी रहेगी। घरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक पहलें की है जैसे - जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी और जेएचएसडीपी घटक और शहरी गरीबों के आवासन के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम।

मलिन बस्तियां और उनका पुनर्वास

4.12.20 राजीव आवास योजनाः- जून, 2009 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद में अपने भाषण में इस स्कीम की घोषणा इस विजन के साथ की थी कि देश को मलिन बस्तियों से छुटकारा दिलाया जा सके। स्कीम के ब्यौरों में शामिल हैं - शहरीं की व्याप्ति, जमीन की उपलब्धता, स्वीकार्य घटक, वित्त पोषण तंत्र, पीपीपी को शामिल करना आद को विभिन्न पणधारियों के परामर्श के साथ् वर्कआउट किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 के दौरान आरएवाई के लिए 150 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

4.12.21 स्कीम की मोडलिटीज पर विचार विमर्श करने के लिए समस्या के विस्तार सहित इसकी संरचना पर वित्त पोषण तंत्र, सदस्य (एएम) ने सचिव (एचक्यूपीए), अग्रणी वित्तीय संस्थानों, विकासकर्ताओं, निजी क्षेत्रक के सहभागियों के साथ 16.12.2009 को बैठक आयोजित की। विकासकर्ताओं को प्रोतसाहन देने संबंधी मुद्दों पर, एफएसआइ रयायतों, सम्पदा अधिकारों और निजी क्षेत्रक की सहभागिता के लिए तंत्र आदि पर विचार विमर्श किया गया।

शहरी परिवहन

4.12.22राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के अनुसार सक्षम और आधुनिक आईटीएस समर्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विकास के लिए ऊर्जा के उपयोग में क्षमता को अधिकतम करने की आवश्यकता है और साथ में पैदल चलने वालों और नॉन-मोटराइज्ड परिवहन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सक्षम और आधुनिक आईट ीएस समर्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जिसमें पैदल चलने वालों को प्राथमिकता दी जाए और नान मोटराइज्ड परिवहन सर्वोत्तम होता है, जिससे वैयक्तिक वाहनों की बजाय लोग सार्वजनिक परिवहन की ओर मुड़ते हैं।

4.12.23अनेक राज्यां से मांग बढ़ रही है कि मैट्रो पिरयोजनाएं स्थापित की जाएं जिन में काफी पूंजी लगती है और किराए के रूप में प्राप्त राजस्व पूंजी और प्रचालन का संधारणीय नहीं बना पाती।

एमआरटीएस

4.12.24 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसे शहरों की संख्या 35 से अधिक है जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली को छोड़कर किसी भी मेगा शहर में विशाल त्वरित संचरण प्रणाली (एमआरटीएस) नहीं है। दिल्ली मेट्रो परियोजना समय-सूची के अनुसार प्रगति कर रही है और चरण I पूरी तरह प्रचालनात्मक हो गया है। दिल्ली मेट्रो के चरण II का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

एमआरटीएसः

4.12.25 मेट्रो के विकास का काम शुरू में कोलकाता में किया गया था लेकिन इसके बाद दिल्ली में एक नेटवर्क का निर्माण किया जा चुका है और अब इसका विस्तार केवल यही नहीं कि शहर के एक बड़े भाग को कवर करने के लिए बल्कि नोएडा और गुड़गांव तक कवर करने के लिए किया जा रहा है। बाद में भारत सरकार ने बंगलौर तथा चेन्नई के लिए मेट्रो और कोलकाता मेट्रो के दूसरे चरण के लिए अनापत्ति जारी कर दी। हैदराबाद और मुंबई पीपीपी आधार पर मेट्रो प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। हाल ही में कोच्चि और चंडीगढ़ से भारत सरकार की सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मैट्रो परियोजनाओं के लिए आबंटन का ववरण निम्न प्रकार हैः-

तालिका 4.12.1

मैट्रो रेल के लिए परिव्यय(बीई-आरई)

(करोड़ रूपये में)

मद	2009-10 (बीई)	2009-10 (आरई)	2010-11 (बीई)
मैट्रो की इक्विटी	790.79	1162.34	995.00
अधीनस्थ ऋण	67.61	67.61	100.01
डीएमआरसी को अनुदान	89.60	99.80	0.00
पास थ्रो सहायता	1310.00	2985.00	3322.21

अन्य क्रियाकलाप

4.12.26एचयूडी प्रभाग ने विभिन्न नए प्रस्तावों जिन में शामिल हैं - राजीव आवास योजना, मंत्रिमंउल नोट, ईजीओएम नोट्स, सीसीईए नोट्स एवं ईएफसी प्रस्तावों की गहराई से जांच की। प्रभाग ने 11वीं योजना के एमटीए की तैयारी के लिए काफी कार्य किए जिनमें श्मिल हैं भारत पर्यावास केंद्र पर कार्यशाला का आयोजन। प्रभाग ने विभिन्न अन्य कर्यों को भी देखा जसे - संसदीय प्रश्नों के उत्तर, राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए सामग्री की सूचना, आर्थिक सर्वेक्षण, फ्लैगशिप कार्यक्रम जेएनएनयूआरएम के लिए आबंटन से संबंधित मुद्दे।

4.12.27प्रभाग यूडी और एचयूपीए के संबंध में वार्षिक योजना 2010-11 के लिए परिव्ययों को अंतिम रूप देता है।

4.13 उद्योग प्रभाग

4.13.1 उद्योग प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों का नोडल प्रभाग हैः

- औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग
- कपड़ा मंत्रालय
- उर्वरक विभाग
- रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
- फार्मास्यूटिकल विभाग
- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
- निगमित मामले मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय

उपरोक्त के अलाव, यह प्रभाग निम्नलिखित विभागों के संबंध में उद्योग घटक के कार्य की भी देखभाल करता हैः

- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
- परमाणु ऊर्जा विभाग
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
- नौवहन विभाग
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

4.13.2 उपर्युक्त मंत्रालय/विभागों के साथ वार्षिक योजना चर्चाएं सकीम-वार परिव्ययों को अंतिम रूप् देने में परिणाम में परिवर्तित हुई। उद्योग प्रभाग द्वारा कवर किए गए मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वार्षिक योजना 2009-

10 के लिए गहन चर्चाएं और सदस्य स्तरीय चर्चाओं की व्यवस्था की गई।

i. विभिन्न स्कीमों और संसाधनों के उपयोग की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों (उद्योग प्रभाग से संबंधित) के संबंध में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकें आयोजित की गईं।

ii. उद्योग प्रभाग ने निवेश परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न निर्णय लेने/मंजूरी की प्रक्रिया में भाग लिया।

iii. परिवहन सब्सिडी के मूल्यांकन के लिए औद्योगिक नीति एवं विकास विभाग द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयीय समूह में उद्योग प्रभाग ने भाग लिया।

iv. औद्योगिक क्षेत्र के लिए सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में 11वीं योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन किया।

v. 11वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए नवप्रर्वत्तन पर विशेषज्ञ समूह का गठन किया।

vi. सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में विद्युत क्षेत्रक के संबंध में घरेलु उद्योग द्वारा वंचित रहे लोगों की देखरेख के लिए विकल्प और मॉडलिटीज का सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया।

vii. उद्योग क्षेत्रक के अधिकार क्षेत्र के अधीन विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के तत्वावधान में बीआरपीएससी द्वारा यथाअनुशंसित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार और पुनर्रचना प्रस्तावों की भी छानबीन/जांच की गई और सीओएस/सीसीईए के विचारार्थ टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

viii. मंत्रिमंडल/सीसीईए/सीओएस के लिए टिप्पणियों की जांच की गई।

ix. समाजार्थिक दृष्टि से ईएफसी/पीआईबी के लिए निवेश प्रस्तावों की जांच की गई और मूल्यांकन के नोट में टिप्पणियों को शामिल करने की बात कही गई।

x. विभिन्न राज्यों से संबंधित विभिन्न बैठकों में भाग लिया जैसेकि वार्षिक योजना, एचपीआर तथा एचपीआर।

4.13.3 2009-10 के दौरान उद्योग क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अधीन परिव्यय सहित समीक्षाधीन प्रमुख कार्यक्रमः-

- एनएटीआरआईपी-आटोमोबाइल में परीक्षण सुविधाः 145 करोड़ रुपए।
- औद्योगिक संकुल स्कीम का स्तरोन्नयन-100.00 करोड़ रुपए।
- भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम-140.00 करोड़ रुपए।
- एकीकृत कपड़ा पार्कों की स्कीम-397.00 करोड़ रुपए।
- कपास प्रौद्योगिकी मिशन-60 करोड़ रुपए।
- पटसन प्रौद्योगिकी मिशन-70.00 करोड़ रुपए।
- प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन निधि स्कीम (कपड़ा)-3140.00 करोड़ रुपए।
- परमाणु ऊर्जा उद्योग-614.90 करोड़ रुपए।
- नए एनआईपीईआर जैसेकि संस्थानों की स्थापना-44.15 करोड़ रुपए।
- असम गैस क्रैकर परियोजना-316.31 करोड़ रुपए।

4.13.4 खनिज एकक खान मंत्रालय, से प्राप्त प्रस्तावों, पॉली - मैटलिकनोड्यूल्स कार्यक्रमों के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से और खनिज क्षेत्रक के लिए इस्पात मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों को देखती है। एकक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं-

- खान मंत्रालय, पॉलीमैटलिक नोड्यूल्स कार्यक्रमों के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खनिज क्षेत्रक से

इस्पात मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वार्षिक योजना 2009-10 को अंतिम रूप दिया।

- वार्षिक योजना दस्तावेज 2009-10 के लिए 'खनिजष संबंधी अध्याय तैयार किया।
- मंत्रालय के अधीन संगठनों/ पीएसयू (ज) के भौतिक और वित्तीय निष्पादनों के मूल्यांकन के लिए खनिज मंत्रालय की अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- केन्द्रीय भूगर्भीय प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) कमी बैठक में भाग लिया, ताकि विभिन्न भूगर्भीय और अन्य संबंधित संगठनों के कार्य की आलोचानात्मक जांच की जा सके और वार्षिक योजना 2009-10 के लिए कार्यक्रम अनुमोदित किए गए।
- खनिज में संबंधित आर्थिक मामलों क मंत्रिपरिषद की समिति से संबंधित नोट्स की जांच की।
- बिल खान मंत्रालय द्वारा परिचालित प्रारूप खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम बिल की जांच की ओर मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं।
- राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 से संबंधित मामलों और क्रोमाइट के निर्यात के मामले की जांच एकक द्वारा की गई।
- वार्षिक योजना 2009-10 के लिए कार्य समूह के विचार विमर्श एकक में किए गए ताकि खनिज क्षेत्रक के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जा सके और राज्यों में खनिज विकास के लिए परिव्ययों को अंतिम रूप दिया गया।
- खनिज एकक विमर्शों एवं अपर सचिव (खनिज) की अध्यक्षता में खनिज मंत्रालय द्वारा सथापित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट तैयार करने में काफी सक्रिय रही, ताकि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संगठन के कार्यकलापों की समीक्षा की जा सके।

4.14 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग

4.14.1 अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग भारत के विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन से संबंधित मुद्दों और आयोजना की प्रक्रिया के संदर्भ में विदेशी निवेश से संबंधित मुद्दों के भी अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के साथ सहयोग करता है। यह प्रभाग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तकनीकी सहयोग, जिसमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन शामिल हैं, से संबंधित कार्य और क्षेत्रीय प्रबंधों, जैसेकि एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग और क्षेत्रीय सहयोग के लिए पेसिफिक और दक्षिण एशियाई एसोसिएशन से संबंधित कार्य भी संभालता है। इस संदर्भ में, प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों और मुद्दों का विश्लेषण करने में लगा हुआ है। अन्य कार्यों के साथ-साथ प्रभाग विदेश मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए योजना आबंटन को भी संभालता है।

4.14.2 ऊपर वर्णित कार्यकलापों के अलावा, वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनागत स्कीमों से संबंधित योजनाएं भी आईई विभाग द्वारा संभाली जाती है। वाणिज्य विभाग से संबंधित कार्य के अंतर्गत विभिन्न किस्म की योजनागत स्कीमें सम्मिलित हैं, जैसेकि निर्यात अवसंरचनात्मक विकास के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई), कृषि उत्पाद एपीईडीए, एमपीईडीए, ईसीजीसी, एमएआई, एनईआईए, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, रबड़ व अन्य स्कीमें। एमईए और डीओसी के संबंध में अर्द्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। यह प्रभाग डीओसी के वार्षिक योजना प्रस्तावों, विभिन्न प्लान स्कीमों की छमाही निष्पादन समीक्षा और प्रत्येक स्कीम के निष्पादन/परिणाम के आधार पर उनके परिव्ययों को अंतिम रूप दिए जाने जैसे विषयों पर भी कार्रवाई करता है।

इस प्रभाग ने विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के परामर्श से एमईए और डीओसी के लिए 2008-09 के

वास्ते वार्षिक योजना परिव्यय प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया।

I. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग द्वारा ईजीओएम, मंत्रिमंडल बैठकों तथा सचिवों की समिति के बैठकों जैसी उच्चस्तरीय बैठकों से संबंधित विभिन्न कागजात पर कार्रवाई की गई:

- डब्ल्यूटीओ से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए जीओएम बैठकें
- डब्ल्यूटीओ में बातचीत (समझौते) की वर्तमान स्थिति के संबंध में सूचना के लिए नोट
- चाय, रबड़, मसाले और तम्बाकू फसल बीमा स्कीम के संबंध में नोट
- व्यापार आर्थिक संबंध समिति की बैठकों से संबंधित एजेंडा नोट की जांच की गई और प्रस्तुत किया गया।

II. विभिन्न केबिनेट नोट क प्रारूप तैयार किए गए और प्रस्तुत किए गए-

- डब्ल्यूटीओ की सरकारी खरीद समझौता की पर्यवेक्षक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूटीओ मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन हेतु केबिनेट नोट का मसौदा
- विदेशी तकनीकी सहयोग निति की समीक्षा के संबंध में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति के लिए मसौदा नोट।
- दोहरे कराधान (डीटीएए) से बचने और आय कर संबंधी राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और मोजाम्बिक गणराज्य के बीच समझौता और प्रोटोकॉल के संबंध में केबिनेट नोट का मसौदा।
- विदेशी तकनीक सहयोग नीति की समीक्षा के संबंध में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति के लिए मसौदा नोट
- फसल बीमा स्कीम संबंधी आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति के लिए मसौदा नोट
- विकासशील देशों में वैश्विक व्यापार प्राथमिकता प्रणाली (जीएसटीपी) के तहत समझौता वाता के तीसरे दौर के दौरान बाजारी पहुँच मॉडेलिटिज और नियम बनाने से संबंधित मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए संशोधित अध्यादेश हेतु केबिनेट नोट का मसौदा
- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्ड समिति के पूर्व अनुमोदन के लिए मामलों की समीक्षा करने के संबंध में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति के लिए मसौदा नोट
- कॉफी डेट रिलीफ पैकेज-2009 से संबंधित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के लिए मसौदा नोट
- दोहरे कराधान (डीटीएए) से बचने और आयकर संबंधी रोजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और नैरोबी राजतंत्र के बीच समझौता और प्रोटोकॉल के संबंध में कैबिनेट नोट का मसौदा।

III. निम्नलिखित विषयों की जाँच की गई और संगत रिपोर्टें तैयार की गई और प्रस्तुत की गई :-

- जेनेवा में आयोजित वैश्विक आर्थिक संकट संबंधी संसदीय समिति के लिए स्थिरता एवं विकास के नये मार्ग।
- निर्यात और नौकरी के अवसरों में गिरावट से संबंधित स्थिति से निपटने के लिए वैश्विक मंदी-उपाय
- भारत के आर्थिक निष्पादनों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश की भूमिका के संबंध में रिपोर्ट
- यू.के. के अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता विभाग के संदर्भ में व्यापार सहायता कार्यक्रम (टीएसपी) (2009-12)
- यूएस उद्योगों पर चीन के कच्चा माल निर्यात प्रतिबंध का नकारात्मक प्रभाव

- सब्सिडीज एंड काउटरवेलिंग मेजर्स (एएससीएम) संबंधी समझौता में प्राकृतिक संसाधनों के दोहरा मूल्य निर्धारण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में डब्ल्यूटीओ समझौता

IV. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन देने हेतु वाणिज्य विभाग और विदेश मंत्रालय से प्राप्त निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की गईः

- विदेश मंत्रालय के भूटान में मांगदाचू और पुनातसांचू-II हाइड्रोपावर परियोजनाओं के संबंध में सैद्धान्तिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव ।
- परिवहन सहायता स्कीम के अंतर्गत टेबल एग्स हेतु सहायता की शर्तो में संशोधन हेतु आईपीए के लिए वाणिज्य विभाग का प्रस्ताव ।
- काजू बोर्ड की स्थापना हेतु वाणिज्य विभाग का प्रस्ताव।
- वायनाडु और पूर्वोत्तर में काली मिर्च के पुनः रोपण और पुनर्स्थापन का प्रस्ताव।
- वृक्षारोपण कामगारों के सामाजिक कल्याण हेतु स्कीम के कार्यान्वयन का प्रस्ताव।
- काजू बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव।
- डीजीसीआई एण्ड एस से आन लाईन डाटा प्रक्रिया को सुचारु बनाने संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने हेतु वाणिज्य विभाग की एसएफसी बैठक।

V. बैठकों में भाग लिया गया

- वाणिज्य विभाग की विपणन पहुंच पहल स्कीम की उप समिति की बैठकें।
- विपणन पहुंच पहल स्कीम, वाणिज्य विभाग की अधिकार प्राप्त समिति की बैठकें।
- विदेश मंत्रालय और वाणिजय विभाग के वर्ष 2007-08 के निष्पादन की समीक्षा हेतु वार्षिक समीक्षा बैठकें।
- विदेश मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं हेतु वार्षिक समीक्षा बैठकें ।
- विदेश मंत्रालय तथा भारतीय ओवरसीज मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों हेतु सीएनई बैठकें ।

VI. जांच किए गए दस्तावेज एवं प्रस्तुत की गई टिप्पणियां

- संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु फार्चून फोरम का प्रस्ताव।
- ट्रेड तकनीकी बैरियर्स संबंधी डब्ल्यूटीओ समझौते की पांचवी त्रैमासिक समीक्षा दस्तावेज।
- ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से प्राप्त मूल्यांकन संबंधी नीति पर टिप्पणी।
- भारत-आसियान(एएसईएएन) मुक्त व्यापार समझौता-सामान समझौता में व्यापार के संबंध में केरल के मुख्य मंत्री से प्राप्त पत्र।
- हिलगेण्डम्म - एल अकिला प्रक्रिया(एचएपी) की कार्यसूची।
- नेशनल सिक्योरिटी इंप्लिकेशन आफ फारेन पार्टिसिपेशन और फारेन डायरेक्टर इनवेस्टमेंट इन सर्टेन सेंसिटीव सेक्टर्स नामक पत्र।
- फार्चून फोरम से प्राप्त संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास वोर्ड के संबंध में पीएमओ संदर्भ।

VII. विदेश मंत्रालय के वाणिज्य विभाग, भारतीय ओवरसीज मंत्रालय, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए), आय कर के संबंध में डबल टैक्सेसन से बचने तथा राजकोषीय दुरुपयोग की रोकथाम संबंधी समझौता, वीसा छूट संबंधी समझौता, प्रत्यर्पण संधि,

विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु प्रस्ताव, द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता, दोहा कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत डब्ल्यूटीओं से विचार विमर्श संबंधी मंत्रिमंडल नोट हेतु संक्षिप्त सार।

4.15 श्रम रोजगार एवं जनसाधन प्रभाग

4.15.1 एलईएम प्रभाग रोजगार रणनीति, रोजगार से संबंधित नीतियों, मुद्दों, श्रम, नीतियों और कार्यक्रमों, कार्मिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और जनसाधन आयोजना से संबंधित कार्यों को देखता है।

4.15.2 श्रम बल, कार्य बल, रोजगार के अनुमान और देश में बेरोजगारी प्लानिंग एक्सरसाइज के अभिन्न अंग हैं। यह कार्य पंचवर्षीय योजना के लिए एलईएम द्वारा शुरू किया जाता है। आकलन एनएसएसओ के सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं और उनके आधार पर रोजगार संबंधी अनुमान लगाए जाते हैं। एलईएम प्रभाग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए उत्तरदायी होता है। यह प्रभाग रोजगार रणनीति, रोजगार नीति एवं संबंधित अन्य मुद्दों को देखता है। प्रभाग ने रोजगोर प्लानिंग और अन्य संबंधित मुद्दों पर आईएसएस प्रोबेशनर्स और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के अधिकारियों को व्याख्यान दिए हैं।

4.15.3 एलईएम प्रभाग, जनसाधन अनुसंधान संस्थान, जो कि एक स्वायत संस्थान है और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यों को देखता है के मार्ग दर्शन और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए योजना आयोग में एक नोडल प्रभाग है। यह योजना आयोग को निम्नानुसार प्रतिनिधित्व करता हैः- (क) सामान्य परिषद (ख) कार्यकारी परिषद (ग) संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों की स्थायी समिति संस्थान को योजना आयोग द्वारा सहायता अनुदान दी जाती है। जनसाधन प्लानिंग विकास, जिसमें अनुसंधान, परामर्श, सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं, सेमीनार एवं संगोष्ठियों के क्षेत्र में संस्थान ने अनेक शैक्षणिक गतिविधियों में व्यापाक दायरे में विजन और अवधारणा का विकास किया है। संस्थान, जनसाधन रूपरेखा इंडिया ईयर बुक, जिस में तकनीकी जनसाधनों पर समेकित सूचनाएं निहित होती हैं और इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सहयोग भी होता है।

4.15.4 11वीं योजना (2007-2012) का लक्ष्य है कि 1999-2000 से 2004-05 के दौरान कुल 47 मिलियन कार्य अवसरों के मुकाबले 58 मिलियन कार्य अवसरों का सृजन करना है। इस लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक रोजगार सृजन की उपलब्धि के बारे में एनएसएसओ के 2011 में अपेक्षित अगले पंचवर्षीय दौर के परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि अन्य कोई नया पंचवर्षीय सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में श्रम और रोजगार क्षेत्रक के मध्यावधि मूल्यांकन

4.15.5 एलईएम प्रभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन किए हैं। मंत्रालय द्वारा देखे जा रहे सभी उप क्षेत्रक इस कार्रवाई के तहत समीक्षा में लिए गए थे। इस कार्रवाई को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए श्रम और रोजगार के प्रभारी सदस्य की अध्यक्षता में परामर्शी समूह का गठन किया गया था, जिस में नोडल मंत्रालय अर्थात श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि भी थे। इसके अलावा, इसमें अन्य संबंधित मंत्रालयों अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, सड़क मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और श्रम संगठनों ट्रेड यूनियनों और सरकारी संस्थानों जैसे जनसाधन अनुसंधान संस्थान, एनएसएसओ, भारत के महापंजीयक, अखिल

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कानफडेरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फिक्की, नास्कॉम, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, एलआईसी, महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद, भारतीय सामाजिक सुरक्षा संघ, आईएलओ आदि। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उप समूहों को भी शामिल किया गया।

1. दक्षता विकास पर उप समूह।
2. बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी पर उप समूह।
3. महिला श्रम व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा खान सुरक्षा आदि विविध विषयों पर उप समूह।
4. श्रम और रोजगार पर समावेशी मुद्दों पर उप समूह।

4.15.6 दक्षता विकास एवं प्रशिक्षण

दक्षता विकास के लए समन्वित कार्रवाई हेतु निम्नलिखित त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना की संकल्पना की गई है। दक्षता विकास पूरी तरह प्रचालन में आ गया है:-

1. दक्षता विकास पर प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद।
2. राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड।
3. राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम

राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड (एन एस डी सी बी)

4.15.7 राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड (एन एस डी सी बी) की स्थापना योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई है जिसके अन्य सदस्य हैं : मानव संसाधन विकास, श्रम और रोजगार, ग्रामीण विकास, आवासन और शहरी निर्धनता उपशमन और वित्त मत्रांलयों के सचिव । बारी-बारी से चार राज्यों के सचिव दो वर्ष की अवधि के लिए, तीन प्रख्यात शिक्षाविद/विषय क्षेत्र विशेषज्ञ इसके अन्य सदस्य हैं । सचिव, योजना आयोग, बोर्ड के सदस्य -सचिव हैं ।

4.15.8 राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड (एन एस डी सी बी) के मुख्य कार्य:

- दक्षता विकास के सबंधं में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यनीतियाँ तैयार करना तथा देश में दक्षता विकास के वृहद उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त प्रचालनात्मक मार्गनिर्देश और अनुदेश विकसित करना ।
- केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारों द्वारा और साथ ही राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम द्वारा भी अपनाई जाने वाली विभिन्न मुद्दों (क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक-आर्थिक, ग्रामीण-शहरी, लैंगिक विभाजनों, उत्तम कोटि के शिक्षकों का अभाव, दक्षताओं का विकास करनें के लिए निजी क्षेत्रक को अभिप्रेरित करना आदि) का समाधान करनें के लिए उपयुक्त और व्यावहारिक समाधान तथा कार्यानीतियाँ तैयार करना-और इस उद्देश्य हेतु उपायों को संस्थागत बनाने की पद्धति का भी विकास करना ।
- राज्य सरकारों को अपने कार्यकलाप इस प्रकार से तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना जो इन्हीं के अनुसार अथवा किसी अन्य प्रकार से तैयार किए जाएं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त समझा जाए।
- दक्षता संबंधी कमियों का क्षेत्रक-वार और इलाके-वार आकलन करना तथा कार्रवाई योजना तैयार करना जिससे कि खामियों को कम किया जा सके और राष्ट्रीय वेब पोर्टल पर एक "राष्ट्रीय दक्षता मांग तालिका " तथा एक अन्य "दक्षता न्यूनता मानचित्रण हेतु राष्ट्रीय डाटाबेस " तैयार करने की दिशा में बढा जा सके ।
- रोजगार और दक्षता विकास के सबंधं में सूचना का भण्डारण और उपलब्ध कराने के लिए आउटरीच मुद्दों के रूप में रोजगार कार्यालयों की पुनर्संरचना को सुविधाजनक बनाना और समन्वय करना तथा

उन्हें कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

- सभी प्रत्यायन एजेन्सियों के लिए एक "विश्वसनीय प्रत्यायन पद्धति " और एक " मार्गदर्शन रूपरेखा " की स्थापना का समन्वय करना ।

- विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के परिणामों का मानीटरन, आकलन और विश्लेषण करना और उसके बारे में दक्षता विकास संबंधी प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद को अवगत कराना ।

श्रम कल्याण:

4.15.9 श्रम नीतियों के सबंधं में श्रम ओर रोजगार मत्रांलय से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की, यथा श्रम विधान, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, दक्षता विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाल और बंधुआ मजदूर, उपदान अदायगी अधिनियम, 1972 में संशोधन, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में संशोधन और राष्ट्रीय रोजगार नीति की जाँच की गई और टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं ।

4.16 बहु-क्षेत्र योजना (एम एल पी) प्रभाग

एम एल पी प्रभाग

4.16.1 एम एल पी प्रभाग, पंचायती राज मंत्रालय के विनिर्धारित क्षेत्रों/इलाकों को उनकी विशिष्ट भू-भौतिकी संरचना और असंतोषजनक समाजार्थिक विकास, विकेन्द्रीक़त योजना और कार्यक्रमों के कारण पेश आने वाली विशेष समस्याओं के संबंध में, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों से संबंधित है ।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)/ पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी):

4.16.2 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है । पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) पश्चिमी घाट क्षेत्र के 175 तालुकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिनमें महाराष्ट्र (63 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक), तमिलनाडु (33 तालुक), केरल (36 तालुक) और गोवा (3 तालुक) के भाग शामिल हैं । कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता 90% अनुदान और 10% राज्य हिस्से के रूप में प्रदान की जाती है । एच ए डी पी के अंतर्गत उपलब्ध निधियां कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नामोट्रिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी पाट विकास कार्यक्रम (डी जी डी पी) के अंतर्गत शामिल तालुकों के बीच 60 : 40 के अनुपात में विभाजित की जाती है । इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं : जैव-विविधता के परिरक्षण और पर्वतीय पारिस्थितिकी के पुनरूद्धार पर बल देते हुए पारिस्थितिकी का परिरक्षण और बहाली करना । एच ए डी पी के अंतर्गत कवर हुए पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में उप-योजना दृष्टिकोण अपनाया गया है । संबंधित राज्य सरकारें, एच ए डी पी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता से निधियों के प्रवाह को मिलाकर कुल योजना तैयार करती हैं । डब्ल्यु जी डी पी के मामले में, स्कीम-वार दृष्टिकोण का पालन किया गया है क्योंकि सीमांकन के लिए तालुका एक इकाई है जिसके संबंध में राज्य योजना से निधियों के प्रवाह की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है ।

4.16.3 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) द्वारा कवर हुए क्षेत्रों में पर्वतीय बस्तियों की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए योजना आयोग द्वारा महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव (योजना) श्री वी.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया था । कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2008 में प्रस्तुत कर दी । कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों का उपयोग ग्यारहवीं योजना में कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा ।

4.16.4 पर्वतीय राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर ग़ौर करने के लिए यह सुनिश्चित करने के वास्ते कि राज्यों और क्षेत्रों को अपनी विशिष्टताओं के कारण कठिनाई का सामना न करना पड़े, उपाय सुझाने के वास्ते जनजातीय मामले मंत्रालय के सचिव श्री जी.बी. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया गया था ।

उम्मीद है कि कार्यबल की रिपोर्ट मार्च 2010 तक प्राप्त हो जाएगी ।

4.16.5 वर्ष 2009-10 के दौरान, इन कार्यक्रमों के लिए 302.16 करोड़ रुपए के अनुमोदित आबंटन में से 21.12.2009 तक राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) की पहली किस्त के अनुदान भाग के रूप में 190.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी ।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.16.6 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सत्रह राज्य सम्मिलित हैं, नामतः अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और प. बंगाल । कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 100% अनुदान के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

4.16.7 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के निकट स्थित दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है । कार्यक्रम को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है ।

4.16.8 वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान, 635 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले 21.12.2009 तक बी ए डी पी राज्यों के लिए 464.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई ।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ)

4.16.9 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ), पिछड़ेपन के कारणों का मानक सरकारी कार्यक्रमों की तुलना में और अधिक व्यापक ढंग से समाधान करने के लिए वित्त वर्ष 2006-07 में अनुमोदित की गई थी । इसका उद्देश्य अभिसरण में मदद करना तथा भारत निर्माण व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों के मूल्य में वृद्धि करना है जिन्हें ग्रामीण अवस्थापना संबंधी जरूरतों को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए तैयार किया गया है किंतु जिनके लिए महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए पूरकता की जरूरत हो सकती है जिसकी पूर्ति बी आर जी एफ से हो सकती है । बी आर जी एफ का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से चुने गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा विनिर्धारित पिछड़े जिलों का संकेन्द्रित विकास करना है । गाँव से लेकर जिला स्तर तक, संविधान के अनुच्छेद 243 जी की सच्ची भावना के साथ योजना तैयार और कार्यान्वित करने के लिए, पंचायती राज संस्थान (पी आर आई) प्राधिकरण हैं ।

4.16.10 बी आर जी एफ के दो संघटक हैं, नामतः (त्) 27 राज्यों के 250 जिलों को कवर करते हुए जिला घटक, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, और (त्त्)(क) बिहार व (ख) उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाएं जिन्हें योजना आयोग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है ।

जिला संघटक

4.16.11 बी आर जी एफ के जिला संघटक के अंतर्गत 250 जिले शामिल हैं जिसके अंतर्गत पूर्व राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के अन्तर्गत सम्मिलित सभी 147 जिले, पूर्व राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल 150 जिले और कतिपय समाजार्थिक परिवर्तनशीलों के आधार पर पिछडे के रूप में अगस्त 2004 में योजना आयोग द्वारा स्थागित बढते क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने के लिए अन्तर-मंत्रालय कार्य समूह (आई एम टी जी) द्वारा विनिर्धारित 170 जिले शामिल हैं । ग्यारहवी पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान इस घटक के लिए 4670 करोड रुपए का वार्षिक योजना आवंटन किया जा रहा है । वर्ष 2009-10 के दौरान 4670 करोड रुपए के कुल प्रावधान के मुकाबले अभी तक 3134.64 करोड रुपए की राशि जारी की गई है ।

बिहार के लिए विशेष योजनाः

4.16.12 बिहार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और राज्य के जन प्रतिनिधियों के साथ व्यामक रूप से परामर्श करने के बाद, विद्युत, सडक संयोजकता, सिचांई, वानिकी और वाटरशेड विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाने के लिए 100

प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु एक विशेष योजना तैयार की गई है । ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस संघटक के लिए 1000 करोड रुपए प्रतिवर्ष का आवंटन किया जा रहा है । वर्ष 2009-10 के दोरान 1000 करोड रुपए की पूरी आवंटित राशि राज्य सरकार को जारी कर दी गई है । योजना की शुरूआत से 5285.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

उडीसा के के बी के जिलों के लिए विशेष योजना

4.16.13 उडीसा के के.बी.के क्षेत्र के अन्तर्गत अविभाजित कालाहाण्डी, बोलांगीर और कोरापुट जिले सम्मिलित हैं जिन्हें अब आठ जिलों में पुनर्गठित कर दिया गया है, नामतः कालाहाण्डी, नौपाडा, बोलांगीर, सोनपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकांगिरी और रायगडा । योजना आयोग इस क्षेत्र के लिए 1998-99 से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है । योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार को एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण और नूतन सुपुर्दगी तथा मानीटरन पद्धति का इस्तेमाल करके एक विशेष योजना तैयार करने की सलाह दी गई है । तदनुसार, राज्य सरकार वर्ष 2002-03 से के बी के जिलों के लिए विशेष योजना तैयार कर रही है । विशेष योजना के अन्तर्गत सूखा से बचाव, आजीविका समर्थ, संयोजकता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मुख्य समस्याओं का समाधान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है । दसवीं योजना अवधि के दौरान इस संघटक के लिए 250 करोड रुपए प्रति वर्ष का आवटंन किया गया था । विशेष योजना के अन्तर्गत 130 करोड रुपए के वार्षिक आवंटन और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के जिला संघटक के अन्तर्गत 130 करोड़ रुपए को वार्षिक आवंटन और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के जिला संघटक के अंतर्गत शेष आवंटन के साथ इतने ही आवंटन को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान संरक्षित रखा जा रहा है ।

4.16.14 वर्ष 2009-10 के दौरान, 130 करोड रुपए के आवंटन के मुकाबले अभी तक 97.50 करोड रुपए की राशि जारी की गई है । स्कीम की शुरूआत के बाद से, 1557.50 करोड रुपए की राशि जारी की गई है ।

पचांयती राज

4.16.15 विकास कार्यक्रमों की योजना तैयार, उनके निष्पादन और मानीटरन में समुदाय की भागीदारी आयोजना और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जरूरी है । दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक उपास किए हैं । विकास कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी के लिए पंचायती राज संस्थान एक महतवपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं । 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन अधिनियमों में पंचायती राज सस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा स्पष्ट रूप से देश के अधिशासन में उनकी भूमिका की व्यवस्था की गई । राज्य सरकारों से उम्मीद की गई थी कि वे पंचायती राज पद्धति की प्रत्येक प्रणाली के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यो के अनुरूप उन्हें पर्याप्त कार्य, कार्यकर्ता और वित्तीय ससांधन सौपंकर पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाएंगी ।

4.16.16 पी आर आई की प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए स्थापित पंचायती राज मंत्रालय ने अपने-अपने कार्यकलाप क्षेत्र में पंचायतों की केन्द्रिकता को समझने की जरूरत तथा पी आर आई को अपने कार्यक्रमों में अधिकारिता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को संवेदीकृत बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है । संवैधानिक अधिदेश के अनुसार पी आर आई को कार्य सौपंने के लिए मंत्रालय ने अनेक उपाय किए हैं ।

4.16.17 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख स्कीम, पंचायती राज पद्धति में कार्यरत पंचायती राज कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित है ।

4.16.18 विभिन्न स्कीमों के लिए, पंचायत संशक्तीकरण और जवाबदेही, डी पी सी और जिला परिषदों के काग्रकर्ताओं के प्रशिक्षण, पंचायत महिला और युवा शक्ति अभियान, मिडिया और प्रचार आदि सहित, मंत्रालय की वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 110 करोड रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

4.17 योजना समन्वय प्रभाग

4.17.1 योजना समन्वय (पी सी) प्रभाग

4.17.1.1 यह प्रभाग, योजना आयोग के सभी प्रभागों के कार्यकलापों को समन्वित करता है । विशेष रूप से इस पर पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के काम को समन्वित करने की जिम्मेदारी है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना के क्षेत्रकीय आबंटन, योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और संसदीय कार्य के समन्व्य की विशिष्ट जिम्मेदारी भी शामिल है । योजना आयोग की आंतरिक बैठकों, संपूर्ण योजना आयोग की बैठकों और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का आयोजन और समन्वय भी योजना समन्वय प्रभाग द्वारा किया जाता है ।

4.17.1.2 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे योजना आयोग द्वारा तैयार और परिचालित योजनाओं को अन्तिम रूप देने संबंधी मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2010-11 तैयार करें। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परिव्ययों को अन्तिम रूप देने के लिए दिसम्बर 2009 में सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में वार्षिक योजना 2010-11 चर्चाएं दिसम्बर 2009 में शुरू की गई थी तथा जनवरी 2010 के प्रारंभ में उन्हें पूरा किया गया । केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के क्षेत्रकीय आवंटन के संबंध में योजना आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय बजट 2009-10 में सम्मिलित किए जाने के लिए वित्त मत्रांलय को भेज दी गई हैं ।

4.17.1.3 प्रभाग ने, वार्षिक योजना दस्तावेज 2009-10 तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के सबंधं में सूचना और सामग्री सकंलित और समेकित की ।

4.17.1.4 दोनों सदनों के माननीय सांसदों के बीच वितरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष लोकसभा और राज्यसभा के प्रकाशन काउन्टरों पर योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है । वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सदन के दोनों पटलों के प्रकाशन काउन्टरों पर 22.7.2009 को प्रस्तुत की गई । वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 के लिए सामग्री, प्रभागों से प्राप्त हुई, उसे सकंलित किया गया तथा प्रकाशनार्थ सम्पादित किया गया । रिपोर्ट के अंग्रेजी और हिन्दी रूपान्तर सांसदों को साथ-साथ विभागीय स्थायी समितियों को विचारार्थ अनुदान मांगे भेजे जाने से पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रतियों की अपेक्षित संख्या, संसद के दोनों पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए संसद के दोनों सचिवालयों को भी भेजी जाएंगी ।

4.17.1.5 वित्त विषयक स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांग से संबंधित मांगी गई जानकारी योजना आयोग की वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार किए जाने के लिए प्रदान की गई । लोकसभा के लाभ के कार्यालयों के संबंध में सयुंक्त समिति द्वारा मांगी गई जानकारी भी लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई ।

4.17.1.6 योजना समन्वय प्रभाग ने, नए योजना आयोग के गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 सितंबर 2009 को पूर्ण योजना आयोग की बैठक आयोजित की ।

4.17.1.7 प्रैस सूचना ब्यूरो ने 3 से 4 नवम्बर 2009 तक आर्थिक सम्पादक सम्मेलन का आयोजन किया । योजना समन्वय प्रभाग ने आर्थिक सम्पादक सम्मेलन 2008 का, जिसका उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री ने 3 नवम्बर 2009 को किया था, उससे संबंधित नवीनतम घटनाओं और नीतिगत मुद्दों के बारे में पृष्ठभूमि सामग्री का संकलन किया ।

4.17.1.8 योजना समन्वय प्रभाग ने उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा के संबंध में अक्टूबर, 2009 में एक बैठक आयोजित की। संबंधित विभागों के संयुक्त सचिवों ने बैठक में भाग लिया।

4.17.1.9 योजना समन्वय प्रभाग ने, विभिन्न चरणों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन तैयार करने के संबंध में अनेक बैठकें आयोजित की । योजना

समन्वय प्रभाग को विषय प्रभागों से अध्याय प्राप्त हुए और उसने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि आकलन संकलित किया । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि आकलन की प्रक्रिया सम्पादकीय समिति से भी आगे निकल गई है ।

4.17.1.10 आलोच्य अवधि के दौरान योजना आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकों का आयोजन करना जारी रखा । इन समीक्षाओं से, समय और लागत वृद्धि को कम से कम करके स्कीमों और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलती है ।

4.17.2 संसद अनुभाग

4.17.2.1 संसद अनुभाग निम्नलिखित के संबंध में कार्रवाई करता हैः संसद प्रश्न, ध्यानाकर्षण नोटिस, आधे घंटे की चर्चा, संकल्प, निजी सदस्यों के बिल, "कोई भी दिन तय नहीं " प्रस्ताव, राज्य सभा में विशेष उल्लेख के रूप में और नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा में उठाए गए मामले, संसदीय आश्वासन, संसदीय समितियों की बैठकें, संसद के दोनों सदनों में कागजात और रिपोर्टें रखना, योजना आयोग के अधिकारियों के लिए सत्र-वार सामान्य और अधिकारिक गैलरी पासों की व्यवस्था करना, तथा संसद से संबंधित योजना आयोग के अन्य कार्य, जिसमें संसद में संभावित उठाए जाने वाले मुद्दे, बजट दस्तावेज, रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के बीच वितरणार्थ प्राप्त किए गए ।

4.17.2.2 आलोच्य अवधि के दौरान वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई । आई ए एम आर की वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, योजना आयोग का आउटकम बजट 2009-10 और अनुदान मांगों 2009-10 सदन के दोनों पटलों पर प्रस्तुत की गई । योजना आयोग का वार्षिक योजना दस्तावेज (2007-08) और वार्षिक रिपोर्ट (2008-09), प्रकाशन काउन्टरों के माध्यम से दोनों सदनों के सांसदों के बीच परिचालित की गई । लोकसभा में दिए गए नौ आश्वासनों और राज्यसभा में आठ आश्वासनों को संसद अनुभाग के माध्यम से आलोच्य अवधि के दौरान पूरा किया गया । इसने, लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए सात मामलों और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के तौर पर उठाए गए छः मामलों का उत्तर भेजने के लिए समन्वय कार्य किया ।

4.18 विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

विद्युत यूनिट

- विद्युत मंत्रालय द्वारा मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह (ई जी ओ एम) के विचारार्थ परिचालित अनेक एजेण्डों के संबंध में सार तैयार किए गए । कुछेक प्रस्ताव, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, सी पी एस यू के आई पी ओ मुद्दों, वित्तीय मुद्दों संबंधी उप-समिति आदि से संबंधित थे ।

- यूनिट ने सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली विभिन्न समितियों में उनकी सहायता की, जैसे कि "ईंधन अवस्थापना समिति, " "राष्ट्रीय बिजली निधि, " और एमटीपीसी द्वारा 660/800 मे.वा. यूनिटों की थोक टेंडरिंग के माध्यम से सुपर टेक्नोलाजी का प्रवेश " ।

- इस यूनिट के अधिकारियों ने निष्पादन समीक्षा, क्षेत्रक की एमओयू बैठकों, त्वरित विद्युत विकास संबंधी संचालन समिति और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की बैठकों में भाग लिया । इस यूनिट ने पहले से चली आ रही प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की और संबंधित मंत्रालयों को योजना आयोग के मतों से अवगत कराया ।

- यूनिट ने, संयुक्त सचिव (उत्तर), वि. कार्य मंत्रालय और संयुक्त सचिव (पन विद्युत), एम ओ पी के साथ, भूटान में मांगादेछु एच ई पी और पुनातसांगचु-II एचईपी के कार्यान्वयन करार के

ड्राफ्ट के लिए भूटान की टीम के साथ बातचीत में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता सचिव, भूटान की शाही सरकार ने की थी ।

- यूनिट ने, पूर्वोत्तर में पनविद्युत के विकास में मार्गदर्शन प्रदान करने और तेजी लाने के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने के लिए सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में अन्तर-मंत्रालयीय समूह में भाग लिया ।

- यूनिट ने, विद्युत क्षेत्रक से सम्बद्ध घरेलू उद्योग को पहुँचे नुकसान की देखभाल करने के लिए विकल्पों तथा प्रक्रियाओं का सुझाव देने के लिए, सदस्य (उद्योग), योजना आयोग की अध्यक्षता में समिति में भाग लिया । समिति ने चार पृथक-पृथक समूहों का गठन किया । समूह-I का गठन वरिष्ठ सलाहकार (विद्युत) की अध्यक्षता में किया गया जिसने "देशज संयंत्रों की तुलना में चीनी संयंत्रों की जीवन चक्र लागत आदि के विश्लेषण " पर अध्ययन की जांच की । समूह ने अपनी सिफारिशें समिति को प्रस्तुत कर दी ।

- वरिष्ठ सलाहकार (विद्युत) की अध्यक्षता में एक समिति, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण और वितरण सम्बद्ध मुद्दों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक विस्तृत स्कीम के कार्यान्वयन हेतु निधियन की प्रक्रियाओं/स्रोतों का पता लगाने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफरिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

- यूनिट के अधिकारियों ने वित्तीय संसाधन और कार्यदल बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया ।

- वरिष्ठ सलाहकार (विद्युत) ने, सौर प्रौद्योगिकियों के देशज विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नीति की सिफारिश करने के वास्ते राष्ट्रीय सौर मिशन को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरण की अध्यक्षता वाली समिति में भाग लिया । समिति ने, विकासकर्ताओं, विनिर्माताओं, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और उद्योग एसोसिएशनों के साथ एक पारदर्शी ढंग से विस्तारपूर्वक चर्चाएं आयोजित की ।

कोयला यूनिट

- यूनिट ने कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक में प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति की जाँच की तथा सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में आयोजित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मध्यावधि समीक्षा बैठकों में विचारार्थ मुद्दे प्रस्तुत किए ।

- यूनिट ने, सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में आयोजित ईंधन अवस्थापना समिति बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार चार उप-समितियां गठित की हैं । इन चार उप-समितियों से नई विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की आवश्यकता का आकलन करने के मुद्दों, केप्टिव खानों से उत्पादन वृद्धि करने के मुद्दों और खानों से विद्युत संयंत्रों तक कोयले की हेण्डलिंग और ढुलाई में बाधाओं के मुद्दों की जाँच करने के लिए कहा गया है । प्रधान सलाहकार (कोयला) की अध्यक्षता में एक उप-समिति खानों, पत्तनों और विद्युत संयंत्रों में कोयले की हेण्डलिंग और परिवहन में बाधाओं के मुद्दों की जांच करेगी।

- यूनिट ने, इस क्षेत्रक के विकास से सम्बद्ध विभिन्न वी आई पी संदर्भों/संसदीय प्रश्नों/ संसदीय आश्वासनों व अन्य अन्तर-क्षेत्रकीय नीतिगत मुद्दों की जांच की ।

- कोयला क्षेत्रक से सम्बद्ध कोयला खान परियोजनाओं व अन्य नीतिगत मुद्दों के सी सी ई ए प्रस्तावों/ पीआईबी/सिद्धांततः अनुमोदनों की जांच की गई तथा योजना आयोग के मत संबंधितों को प्रेषित किए गए ।

- यूनिट के अधिकारियों ने, योजना आयोग के मत को संसूचित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों; सीमेंट संयंत्रों और स्पंज आयरन संबंधी स्थायी

संयोजन समिति (दीर्घावधिक) विषयक बैठकों में भाग लिया ।

4.19 परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी)

कार्य

4.19.1 भारत सरकार में परियोजना मूल्यांकन की पद्धति को संस्थागत बनाने के लिए योजना आयोग में परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग की स्थापना 1972 में की गई थी । परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के कार्य इस प्रकार से हैं :

- परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उनके तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करना और फार्मैट विकसित करना ।
- परियोजना और कार्यक्रमों को आंकने के लिए कार्य प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार करने के उद्देश्य से अनुसंधान अध्ययन हाथ में लेना ।
- सरकारी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का काम हाथ में लेना ।
- परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्टें तैयार करने के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित करने में केंद्रीय मंत्रालयों की सहायता करना ।

मूल्यांकन कार्य

4.19.2 प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन के भाग के रूप में, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली योजना स्कीमों और परियोजनाओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करता है और योजना आयोग के विषय प्रभागों के साथ परामर्श करके आकलन टिप्पणियां तैयार करता है । पीएएमडी द्वारा मूल्यांकन टिप्पणी जारी किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह है । पीएएमडी द्वारा आकलन किए जाने से, प्रस्तावों के आकार और प्रकृति के आधार पर, सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड समिति (सीपीआईबी) द्वारा विचार किए जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा होती है । प्रभाग ने रेल मंत्रालय के 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाले प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करता है, जिनपर विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाता है । संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) प्रस्तावों का भी इस प्रभाग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि लागत और समय में वृद्धि के कारकों का विश्लेषण किया जा सके ।

4.19.3 मूल्यांकन फोरमों और अनुमोदन प्राधिकरण की वित्तीय सीमाएं निम्न प्रकार संशोधित कर दी गई हैं :

मूल्यांकन फोरम (सीमा-करोड़ रुपए में)

< 15.0 सामान्य रूप से मंत्रालय

>_ 15.0 < 50.0 स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)

>_ 50.0 और < 150.0 - व्यय वित्त समिति (ईएफसी)

- प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की अध्यक्षता में।

>_ 150.0 सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी/व्यय वित्त समिति (ईएफसी) - सचिव (व्यय) की अध्यक्षता; जहां, वित्तीय प्रतिफल की मात्रा तय हो सकती है उन परियोजनाओं/स्कीमों पर पीआईबी द्वारा व अन्यों पर ईएफसी द्वारा विचार किया जाएगा ।)

अनुमोदन फोरम की सीमा (करोड़ रुपए)

< 15.0 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव

>_ 15.0 < 75.0 - मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री

>_ 75.0 और < 150.0 - मंत्रालय /विभाग का प्रभारी मंत्री/वित्त मंत्री

>_ 150.0 मंत्रिमंडल/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)

टिप्पणी: उपरोक्त वित्तीय सीमाएं परियोजना/योजना के कुल आकार की दृष्टि से हैं, जिसमें बजटीय सहायता,

आंतरिक संसाधन, विदेशी सहायता, ऋण आदि शामिल हो सकते हैं ।

मुख्य-मुख्य बातें

- 1.4.2009 से 31.12.2009 की अवधि के बीच 175966.32 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों पर 156 मूल्यांकन टिप्पणियां जारी की जा चुकी हैं ।
- अप्रैल, 2009 से दिसम्बर 2009 के दौरान पीएएमडी में सिद्धांत रूप में स्वीकृति के 12 मामलों की जांच की गई ।
- विभागों/मंत्रालयों द्वारा समय तथा लागत बढ़ जाने की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए स्थायी समितियों का गठन किया गया । पीएएमडी के अधिकारियों ने स्थायी समिति की बैठकों में एक सदस्य के रूप में चर्चा की ।
- पीएएमडी अधिकारियों ने प्रस्तावों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 2 प्री-पीआईबी बैठकों में भाग लिया ।
- अप्रैल, 2009-दिसम्बर, 2009 के दौरान 36 ईएफसी/पीआईबी बैठकें आयोजित की गई जिनमें सलाहकार (पीएमडी) अथवा पीएएमडी के नामित अधिकारियों ने भाग लिया ।

सिद्धांततः प्रस्तावों की जांच-पड़ताल

4.19.4 योजना आयोग ने "सिद्धांततः " अनुमोदन पद्धति की समीक्षा की थी तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना से नई योजना स्कीमों को शामिल करने के लिए विद्यमान "सिद्धांततः " अनुमोदन में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे योजना आयोग के अध्यक्ष ने योजना आयोग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 29 अगस्त, 2006 के यूओ नोट सं. एन-11016/4/2006 के द्वारा संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं । संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार यदि स्कीम/परियोजनाएं योजना दस्तावेज में उल्लिखित हैं और परियोजना/स्कीम के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्णरूप में व्यवस्था कर दी गई है तो उसके संबंध में योजना आयोग के "सिद्धांततः " अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी । किंतु, यदि किसी स्कीम/परियोजना को किसी विद्यमान स्कीम में अतिरिक्त संघटक को पर्याप्त प्रावधान के साथ पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका तो उसके संबंध में मंत्रालय/विभाग द्वारा स्कीम/परियोजना को योजना में शामिल करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों (ईएफसी/पीआईबी/सीसीईए/ईबीआर आदि) की मंजूरी प्राप्त करने से पहले योजना आयोग का "सिद्धांततः " अनुमोदन आवश्यक होगा ।

4.19.5 मंत्रालय/विभाग की योजना में शामिल किए जाने हेतु परियोजना/स्कीम को समर्थ बनाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्तावों को (यदि लागत 50 करोड़ रुपए से अधिक है, तो व्यवहार्यता रिपोर्ट), योजना आयोग में विषय प्रभाग को "सिद्धांततः " अनुमोदन (सचिव से) हेतु सभी नई केन्द्रीय क्षेत्रक तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों को, उनमें अंतर्निहित परिव्यय पर ध्यान दिए बिना, भेजना होता है । दिनांक 5 सितम्बर 2005 के अ.शा. पत्र सं. एम.12043/10/2005-पीसी के अनुसार विद्युत और कोयला परियोजनाओं के संबंध में योजना आयोग के "सिद्धांततः " अनुमोदन की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है ।

4.19.6 पीएएमडी ने योजना आयोग में प्रभागाध्यक्षों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें दिनांक 22 नवंबर, 2007 के यू.ओ. संख्या ओ-14015/1/2006-पीएएमडी के अनुसार "सिद्धांततः " अनुमोदन के संबंध में प्रस्तावों की जांच करने के लिए प्रतिक्रियाएं दी गई हैं । मार्गनिर्देशों में व्यवस्था है कि योजना आयोग के अन्य संबद्ध विषय प्रभाग के साथ परामर्श करके, सचिव, योजना आयोग का "सिद्धांततः " अनुमोदन मांगे जाने से पहले, जांच करेगा, जिसमें पीएएमडी अनिवार्य रूप से शामिल होगा । 11वीं योजना प्रलेख में जो परियोजनाएं/स्कीमें सम्मिलित नहीं हैं, उनके संबंध में "सिद्धांततः" अनुमोदन आवश्यक है । "सिद्धांततः " अनुमोदन के लिए समय-सीमा चार सप्ताह है ।

ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की जांच

4.19.7 योजना आयोग ने, परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में विलंब होने को कम करके यह सुनिश्चित करने के लिए

कि विभागों/मंत्रालयों से पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन के प्राप्त होने के बाद 4 सप्ताहों में पीआईबी/ईएफसी का फैसला हो जाए, पीएएमडी ने दिनांक 22.11.2007 के यू.ओ. नं. ओ-14015/1/2006-पीएएमडी के अनुसार योजना आयोग में ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया जारी की । संशोधित प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग, ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन प्राप्त होने के बाद पीआईबी, ईएफसी के प्रबंध सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन में शामिल सूचना व प्राप्त अन्य सूचना के आधार पर, यह मूल्यांकन पूरा कर लेगा और पीआईबी/ईएफसी को प्रबंधन संबधी सलाह देगा ।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमडी द्वारा किया गया मूल्यांकन व्यापक और साथर्क हो, परियोजना प्राधिकारियों/प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जो हर पहलू से पूरे हैं, तथापि जहां ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन में संगत सूचना नहीं दी गई है तो पीएएमडी ऐसी कमियों का विनिर्धारण करेगा और मंत्रालय/विभाग से ऐसी सूचना मंगाएगा ।
- पीएएमडी द्वारा प्रबंधन सलाह देने के लिए अधिकतम सीमा पीआईबी/ईएफसी प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह तय की गई है । यदि पीएएमडी निर्धारित समय-सीमा (छः सप्ताह) के भीतर प्रस्ताव का मूल्यांकन करने में असफल होता है तो पीआईबी/ईएफसी की बैठक तय की जा सकती है और उनके विचार बैठक में प्राप्त किए जा सकते हैं ।
- वर्ष 2008-09 के दौरान प्रभाग में कुल 372603 करोड़ रुपए की लागत वाले 310 ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया । वर्ष 2009-10 (1.4.2009 से 31.12.2009 तक) में 175966.32 करोड़ रुपए की लागत वाले 156 ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें नए और संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) वाले प्रस्ताव भी शामिल थे ।

4.19.8 2009-10 के संबंध में तथ्य और आंकड़े (दिसम्बर 2009 तक)

ए. मूल्यांकन की गई परियोजनाओं की संख्या : 156	
बी. पूंजीगत लागतः 175966.32	
सी. निम्न क्षेत्रकों की मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या -	
- कृषि	12 (7.7%)
- ऊर्जा और परिवहन	35 (22.5%)
- उद्योग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	34 (21.8%)
- सामाजिक क्षेत्रक	44 (28.2%)
- संचार	6 (3.8%)
- अन्य	25 (16.0%)
योग	**156 (100%)**

मूल्यांकन प्राचलों की समीक्षाः

4.19.9 योजना स्कीमों/परियोजनाओं की नोडल मूल्यांकन एजेंसी होने के नाते पीएएमडी, समय-समय पर, मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय प्राचलों की समीक्षा भी करता है । "भारत में परियोजना मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय प्राचलों के अनुमान " के संबंध में एक अध्ययन मूल्यांकन प्राचलों, जैसे कि सामाजिक बट्टा दर, वित्तीय तथा आर्थिक आईआरआर, विदेशी मुद्रा पर सामाजिक प्रीमियम, छाया मजदूरी आदि का पुनः अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय से कराया गया था। अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिशें सरकार के अनुमोदनार्थ वित्त मंत्रालय को भेज दी गई हैं ।

4.19.10 **वार्षिक योजना तैयार करनाः** पीएएमडी, समग्र आयोजना प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्मिक/लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन अधिनियम और कानून व न्याय मंत्रालय सहित से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करने के कार्य में भी लगा है । पीएएमडी ने "वर्ष 2007-08 और 2008-09 तथा 2009-10 " के लिए योजना मंत्रालय के वार्षिक योजना परिव्ययों की जांच की और उन्हें अंतिम रूप दिया ।

4.19.11 पीएएमडी के अधिकारियों को राज्यों के अधिकारियों को परियोजना मूल्यांकन पद्धति में प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते, सांख्यिकी और कार्यक्रम, कार्यान्वयन

मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यशालाओं में भेजा गया ।

4.19.12 वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया (अप्रैल, 2009-दिसम्बर, 2009) उनका क्षेत्रकीय विभाजन संलग्न तालिका 4.19.1 और संलग्नक 4.19.1 में दर्शाया गया है । प्रमुख क्षेत्रक समूहों से संबंधित जानकारी संक्षेप में नीचे दी गई है:

तालिका 4.19.1 :

2008-09 और 2009-10 के दौरान मूल्यांकित क्षेत्रक-वार परियोजना

क्रम सं.	क्षेत्रक	2008-09			2009-10 (दिसम्बर 2009 तक)		
		सं.	लागत (करोड़ रुपए)	%	सं.	लागत (करोड़ रुपए)	%
1.	कृषि	58	37732.92	6.6	12	11855.82	6.8
2.	ऊर्जा	15	35645	6.2	13	15190.77	8.6
3.	परिवहन	19	14582.01	2.5	22	8147.05	4.6
4.	उद्योग	18	3449.64	0.6	20	12638.21	7.2
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	21	9543.88	1.7	14	3856.93	2.2
6.	सामाजिक सेवाएं	69	453201.36	79.2	44	111028.46	63.1
7.	संचार #	16	3957.74	0.7	6	7440.61	4.2
8.	अन्य @	30	13604.47	2.5	25	5808.47	3.3
	जोड़	**246**	**571717.20**	**100**	**156**	**175966.3**	**100**

डाक, सूचना और प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित है ।

@ गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग, पर्यटन, वाणिज्य, पर्यावरण और वन, न्याय, जल संसाधन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उपभोक्ता मामले, वित्त, रक्षा, प्रशासनिक सुधार, विदेश कार्य, योजना आयोग और कार्यक्रम कार्यान्वयन शामिल है ।

संलग्नक 4.19.1

पीएएमडी में मूल्यांकित ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की क्षेत्रक-वार संख्या और लागतें

क्रम सं.	क्षेत्रक	2008-09		2009-10 (दिसम्बर 2009 तक)	
		सं.	लागत (करोड़ रुपए)	सं.	लागत (करोड़ रुपए) %
1.	**कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रक**	**58**	**37732.92**	**12**	**11855.82**
	ऊर्जा	**15**	**35645.18**	**13**	**15190.77**
2.	विद्युत और कोयला	13	34501.68	9	12134.85
3.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	2	1143.5	1	993.00
4.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	-	-	3	2062.92
	परिवहन	**19**	**14582.01**	**22**	**8147.05**
5.	रेलवे	3	4270.5	7	4554.03
6.	सतही परिवहन	2	395.8	14	3240.82
7.	नागर विमानन	6	5412.5	1	352.20
8.	नौवहन	8	4503.21	0	0
	उद्योग	**18**	**3449.64**	**20**	**12638.21**
9.	उद्योग व एसएसआई	9	1567.22	9	2519.87
10.	इस्पात व खान	1	118	0	0
11.	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक	1	340	6	7402.76
12.	इलैक्ट्रोनिक	0	0	0	0
13.	वस्त्र	6	1335.93	4	2350.00
14.	खाद्य प्रसंस्करण	1	88.49	1	365.58
	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	**21**	**9543.88**	**14**	**3856.93**
15.	बायो टेक्नोलॉजी	5	1764.33	2	649.51
16.	विज्ञान व प्रौद्योगिकी	5	5101.5	6	1593.67
17.	वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान	3	971.97	3	963.23
18.	महासागर विकास	0	0	0	0
19.	भू विज्ञान	8	1406.08	3	650.52
	सामाजिक सेवाएं	**69**	**453201.36**	**44**	**111028.46**
20.	मानव संसाधन विकास/संस्कृति	17	124589.40	44	111028.46
21.	युवा मामले व खेल	2	2595.05	6	1791.05
22.	स्वास्थ्य	22	31319.85	14	19874.06
23.	महिला व बाल विकास	4	127541.8	2	8990.52
24.	श्रम	1	2890	1	88.33
25.	सामाजिक न्याय	5	6273.48	1	106.00
26.	शहरी विकास	10	17878.62	5	2472.02
27.	ग्रामीण विकास	8	140113.16	1	343.76
	संचार	**16**	**3957.74**	**6**	**7440.61**
28.	सूचना एवं प्रसारण	6	1433.37	3	1075.95
29.	डाक	10	2523.37	1	274.66

क्रम सं.	क्षेत्रक	2008-09		2009-10 (दिसम्बर 2009 तक)	
		सं.	लागत (करोड़ रुपए)	सं.	लागत (करोड़ रुपए) %
30.	सूचना प्रौद्योगिकी	0	0	0	0
31.	संचार	0		2	6090.00
	अन्य	**30**	**13604.47**	**25**	**5808.47**
32.	गृह कार्य एवं कार्मिक विभाग	10	6691.65	5	1373.79
33.	पर्यटन	2	729	0	0
34.	वाणिज्य	1	95	2	127.90
35.	पर्यावरण एवं वन	3	1397.29	5	922.02
36.	न्याय	0	0	0	0
37.	जल संसाधन	2	200.55	0	0
38.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	4	190.37	7	2066.19
39.	उपभोक्ता मामले	0	0	3	573.79
40.	वित्त/कंपनी मामले	0	0	0	0
41.	रक्षा	0	0	0	0
42.	प्रशासनिक सुधार	1	128.42	0	0
43.	अल्पसंख्यक आयोग	1	196	1	92.71
44.	योजना आयोग	4	2067.50	1	147.31
45.	विदेशी मंत्रालय	2	1795.00	1	504.76
	जोड़	**246**	**571717.20**	**156**	**175966.3**

4.20 भावी योजना प्रभाग

भावी योजना प्रभाग में प्रमुख कार्यकलाप

4.20.1 भावी योजना प्रभाग के कार्य का संबंध योजना को समूचे रूप से वृहद-आर्थिक ढांचे में एकीकृत करना है, जिसमें संभावनाओं और बाधाओं की रूपरेखा दी गई हो और संभाव्यताओं, बाधाओं और महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में विकास का दीर्घकालिक दृश्य प्रस्तुत किया गया हो ।

4.20.2 यह प्रभाग, आयोग को योजना और नीति संबंधी मुद्दों में सहायता देता है, जो अर्थव्यवस्था के बहुविध क्षेत्रकों, जैसे कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, वित्तीय संसाधन, भुगतान संतुलन, सामाजिक सेवाएं, जनांकिकी, गरीबी और रोजगार से संबंधित हैं । योजनाओं में अंतर्क्षेत्रकीय संगति लाने के लिए योजना माडलों, उप-माडलों और सामग्री संतुलन की प्रणाली का उपयोग किया जाता है । प्रभाग में किए जाने वाले प्रयास से उपभोग, निवेश, आयात, निर्यात तथा साथ ही सामाजिक विकास संकेतकों, राजकीय वित्त आदि को प्रस्तुत करने संबंधी समग्र वृहद आर्थिक रूपरेखा (मैक्रो फ्रेमवर्क) तैयार करने में सहायता मिलती है ।

4.20.3 प्रभाग अपनी नियमित कार्रवाईयों के एक अंग के रूप में :

(i) विकास की उपयुक्त कार्यनीति के लिए दीर्घकालिक उद्देश्यों के निहितार्थों का विश्लेषण करने के जरिए मध्यावधिक और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए एक समग्र ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार करता है ।

(ii) अंतर्कालिक (इंटर टेम्पोरल), अन्तर्क्षेत्रीय और अंतक्षेत्रकीय संदर्भ में चालू नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करता है ।

(iii) योजना के उद्देश्यों और योजना आबंटन के बीच सगति, विकास की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के क्षेत्रीय वितरण की अनुरूपता, विभिन्न आय समूहों के लोगों के उपभोग के स्तर पर कीमतों की वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव, अर्थव्यवस्था में बचत, अर्थव्यवस्था में निवेश और विदेश व्यापार की प्रवृत्तियों, लोक निवेश के लिए अर्थव्यवस्था की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करता है ।

(iv) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों का उपयोग करके राज्यवार गरीबी अनुपातों का अनुमान लगाना और गरीबी के सूचकांकों में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना ।

(v) भारत व अन्य विकासशील देशों के हित को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूटीओ में बातचीत के लिए कार्यनीति के संबंध में सलाह देता है ।

(vi) आयोजन की प्रक्रिया, सरकारी क्षेत्रक के कार्यक्रम को सरकारी व्यय के योजना-भिन्न पक्ष से योजना पक्ष में अथवा विपर्ययेन अंतरित करने से संबंधित तकनीकी मुद्दों के बारे में योजना आयोग को अपने विचार बनाने में सहायता देता है ।

(vii) संसद, अर्थशास्त्रियों के मंच, राज्यों में आर्थिक आयोजन अभिकरणों, अन्य देशों से आए राष्ट्रीय योजना आयोगों के प्रतिनिधियों और सरकार के संबंधित नोडल मंत्रालयों के माध्यम से अन्य देशों एवं बहुराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा "आयोजन की प्रक्रिया " के बारे में उठाए गए मुद्दों के संबंध में योजना आयोग के प्रत्युत्तर में योगदान करता है।

(viii) सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के योजना प्रस्तावों के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग ।

4.20.4 प्रभाग, निम्नलिखित में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद।

(ii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की शासी परिषद ।

(iii) नेशनल अकाउंट्स आफ सीएसओ की सलाहकार समिति ।

(iv) राष्ट्रीय सांख्यिकी सलाहकार बोर्ड ।

(v) आर्थिक विकास संस्थान में "विकास योजना केंद्र " की शासी परिषद ।

(vi) योजना और नीति अनुसंधान यूनिट (पीपीआरयू) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की सलाहकार समिति, दिल्ली केंद्र ।

(vii) संयुक्त राष्ट्र संघ के समाज विकास आयोग से संबंधित कार्य के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग ।

(viii) डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी करार के विषय में बातचीत हेतु वाणिज्य मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयीय समिति ।

(ix) विश्व बैंक सहाय्यित "भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना " के राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो को सुदृढ़ करने की विशिष्ट आवश्यकता का घटक विनिर्धारण करने के लिए कार्य दल ।

(x) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित सहस्राब्दि विकास संकेतकों के संकलन और रिपोर्ट करने के संबंध में रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयीय विशेषज्ञ समिति ।

4.20.5 प्रभाग के अधिकारी निम्नलिखित कार्यकलापों से जुड़े रहे हैं :

(I) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान किएः

i. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक बृहद आर्थिक संगति रूपरेखा के भीतर लक्षित वृद्धि दर के बृहद आर्थिक और साथ ही क्षेत्रकीय प्राचलों का विकास और अनुमान ।

ii. राष्ट्रीय उन्नति लक्ष्यों को राज्यवार उन्नति लक्ष्यों को पृथक्कृत करना और उनका क्षेत्रकीय वितरण।

iii. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यातों, आयातों में वृद्धि, चालू खाता संतुलन और विदेशी निवेशों सहित विदेशी क्षेत्रक आयामों के लिए अनुमान ।

iv. राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता अनुपात को राज्य स्तर पर पृथक्कृत करना ।

v. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों का आकलन ।

vi. योजनागत व्यय के राजस्व-पूंजी मिश्रण पर तकनीकी टिप्पणी तैयार की ।

vii. योजना आयोग द्वारा गठित गरीबी का अनुमान लगाने के लिए समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह के लिए सेवा प्रभाग ।

viii. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए नोडल प्रभाग ।

(II) भावी आयोजना प्रभाग का प्रतिनिधित्व किया और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कार्यकारी समूहों/उपसमूहों को तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराए ।

i. बचत संबंधी कार्यकारी समूह ।

ii. न्यायसंगत विकास पर विशेषज्ञ समूह ।

iii. जनसंख्या स्थिरीकरण पर कार्यकारी समूह ।

(III) अन्य समितियों के सदस्य

i. व्यापार सूचकांकों के लिए आधार वर्ष संशोधित करने संबंधी तकनीकी समिति ।

ii. डब्ल्यूटीओ बातचीत के कृषि विषयक समझौते पर अंतर्मंत्रालयी समिति ।

iii. डब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के लिए व्यापार नीति की समीक्षा ।

4.21 ग्रामीण विकास प्रभाग

4.21.1 ग्रामीण विकास प्रभाग, गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन कार्यक्रमों, परती भूमि तथा अवक्रमित भूमि के

विकास से संबंधित मामलों पर योजना आयोग में एक नोडल प्रभाग है । यह प्रभाग, संबंधित विकासात्मक मुद्दों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग और भू-संसाधन विभाग) के साथ भी नियमित रूप से वैचारिक आदान-प्रदान करता है ।

4.21.2 प्रभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग और भू-संसाधन विभाग के संबंध में ईएफसी प्रस्तावों, मंत्रिमण्डल पत्रों की जांच की गई और उन्हें टिप्पणियां भेजी गईं । प्रभाग के अधिकारियों ने पीएएमडी के प्रतिनिधियों के साथ, ग्रामीण विकास विभाग और भू-संसाधन विभाग की ईएफसी की बैठकों में भाग लिया ।

4.21.3 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और भू संसाधन विभाग (डीओएलआर) के वार्षिक योजना प्रस्तावों और बजट अनुमानों की ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा विस्तार से जांच की गई । इसके अलावा, ग्रामीण विकास क्षेत्रक के तहत वार्षिक योजना प्रस्तावों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई तथा उनके वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित राज्य सरकार अधिकारियों के साथ चर्चा आयोजित की गई ।

4.21.4 प्रभाग ने, डीओआरडी और डीओएलआर के अधिकारियों के साथ ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) पर चर्चा करने के लिए सदस्य (आरडी) की अध्यक्षता में बैठकें बुलाई तथा ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन संबंधी अध्याय तैयार किया।

4.21.5 प्रभाग, संसद प्रश्न, संसदीय मामलों, वीआईपी संदर्भों प्र.म.का. से प्राप्त संदर्भों व अन्य अभ्यावेदनों से संबंधित कार्य की भी देखभाल करता है ।

4.21.6 सचिव (पी.सी.), मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में गठित वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) संबंधी कार्यदल के एक सदस्य हैं । कार्यदल ने योजना आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से, विकास में महत्वपूर्ण अंतरों का पता लगाने तथा 33 एलडब्ल्यूई जिलों के लिए विशेष विकास योजना तैयार करने में जिला प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) के गठन का कार्य सौंपा । इस प्रयोजनार्थ 8 आई एम जी का गठन किया गया तथा सभी 33 एल डब्ल्यु ई जिलों ने विशेष विकास योजनाएं (एस डी पी) प्रस्तुत कर दी हैं । एस डी पी के प्रस्तावों को निधियों के आबंटन हेतु संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा गया । इन 33 एल डब्ल्यु ई जिलामें में विकास स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति का मानीटरन करने के लिए एक एम आई एस पोर्टल योजना आयोग में स्थापित किया गया है । सचिव, योजना आयोग ने तीन बैठकें/विडियों कन्फरेंसिंग भी आयोजित की तथा संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया तथा 33 एल डब्ल्यू ई जिलों में विकास स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।

4.21.7 प्रभाग के अधिकारियों को अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित अनेक समितियों में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं : (i) केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद्, (ii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत केंद्रीय स्तर समन्वय समिति, (iii) एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के लिए परियोजना अनुमोदन समिति ; (iv) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई); (v) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करने (पीयूआरए) संबंधी संचालन समिति; (vi) आई डब्ल्यू एम पी के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुमोदनार्थ डी ओ एल आर की संचालन समिति ; (vii) डी आर डी ए प्रशासन स्कीम संबंधी विशेषज्ञ समिति ; (viii) विशेष अवस्थापना स्कीमों (एस आई एस) के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुमोदनार्थ गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति । प्रभाग के वरिष्ठ सलाहकार, सलाहकारों और निदेशकों ने उपरोक्त समितियों की बैठकों में भाग लिया ।

4.22 विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

4.22.1 एस एण्ड टी प्रभाग, केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों, नामतः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर), सी एस आई आर सहित, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई), अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस) और मृदा विज्ञान विभाग (एम ओ ई एस) आदि के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से देश के समग्र विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष होने के नाते इन मंत्रालयों/विभागों के अधिकांश नए कार्यक्रमों को वार्षिक योजना (2009-10) अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया । इन विभागों के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमुख रूप से सामाजिक लाभ के लिए एस एण्ड टी का दोहन करने, विज्ञान में कैरियर हेतु युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करने और अनुसंधान संस्थानों/प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच संयोजनों को देश में सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है ।

4.22.2 वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित एक प्रमुख कार्यकलाप विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि आकलन किया जाना था । इस प्रयास के एक भाग के रूप में, छः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों/मंत्रालयों से उनकी उपलब्धियों/कमियों का ग्यारहवीं योजना उद्देश्यों की दृष्टि से पता लगाने के लिए इनपुट प्राप्त करने तथा अपेक्षित मध्यावधि सुधारों के संबंध में छः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों/मंत्रालयों के लिए विशेष रूप से प्रोफार्मा तैयार किया गया । इन इनपुटों के आधार पर, छः विभागों/मंत्रालयों में से प्रत्येक की स्थिति के संबंध में एक विश्लेषण किया गया और उस पर सदस्य (विज्ञान), योजना आयोग की अध्यक्षता में विभागों/मंत्रालय के सचिवों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं ।

4.22.3 इन बैठकों में आयोजित चर्चाओं के आधार पर एम टी ए रिपोर्ट का एक मसौदा, सदस्य (विज्ञान), योजना आयोग की अध्यक्षता में इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित विशेषज्ञों के परामर्शी समूह के विचारार्थ तैयार किया गया । विशेषज्ञों के परामर्श समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एम टी ए रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया और उसे बाद में संपादकीय समिति के मार्गनिर्देशानुसार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी एम टी ए चेप्टर के रूप में परिवर्तित किया गया ।

4.22.4 केंद्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों, नामतः परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई-आर ए डी), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) सहित, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) और मृदा विज्ञान मंत्रालय (एम ओ ई एस), के वार्षिक योजना (2010-11) प्रस्तावों की जांच की गई तथा वार्षिक योजना (2010-11) के लिए वित्तीय आवश्यकता का आकलन करने के लिए इन मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों, 2008-09 के दौरान प्रमुख उपलब्धियों, 2009-10 के दौरान संभावित उपलब्धियों, 2010-11 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों और उनकी वचनबद्ध देनदारियों के ब्यौरों पर गहराईपूर्वक चर्चा की गई ।

4.22.5 इसके बाद, वार्षिक योजना (2010-11) आवश्यकताओं का अंतिम अनुमान लगाने के लिए संबंधित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों के सचिवों के साथ सदस्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं ।

4.22.6 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रक से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना (2009-10) प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जांच की गई तथा एस एण्ड टी क्षेत्रक के अंतर्गत वार्षिक योजना 2009-10 परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए उन पर कार्यदल की बैठकों में चर्चा की गईं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस एण्ड टी अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए गए । चर्चाओं के दौरान, राज्य विशिष्ट का विनिर्धारण करने, निधियन हेतु केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों को प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावों के निर्माण में वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकी विदों और शिक्षाविदों को शामिल करके स्थानीय विशेषज्ञता को

प्रोत्साहित करने, केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के साथ सतत रूप से विचार-विमर्श करके राज्य एस एण्ड टी परिषदों के कार्यकलापों को सुदृढ़ करने, विज्ञान के प्रति युवा प्रतिभा को आकर्षित करने पर प्रमुख रूप से बल दिया गया ।

4.22.7 नाभिकीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, महासागरीय विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास, आर एण्ड डी हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन आदि क्षेत्रों में अनेक ई एफ सी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल प्रस्तावों, सचिवों की समिति के लिए नोट की 2009-10 के दौरान जांच की गई । जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों की जांच की गई उनमें शामिल हैं : जी एस ए टी-10 संचार उपग्रह का डिजाइन और विकास, जी एस ए टी-11 का डिजाइन और विकास, आपदा प्रबंधन सहायता (डी एम एस) संचार उपग्रह के लिए एक वायुयान की प्राप्ति, एंटार्कटिका के लिए अभियान और एंटार्कटिका में तृतीय स्टेशन की स्थापना, विमानन और मौसम विज्ञानीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, एंटार्कटिका, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर और भारतीय महासागर प्रचालनों के लिए आधुनिकतम वैज्ञानिक उपस्कर/यंत्रों के साथ सज्जित एक हिम श्रेणी अनुसंधान पोत का निर्माण, बंगलौर में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, बेसिक अनुसंधान हेतु वृहद विज्ञान सुविधाएं, भारत-जर्मन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, मद्रास में समुद्रीय जैव-प्रौद्योगिकी की स्थापना, बंगलौर में रेशम और जैव सामग्री संस्थान की स्थापना आदि । प्रभाग के अधिकारियों ने इन परियोजनाओं से सम्बद्ध ई एफ सी बैठकों में भाग लिया ।

4.22.8 वार्षिक योजना 2008-09 के संबंध में डी एस टी, डी बी टी, डी ए ई (आर एण्ड टी सेक्टर), डी ओ एस और एम ओ ई एस की अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षाएं, इन मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों का मानीटरन करने के लिए आयोजित की गईं तथा इन विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन में और सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए ।

4.22.9 2009-10 के दौरान गठित नए योजना आयोग को एस एण्ड टी प्रभाग की प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा सदस्य (विज्ञान) को प्रत्येक एस एण्ड टी विभाग/मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकलापों की जानकारी प्रदान करने के लिए पश्चिम बैठकें आयोजित की गईं । इस संदर्भ में, कुछ संस्थानों के अनुसंधान कार्यकलापों के संबध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ का दौरा भी किया गया ।

4.23 अवसंरचना संबंधी समिति के लिए सचिवालय

4.23.1 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जी डी पी की औसतन 9% वृद्धि दर बनाए रखने के लिए अवसंरचना में लगभग 20.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है क्योंकि सरकारी क्षेत्रक संपूर्ण निवेश का वित्त पोषण करने में समर्थ नहीं होगा इसलिए ग्यारहवीं योजना के लिए कार्यनीति के अंतर्गत सीधे ही अथवा विभिन्न सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के रूपों के माध्यम से भी निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहन प्रदान किया गया ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में अवसंरचना में निवेश

4.23.2 क्षेत्रक-वार नीचे से ऊपर के अनुमानों के आधार पर ग्यारहवीं योजना के पहले 2 वर्षों के दौरान अवसंरचना में कुल निवेश तालिका 4.23.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.23.1 :
अवस्थापना में क्षेत्रक-वार निवेशः 2007-08 और 2008-09

(2006-07 कीमतों पर करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	2007-08		2008-09	
	पूर्वानुमान	वास्तविक	पूर्वानुमान	वास्तविक
बिजली (एनसीई सहित)	81954	84,047	101553	95,264
सड़कें तथा पुल	51822	41,318	54789	46,010
दूरसंचार	31375	94,621	38134	109,030
रेलवे (एम आर टी एस सहित)	34225	31,182	40964	39,095
सिंचाई (डब्ल्यू एस सहित)	27497	38,789	35916	44,858
जलापूर्ति और स्वच्छता	19298	19,110	22781	19,939
बंदरगाह (अंतर्देशीय जलमार्गों सहित)	12409	4,581	14822	6,703
हवाईअड्डे	5208	6,912	5520	7,522
भण्डारण	3777	434	4098	530
तेल और गैस पाइपलाइन	2708*	7,685	3003*	12,630
जोड़	**270,273**	**328,679**	**321,579**	**381,580**

4.23.3 तालिका 4.23.1 से यह देखा जा सकता है कि ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों में अवस्थापना में कुल वास्तविक निवेश वर्ष-वार मूल पूर्वानुमानों को पार कर गया । 2007-08 में 2,70,273 करोड़ रुपए के प्रक्षेपित अनुमान के मुकाबले वास्तविक निवेश 3,28,679 करोड़ रुपए का हुआ जो 21.6% अधिक है । इसी प्रकार, 2008-09 में 3,81,580 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश मूल पूर्वानुमानों से 18.7% अधिक है ।

नीतिगत पहलें

4.23.4 निजी भागीदारी के लिए एक समर्थनकारी परिवेश कायम करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक पहलें की हैं। इनमें से कुछेक पहलों पर नीचे चर्चा की गई हैः -

क. अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समितिः

4.23.5 समर्थनकारी नीतिगत रूपरेखा और पीपीपी परियोजनाओं के सुचारू मानीटरन के उद्देश्य से सरकार ने, ऐसी नीतियां शुरू करने के उद्देश्य से जिनसे विश्व श्रेणी की स्थापना एक समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित होगी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने, ऐसी पद्धतियां विकसित करने के लिए जिनसे पीपीपी की भूमिका अधिकतम होगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थापित लक्ष्य प्राप्त हो जाएं, प्रमुख अवस्थापना

परियोजनाओं की प्रगति का मॉनीटरन करने के लिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगस्त 2004 में एक अवस्थापना संबंधी समिति (सी ओ आई) गठित की थी । इन पहलों को और बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2009 में अवसंरचना के संबंध में एक मंत्रिमंडल समिति की स्थापना की गई।

ख. मॉडल दस्तावेज

4.23.6 नीतिगत रूपरेखा की एक महत्वपूर्ण विशेषता मॉडल दस्तावेजों को अपनाया जाना है, जैसे कि पी पी पी परियोजनाएं अवार्ड करने के लिए रियायत (कन्सेशन) करार व अन्य बोली दस्तावेज । क्योंकि पीपीपी परियोजनाओं के अंतर्गत विशिष्ट रूप से सार्वजनिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण अथवा पट्टे पर देना, एक एकाधिकारवादी परिवेश में सार्वजनिक यूटिलिटियों/सेवाओं का प्रचालन और/अथवा नियंत्रण, उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के लिए सरकारी प्राधिकार का प्रत्यायोजन और सरकार द्वारा जोखिम और आकस्मिक देनदारियाँ बांटना सम्मिलित है इसलिए उन्हें सार्वजनिक परियोजनाओं के रूप में समझा जाना चाहिए जिसके अंतर्गत जवाबदेही सरकार के पास बनी रहेगी । सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से निजी निवेश प्राप्त करने के लिए पीपीपी प्रक्रिया एकमात्र साधन है । इसलिए पीपीपी करारों की संरचना करने के लिए भागीदारियों की जटिल प्रकृति और उपभोक्ताओं व साथ ही राजकोष के हितों को संरक्षण प्रदान करने की जरूरत के कारण उच्च किस्म के विवेक की आवश्यकता है । करारों/कंसेशनों में अपर्याप्तताओं से, सरकारी राजकोष गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, किराया (रेंट) प्राप्त करने और पीपीपी परियोजनाओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना हो सकती है । इसलिए, मानक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं पर निर्भरता से निर्णय निर्माण में और परियोजना को इस ढंग से अवार्ड करने में सुविधा मिलेगी जो निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो ।

4.23.7 योजना आयोग, इन क्षेत्रकों में प्रमुख अवसंरचना संबंधी क्षेत्रों का पता लगाने और पीपीपी परियोजनाओं की बोली लगाने व मानीटरन के लिए प्रयुक्त दस्तावेजों के मानकीकरण का कार्य जारी रखे हुए है । एक समर्थनकारी नीतिगत व विनियामक परिवेश उपलब्ध कराने के अलावा, इन मानकीकृत दस्तावेजों से, जिनका बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया गया है, कार्यान्वयन स्तर पर क्षमता सुदृढ़ीकरण की अत्याधिक आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाएगी । अवसंरचना के प्रोन्नयन और विकास को सुकर बनाने के लिए दिसम्बर 2009 तक योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रकाशित किए गए हैं :

पीपीपी परियोजनाओं के लिए मॉडल रियायत करार (एम सी ए) :

- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एम सी ए
- राज्य राजमार्गों के लिए एम सी ए
- राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए एम सी ए
- राष्ट्रीय राजमार्गों (छः लेन वाले) के लिए एम सी ए
- शहरी रेल मार्गस्थ पद्धतियों के लिए एम सी ए
- मेट्रो-भिन्न हवाई अड्डों के लिए एम सी ए
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए एम सी ए
- बंदरगाहों के लिए एम सी ए
- कंटेनर ट्रेन प्रचालनों के लिए एम सी ए
- रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए एम सी ए
- इंजिनों के लिए प्रापण-सह-अनुरक्षण करार

पीपीपी परियोजनाओं के लिए मॉडल बोली दस्तावेज

- पीपीपी परियोजनाओं के लिए पात्रता दस्तावेज के लिए माडल अनुरोध (आर एफ क्यू)
- पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव हेतु माडल अनुरोध (आर एफ पी)
- तकनीकी परामर्शदाताओं के चयन के लिए माडल अनुरोध (आर एफ पी)
- विधि सलाहकारों के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु माडल अनुरोध (आर एफ पी)
- पारेषण परामर्शदाताओं के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु माडल अनुरोध (आर एफ पी)

पीपीपी परियोजनाओं के लिए आकलन, अनुमोदन और सहायता के संबंध में मार्गनिर्देश

- अवसंरचना में पीपीपी के लिए वित्तीय सहायता (वी जी एफ स्कीम) के संबंध में मार्गनिर्देश
- पीपीपी परियोजनाओं के निर्माण, आकलन और अनुमोदन (पीपीपीएसी) के संबंध में मार्गनिर्देश
- भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी (आई आई एफ सी एल) के माध्यम से वित्त पोषण की स्कीम
- अवसंरचना में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के संबंध में मार्गनिर्देश

नीति दस्तावेज और रिपोर्ट

अवसंरचना का वित्त पोषण

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वानुमानः अवसंरचना में निवेश
- अवसंरचना में निजी भागीदारी
- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वित्त पोषण योजना संबंधी कोर समूह की रिपोर्ट
- हवाई अड्डों के लिए वित्त पोषण योजना संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट
- बंदरगाहों के लिए वित्त पोषण योजना संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट

विनियमन

- पीपीपी परियोजनाओं के मानीटरन के लिए मार्गनिर्देश
- अवसंरचना के विनियमन के प्रति दृष्टिकोण
- ड्राफ्ट विनियामक सुधार विधेयक

विद्युत क्षेत्रक

- विद्युत क्षेत्रक में मुक्त सुलभता को प्रचालनरत बनाने के लिए कार्यदल की रिपोर्ट

राष्ट्रीय राजमार्ग

- एन एच ए आई की पुनर्संरचना संबंधी अन्तर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट
- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए चुंगी कर नीति की समीक्षा करने के संबंध में सचिवों की समिति की रिपोर्ट
- सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन संबंधी समिति की रिपोर्ट

रेलवे

- दिल्ली-मुम्बई और दिल्ली-हावड़ा-भाड़ा कॉरिडोरों संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट

बंदरगाह

- बड़े बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए ट ैरिफ पद्धति संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट
- बड़े बंदरगाहों की सड़क-रेल कनेक्टिविटी संबंधी सचिवों की समिति की रिपोर्ट
- कंटेनर फ्रेट स्टेशन और बंदरगाहों की सीमाशुल्क प्रक्रियाओं के संबंध में आई एम जी की रिपोर्ट
- बंदरगाहों पर कार्गो के रूकने के समय को कम करने संबंधी - आई एम जी की रिपोर्ट

हवाई अड्डे

- एयर कार्गो और हवाई अड्डों में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण के संबंध में आई एम जी की रिपोर्ट
- हवाई अड्डा टर्मिनलों की क्षमता कें संबंध में मानदण्ड और मानकों के संबंध में आई एम जी की रिपोर्ट

सर्वोत्तम प्रथाएं

- परामर्शदाताओं का चयनः सर्वोत्तम प्रथाएं
- माडल आर एफ क्यु दस्तावेजों के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू)

मानकों और विनिर्देशों की नियमावलियाँ

- राजमार्गों को दो लेन वाला बनाने के लिए विनिर्देशों और मानकों की नियमावली
- राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने के लिए विनिर्देशों और मानकों की नियमावली

4.23.8 योजना आयोग ने, वित्त पोषण जरूरतों की मात्रा और उनके वित्त पोषण के लिए संभावित स्रोतों का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रकों में वित्त पोषण योजनाओं को संशोधित करने के लिए अब एक कार्रवाई शुरू की है ।

(ग) सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी पी पी ए सी)

4.23.9 केंद्रीय सरकार के सभी पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक कारगर, सुपरिभाषित सतत और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 12 जनवरी 2006 को पीपीपी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष सचिव, आर्थिक कार्य विभाग हैं तथा इसके संघटक सदस्यों के रूप में सचिव, योजना आयोग, संबंधित प्रशासनिक विभागों और व्यय तथा विधिक मामले विभागों के सचिव सम्मिलित हैं । 2008-09 में, सी ओ आई के सचिवालय में पीपीपीएसी के विचारार्थ लगभग 98597 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 71 परियोजनाओं का आकलन किया गया (सड़कें-60, नौवहन-7, रेलवे-1, पर्यटन-1 और नागर विमानन-2) । वर्ष 2009-10 में 31 दिसम्बर 2009 तक, 59573 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 69 परियोजनाओं का आकलन किया गया ।

तालिका 4.23.2 :
आकलित (दिसम्बर 2009 तक) पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रकवार विवरण

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	निवेश
सड़कें	57	47274
नौवहन	11	12299
लघु उद्योग	1	आर एफ क्यू दस्तावेज की जांच की गई
जोड़	69	59573

4.23.10 केंद्रीय सरकार की परियोजनाओं के अलावा, पीपीपी आकलन यूनिट (पीपीपीएयू), अवस्थापना में पीपीपी के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत क्षमता अन्तर वित्त पोषण (वी जी एफ) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं का भी आकलन करता है । वी जी एफ स्कीम के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना पूंजी लागत के 20% तक की सहायता मंजूर की जा सकती है जो प्रायोजक मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त परियोजना लागतों के 20% तक के अतिरिक्त अनुदान के अलावा है । वर्ष 2008-09 के दौरान अवस्थापना संबंधी सचिवालय के पीपीपीएयू द्वारा 43336.1 करोड़ रुपए के निवेश वाली 33 पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया (सड़क क्षेत्रक-29, नौवहन-4) । वर्ष 2009-10 में, लगभग 7856 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाली 20 राज्य परियोजनाओं का आकलन किया गया । उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 4.23.3 :
वी जी एफ के अनुदान के लिए (दिसम्बर 2009 तक) आकलित पीपीपी परियोजनाओं में परिकल्पित राज्य-वार/क्षेत्रक-वार निवेश

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	निवेश (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	1	808.8
बिहार	1	1388.0
गुजरात	2	1223.3
कर्नाटक	4	1011.1
मध्य प्रदेश	3	499.3
महाराष्ट्र	7	2558.9
राजस्थान	2	367.0
जोड़	20	7856.3

भारतीय अवसंचरना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल)

4.23.11 जिन अवस्थापना परियोजनाओं के लिए विशिष्ट रूप से लंबी परिपक्वानावधि की जरूरत होती है उन्हें दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के परामर्श से एक पूर्णतः स्वामित्व वाला एस पी वी भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आई आई एफ सी एल) स्थापित किया गया । सी ओ आई के लिए सचिवालय, व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्कीम के साथ उनकी अनुरूपता की दृष्टि से सावधि ऋणों के लिए आई आई एफ सी एल को प्राप्त प्रस्तावों की जांच करता है । आई आई एफ सी एल, वाणिज्यिक व्यवहार्य परियोजनाओं की पूंजी लागतों के 20% तक सीधे ही उधार दे सकता है । यह दस वर्ष से अधिक अवधि के ऋणों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त भी उपलब्ध करा सकता है । प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से चुनी गई पीपीपी परियोजनाओं को आई आई एफ सी एल द्वारा उधार देने में प्राथमिकता प्रदान की जाती है । 31 दिसम्बर 2009 तक आई आई एफ सी एल ने

168,026 करोड़ रुपए की राशि की परियोजना लागत के साथ 95 प्रस्ताव अनुमोदित किए जैसा कि नीचे तालिका 4.23.4 में दिया गया है ।

तालिका 4.23.4 :

आई आई एफ सी एल द्वारा मंजूर ऋणों का क्षेत्रक-वार ब्यौरा (31 दिसम्बर 2009 की स्थिति)

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	मंजूर ऋण
सड़कें	63	54,009	8,275
बंदरगाह	6	4,985	820
हवाई अड्डे	2	14,716	2,150
विद्युत	23	94,246	9,629
शहरी अवस्थापना	1	70	14
जोड़	95	168,026	20,888

राज्य सरकारों का सहयोग

4.23.12 भारत जैसे संघीय देश में राज्य सरकारों का सहयोग और सहायता विश्व श्रेणी की अवसंरचना का विकास करने के लिए अनिवार्य है । कानून और व्यवस्था बनाए रखने, भू-अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना, यूटिलिटियों के स्थानान्तरण और पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त करने में राज्य सरकारों की सहायता आवश्यक है । अनेक राज्यों ने भी अवसंरचना में सुधार करने के लिए बहुत सी पीपीपी परियोजनाएं प्रारंभ की हैं ।

क्षेत्रकीय प्रगति

विद्युत क्षेत्रक

4.23.13 ग्यारहवीं योजना के दौरान 78,700 मे.वा. की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है जो पिछली तीन योजना अवधियों के दौरान 16,000 से 21,000 मे.वा. के बीच प्राप्त की गई क्षमता अभिवृद्धि से लगभग चार गुणा है । 31.8.2009 तक 17140 मे.वा. क्षमता चालू की जा चुकी है तथा ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कुल 45,234 मे.वा. क्षमता प्राप्त होने की संभावना है । अन्तर-क्षेत्रीय विद्युत स्थानान्तरण क्षमता जुलाई 2009 तक बढ़कर 20,800 मे.वा. हो गई है ।

4.23.14 अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत क्षेत्रक में मुक्त सुलभता को प्रचालनात्मक बनाने के लिए उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए, फरवरी 2008 में एक अन्तर-मंत्रालयीय कार्यदल गठित किया गया था । इसकी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि वितरण नेटवर्कों तक मुक्त सुलभता की भौतिक और तकनीकी व्यवहार्यता के बावजूद, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए मुक्त सुलभता उपलब्ध नहीं हुई है । इसलिए, विद्युत अधिनियम, 2003 में अधिदेशित मुक्त सुलभता के शीघ्र प्रचालनात्मकता हेतु फरवरी 2010 में एक अन्य कार्य बल गठित किया गया है ।

4.23.15 आन्तर-राज्य पारेषण में निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक मॉडल करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है । अभी तक इस संबंध में विभिन्न पणधारियों के साथ चार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग

4.23.16 ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी) के माध्यम से पर्याप्त सुधार की परिकल्पना की गई है । 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार एन एच डी पी परियोजनाओं की स्थिति नीचे तालिका संख्या 4.23.5 में दर्शाई गई है:

तालिका 4.23.5 :

दिसम्बर 2009 को एन एच डी पी परियोजनाओं की स्थिति

चरण	कुल लंबाई (कि.मी.)	अनुमोदित लागत (31.12.2009 तक व्यय, करोड़ रुपए में)	पूरी हो गई लंबाई (कि.मी.)	कार्यान्वयन के अंतर्गत लंबाई (कि.मी.)	अवार्ड किया जाना है (कि.मी.)	पूरा होने की संभावित तारीख
I जी क्यू, ई डब्ल्यु-एन एस कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी व अन्य	7,498	30,300 (36182.81)	7263	229	6	99% जी क्यू मार्च 2010 तक पूरा हो जाएगा ।
II 4/6 लेन वाला उत्तर-दक्षिण-पूर्व- पश्चिम कॉरिडोर, अन्य	6,647	34,339 (35535.94)	4065	1925	657#	दिसम्बर 2010
III उन्नयन, 4/6 लेन वाला	12,109	80,626 (11572.82)	1189	3170	7749	दिसम्बर 2013
IV पेव्ड शोल्डरों के साथ 2 लेन वाला	20,000	27,800	-	-	-	दिसम्बर 2015 (वित्तीय योजना के अनुसारे)
V जी क्यू को 6 लेन में बदलना तथा उच्च धनत्व कॉरिडोर	6,500	41,210 (1732.33)	148	886	5466	दिसम्बर 2012
VI एक्सप्रैस वे	1,000	16,680 (कोई नहीं)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	दिसम्बर 2015
VII रिंग रोड, बाई-पास और फ्लाई ओवर व अन्य संरचनाएं	700 कि.मी रिंग रोड/बाई पास + फ्लाईओवर	16,680 (कोई नहीं)	-	19	681	दिसम्बर 2014

4.23.17 वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) द्वारा क्रमशः 1717 कि.मी., 1203 कि.मी. और 619 कि.मी. सड़क परियोजनाएं अवार्ड की गई । वर्तमान वर्ष के दौरान (दिसम्बर 2009 तक) 1851 कि.मी. लंबाई को कवर करते हुए सड़क परियोजनाएं अवार्ड की गई हैं। एम ओ आर टी एच ने, प्रतिदिन 20 कि.मी. राजमार्ग का निर्माण करने के लिए एन एच डी पी कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्णय किया

है । इस कार्यक्रम के भाग के रूप में 2009-10 में 12,652 कि.मी., 2010-11 में 11,092 कि.मी. और 2011-12 में 9,192 कि.मी. अवार्ड करने का प्रस्ताव है ।

4.23.18 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए अनेक पहलें की हैं । इस संबंध में, 7 राज्यों में (राजस्थान, म.प्र., छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आ.प्र., पंजाब और केरल) लगभग 5100 कि.मी. लंबाई को कवर करते हुए एन एच डी पी- IV क और IV ख की लगभग 40 परियोजनाओं के संबंध में सहमति ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

4.23.19 राज्य सरकारों ने, पीपीपी विधि के माध्यम से बड़े पैमाने पर राजमार्गों का निर्माण कार्य शुरू किया है । दिसम्बर 2010 तक, अधिकार-प्राप्त संस्थान (ई आई) द्वारा 26087 करोड़ रुपए के निवेश वाली 53 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी । इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में 23 परियोजनाएं, राजस्थान में 4 परियोजनाएं, पंजाब में 5 परियोजनाएं और मध्य प्रदेश में 23 परियोजनाएं पीपीपी विधि के अंतर्गत विनिर्धारित की गई हैं जिनके ग्यारहवीं योजना के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है ।

रेलवे

4.23.20 विगत कुछ वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे ने सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रगति दर्शाई है । इसने, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं । कंटेनर संचलन को प्रतिस्पर्द्धा के लिए खोल दिया गया है तथा कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए 16 निजी इकाइयों को कंसेशन मंजूर किया गया है । स्कीम के दो वर्ष के प्रचालन के दौरान निजी आपरेटरों ने 25% बाजार हिस्सा प्राप्त कर लिया है तथा आर्थिक मंदी के बावजूद वे अपनी सकारात्मक वृद्धि बनाए हुए हैं । रेल मंत्रालय ने पूर्वी और पश्चिमी कोरिडरों में दो डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. (डी एफ सी सी आई एल) की स्थापना की है । यह, परियोजना के कुछ घटकों में निजी निवेश आकर्षित करने की संभावना का पता लगा रहा है । मंत्रालय ने विश्व श्रेणी के स्टेशनों के रूप में पीपीपी विधि के माध्यम से 50 स्टेशन विनिर्धारित किए हैं । इसने, पीपीपी के माध्यम से संभारतंत्रीय उद्यान विकसित करने के लिए भी रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है । डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषित, आपरेट और हस्तान्तरण आधार पर पीपीपी के माध्यम से मुम्बई में चर्च गेट से विरार स्टेशनों के बीच एक 60 कि.मी. उत्थापित पूर्णतः वातानुकूलित रेल पद्धति कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है । विभिन्न नगरों में मेट्रो रेल पद्धति की व्यवस्था करने के लिए पीपीपी पहलों के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं । दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने, एयरपोर्ट एक्सप्रैस लाइन के लिए पीपीपी आधार पर रालिंग स्टॉक की सप्लाई और प्रचालन सहित, पद्धतियां स्थापित करने का कार्य अवार्ड किया है । मुम्बई मेट्रो परियोजना में, दो लाइनें पीपीपी आधार पर अवार्ड की गई हैं । इसी प्रकार, हैदराबाद मेट्रो परियोजना के लिए पीपीपी आधार पर बोलियाँ आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है । बंगलौर हाई स्पीड रेल परियोजना की भी संरचना पीपीपी विधि के आधार पर की जा रही है ।

बंदरगाह

4.23.21 ग्यारहवीं योजना के टर्मिनल वर्ष में बड़े बंदरगाहों पर 708 एम एम टी पूर्वानुमानित ट्रैफिक का अनुमान लगाया गया था । बफर क्षमता की व्यवस्था करने और मौसमी भिन्नताओं का मुकाबला करने के लिए 545 एम एम टी की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिससे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बड़े बंदरगाहों पर उपलब्ध क्षमता 1016 एम एम टी हो जाएगी। ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान नौवहन मंत्रालय ने केवल 118.57 एम एम टी क्षमता की वृद्धि की है ।

4.23.22 नौवहन मंत्रालय ने लक्ष्यों में संशोधन किया है और अब उसका प्रस्ताव ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 29,905 करोड़ रुपए की लागत से 393.27 एम एम टी की क्षमता के साथ 48 परियोजनाएं विकसित करने का है (1 पीपीपी परियोजनाएं, 3 कैप्टिव परियोजनाएं और 4 मेकेनाइजेशन परियोजनाएं) । उपरोक्त के अलावा, एम ओ एस का प्रस्ताव, 40.27 एम एम टी की क्षमता के साथ आंतरिक संसाधनों के माध्यम से 16 अतिरिक्त छोट ी परियोजनाएं प्रारंभ करने का भी है । इस प्रकार कुल योजनाबद्ध क्षमतावृद्धि 433.54 एम एम टी होगी जबकि लक्ष्य 545 एम एम टी का था । बड़े बंदरगाहों में क्षमता अभिवृद्धि की धीमी गति के बावजूद, राज्यों में छोटे बंदरगाहों और निजी बंदरगाहों ने अच्छा निष्पादन किया है ।

दूरसंचार

4.23.23 लगभग 525 मिलियन कनेक्शनों के साथ भारत टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है । मोबाइल घटक के अग्रणी स्वरूप यह क्षेत्रक तेजी से विकास कर रहा है जबकि प्रत्येक मास लगभग 12-13 मिलियन कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं । दूर धनत्व व अन्य विकास संकेतकों की स्थिति नीचे तालिका 4.23.6 में दर्शाई गई है:

तालिका 4.23.6 :
भारत में (अक्तूबर 2009) दूरसंचार स्थिति

टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	525.65 मिलियन
दूर घनत्व	44.87%
इंटरनेट कनेक्शन (सितम्बर 2009 की स्थिति)	14.95 मिलियन
ब्राडबेण्ड अभिदाता	7.19 मिलियन
ग्रामीण संयोजकता	161.91 मिलियन

4.23.24मोबाइल टेलीफोनों में वृद्धि अभूतपूर्व हुई है क्योंकि इसका अभिदाता आधार जो मार्च 2004 में 33.7 मिलियन था, नवम्बर 2009 में बढ़कर 506 मिलियन हो गया । टेलीफोनों की कुल संख्या में वायरलैस का हिस्सा नवम्बर 2009 में बढ़कर 93.15% हो गया जिसमें निजी भागीदारी 85% है ।

4.23.25 क्षेत्रक में तीव्र वृद्धि ने, एक बार समर्थनकारी विनियामक परिवेश की व्यवस्था किए जाने और कार्य करने की छूट व प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने पर प्रमुख अवस्थापना क्षेत्रों मे निजी निवेश की क्षमता प्रदर्शित कर दी है । अक्तूबर 2009 तक 44.87% का समग्र दूर धनत्व, नई दूरसंचार नीति (एन आई पी) 1999 में निर्धारित लक्ष्य को 15% तक पार कर गया है । 100 मिलियन की ग्रामीण संयोजकता का लक्ष्य भी पार हो गया है जबकि यह अक्तूबर 2009 तक बढ़कर 161.91 मिलियन हो गया ।

हवाई अड्डे

4.23.26 अवसंरचना संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित हवाई अड्डों के लिए वित्त पोषण योजना में 2006-07 से 2013-14 अवधि के दौरान 40,000 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई थी । दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डे पीपीपी आधार पर अवार्ड किए गए हैं । इन दो हवाई अड्डों के विकास के लिए 11,400 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की परिकल्पना की गई थी । पीपीपी विधि के अंतर्गत विकसित बंगलौर और हैदराबाद स्थित दो नए हवाई अड्डों को भी प्रचालनात्मक बना दिया गया है ।

4.23.27 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) द्वारा 1,808.25 करोड़ रुपए और 1942.51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से क्रमशः चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डा का आधुनिकीकरण कार्य अवार्ड कर दिया गया है। ए ए आई ने 4662 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 35 नॉन-मेट्रो-भिन्न हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है । इनमें से 9 हवाई अड्डों को प्रचालनरत बना दिया गया है । ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए भी एक नीति तैयार की गई है जिससे कि देश में हवाई अवस्थापना को सुविधाजनक, सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सके । नीति के अंतर्गत देश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के संबंध में मार्गनिर्देश दिए गए हैं । दिसम्बर 2009 तक केंद्रीय सरकार द्वारा 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे अनुमोदित किए गए हैं । नागर विमानन मंत्रालय ने, हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ व अन्य प्रभारों को नियमित करने व निष्पादन मानकों के निष्पादन का मानीटरन करने के लिए हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण स्थापित किया है ।

शहरी अवसंरचना

4.23.28 शहरी विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कार्यनीति के अंतर्गत शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्रक के एकाधिकार को समाप्त करने और निवेश हेतु निजी क्षेत्रक के लिए एक प्रेरक परिवेश कायम करना सम्मिलित है । इस कार्यनीति के अनुरूप सरकार ने 2005-06 से शुरू करके सात वर्ष की अवधि के दौरान 50,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जू एन एन यू आर एम) शुरू किया है । इस मिशन का एक उद्देश्य पीपीपी व्यवस्थाओं के माध्यम से, जहाँ कहीं संभव हो, परियोजनाओं के विकास, प्रबंधन, कार्यान्वयन और वित्त पोषण में निजी क्षेत्रक कार्यकुशलताओं का लाभ उठाना व उसे शामिल करना है ।

4.23.29 महाराष्ट्र, प. बंगाल और तमिलनाडु में पीपीपी विधि के माध्यम से, 1,684 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ अनेक जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । अनेक नगरपालिका निकायों ने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में निजी क्षेत्रक भागीदारी को सफलतापूर्वक आकर्षित किया है । सूरत और इंदौर नगर निगमों ने परिवहन क्षेत्रक में सफलतापूर्वक परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं । पीपीपी सहित विभिन्न साधनों के जरिए ई डब्ल्यु एस आबादी को वहनीय आवास उपलब्ध कराने के लिए भी पहलें की जा रही हैं ।

ग्रामीण अवसंरचना

4.23.30 ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के व्यापक आधारित समावेशी विकास के लिए तथा ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना में पर्याप्त सुधार करना महत्वपूर्ण है । ग्रामीण अवस्थापना को इसके उप-क्षेत्रकों के बीच व्यापक रूप से, उन्नयन करने के लिए 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण का उद्देश्य 1,25,000 गांवों को और 23 मिलियन परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना; शेष रहती 66,802 बस्तियों को सभी मौसम वाली सड़कों के साथ जोड़ना और 1,46,185 कि.मी. नई ग्रामीण सड़क नेटवर्क का निर्माण करना; कवर न हुई 55067 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराना; अतिरिक्त 10 मिलियन हेक्टेयर के लिए सिचांई की व्यवस्था करना ; और शेष रहते 66,822 गांवों को टेलीफोन के साथ जोड़ना है । अनुमान है कि केंद्र और राज्यों द्वारा 14,34,284 करोड़ रुपए के खर्च के पूर्वानुमानित निवेश में से लगभग 4,30,285 करोड़ रुपए (अथवा 30%) मात्र रूप से अवसंरचना के सुधारने हेतु खर्च किए जाएंगे ।

4.24 समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग

समाजार्थिक अनुसंधान के लिए सहायता-अनुदान

4.24.1 समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान अध्ययन करने और संगोष्ठियों, सम्मेलनों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान की स्कीम से संबंधित है, जो योजना आयोग के कार्यक्रमों और नीतियां के लिए संगत हों ।

4.24.2 2008-09 के दौरान 146.58 लाख रुपए के सहायता-अनुदान जारी किए गए जिनमें अध्ययनों के लिए 102.58 लाख रुपए, सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए 44.00 लाख रुपए सम्मिलित हैं । वर्ष 2008-09 के लिए संशोधित अनुमान 210.00 लाख रुपए था ।

4.24.3 वर्ष 2008-09 के दौरान 15 अध्ययनों और 36 सेमिनारों के लिए सहायता-अनुदान हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए गए । 20 चल रहे अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्टें इस वर्ष ही प्राप्त हुईं। इनकी सूची संलग्नक 4.2 में दी गई है ।

4.24.4 2009-10 के दौरान 112.81 लाख रुपए का सहायता-अनुदान जारी किया गया जिसमें 92.66 लाख रुपए अध्ययनों के लिए और 20.15 लाख रुपए सेमिनारों/ कार्यशालाओं के लिए थे ।

तालिका 4.24.1 :
अध्ययनों और सेमिनारों के लिए सहायता-अनुदान (2009-10)

सहायता अनुदान	अनुमोदित (बीई)	जारी
योग	210.00	112.81
अध्ययन		92.66
सेमिनार		20.15

संलग्नक 4.2

योजना आयोग की एस ई आर स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए गए

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	भारत में राज्य वित्त - नवीन घटना	राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पी एम एस) स्कीम और आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल राज्यों में अनु. जाति छात्रों पर इसका प्रभाव	पी आर मेमोरियल फाउंडेशन, नई दिल्ली
3.	जिला योजना स्थिति और भावी मार्ग	डा. अविनाश चन्द्र (वैयक्तिक अनुसंधानकर्ता), नई दिल्ली
4.	उड़ीसा के बालासोर जिले में ग्रामीण, जनजातीय मलिन बस्ती आबादी के बीच शिशु मृत्यु दर और प्रजननता के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन	बस्ती क्षेत्र विकास परिषद, बालासोर, उड़ीसा
5.	उत्तराखण्ड राज्य में ए आई बी पी के अंतर्गत सिंचाई और लघु सिंचाई का प्रभाव	वैकल्पिक नीति विकास केंद्र, नई दिल्ली
6.	ग्रामीण अवसंरचना का प्रभाव	यू/ओ कोलकाता प्रेसीडेंसी कालेज, (डा. समित कार), कोलकाता
7.	एम एस पी का विस्तारः राजकोषीय और कल्याण निहितार्थ	एकीकृत अनुसंधान और आई आर ए डी ई एक्शन फॉर डवलपमेंट, नई दिल्ली
8.	पंचायती राज संस्थान (पी आर आई) में भागीदारी के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरणः कुछ संरचनात्मक बाधाएं और एक प्रशिक्षण कार्यनीति	सामाजिक विकास संस्थान, उदयपुर, राजस्थान
9.	24 परगना दक्षिण जिला (प. बंगाल) में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) की संरचना और कार्य का मध्यावधि मूल्यांकन	लोक कल्याण परिषद (प्रोफेसर दुर्गा दास राय), कोलकाता
10.	भारत में ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रमों का मूल्यांकन/प्रभाव आकलन	बाजार अनुसंधान और सामाजिक विकास केंद्र, नई दिल्ली
11.	बाल अनुकूल पंचायत - तमिलनाडु में ग्रामीण बाल विकास संकेतकों का एक अध्ययन	शांति आश्रम, कोयम्बटूर

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
12.	महा चक्रवात-पश्चात्, उड़ीसा में पुनर्वास और पुनर्निमाण का प्रभाव अध्ययन	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, प. बंगाल
13.	केरल राज्य में अ.पि.वर्ग आरक्षण की पद्धति	डा. एम. शिवरमन, प्रबंध विकास केंद्र, त्रिवेन्द्रम
14.	तमिलनाडु राज्य में अ.पि. वर्ग आरक्षण की पद्धति	प्रोफेसर एम. आनन्दकृष्ण, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, चेन्नई
15.	भारत में शहरी गरीबों का नीति से पृथक्कता	साम्या इक्विटी अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली
16.	कोसी नदी पद्धति के विशेष संदर्भ में बिहार के बाढ़ प्रधान क्षेत्रों में मत्स्य पालन की अर्थव्यवस्था	चाणक्य शिक्षा ट्रस्ट (अंगा अनुसंधान, योजना और कार्रवाई संस्थान), भागलपुर, बिहार
17.	कुदुम्बश्री परियोजना के निष्पादन, प्रभाव और प्रतिकृति का एक अध्ययनः केरल में एक निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम	केरल विकास सोसायटी, नई दिल्ली
18.	मानसिक स्वास्थ्य की स्थितिः दिल्ली राज्य	"मानस " फाउन्डेशन, नई दिल्ली
19.	अन्य पिछड़े वर्गों के मुसलमानों के बीच समाजार्थिक अयोग्यता और बेरोजगारी समस्याएं	वैश्विक पर्यावरण और कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली
20.	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों और अनु. जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति

4.24.5 वर्ष 2009-10* के लिए 15 अध्ययनों और 17 सेमिनारों के लिए सहायता-अनुदान के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किए गए । इनकी सूची संलग्नक 4.3 और संलग्नक 4.4 में दी गई है ।

संलग्नक 4.3

वर्ष 2009-10* के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन अनुमोदित किए गए

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	नम ट्रापिक्स और तटवर्ती मैदानों के लिए नारियल में पॉली-कल्चर पर पुस्तक का प्रकाशन	नेचुरल रिसोर्स इण्डिया फाउंडेशन, नई दिल्ली
2.	भारतीय कृषि का विकास-एक जिला स्तरीय अध्ययन	डा. जी.एस. भल्ला, पूर्व प्रोफेसर, ज.ने.वि., नई दिल्ली
3.	संकुल विश्लेषण का इस्तेमाल करते हुए निर्धनता मानचित्रण	आई आई टी, दिल्ली
4.	बंगलौर नगर में पारम्परिक खुदरा विक्रेताओं पर संगठित खाद्य खुदरा बिक्री की वृद्धि का प्रभाव	सेंट जोसफ वाणिज्य कालेज, 163, ब्रिगेड रोड, बंगलौर
5.	जल नीति के परिवर्तन की सहायतार्थ जल कानून सुधार और जल नीति तथा प्रबंधन के मुद्दों के कानूनी पहलू और निहितार्थ	डा. रामास्वामी आर. अय्यर, पूर्व सचिव (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली
6.	भारत में भू-जल स्थिति	डा. हिमांशु कुलकर्णी, कार्यकारी निदेशक तथा अवै. सचिव, उन्नत जल विकास और प्रबंधन केंद्र (ए सी डब्ल्यु ए डी ए एम)
7.	हिमालयी क्षेत्र में जल संसाधनों के संबंध में स्थिति विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना	डा. रवि चोपड़ा, निदेशक, पिपल्स साइंस इंस्टिट्यूट (पी एस आई), देहरादून
8.	भारत का सिंचाई भविष्य	डा. तुषार शाह, वरि. फैलो, अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आई डब्ल्यू एम आई)
9.	दिल्ली में मलिन क्षेत्रों का समाजार्थिक विश्लेषण और पुनर्वास की वैकल्पिक नीतियां	सेन्टर फार ग्लोबल रिसर्च, दिल्ली
10.	गरीबी, भूख और सार्वजनिक कार्रवाई प. बंगाल में चल रहे विकेन्द्रीकरण पहलों का एक आनुभाविक अध्ययन	लोक कल्याण परिषद, कोलकाता
11.	कृषक भागीदारी के साथ स्ट्रीम टैंक कुआँ एकीकरण के समाजार्थिक लाभ	भारत इंटेग्रिगेटिड सोशल वेल्फेयर एजेंसी, उड़ीसा
12.	पूर्वी भारत में विविधीकृत कृषि विकास की बाधाएं और क्षमता	सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
13.	उड़ीसा के बालासोर जिले के ग्रामीण जनजातीय और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कामकाजी लोगों के बीच संभोग सम्प्रेषित संक्रामक रोगों की विद्यमानता, पद्धति और प्रबंधन	बस्ती क्षेत्र विकास परिषद, बालासोर, उड़ीसा
14.	आर्गेनिक कृषि का प्रभाव मूल्यांकन और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में इसका योगदान	नेचुरल रिसोर्स इण्डिया फाउंडेशन, नई दिल्ली
15.	महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पीपीपी के माध्यम से चुनिंदा आई टी आई के उन्नयन के कार्यक्षेत्र के मूल्यांकन का आकलन	महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद (एम ई डी सी), वाई.बी. चव्हाण केन्द्र, नरीमन पाइंट, मुम्बई-400021

* 31 दिसम्बर 2009 तक ।

संलग्नक 4.4

वर्ष 2009-10* के दौरान निम्नलिखित सेमिनार आयोजित किए गए*

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	"पैनल एक्स्पो-2009 " पर नौवीं अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सेमिनार	फेडरेशन आफ इण्डियन प्लाईवुड एण्ड पैनल इंडस्ट्री, नई दिल्ली
2.	मानव पत्रकारिता के माध्यम से कृषि प्रौद्योगिकी का संवेदीकरणः चुनौतियाँ तथा कार्य	विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, नादिया (प. बंगाल)
3.	माइक्रो वित्त के माध्यम से महिला सशक्तीकरण	"सुपथ " ग्रामोद्योग संस्थान, गुजरात
4.	संघारणीयता व साम्यता के साथ पोषाहार चुनौतियों को पूरा करने के संबंध में वैश्विक सम्मेलन	ब्रेस्ट फीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क आफ इण्डिया, दिल्ली
5.	भारत में महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार, प. बंगाल में अवैध व्यापार को मिलाने की दिशा में मुद्दे और उपाय	भविष्य एज्युकेशनल एण्ड चेरिटेबल सोसायटी, कोलकाता (प. बंगाल)
6.	कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता विकास का प्रोन्नयन	चक्काल कम्युनिटी एसोसिएशन आफ इण्डिया, त्रिवेन्द्रम
7.	कृषि विकास के लिए बहु-एजेंसी विस्तार दृष्टिकोण के संबंध में कार्यनीतियां	इंटरनेशनल सोसायटी आफ एक्सटेंशन एज्युकेशन, बंगलौर
8.	महिला साक्षरता को महत्व देने के लिए कार्यनीतियां : 21वीं शताब्दी की चुनौतियां	सोसायटी फार प्रोमोशन आफ एडल्ट कंटीन्युइंग एज्युकेशन (स्पेस), लिट्रेसी हाउस बिल्डिंग, आंध्र महिला सभा कालेज कैम्पस, ओ.यू. रोड, हैदराबाद
9.	भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में यू. एन. कन्वेंशन का कार्यान्वयन	सोसायटी फॉर डिसेबिलिटी एण्ड रिहेबिलिटेशन स्टडीज, बी-285, वसंत कुंज एन्कलेव, नई दिल्ली-110070
10.	कृषि विपणन के संबंध में 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन, 12 से 14 नवम्बर 2009 को हैदराबाद में आयोजित होने वाला	भारतीय कृषि विपणन सोसायटी, नागपुर
11.	भारत में आदिवासी/अनु. जनजाति समुदायों पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारः विकास और परिवर्तन	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
12.	वैश्वीकरण और असमानता	बंगिया अर्थनीति परिषद, कोलकाता
13.	अरूणाचल प्रदेशः लोगों को उनके संधारणीय विकास के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लंबा मार्ग	भारतीय लघु उद्योग परिषद, कोलकाता
14.	आजीविका सुरक्षा और आर्थिक विकास हेतु बागवानी	डा. प्रेम नाथ कृषि विज्ञान फाउंडेशन, बंगलौर
15.	भारत में अवसंरचना क्षेत्रक में विनियामक सुधार किस तरफ	कनज्युमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
16.	कृषि में महिलाएं	रिसर्च एसोसिएशन फॉर जेण्डर इन एग्रीकल्चर (आर ए जी ए), भुवनेश्वर
17.	भारतीय आर्थिक एसोसिएशन का 92वाँ वार्षिक सम्मेलन, 27 से 29 दिसम्बर 2009 तक भुवनेश्वर में	भारतीय आर्थिक एसोसिएशन, पटना, बिहार

* 31 दिसम्बर 2009 तक

4.24.6 वर्ष 2009-10* के दौरान 15 चल रहे अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई । इनकी सूची संलग्नक 4.5 में दी गई है ।

4.24.7 अभी तक कुल 167 अध्ययन रिपोर्टें अनुसंधान और योजना विकास में व्यापक उपयोगार्थ योजना आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत की गई हैं ।

संलग्नक 4.5

वर्ष 2009-10* के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन पूरे हो गए

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	उ.प्र. में रूग्ण लघु उद्योगों की समस्या और उनके पुनरूद्धार के लिए सुझाई गई कार्यनीतियां	विकास अध्ययन संस्थन, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007
2.	भारत में एस एच जी का सफलता और असफलताः सफलता में बाधाएं तथा प्रतिमान	वालन्ट्री आपरेशन इन कम्युनिटी एण्ड एनवायरनमेंट (वायस), नई दिल्ली
3.	भारत में सार्वजनिक क्षेत्रकों में विकलांग व्यक्तियों का रोजगारः उभरते मुद्दे और प्रवृत्तियां : विकलांग अधिनियम, 1995 के विशेष संदर्भ में एक आकलन अध्ययन	सोसायटी फार डिसेबिलिटी एण्ड रीहेबिलिटेशन स्टडीज, नई दिल्ली
4.	भारत में प्रमुख फसलों के संबंध में कारक उत्पादकता तथा विक्रीत अधिशेषः उड़ीसा राज्य का विश्लेषण	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद
5.	ग्रामीण उत्तरांचल में बसे लोगों पर ग्रामीण आवासन कार्यक्रमों का प्रभाव	जी.बी. पंत समाज विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद
6.	बिहार में युवा शिल्पकारों की स्थितिः बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए शिल्पकार क्षेत्रक की क्षमता का आकलन	बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना
7.	भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता का प्रोन्नयन-केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का एक प्रभाव आकलन अध्ययन	"संकल्प "- एकीकृत भागीदारी विकास हेतु अखिल भारत संगठन, नई दिल्ली
8.	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात में परिवारों को आबंटित भूमि की वर्तमान स्थिति और उपयोग तथा इसका प्रभाव	हरियाली ग्रामीण विकास केंद्र, 32/11, जाकिर नगर पश्चिम, ओखला, नई दिल्ली-110025
9.	विदेश सहाय्यित परियोजनाओं (ई ए पी) का प्रभाव आकलनः उड़ीसा के के बी के जिलों में गरीब और कमजोर लोगों की आजीविका के संबंध में उपाय	ग्रामीण विकास केंद्र, ओ सी एच सी काम्प्लैक्स, प्रथम तल, जनपथ, खारवेल नगर, भुवनेश्वर-751001
10.	भारत में भू-जल स्थिति	उन्नत जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र, लेनयाद्रि सहकारी सोसायटी, सस रोड, पाषाण, पुणे-411021

क्रम सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
11.	भारत में एस एम ई संकुलः समावेशी विकास हेतु उपायों के क्षेत्र का विनिर्धारण	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, इंस्टिट्यूशनल एरिया, पी.बी. नं. 7513, वसंत कुंज, नई दिल्ली-70
12.	भागीदारीपूर्ण माइक्रो-स्तर योजना के लिए क्रियाविधि का विकास (73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में)	समाज विज्ञान संस्थान, 8 नेलसन मण्डेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
13.	जल नीति और प्रबंधन मुद्दों के विधिक पहलू और निहितार्थ तथा जल नीति बदलने के लिए आवश्यक जल कानून सुधार	डा. रामास्वामी आर. अय्यर, पूर्व सचिव (जल संसाधन मंत्रालय), ए-10, सरिता विहार,नई दिल्ली-110076
14.	प. बंगाल में स्थानीय योजना और वित्त के विकेन्द्रीकरण की सीमा	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, पूर्व उडयरायपुर, तुतेपाडा, जि. 24 परगना (उत्तर), प. बंगाल-700129
15.	मेडिकल औषधियों और सेवाओं पर आउट आफ पाकेट खर्च	आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय एंक्लेव, उत्तरी कैम्पस, दिल्ली - 110007

* 31 दिसम्बर 2009 तक

4.24.8 योजना आयोग को अध्ययन रिपोर्टें हार्ड प्रतियों मे और साथ ही सीडी/फ्लापी में भी प्राप्त होती हैं । सहज सुलभता हेतु तथा विचारों के आदान-प्रदान और बेहतर उपयोग हेतु इन रिपोर्टों को योजना आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है । रिपोर्टों की प्रतियां, केंद्र और राज्यों में तथा योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विकास योजना और कार्यक्रमों की प्रक्रिया में कार्रवाई और चर्चा तथा उपयोगार्थ केन्द्र/राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों के बीच और आगे सम्प्रेषण हेतु भेजी जाती है ।

4.25 .राज्य योजना प्रभाग

4.25.1 योजना आयोग में राज्य योजना प्रभाग को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के निर्माण से संबंधित सभी कार्यकलापों का समन्वय करता है, जैसे कि मार्गनिर्देश जारी करना, योजना का आकार तय करने के लिए उपाध्यक्ष और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों/उप-राज्यपालों के बीच बैठकों का आयोजन और साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों/उप-राज्यपालों के बीच बैठकों का आयोजन और साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकीय दल की बैठकों का आयोजन करना । यह प्रभाग विशिष्ट स्कीमों/परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर करने से संबंधित मामलों और विदेश सहाय्यित परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करता है । अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा योजना के बारे में भेजे गए अंतर्राज्यीय और केन्द्र-राज्य से संबंधित मामलों, प्राकृतिक आपदाओं और वित्त आयोग की सिफारिशों पर भी इस प्रभाग में कार्रवाई

की जाती है । यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्ययों और व्यय से संबंधित विस्तृत सूचना का एक संग्रह स्थल है ।

4.25.2. वर्ष 2009-10 के दौरान, उपरोक्त कार्य करने के अलावा प्रभाग ने वीआईपी संदर्भो और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित संसद प्रश्नों, वार्षिक योजना परिव्ययों, संशोधित परिव्ययों, व्यय, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं इत्यादि से संबंधित कार्य भी किया ।

वार्षिक योजना 2009-10

4.25.3 वर्ष 2008-09 के दौरान, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं (2009-10) पर चर्चा करने के लिए उपाध्यक्ष के साथ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, ताकि अनुमोदित योजना, राज्यों के बजटों को सामयिक और उपयोगी इन्पुट उपलब्ध कराए जा सकें ।

4.25.4 वर्ष 2009-10 के लिए बजट अनुमानों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 85309.00 करोड रुपए उपलब्ध कराए गए थे जिसमें से 19110.61 करोड रुपए सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में, 17550.00 करोड रुपए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में, 1550 करोड़ रुपए, अन्य परियोजनाओं के लिए एकबारगी एसीए के रूप में (अर्थात् कुल 20660.61 करोड़ रुपए की एन सी ए), शेष 57148.39 करोड़ रुपए विशेष कार्यक्रमों, जैसे कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, त्वरित सिचांई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के लिए तथा 7500 करोड़ रुपए विदेश सहाय्यित परियोजनाओं के लिए ए सी ए के रूप में थी।

4.25.5 योजना उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रकों में निवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनिंदा स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत परिव्ययों के विनिश्चयन की प्रथा को जारी रखा गया ।

मानव विकास हेतु राज्य योजनाओं का सुदृढ़ीकरण (एसएसपीएचडी)

4.25.6 योजना आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से राज्य मानव विकास परियोजना के पश्चात् "मानव विकास हेतु राज्य योजनाओं का सुदृढ़ीकरण "- नामक एक परियोजना जुलाई, 2004 में शुरू की थी । योजना आयोग निष्पादन एजेंसी है जबकि राज्य सरकारें परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं । यह परियोजना आठ राज्यों के साथ शुरू की गई थी जिसका विस्तार ऐसे और सात राज्यों में कर दिया गया जिन्होंने अपनी एसएचडीआर पूरी कर ली थी । इसकी अवधि बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2009 कर दी गई है ।

परियोजना के अधीन प्रमुख क्रियाकलाप इस प्रकार हैं: -

क. तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य योजना प्रभागों/बोर्डों का क्षमता निर्माण ।

ख. मानव विकास वित्तपोषण के लिए कार्यनीतिक विकल्पों की पहचान करना ।

ग. उपयुक्त क्षमता निर्माण पहलों के जरिए राज्य/जिला सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना।

घ. एचडी संदेशों के प्रसार के लिए समर्थन प्रयासों का मजबूत करना ।

ड. मानव विकास कार्यक्रमों और स्कीमों का मानीटरन और मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों हेतु राज्य स्तर पर क्षमता आकलन और क्षमता विकास।

च. कार्यक्रमों का डिजाइन, कार्यान्वयन और मानीटरन करने के लिए योजनाकारों और नीति-निर्माताओं का क्षमता विकास, जिससे कि महिलाओं और पुरूषों के बीच संसाधनों और लाभों की समतापूर्ण सुलभता हो सके ।

4.25.7 आशा है कि इस परियोजना से मानव विकास के संदर्भ में अधीनस्थ विभागों सहित सभी स्तरों पर जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों की समझ का सुदृढ़ीकरण होगा । इसका उद्देश्य डाटा प्रणाली की सीमा की ओर ध्यान

देना तथा मानव विकास के लिए वित्तपोषण के संधारणीय स्रोतों का संवर्द्धन करना है । यह एचडी अवधारणाओं और मुद्दों का सभी स्तरों पर प्रसार करेगी जिसके फलस्वरूप एचडी आधारित राज्य और जिला आयोजना तैयार होगी तथा साथ ही आयोजना तंत्र के भीतर लैंगिक चिंताओं के संवर्द्धित समावेशन के लिए समर्थनकारी वातावरण भी तैयार होगा । परियोजनाओं की उनके उद्देश्यों की तुलना में सफलता का प्रलेखन करने के लिए एस एस पी एच डी के अंतर्गत विभिन्न उपायों का आउटकम मूल्यांकन और आकलन शुरू किया जा रहा है ।

राज्य विकास रिपोर्ट (एसडीआर)

4.25.8 विकास रूपरेखा पर एक गुणवत्ता संदर्भ दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा राज्यों की वृद्धि दर में तेजी लाने के वास्ते कार्यनीतियां निर्धारित करने के प्रयोजन से योजना आयोग, राज्य सरकारों तथा स्वतंत्र संस्थानों और विशेषज्ञों के समन्वय से राज्य विकास रिपोर्टें तैयार कर रहा है । इसके लिए योजना हेतु "50वां " वर्ष पहल के अंतर्गत धन प्राप्त हो रहा है ।

4.25.9 असम, पंजाब, उड़ीसा, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, दिल्ली, मेघालय, केरल, सिक्किम, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की एसडीआर जारी कर दी गई हैं । अरूणाचल प्रदेश और हरियाणा की एस डी आर जारी किए जाने की प्रतीक्षा में हैं । पांच एस डी आर, यथा गोआ, पुड्डुचेरी, उत्तराखण्ड, प. बंगाल और मध्य प्रदेश मुद्रणाधीन हैं । नौ दास डी आर को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए)

4.25.10 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण और उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में इसकी स्थायी समिति के सचिवालय के रूप में द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण कार्य करता है । द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण द्वीपसमूहों के पर्यावरणीय संरक्षण के सभी पहलुओं और उनकी तकनीकी व वैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों और लक्षद्वीप के एकीकृत विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेता है और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभाव की प्रगति की समीक्षा करता है ।

4.25.11 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आईडीए की 12वीं बैठक 19 जनवरी 2009 को हुई थी । इस बैठक में अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में प्रगति पर चर्चा की गई और सचिवों की समिति को निदेश दिया कि वे द्वीपसमूह के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करें और समय-सीमा तय करें । मंत्रिमंडल सचिव के तहत सचिवों की समिति ने 8 जून 2009 को लक्षद्वीप की और 3 जुलाई 2009 को अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की । आई डी ए की पिछली बैठक में चर्चित मुद्दों पर की गई कार्रवाई और समीक्षाएं संकलित की जा रही हैं ।

4.26 पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

4.26.1 एक समग्र राज्योन्मुखी दृष्टिकोण के भीतर राज्यों के आर-पार तथा राज्यों के भीतर कतिपय क्षेत्र ऐतिहासिक तथा विशेष कारणों से एक संकेन्द्रित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण की अपेक्षा करते हैं । यह एक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विगत में बहुत-सी नीतिगत पहल विकसित की गई हैं, जिनमें राजकोषीय प्रोत्साहन तथा लक्षित कार्यक्रम शामिल हैं । इस संबंध में योजना आयोग की कार्यनीति पूंजीगत निवेशों के लिए निधियों सहित ऐसे सुविधावंचित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने की रही है ।

4.26.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा शामिल हे । विकासात्मक प्रयोजनों के लिए सिक्किम को भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक अंग के रूप में शामिल

कर लिया गया है । दुष्कर भौगोलिक स्थिति, परिवहन कठिनाइयों, प्राकृतिक आपदाओं आदि ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की उन्नति बाधित कर दी है । पिछली आयोजना अवधियों में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया गया था और आधारतंत्रीय कठिनाइयां दूर करने, बुनियादी न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा निजी निवेश के लिए एक समग्र माहौल तैयार करने के लिए कार्यनीतियां अपनाई गईं । भारत सरकार के विकासात्मक प्रयासों को समन्वित करने तथा उन्हें गति प्रदान करने के उद्देश्य से एक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है ।

4.26.3 पूर्वोत्तर के विशेष श्रेणी राज्यों को उदार शर्तों पर केंद्रीय सहायता योजना की एक विशेषता रही है । इसके अलावा, क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए अनेक विशेष व्यवस्थाएं और पहलें की गई हैं । क्षेत्रीय प्राथमिकताओं वाली परियोजनाएं शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए 1972 में स्थापित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) एक क्षेत्रीय योजना निकाय है । पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीआरएनईआर) की भूमिका सहक्रिया उत्पन्न करने और केंद्रीय एजेंसियों तथा राज्य सरकारों, दोनों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करके तथा परियोजनाओं की पूर्ति के लिए अंतिम मील तक की संसाधन जरूरतों की पूर्ति करके कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करने की है । क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मंत्रालय को एक प्रेरक के रूप में कार्य करना है ।

4.26.4 पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए 11वीं योजना के लिए यथा अनुमोदित पूर्वानुमानित परिव्यय और वार्षिक योजना 2008-09 तथा 2009-10 के लिए नीचे तालिका 4.26.1 में दर्शाया गया है ।

योजना आयोग द्वारा यथा अंतिम रूप दिए गए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 11वीं योजना के संबंध में पूर्वानुमानित परिव्यय तालिका 4.26.1 में दर्शाया गया है।

4.26.1 :

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 11वीं योजना पूर्वानुमानित परिव्यय

क्रम संख्या	राज्य	करोड़ रुपए
1.	अरूणाचल प्रदेश	7901.00
2.	असम	23954.00
3.	मणिपुर	8154.00
4.	मेघालय	9185.00
5.	मिजोरम	5534.00
6.	नागालैण्ड	5978.00
7.	सिक्किम	4720.00
8.	त्रिपुरा	8852.00
	योग	74278.00

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय तालिका 4.26.2 में दर्शाया गया है ।

4.26.2 :

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

(रुपए करोड़ में)

राज्य	वार्षिक योजना 2008-09	वार्षिक योजना 2009-10
अरूणाचल प्रदेश	2065.00	2100.00
असम	5011.51	6000.00
मणिपुर	1660.00	2000.00
मेघालय	1500.00	2100.00
मिजोरम	1000.00	1250.00
नागालैण्ड	1200.00	1500.00
सिक्किम	852.00	1045.00
त्रिपुरा	1450.00	1680.00
योग	14738.51	17675.00

पूर्वोत्तर राज्यों का 2007-08 और 2008-09 के संबंध में वार्षिक योजना परिव्यय तालिका 4.26.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.26.3 :

पूर्वोत्तर राज्यों का 2007-08 और 2008-09 के संबंध में वार्षिक योजना परिव्यय

(रुपए करोड़ में)

राज्य	वार्षिक योजना 2008-09	वार्षिक योजना 2009-10
अरूणाचल प्रदेश	1320.00	2065.00
असम	3800.00	5011.51
मणिपुर	1374.31	1660.00
मेघालय	1120.00	1500.00
मिजोरम	850.00	1000.00
नागालैण्ड	900.00	1200.00
सिक्किम	691.14	852.00
त्रिपुरा	1220.00	1450.00
योग	**11275.45**	**14738.51**

4.27 परिवहन प्रभाग

4.27.1 परिवहन प्रभाग, मुख्य रूप से देश में बढ़ती यातायात मांग को पूरा करने के लिए परिवहन क्षेत्रक के संबंध में आयोजना और विकास की प्रक्रिया में शामिल है । यह परिवहन नेटवर्क में उचित अंतर-माडल मिश्रण प्राप्त करने के लिए परिवहन को भिन्न-भिन्न माध्यमों के संबंध में समग्र बजटीय आयोजना से भी संबंधित है । शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

- यात्री और माल यातायात की परिवहन सेवाओं के संबंध में मांग आकलन ।
- विभिन्न विधियों की विद्यमान क्षमता का मूल्यांकन तथा योजना के लिए संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान ।
- सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में आधारभूत और परिवहन सेवाओं में निजी क्षेत्रक निवेश की भूमिका का विनिर्धारण ।
- देश में परिवहन क्षेत्रक की समग्र आयोजना ।
- परिवहन के विभिन्न माध्यमों के संबंध में वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप देना ।
- राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संसाधनों को आंकना ।

प्रमुख परिवहन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

4.27.2 वर्ष के दौरान परिवहन प्रभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं :

- 11वीं योजना दस्तावेज के मध्यावधि आकलन के लिए परिवहन क्षेत्रक अध्याय को अंतिम रूप दिया गया ।
- वार्षिक योजना 2009-10 दस्तावेज के लिए परिवहन क्षेत्रक संबधी अध्याय को अंतिम रूप दिया गया ।
- वार्षिक योजना 2010-11 के लिए 38 राज्य सड़क परिवहन निगमों के संसाधनों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों की वार्षिक

योजना में सृजित संसाधनों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ उपक्रमों द्वारा यात्री और माल सेवा प्रचालन के भौतिक और वित्तीय प्राचल सम्मिलित हैं । चर्चाओं के दौरान उपक्रमों को अपना कार्य-निष्पादन सुधारने और वर्षानुवर्ष बढ़ती हानियों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की भी सलाह दी गई ।

- वार्षिक योजना 2010-11 के लिए कुछेक राज्यों के बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गईं ।

- राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2010-11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गईं ।

- केंद्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजना 2010-11 के प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गईं ।

- रेलवे, सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग, नौवहन और नागर विमानन के केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) तथा रेलवे के विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किए जाने से पहले, उनकी परियोजना मूल्यांकन तथा प्रबंधन प्रभाग के सहयोग से जांच की गई ।

- विभिन्न योजना स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मानीटरन पद्धति के रूप में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचवाईपीआर) बैठकों की एक पद्धति प्रारंभ की गई है । तथापि 2009-10 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी ।

- सदस्य (बी के सी), योजना आयोग की अध्यक्षता में समिति की बैठकें अवस्थापना संबंधी क्षेत्रकों के विषय में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए की गई ।

- निर्माण उद्योग विकास परिषद के शासी बोर्ड की बैठकों में भाग लिया ।

- विभिन्न समितियों/समूहों की बैठकों में भाग लिया, जिनमें अंतर-मंत्रालयीय समूह, सचिव "मोर्थ " की अध्यक्षता में, एन एच डी पी के अंतर्गत उप विषयों हेतु सुपुर्दगी की विधि बी ओ टी (बी ओ टी) से बी ओ टी (वार्षिकी) में बदलने के संबंध में, एस ए आर डी पी-एन ई के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति पी एम ओ द्वारा भारत निर्माण के संबंध में स्थापित ग्रामीण आधारिक-तंत्र विषयक समिति तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित पीएमजीएसवाई संबंधी अधिकारप्राप्त समिति सम्मिलित है ।

- वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बोर्ड की कई बैठकें आयोजित की गईं । कार्यसूची मदें जिनमें ठेका प्रदान करने के लिए एनएचडीपी के विभिन्न खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें शामिल थीं, जांच के लिए प्राप्त हुई तथा एनएचएआई बोर्ड बैठकों में निर्णय लेने के लिए टिप्पणियां इनपुट के रूप में प्रस्तुत की गईं ।

- देश के भीतर एक इष्टतम, प्रभावी, लचीली, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित संभारतंत्रीय प्रणाली तैयार करने के लिए संभारतंत्र संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया ।

- सदस्य श्री बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति की 5वीं और 6ठीं बैठक में रेल इंडिया टेक्निकल इकोनामिक सर्विसेज (राइट्स) द्वारा आयोजित किए जा रहे समग्र परिवहन पद्धति अध्ययन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई । अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया ।

- विभिन्न अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रस्तावों और राज्य योजना प्रभाग से प्राप्त राज्य विकास रिपोर्टों की जांच की गई और पर्याप्त टिप्पणियां प्रदान की गई ।

- बिहार में विशेष योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही सड़क और रेल परियोजनाओं की समीक्षा

बिहार सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई ।

- भारत को "अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच " का एक सदस्य बनने में समर्थ बनाने के लिए प्रक्रिया संबंधी क्रियाविधि पूरी की गई ।

4.28 पर्यटन प्रकोष्ठ

4.28.1 पर्यटन प्रकोष्ठ प्रमुख रूप से पर्यटन क्षेत्रक के विकास, आयोजना और प्रोत्साहन की प्रक्रिया में लगा है जिससे विदेश में पर्यटन का संतुलित और संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सके । यह, पर्यटन क्षेत्रक से संबंधित नीतिगत मुद्दों के निर्माण/कार्यान्वयन से भी संबंधित है जिससे कि इसे देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के प्रति और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जा सके । वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं :

- देश के पर्यटन क्षेत्रक का समग्र आयोजन ।
- पर्यटन क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप देना ।
- प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करना ।
- सरकारी प्रयासों को पूरक बनाने के लिए अवस्थापना और पर्यटन सेवाओं में निजी क्षेत्रक निवेश की भूमिका का निर्धारण ।

4.28.2 पर्यटन प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित थे -

- 11वीं योजना के मध्यावधि आकलन संबंधी अध्याय तैयार किया गया । दस्तावेज के लिए पर्यटन क्षेत्रक संबंधी अध्याय (अंग्रेजी और हिंदी) की जांच की गई ।
- वार्षिक योजना 2010-11 दस्तावेज के लिए पर्यटन क्षेत्रक संबंधी अध्याय को अंतिम रूप दिया गया।
- राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2009-10 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और व्यापक रूप से जांच करने के बाद सिफारिशें की गईं ।
- पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक योजना 2010-11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और व्यापक रूप से जांच करने के बाद सिफारिशें की गई ।
- "आवास अवस्थापना के लिए प्रोत्साहन " स्कीम को जारी रखने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यट क सुविधा तथा सुरक्षा संगठन की नई स्कीम लागू करने की जांच की गई और टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं ।
- पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त निवेश प्रस्तावों की स्थायी वित्त समिति (एसएफसी), व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा जांच किए जाने से पहले जांच की गई ।
- पर्यटन क्षेत्रक के संबंध में अर्द्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा (एचवाईपीआर) बैठक विभिन्न पर्यटन क्षेत्रक परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई ।
- राज्य योजना प्रभाग से प्राप्त विभिन्न अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रस्तावों की जांच की गई और पर्याप्त रूप से टिप्पणियां की गई ।

4.29 ग्राम तथा लघु उद्यम

4.29.1 ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों के लिए नोडल प्रभाग हैः

- लघु, छोटे और मझौले उद्यम मंत्रालय ।
- कपड़ा मंत्रालय - हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशमपालन, विद्युत करघा और ऊन ।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

4.29.2 उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों के साथ वार्षिक योजना चर्चाएं आयोजित की गई जिसमें गहनतापूर्वक चर्चाएं और सदस्य-स्तर चर्चा सम्मिलित हैं जिनके फलस्वरूप स्कीम-वार परिव्ययों को अंतिम रूप दिया गया।

4.29.3 विभिन्न स्कीमों की प्रगति और संसाधनों के उपयोग का आकलन करने के लिए उपरोक्त मंत्रालयों/ विभागों के संबध में अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एच पी आर) बैठकें आयोजित की गई ।

4.29.4 ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए ग्यारहवीं योजना का मध्यावधि आकलन सदस्य (बी एस ई) की अध्यक्षता में किया ।

4.29.5 ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि आकलन को सुविधाजनक बनाने के लिए, हथकर्धा और हस्तशिल्प के संबंध में संकुल और परामर्श समूह बैठक के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई । वी एस ई प्रभाग ने हथकरधा और हस्तशिल्प विभाग द्वारा आयोजित 5 स्थानों पर क्षेत्रीय परामर्श में भाग लिया । एकीकृत हथकरणा संकुल विकास स्कीम का आकलन करने के लिए मेसर्स क्राफ्ट रिवाइवल ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा अध्ययन कराया गया ।

4.29.6 "सिद्धांततः " अनुमोदन, एस एफ सी और ई एफ सी प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक दृष्टि से जांच की गई तथा ई एफ सी के मामले में आकलन टिप्पणी में शामिल करने हेतु टिप्पणियां प्रदान की गई ।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बी एस ई क्षेत्रक में कार्यान्वित की जा रही विकास स्कीमों/कार्यक्रमों की महिलाओं, अनु. जातियों, अनु. जनजातियों, अल्पसंख्यकों आदि की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जाँच की गई ।

4.29.7 विभिन्न राज्य सरकारों से संबंधित अनेक बैठकों में भाग लिया जैसे कि वार्षिक योजना 2009-10 तथा एच पी आर ।

4.29.8 ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम, 2009-10 के दौरान परिव्यय के साथ (सं.अ.) :

- प्रौद्योगिकी समर्थन संस्थानों और कार्यक्रमों की कोटि (एम एस एम ई मंत्रालय) : 253 करोड़ रुपए ।
- ऋण समर्थन कार्यक्रम (एम एस एम ई मंत्रालय) : 129.80 करोड़ रु.
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी वी) : 601.20 करोड़ रुपए ।
- खादी सुधार कार्यक्रमः 96.00 करोड़ रुपए ।
- खादी और ग्रामोद्योगों को अनुदानः 182.00 रुपए।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अवस्थापना विकासः 67.46 करोड़ रुपए ।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/आधुनिकीकरणः 84.01 करोड़ रुपए ।
- हथकरधा बुनकर व्यापक कल्याणः 120.00 करोड़ रुपए ।
- एकीक़त हथकरधा विकास स्कीम (125.00 करोड़ रुपए) ।
- हथकरधा और हस्तशिल्प का विपणन और निर्यात प्रोन्नयनः (50 करोड़ रुपए) ।
- बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजनाः 60.09 करोड़ रुपए ।
- एकीक़त शिल्पकार व्यापक कल्याणः 71.60 करोड़ रुपए ।
- रेशम पालन में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी डी पी) : 129.96 करोड़ रुपए ।

4.30 स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ

4.30.1 सचिवों की एक समिति द्वारा 22 मार्च 2000 को किए गए एक निर्णय के अनुसार, योजना आयोग को स्वैच्छिक संगठनों से संबंधित नीति के संबंध में एक नोडल एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है । योजना आयोग में स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ ने स्वैच्छिक क्षेत्रक के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और 2007 में अधिसूचित किया गया ।

4.30.2 स्वैच्छिक क्षेत्रक 2007 के संबंध में राष्ट्रीय नीति पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में निम्नलिखित विषयों पर स्थापित तीन विशेषज्ञ समूहों की अनेक बैठकें हुई थीं :

- विकेन्द्रीकृत वित्तपोषण पद्धतियों के अनुभव की समीक्षा करने और केंद्रीय एजेंसियों को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए ।
- एक सरल और उदार केंद्रीय कानून अधिनियमित करने की संभाव्यता की जांच करना जो स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत कराने के लिए अखिल भारतीय संविधि के विकल्प के रूप में कार्य करेगा;
- स्वैच्छिक क्षेत्रक के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर स्वःविनियामक एजेंसी विकास को प्रोत्साहित करना और बाद में उसे मान्यता प्रदान करना ।
- बेहतर रूप से ध्यान देने और समूह की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के उद्देश्य से तीन कार्यदल गठित किए गए हैं - सिफारिशें करने के मुद्दे की गहराई से जांच करने के लिए प्रत्येक विशेषज्ञ समूह के सदस्यों के बीच से एक-एक समूहः विशेषज्ञ समूह के कार्यदलों की बैठक अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अनेक बार आयोजित की गई तथा उम्मीद है कि वे अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देंगे ।

4.30.3 एन जी ओ भागीदारी पद्धति, एक वेब आधारित पोर्टल का डिजाइन, विकास किया गया है तथा योजना आयोग द्वारा प्रमुख सहभागी मंत्रालयों के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से प्रचालित किया गया ।

4.30.4 पद्धति का उद्देश्य बीओ/एनजीओ को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता हैः

- भारत भर में हस्ताक्षरिक बी ओ/एनजीओ का ब्यौरा
- बी ओ/एन जी ओ के लिए उपलब्ध प्रमुख मंत्रालयों/ विभागों की अनुदान स्कीमों का ब्यौरा
- एनजीओ अनुदानों के लिए आन लाइन आवेदन करना
- एनजीओ आवेदन पत्रों की मानीटरन पद्धति ।

4.30.5 एनआईसी और सहभागी मंत्रालयों/संगठनों के साथ छः बैठकें आयोजित की गई । पोर्टल की कुछेक सुविधाओं को कार्यात्मक बना दिया गया है ।24718 एनजीओ ने एनजीओ-पीएस के साथ "साइन अप " किया है (27.1.2010 तक)।

4.30.6 स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ, विभिन्न विकास सम्बद्ध विषयों पर बीओ/एनजीओ/सीएसओ द्वारा की गई पहल पर सिविल सोसायटी विंडों के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण भी आयोजित करता है । आधार स्तरीय संगठनों के योगदान और अनुभव को योजना आयोग के अधिकारियों और सदस्यों व क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ बांटा जाता है ।

4.31 जल संसाधन प्रभाग

4.31.1 योजना आयोग के जल संसाधन प्रभाग को जल संसाधनों से संबंधित योजना, कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण और मानीटरन की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ बड़ी, मझौली और लघु परियोजनाएं, बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटावरोधी कार्यों सहित) और कमान क्षेत्र विकास सम्मिलित है । यह प्रभाग ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियो के लिए भी जिम्मेदार हैं ।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास

(i) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2009-10 के निर्माण का कार्य पूरा किया गया । इसके साथ ही जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति विभाग की वार्षिक योजना 2009-10 को भी पूरा किया गया । विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2010-11 का निर्माण प्रगति पर है ।

(ii) जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति विभाग के लिए आऊटकम बजट को संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया ।

(iii) एनडीसी की बैठक में प्रधानमंत्री के निर्देशों पर योजना आयोग ने सिंचाई क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने और साथ ही क्षेत्रक के वित्तपोषण का भी विनिर्धारण करने के उपायों की सिफारिश करने के वास्ते सदस्य (जल और ऊर्जा) की अध्यक्षता में सिंचाई के संबंध में एक कार्यदल गठित किया ।

(iv) जल संसाधन प्रभाग, ग्रामीण अवस्थापना के विकास के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम के साथ निकटतः संबद्ध था । भारत निर्माण का ब्यौरा रिपोर्ट में अलग से अन्यत्र दिया गया है ।

(v) योजना आयोग ने 24 बडी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं और 57 बाढ नियंत्रण परियोजनाओं और 7 ई आई एम परियोजनाओं के लिए मुल मिलाकर 88 परियोजनाओं के लिए निवेश मंजूरी जारी की । परियोजनाओं की सूची संलग्नक में 4.31.1 में दी गई है ।

(vi) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 9700 करोड रूपए के आबंटन (सं.अ.) की व्यवस्था की गई है जबकि 2008-09 के दौरान 5500 करोड रूपए (अनुदान) की व्यवस्था की गई थी ।

(vii) राज्य क्षेत्रक स्कीम भू जल विकास का आकलन किया जा रहा है ।

(viii) जल संसाधन प्रभाग के अधिकारी उस केन्द्रीय दल के सदस्य थे जिसमें आध्रं प्रदेश और कर्नाटक, के बाढ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था ।

(ix) सिंचाई और जल आपूर्ति संबंधी वार्षिक योजना 2009-10 अध्याय तैयार किए जा रहे हैं । अध्याय के अंतर्गत क्षेत्रक के यलिए कार्यनीति और भावी मार्ग को सम्मिलित किया गया ।

4.31.2 ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रक के अन्तर्गत दो कार्यक्रम सम्मिलित हैं, अथति "राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यु पी) " और "समग्र स्वच्छता अभियान (टी एस सी) " ।

ग्रामीण जलापूर्ति

4.31.3 राष्ट्रीय जल नीति (2002) के अनुसार "पेय जल" को विभिन्न् उपयोगों के बीच जल के आवंटन में पहली प्राथमिकता प्रदान की गई है । नीति के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था है कि शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों की पूरी आबादी को पर्याप्त सुरक्षित पेय जल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए तथा मानवों व पशुओं की पेय जल जरूरतों का किसी उपलब्ध पानी पर पहला हक होना चाहिए ।

4.31.4 "भारत निर्माण " नामक ग्रामीण अवस्थापना निर्मित करने के लिए , जिसे भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया था, कार्यक्रम के छः छटकों में से एक छटक है । कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर न हुई सभी बस्तियों के लिए 2012 तक सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की जानी है । भारत निर्माण चरण-। के अंतर्गत 2005-06 से 2008-09 तक कवर न हुई 55067 बस्तियों को, 3.51 लाख चूक गई बस्तियों और 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर किया गया था । कार्यक्रम के चरण-।। को 2009-10 से 2011-12 तक कार्यान्वित किया जा रहा है ।

4.31.5 भारत निर्माण के "ग्रामीण पेयजल आपूर्ति "" घटक के अंतर्गत 2005-06 से 2009-10 के दौरान (दिसम्बर 2009 तक) लक्ष्य/उपलब्धियां तालिका 4.31.1 में प्रस्तुत हैं ।

तालिका 4.31.1 :

भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की स्थिति (2005-2010)

लक्ष्य	कवर न हुई बस्तियां	पिछली स्थिति में चली गई बस्तियाँ	जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों	जोड़
समग्र भारत निर्माण लक्ष्य (2005-06 से 2008-09)	55067	3,31,000	2,16,968	6,03,035
2005-06				
लक्ष्य	11897	34373	10000	56270
उपलब्धियां	13131	79544	4550	97225
2006-07				
लक्ष्य	18120	40000	15000	73120
उपलब्धियां	12440	89580	5330	107350
2007-08				
लक्ष्य	20931	84915	49653	155499
उपलब्धियां	11457	75201	94130*	180788
2008-09				
लक्ष्य	16753	101743	99402	217898
उपलब्धियां	17412	114037	21531*	152980
2009-10				
लक्ष्य	586	123575	34596	158757
उपलब्धियां (31.12.2009 तक)	149	24744	5192	30085

स्रोतः पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय

* वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान समस्या का समाधान करने के लिए क्रमशः 94130 अतिरिक्त और 205930 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में कार्य प्रगति पर था ।

4.31.6 केंद्र प्रायोजित स्कीम, अर्थात् त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी), 1972-73 से एक सतत स्कीम है । कुछ छोटे घटकों को छोड़कर, सहायता का एक बड़ा भाग राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर अनुपात में वहन किया जाना है । यह स्कीम, अर्थात त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी), जिसका नाम बदलकर अब "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यु पी) " कर दिया गया है, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50 : 50 हिस्सेदारी आधार पर वित्त पोषित है, सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और काशमीर राज्य के जहाँ यह अनुपात 90 : 10 (केंद्रीय-राज्य) है । पेयजल आपूर्ति विभाग (डीओडीडब्ल्यूएस) की वार्षिक योजना 2009-10 में एन आर डी डब्ल्यू पी के लिए 8100 करोड़ रुपए के पूर्ण योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

4.31.7 **जलमणिः** "जलमणि " का उद्देश्य, जो एन आर डी डब्ल्यू पी का एक भाग है, बच्चों और शिक्षकों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना है तथा इसके अंतर्गत बेक्ट ीरिया संबंधी संदूषण, गदलापन और लौह को दूर करने पर बल दिया जाता है । स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2008-09 में 50,000 स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, जिसमें से 6.89 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई और 9354 स्कूलों को कवर किया गया ।

ग्रामीण स्वच्छता:

4.31.8 समग्र स्वच्छता अभियान, ग्रामीण स्वच्छता हेतु एक अग्रणी कार्यक्रम है । अब यह कार्यक्रम अनेक राज्यों में गति पकड़ रहा है और टी एस सी के अंतर्गत 593 जिलों को कवर किया गया है । यह एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके घटक हैं : अलग-अलग परिवार शौचालय, (आई एच एच एल), स्वच्छता परिसर, स्कूल शौचालय, आंगनवाडियों के लिए शौचालय, ग्रामीण स्वच्छता मार्ट और उत्पादन केंद्र । प्रमुख घट क, अर्थात अलग-अलग परिवार शौचालय (आई एच एच एल के) निर्माण के लिए वित्त पोषण पद्धति 60 : 28 : 12 (केंद्रः राज्यः लाभार्थी) है । स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की किस्म जरूरत तथा ग्राम पंचायतों, लोगों की, विशेष रूप से महिलाओं और एनजीओ की पूर्ण भागीदारी पर निर्भर करती है । प्रत्येक टी एस सी परियोजना 4-5 वर्षों की अवधि के अंदर कार्यान्वित की जाएगी । ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज सुधारने के लिए टी एस सी के लिए डी ओ डी डब्ल्यु एस की वार्षिक योजना 2009-10 में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

आऊटकम बजट 2009-10 में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले आउटकम की समीक्षा

I. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यु पी) :

4.31.9 8100 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले, वार्षिक योजना 2009-10 के लिए आउटकम/लक्ष्य, 586 कवर न हुई बस्तियों को कवर करने, पिछली स्थिति में चली गई 123575 बस्तियों और 34596 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करने का है । दिसम्बर 2009 तक कवर न हुई 149 बस्तियों, पिछली स्थिति में चली गई 24744 बस्तियों और गुणवत्ता प्रभावित 5192 बस्तियों की उपलब्धि है ।

II. समग्र स्वच्छता अभियान

4.31.10 वर्ष 2009-10 के लिए परिव्यय 1200 करोड़ रुपए है, जिसमें "निर्मल " ग्राम पुरस्कार " के लिए 200 करोड़ रुपए शामिल हैं । मांग-प्रेरित होने की वजह से कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं । इस समय, टी एस सी के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए देश में विभिन्न राज्यों में 593 जिलों में परियोजनाएं मंजूर की गई हैं । इन सभी परियोजनाओं को 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है । अभी तक अभियान के अंतर्गत उपलब्धियां हैं : 61,410,533 अलग-अलग परिवार शौचालय, 17324 स्वच्छता परिसर, 949,452 स्कूल शौचालय आंगनवाडियों के लिए 301,730 शौचालय, 5212 ग्रामीण स्वच्छता र्माट्स और 3042 उत्पादन केंद्र ।

"त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) में संशोधन तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान इसका कार्यान्वयन "

4.31.11 31 जुलाई 2008 को मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित स्कीम "त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) "" में संशोधन अनुमोदित किए गए तथा इसका नाम बदलकर "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) " कर दिया गया । संशोधित कार्यक्रम 1 अप्रैल 2009 से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

संलग्नक 4.31.1

जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि के दौरान प्रदान की गई बाढ़ नियंत्रण, बड़ी और मझौली सिंचाई, विस्तार, पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण परियोजनाओं की निवेश मंजूरी

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
असम	पगलाडिया नदी के दोनों तट के भिन्न-भिन्न मुहानों पर पगलाडिया नदी के किनारे कटाव के मुकाबले कटाव रोधी कार्य	11.4261	फरवरी 2009/मार्च 2011
असम	नदी पुथीमारी (16 कि.मी. से 50 कि.मी. तक) (आर जी रेलवे लाइन से बारोम्बोई) ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी के दोनों किनारों के बचाव के लिए कटाव-रोधी उपाय	11.35	अप्रैल 2009/मार्च 2011
असम	एन एच मार्ग (एन एच-37) से कुरकुरिआ पर्वतों तक डिगारू के बाएं तट के साथ एफ ई (बाढ़ तटबंध) का निर्माण	14.8692	जुलाई 2009/मार्च 2011
असम	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से सोलकुची नगर के बचाव के लिए कटाव-रोधी उपाय - चरण-III	132868	अगस्त 2009 मार्च 2012
असम	ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारें पर एन आर बांध के विस्तार के बटिंग पाइंट से निकोरी घाट तक विद्यमान कृषि बांध को ऊंचा उठाना और मजबूत बनाना, भागावन नामघर के निकट कटाव-रोधी उपायों सहित	134029	अक्तूबर 2009 मार्च 2012
असम	मुकालोनी से झनजीमुख तक ब्रह्मपुत्र बांध को ऊंचा उठाना और मजबूत बनाना, कटाव-रोधी उपायों सहित	14.3992	अक्तूबर 2009/ मार्च 2012
असम	डिग्रु नदी के आर/बी (दायाँ किनारा) के साथ-साथ एफ ई (बाढ़ तटबंध) का विस्तार, च 7800 एम से कोलोंगे नदी (च 6600 एम) के बाएं किनारे तक का संगम	14.9593	दिसम्बर 2009/मार्च 2011
असम	डिखोवमुख से मुकेरलोनी, जि. शिवसागर तक ब्रह्मपुत्र बांध को ऊंचा उठाना और मजबूत बनाना	14.7840	फरवरी 2009/मार्च 2011

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
असम	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से भोजाखाती, डोलोईगांव और उलारी क्षेत्र का बचाव (भू स्कंध और टाई बंध का निर्माण)	27.92	फरवरी 2009/2011
असम	डेसनगमुख से डिरवोवमुख, जि. शिवसागर तक ब्रह्मपुत्र बांध का बचाव	10.7914	फरवरी 2009/मार्च 2011
असम	ब्रह्मपुत्र नदी कटाव से सिअलमारी क्षेत्र का बचाव (भू-स्कंध और बांध का निर्माण)	25.73	फरवरी 2009/मार्च 2011
असम	सिरसीकालधर से तेकेटफुड्स तक ब्रह्मपुत्र बांध को ऊंचा उठाना और मजबूत बनाना, निवृत्ति और कटाव-रोधी उपायों द्वारा दरार को बंद करना (ब्रह्मपुत्र द्वार बाढ़ विध्वंस के विरूद्ध मजनली और धालेनकाहौर क्षेत्रों का बचाव) जि. लखीमपुर	142.42	फरवरी 2009/मार्च 2011
असम	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से भुरागाँव नगर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के बचाव की स्कीम (भू स्कंध और टाई बंध का निर्माण) चरण-II जि. मोरीगांव	14.7088	जनवरी 2009/मार्च 2011
असम	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से बामुण्डी गाँव और उसके निकटवर्ती गांव के बचाव के लिए कटाव-रोधी उपायों की स्कीम	14.8028	अक्तूबर 2009/ मार्च 2012
बिहार	भूटानी बालान नदी, जि. मधुबनी के साथ-साथ विद्यमान तटबंध को ऊंचा उठाना तथा मजबूत बनाना	37.14	मार्च 2009/मार्च 2011
बिहार	पूर्वी तथा पश्चिमी कोसी तटबंध पर बिटुमिनस सड़क का निर्माण, उसे ऊंचा उठाना तथा मजबूत बनाना	339.39	मार्च 2009/मार्च 2011
बिहार	बीरपुर, बिहार में कोसी बराज पुनरूद्धारा कार्य	85.65	मार्च 2009/मार्च 2011
बिहार	नेपाल में पूर्वी प्रवाह बांध की दरार बंद करना	143.42	मई 2009/मार्च 2011

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
बिहार	जिला वैशाली में राघोपुर डेरा में रूस्तमपुर, जाफराबाद जहांगीरपुर और सुकुमारबर गांव में गंगा नदी पर कटाव रोधी कार्य के लिए निवेश की मंजूरी	13.9079	अगस्त 2009/मार्च 2010
बिहार	बिहार में भाजपुर और बक्सर जिले में गंगा नदी के दाएं किनारे पर (सेक-ख) और च-160.38 ग्राम मजहारियाऔर च-1491 से च-1505.75 ग्राम नैनीजोर (सेक-ग के अंदर) बी के जी तटबंध के च-135 से ख्-160 के बीच कटाव रोधी कार्य	7.5505	अगस्त 2009/मार्च 2010
बिहार	जिला सिवान और छपरा में गंगा बेसिन के नदी धाधरा सब-बेसिन के बाएं किनारे पर कटाव रोधी कार्य	10.5890	अगस्त 2009/मार्च 2010
बिहार	जि. मुजफ्फरपुर में साहेब गंज ब्लॉक में तिरहुट तटबंध के 5 से 6 मील के बीच ग्राम पहाडपुर मनरोरथ, बंगरा बरार और गायी टोला के निकट कटाव रोधी कार्य	8.1261	अगस्त 2009/मार्च 2010
बिहार	नदी गंगा के बाएं किनारे पर जरलाही खारहागोला स्कीम में स्कंध और निवृत्त लाइन तटबंध का पुनरूद्धार	9.70	सितंबर 2009/जून 2010
हरियाणा	यमुना नदी के साथ-साथ नदी तटबंध को ऊंचा उठाना और मजबूत बनाना	173.75	अगस्त 2009/मार्च 2012
हिमाचल प्रदेश	तहसील पाओटा साहिबगंज जि. सिरमौर में बाटा नदी को आर डी 10230 से 19700 मीटर तक चेनेलाइज करना	34.67	मई 2009/मार्च 2012
झारखण्ड	जिला साहिबगंज में बुद्धवारिआ से कंहैया स्थान तक गंगा नदी के दाएं किनारे पर कटाव-रोधी कार्य	9.9113	अगस्त 2009/मार्च 2011
झारखण्ड	नारायणपुर (राजमहल) जि. साहिबगंज के दाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	9.2772	अगस्त 2009/मार्च 2011

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
जम्मू और काश्मीर	झेलम नदी बांध के महत्वपूर्ण मुहानों पर बाढ़ चैनल क्षमता बढ़ाने के लिए नाली विकास चरण -II सोनवार घाट से दुबजी घाट तक (गवकादल), जि. श्रीनगर	9.81	मई 2009/मार्च 2012
जम्मू और काश्मीर	अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ अम्ब पोस्ट से अल्फा माचल पोस्ट तक मकवाल कैम्प के आगे निक्की तवी के बाईं ओर और दाएं बचाव कार्यों का निर्माण	14.69	अगस्त 2009/मार्च 2012
पंजाब	सतलज नदी पर आई आर बांध के साथ-साथ स्थानीय बचाव कार्य	11.67	मई 2009/मार्च 2012
पंजाब	जिला होशियारपुर में नसराला और मेहलान वाली के साथ -साथ बाढ़ बचास तटबंधन का डिजाइन सेक्शन और दरारों को भरना व मजबूत बनाना	11.27	जुलाई 2009/मार्च 2011
पंजाब	जिला होशियारपुर में मेहूगोरवाल अभिआला और गम्बोवाल के साथ-साथ बाढ बचाव तटबंधन का डिजाइन सेक्शन और दरारों को भरना व मजबूत बनाना	8.05	जुलाई 2009/मार्च 2011
तामिलनाडु	तिरूवल्लुर जिले में ए एन कुप्पम एनीकट और लक्ष्मीपुरम एनीकट से पुलीकट क्रीक तक अपस्ट्री और डाउनस्ट्रीम पर अमियार नदी का बाढ़ बचाव	12.41	अगस्त 2009/मार्च 2011
त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिआ उप-प्रभाग के अंतर्गत भारत-बंगलादेश के साथ-साथ भारत की ओर तटबंधन के बचाव के लिए माहुरी नदी के किनारे के साथ-साथ कटाव-रोधी कार्य, तटबंधन को चौड़ा करने सहित	11.1251	मई 2009/मार्च 2012

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम उप-प्रभाग के अंतर्गत बेशुनापुर से बरूनीघाट (संघटक-।।) तक भेद्य स्थानों के किनारो भारतीय और बचाव के लिए फेनी नदी के किनारे के साथ-साथ कट ाव-रोधी कार्य	8.3389	जुलाई 2009/मार्च 2012
त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम उप-प्रभाग के अंतर्गत रानीबाजार से रामेन्द्रनगर तक (संघटक-रूज) भेद्य स्थान पर भारत की ओर तटबंधन के बचाव के लिए फेनी नदी के किनारे के साथ-साथ कटाव-रोधी कार्य	12.3425	जुलाई 2009/मार्च 2012
त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम उप-प्रभाग के अंतर्गत आनन्दपाडा से चोटोखिल (संधटक-।।।) तक भेद्य स्थान पर भारत की ओर तटबंधन के बचाव के लिए फेनी नदी के किनारे के साथ-साथ कटाव-रोधी कार्य	13.7453	जुलाई 2009/मार्च 2012
उत्तर प्रदेश	जे पी नगर के जिले में गंगा नदी के बाएं तट पर हसनपुर बांध के बचाव के लिए पपसारा रिंग बांध और हसनपुर बांध-।। के 17.00 कि.मी. पर विद्यमान बांध् के बीच कटावरोधी निर्माण कार्य द्वारा बाढ़ बचाव कार्यों के संबंध में परियोजना	4.11	नवम्बर 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	जिला महाराजगंज में राप्ती नदी के बाएं किनारे पर एल एम 0.00 से के.एम. 10.50 तक बेलसारी रिगौली बांध को ऊंचा उठाने और मजबूत बनाने की परियोजना	6.25	दिसम्बर 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	जिला बागपत/गाजियाबाद में यमुना नदी के बाएं किनारे पर अलीपुर बांध पर 10 मी. चौड़े रोडवे की व्यवस्था करना, चौडा करना और मजबूत बनाना	46.17	फरवरी 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	जिला बलिया में गंगा नदी के बाएं, किनारे पर ग्राम गुप नटदारा भुसौला के बचाव की स्कीम	9.45	मई 2009/मार्च 2011

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
उत्तर प्रदेश	पायलट चैनल (कुनेट्टे) के निर्माण द्वारा और विद्यमान धारों व विभिन्न अन्य धारों को बंद करके, 0,1,2,1 और 3 कि.मी. पर चार विद्यमान स्कंधों के पुनरूद्धार सहित, उ.प्र. के लखीमपुर जिले में भीरा (पलिआ कलां) में रेल पटरी व अन्य संपत्तियों के संरक्षण के लिए नदी प्रशिक्षण कार्य	10.42	मई 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	बलिया जिले में धाधरा नदी के दाएं किनारे के साथ-साथ टी.एस बांध के बचाव की स्कीम-अनुमानित	14.95	मई 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	जिला रामपुर में कोसी नदी के बाएं किनारे पर लालपुर, धनौरी बांध का विस्तार, पुनरूद्धार और कटाव रौधी कार्यों के लिए परियोजना	14.20	मई 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	सकरौर मिखारीपुर रिंग बांध के 13.600 कि. मी. से 15 कि.मी., गोडा जिले में धाधरा नदी के साथ-साथ कटाव रोधी कार्य	12.68	मई 2009/मार्च 2012
उत्तर प्रदेश	जिला कुशीनगर में गंडक नदी के दाएं किनारे के साथ-साथ बाढ़ संरक्षण कार्य	63.70	अक्तूबर 2009/मार्च 2012
उत्तर प्रदेश	जिला बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद और मऊ में धाधरा नदी के बाएं और दाएं किनारे के साथ-साथ बाढ़ संरक्षण कार्य	110.00	अक्तूबर 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	जिला बस्ती में मानव नदी के दाएं किनारे पर मार्जिनल तटबंधन और गांवों के बचाव कार्य और मार्जिनल तटबंधन का निर्माण	10.1996	नवम्बर 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	जिला मुख्यालय बस्ती में सर्किट हाउस और आयुक्त कार्यालय, निकटवर्ती रियायशी क्षेत्र के संरक्षण के लिए कुवानो नदी के बाएं किनारे पर मार्जिनल बांध और जिला बस्ती में कुवानो नदी के दाएं किनारो पर रघुनाथपुर-आसपुर बांध का निर्माण	4.58	नवम्बर 2009/ मार्च 2011

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
उत्तर प्रदेश	जिला श्रावस्ती (उ.प्र.) में 0.000 कि.मी. से 22.500 कि.मी. तक राप्ती नदी के बाएं किनारे पर खजुआ झुनझुनिया अंधारपुरवा माजिनल बांध का निर्माण	8.3025	नवम्बर 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	जिला बिजनौर में टांडा मुकरपुरी, ज्योतिम्मा, गंधारपुर, सिपाहीवाला, नवादा केशो, टांडा बरखेडा और उभरपुर खादर ग्राम के बचाव के लिए रवो नदी पर बाढ. बचाव कार्य	5,4053	अक्तूबर 2009/मार्च 2010
प. बंगाल	प. बंगाल राज्य में बी ओ पी मुचिया में निमुधाट, महाजनपुर, मनोहरपुर और इंग्लिशटोला में, बी ओ पी सुखनगर में ब्लॉक और पी एस ओल्ड माल्दा, चार ऋषिपुर में मुचिया व आदमपुर में बी ओ पी सुखनगर में कृष्णनगर ब्लॉक तथा पी एस हबीबपुर और बरूईपाडा तथा कृष्णनगर ब्लॉक और पी एस हबीबनगर में महानन्दा नदी पर किनारे के संरक्षण कार्य की 3 स्कीम	12.9399 13.2840 8.8606	मई 2009/मार्च 2011
प. बंगाल	प. बंगाल राज्य में बाढ़ नियंत्रण परियोजना और दक्षिण 24 परगना जिले में सुंदरबन तटबंधन को ऊंचा उठाना और मजबूत बनाना	10.85	अगस्त 2009/मार्च 2011
प. बंगाल	प. बंगाल राज्य में बाढ. नियंत्रण परियोजना पर एस कुलटाली में मारिआ नदी के साथ-साथ 24.99 कि.मी. से 25.98 कि.मी. तक मौजा कईखली में और जायनगर सिंचाई प्रभाग के अंतर्गत दक्षिण 24 परगना में पी एस गोसाबा में रइमंगल नदी के साथ-साथ 2.60 कि.मी. से 3.90 कि.मी. तक मौजा पुइनजली में माटिआ नदी के साथ-साथ शुष्क ब्रिक् पिचिंग के साथ सुंदरबन तटबंधन को ऊंचा उठाना और मजबूत बनाना	9.48	अगस्त 2009/मार्च 2011

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
प. बंगाल	प. बंगाल राज्य में बाढ़ नियंत्रण परियोजना, ककद्वीप सिंचाई प्रभाग के अंतर्गत जि. दक्षिण 24 परगना पी एस नामखाना में प. बंगाल के सामने खाडी में 6.80 कि.मी. से 8.24 कि. मी. ए बी बी सी, सी डी और डी क्यू मुहानों में मौजा पतिबोनियाओ में सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक पिचिंग द्वारा सुदरबन तटबंधन को ऊंचा उठाना और मजबूत बनाना	14.99	अगस्त 2009/मार्च 2011
प. बंगाल	जि मुर्शिदाबाद में सुंदरनगर और बसंतपुर, तक, काजीपाड़ा से नवाराम और शहरबस्ती से उत्तरासन आउटफाल तक और जिला नादिया में सान्यालचर तक भागीरथी नदी के दोनों तटों के साथ-साथ किनारा संरक्षण कार्य	23.67	दिसम्बर 2009/मार्च 2011
पं बंगाल	जिला मुर्शिदाबाद में इछालीपाडा, मोया, गलादर्या, पश्चिम बीचपाडा में और जिला नादिया में बौसमारी में गंगा पदमा नदी के दाएं किनारे के साथ-साथ किनारा संरक्षण कार्य	28.14	दिसम्बर 2009/मार्च 2011
आंध्र प्रदेश	इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना (मेजर के निकट)	10,151.0452	फरवरी 2009/मार्च 2019-20
छत्तीसगढ़	मिनीमाता (हसदेव) बांगो 1660.88 बहु प्रयोजन परियोजना (बडी संशोधित) छत्तीसगढ़	1660.88	दिसम्बर 2009/मार्च 2011
छत्तीसगढ़	केलो मेजर सिचाई परियोजना (नयी बडी)	598.91	फरवरी 2009/मार्च 2013
कर्नाटक	गंडोरीनाला सिचांई परियोजना (संशोधित मझौली)	240.00	नवम्बर 2009/मार्च 2012
कर्नाटक	भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम (बड़ी नई) जि. गुलबर्गा	551.93	दिसम्बर 2009/मार्च 2012
कर्नाटक	करंजिआ सिंचाई परियोजना (संशोधित बडी)	532.00	दिसम्बर 2009/मार्च 2011
कर्नाटक	गुड्डाडा मल्लापुर लिफ्ट सिचांई स्कीम (नई मझोली)	115.40	दिसम्बर 2009/मार्च 2012

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
कर्नाटक	घटप्रभा परियोजना चरण-III (संशोधित बडी) जिला बेलगांव	1210.51	दिसम्बर 2009/मार्च 2011
मध्य प्रदेश	पुनासा एल आई एस (संशोधित बडी)	488.06	सितम्बर 2009/मार्च 2012
मध्य प्रदेश	बारगी विचलन परियोजना (संशोधित बडी)	5127.22	दिसम्बर 2009/मार्च 2013
महाराष्ट्र	लोअर पनजारा मझौली सिचांई परियोजना (नई मझौली)	347.3107	अप्रैल 2009/मार्च 2011
महाराष्ट्र	पुनन्द सिंचाई परियोजना (बड़ी)	340.56	मई 2009/मार्च 2012
महाराष्ट्र	उतावली मझौली सिचांई परियोजना	109.64	जुलाई 2009/मार्च 2012
महाराष्ट्र	डोंगरगांव टैंक परियोजना (मझौली संशोधित)	67.04	सितम्बर 2009/मार्च 2012
महाराष्ट्र	कमानी टांडा मझौली सिंचाई परियोजना (नई मझौली)	78,4903	अप्रैल 2009/ मार्च 2012
महाराष्ट्र	कुदाली मझौली सिंचाई परियोजना (नई मझौली)	271.7988	फरवरी 2009/मार्च 2011
महाराष्ट्र	ननदुर मधमेश्वर बडी सिंचाई परियोजना (संशोधित बड़ी)	941.33	अप्रैल 2009/मार्च 2013
महाराष्ट्र	कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई स्कीम (नई बड़ी)	2224.76	अक्तूबर 2009/मार्च 2014
नागालैण्ड	डजुजा मझौली सिंचाई स्कीम	75.20	जुलाई 2009/मार्च 2012
उड़ीसा	सकुरा सिंचाई परियोजना (मझोली)	155.48	जून 2009/मार्च 2013
उड़ीसा	कनुपुर सिचाई परियोजना (बड़ी-संशोधित)	1067.51	दिसम्बर 2009/मार्च 2014
उड़ीसा	लोअर इंदिरा सिचांई परियोजना, उड़ीसा (बड़ी संशोधित)	1182.23	दिसम्बर 2009/मार्च 2011
उड़ीसा	लोअर इंदिरा परियोजना (बड़ी सशोधित)	521.13	जनवरी 2009/मार्च 2010

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का महीना/पूर्णता का वर्ष
उत्तर प्रदेश	अर्जुन सहायक परियोजना (नई बड़ी)	806.50	नवम्बर 2009/मार्च 2014
बिहार	ईस्टर्न कोसी नहर पद्धति-ई आर एम	750.75	अक्तूबर 2009/मार्च 2012
कर्नाटक	भीमा समुद्र टैंक और इसकी नहरों की बहाली और पुनरूद्धार	9.375	अगस्त 2009/मार्च 2012
पंजाब	आर डी 179000 से 496000 तक राजस्थान फीडर की पुनर्संरचना (बड़ी नई -ई आर एम)	952.10	नवम्बर 2009/मार्च 2014
पंजाब	आर डी 119700 से 447927 तक सरहिंद फीडर की पुनर्संरचना (बडी-नई-ई आर एम)	489.165	नवम्बर 2009/मार्च 2013
उत्तर प्रदेश	लहचूरा बांध का आधुनिकीकरण (संशोधित - बड़ी)	299.36	नवम्बर 2009/मार्च 2011
उत्तर प्रदेश	शारदा सहायक पद्धति की क्षमता बहाली	319.23	अगस्त 2009/मार्च 2012
उत्तर प्रदेश	जिला रामपुर में ग्राम अशोकपुर पट्टी और गजरौला के बचाव के लिए पिलखुवा नदी के किनारे पर विद्यमान बांध के विस्तार/पुनरूद्धार के लिए परियोजना	3.09	अक्तूबर 2009/मार्च 2010

4.32 महिला और बाल विकास

4.32.1 योजना आयोग में महिला और बाल विकास प्रभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय के निकट सहयोग से कार्य करता है और ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज़ में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के साथ राष्ट्र की महिलाओं और बच्चों की समग्र उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रभाग के प्रमुख कार्यकलापों को निम्न पैराग्राफों के सारांश में दिया गया है।

4.32.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के कार्य के भाग के रूप में प्रभाग ने वर्तमान स्कीमों को ध्यान में रखते हुए, एक नीति संदर्श प्राप्त करने के लिए बुद्धिजीवियों, महिला पक्षधर अर्थशास्त्रियों, शोधकर्ताओं और प्रमुख सरकारी संगठनों की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की। इसने इस क्षेत्र में व्यक्तियों से विवरणात्मक संदर्भ एकत्रित करने के लिए अनेक क्षेत्रीय विचार-विमर्श का आयोजन किया और उसकी अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की, महिलाओं और बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों की स्कीम की रूपरेखा के बारे में जानकारी एकत्रित की और उनका विश्लेषण किया। उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का उद्देश्य वर्तमान स्कीमों और प्रोग्रामों की महिलाओं के लिए एजेंसी और बाल अधिकारों के 11वीं योजना के परिदृश्य को विस्तृत रूप से पूरा करने की क्षमता का आकलन करना है। इस प्रक्रिया के द्वारा कठिनाइयों, रुकावटों और अच्छे तरीकों की

पहचान करना संभव हो सका है। इस चर्चा की विस्तृत प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि मूल्यांकन के भाग के रूप में महिलाओं के लिए एजेंसी और बाल अधिकारों पर अध्याय तैयार किया गया।

4.32.3 प्रभाग ने ग्यारहवीं योजना में महिलाओं के सशक्तीकरण और बाल विकास के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण पर आधारित और चालू नीतियों तथा कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, 2009-10 के लिए वार्षिक योजना दस्तावेज़ में शामिल करने हेतु महिला और बाल विकास पर भी अध्याय तैयार किया है।

4.32.4 प्रभाग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक योजना 2010-11 के लिए प्रस्तावों की जांच की है और वित्तीय कार्य के दौरान स्कीम-वार वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया है। प्रभाग ने मंत्रालय की वार्षिक योजना 2010-11 को अन्तिम रूप देने के लिए सदस्य स्तर की बैठकों हेतु पूर्व जानकारी भी तैयार की है। प्रभाग ने विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की वार्षिक योजना 2009-10 को अंतिम रूप देते समय राज्य के मुख्य मंत्रियों के साथ अपनी बैठकों में उपाध्यक्ष के प्रयोग के लिए महिला और बाल से संबिंधत मुद्दों के बारे में पूर्व जानकारी तैयार की। इसके बाद प्रभाग ने प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की वार्षिक योजना 2010-11 के लिए महिला और बाल विकास क्षेत्र से संबंधित परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए राज्य-वार कार्यकारी समूहों की बैठकें आयोजित की। कार्यकारी समूह ने राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों एवं केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रगति, प्रत्येक राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र और वर्तमान अंतर की समीक्षा की और इस क्षेत्र में कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दिया। राज्यों को महिलाओं में आय अर्जित करने के कार्यों को बढ़ावा देने और विशेष स्व-सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं को स्वरोज़गार हेतु दक्ष प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्यों को महिला बजट बनाने के लिए भी परामर्श दिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य-वार मध्यावधिक मूल्यांकन दस्तावेज का विस्तार से विश्लेषण किया गया और विशेषकर एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय का मुख्य कार्यक्रम है, से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां की गईं।

4.32.5 इसके अतिरिक्त, एकीकृत बाल विकास योजना, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय का मुख्य कार्यक्रम है, पर अनेक विचार दिए गए। प्रभाग ने विस्तृत मूल्यांकन और आकलन किया, विस्तृत नोट तैयार किया और इस संबंध में संपूर्ण संदर्भ में अपना योगदान दिया।

4.32.6 वैश्विक आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में प्रभाग ने निर्धन और समाज के संवेदनशील वर्गों, विशेषकर महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए परामर्श/ बैठक का आयोजन किया और कार्यवाही के लिए प्रस्तावित योजना बनाई और इस संबंध में अनेक सिफारिशें की।

4.32.7 प्रभाग ने वर्ष के दौरान परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के साथ निकट सहयोग से **सबला** के लिए ई एफ सी के ज्ञापन, किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम, इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (सशर्त मातृत्व लाभ योजना) के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय के विभिन्न प्रस्तावों की जांच की/ स्वीकृति दी। इसने **सबला** पर मंत्रिमंडल के लिए नोट के मसौदे का भी मूल्यांकन किया/ विश्लेषण किया और तदनुसार टिप्पणियां कीं। सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम के बारे में प्रभाग ने आदान (इनपुट्स) और मार्गदर्शन देने, स्कीम को तैयार करने में सहायता देने के लिए विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों के साथ अनेक बार चर्चा की। प्रभाग ने स्वयंसिद्ध प्रोग्राम के चरण दो को जारी रखने में भी चर्चा की और विस्तृत विश्लेषण करने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उसी तरह के परन्तु बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के साथ विलय करने का निर्णय किया।

4.32.8 प्रभाग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक नई स्कीम तथा महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन आरम्भ करने के लिए प्रस्तावों की विस्तार

में जांच की और शिशुगृह के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव की भी जांच की।

4.32.9 विषय का मूल्यांकन करने के बाद प्रभाग ने नोट किया कि महिला संघटक योजना लैंगिक बजटिंग के विरुद्ध है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बजाए इसके आवश्यकता इस बात की है कि उचित उपाय के रूप में लैंगिक बजटिंग का इष्टतम उपयोग किया जाए, जिसका प्रयोग केन्द्र और राज्यों तथा शासन के निम्नतर स्तरों पर सभी मंत्रालय और विभाग करें।

4.32.10प्रभाग ने संसद प्रश्नों का कार्य किया और योजना आयोग के अन्य विषय प्रभागों तथा मंत्रालयों/ विभागों को उन संसद प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए संगत सूचना प्रदान की, जो उन्हें प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार प्रभाग में अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का निपटान किया गया। प्रभाग ने आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10, महिलाओं और बच्चों से संबंधित, संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण, प्रधान मंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर भाषण और वित्त मंत्री के बजट भाषण आदि में शामिल करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की और उपाध्यक्ष, योजना आयोग और क्षेत्रक प्रभारी सदस्य के लिए भाषण और संदेश तैयार किए।

4.32.11प्रभाग ने योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित बाल वेश्यावृत्ति और महिलाओं तथा बच्चों का अवैध व्यापार संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के साथ चर्चा की। प्रभाग ने 2009-10 के दौरान, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक बजटिंग पर केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं को आयोजित करने में पहल लेने में सक्रियता से भाग लिया। प्रभाग ने राष्ट्रीय महिला कोष के शासी निकाय, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साधारण निकाय और राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान के साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद् के सदस्य के रूप में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व भी किया। प्रभाग ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुसंधान सलाहकार समिति और 'स्टेप' परियोजना की संस्वीकृति समिति में भी भाग लिया। प्रभाग ने, राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 की समीक्षा करने के लिए सलाहकार समूह में भाग लिया। प्रभाग ने, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लैंगिक समानता और सामाजिक बुराइयों से संघर्ष करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और समन्वय और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित लघु पोषण/ कुपोषण पर काबू पाने के लिए कार्रवाई हेतु उपाय सुझाने के लिए कार्यदल की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया।

4.32.12महिला और बाल विकास क्षेत्रक के बारे में अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के लिए जो प्रस्ताव समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग के माध्यम से प्राप्त हुए थे, उनकी जांच की गई और उन पर टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं

4.32.13प्रभाग ने महिलाओं के द्रुत सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तीकरण हेतु नीतियों की संस्तुति करने के लिए मंत्रियों के समूह को आदान (इनपुट्स) दिए।

4.32.14प्रभाग ने नीचे के स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों/ स्कीमों के कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखी और कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर मंत्रालय को आदान प्रदान किए और उसमें सुधार के लिए सुझाव दिए।

4.32.15महिला और बाल विकास क्षेत्रक का फ्लैगशिप कार्यक्रम; एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम इस क्षेत्रक की एकमात्र फ्लैगशिप केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, जिसे वर्ष के दौरान संशोधित रूप में क्रियान्वित किया गया था। संशोधित एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए मानदेय की राशि क्रमशः 1000.00 रुपए से बढ़ाकर

1500.00 रुपए और 500.00 रुपए से बढ़ाकर 750.00 रुपए कर दी गई। अब उन्हें साड़ी और बैज भी दिए जाएंगे। सभी घटकों के लिए, पूर्वोत्तर के लिए पूरक पोषाहार सहित, केन्द्र और राज्यों के बीच लागत हिस्सेदारी अनुपात 90:10 और पूरक पोषाहार के लिए 50:50 तथा पूर्वोत्तर को छोड़कर, सभी राज्यों के सभी अन्य घटकों के लिए 90:10 है। बच्चों (6-72 मास) के लिए पूरक पोषाहार का लागत मानदंड, दो रुपए प्रति दिन से बढ़ाकर चार रुपए, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (6-72 मास) के लिए 2.70 रुपए से बढ़ाकर 6.00 रुपए और गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए 2.30 रुपए से 5.00 रुपए कर दिया गया।

4.32.16वार्षिक योजना 2009-10 के लिए स्कीम का परिव्यय 6705.00 करोड़ रुपए था और संशोधित प्राक्कलन पर आबंटित राशि 8152 करोड़ रुपए थी।

4.33 प्रशासन और अन्य सेवाएं

4.33.1 प्रशासन

4.33.1.1 योजना आयोग का स्तर भारत के एक विभाग का स्तर है, इसलिए कार्मिक और प्रशिक्षण के नोडल विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त अनुदेश तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवा नियमावली के तहत प्रावधान भी योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। प्रशासन, सामान्यतया इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार कार्य करता है। योजना आयोग प्रशासन, योजना आयोग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की जीवन-वृत्ति आकांक्षाओं के प्रति भी संवेदनशील रहा है और इस संबंध में समय-समय पर पर्याप्त कार्रवाई करता रहा है। इसके साथ ही प्रशासन अपनी स्टाफ संख्या को सही आकार देने की अपेक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देता है और सिविल पदों में सीधी भर्ती के इष्टतमीकरण पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। योजना आयोग ने स्नातकोत्तर/ अनुसंधान मांगों को योजना प्रक्रिया में अवगत करने के लिए एक इनटर्नशिप स्कीम भी प्रारंभ की है।

4.33.2 जीवन-वृत्ति प्रबंधन कार्यकलाप

4.33.2.1 वित्त वर्ष 2009-10 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान 43 अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ बैठकों आदि में योजना आयोग/ भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ए पी ओ आदि द्वारा विभिन्न देशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान उपाध्यक्ष के सात विदेश दौरों, योजना आयोग के सदस्यों द्वारा 14 दौरों और योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के 23 विदेश दौरों संबंधी प्रस्तावों पर भी जीवन-वृत्ति प्रबंधन डेस्क द्वारा कार्रवाई की गई।

4.33.2.2 इस अवधि के दौरान, बीच के स्तर के 13 अधिकारयों को विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजा गया। योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के आई ई एस, आई एस एस, जी सी एस, पुस्तकालय स्टाफ आदि के लगभग 41 अधिकारियों को आर्थिक मामले विभाग, सांख्यिकी विभाग, आर बी आई-सी ए बी, पुणे तथा विभिन्न अन्य सरकारी और स्वायत्त संस्थानों/ संगठनों द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित/ आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा, सी एस एस, सी एस सी एस और सी एस एस एस के लगभग 19 अधिकारियों/ स्टाफ को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनिवार्य व अन्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

4.33.2.3 उपरोक्त अवधि के दौरान, योजना आयोग ने उच्चतर रक्षा प्रबंध पाठ्यक्रम (एच डी एम सी), रक्षा प्रबंधन कालेज, सिकंदराबाद, भारतीय रेलवे विद्युतीय इंजीनियरी, नासिक के परिवीक्षार्थियों, शिवाजी विश्वविद्यालय,

कोल्हापुर के एम.ए. (भाग दो) के विद्यार्थियों, प्रेजीडेंट्स आफिस, योजना आयोग, तंजानिया से एक तन्जानियाई प्रतिनिधिमंडल और श्रीलंका के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के दो समूहों के लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित किया।

4.33.3संगठन और पद्धति तथा समन्वय अनुभाग

अवधि	किए गए कार्यकलाप
1.4.2009 से 31.12.2009	**ओ एंड एम समन्वय कार्य** वर्ष 2009-10 के दौरान सभी अनुभागों/ प्रभागों का ओ एंड एम निरीक्षण करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सभी 15 फील्ड कार्यालयों का भी निरीक्षण करने की योजना तैयार की गई है। (i) योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का समन्वय और संकलन। (ii) योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन। (iii) विभिन्न आवधिक विवरणियों का मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग/ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आदि के लिए संकलन/ समेकन और प्रस्तुतीकरण। (iv) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के संबंध में मामले। **लोक/ स्टाफ शिकायत समाधान तंत्र** योजना आयोग अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में जनता के साथ कोई पारस्परिक संवाद नहीं करता है। फिर भी, आयोग ने जनता की ओर से कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार एक शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना की है। परामर्शदाता (प्रशासन) शिकायत निदेशक के रूप में कार्य करता है और उसकी सहायता निदेशक/ उप सचिव के स्तर के तीन स्टाफ शिकायत अधिकारी करते हैं। स्टाफ की शिकायतों से निपटने वाले अधिकारयों के पास कर्मचारी जा सकते हैं, जो उनकी शिकायतों को सुनते हैं और ऐसी शिकायतें तत्काल दूर की जाती हैं।

4.33.4 हिन्दी अनुभाग

4.33.4.1 हिन्दी अनुभाग ने वार्षिक योजना 2008-09 का अनुवाद, संपादन और प्रूफ रीडिंग किया और विभिन्न उप-समितियों से संबंधित कार्यसूची, कार्यवृत्त व अन्य सामग्री का अनुवाद कार्य किया।

4.33.4.2 योजना आयोग के अनुभागों/ प्रभागों से प्राप्त राजभाषा अधिनयम, 1963 के अनुच्छेद 3(3) के अंतर्गत विभिन्न प्रलेखों/ पत्रों का अनुवाद करने के अलावा, हिंदी अनुभाग ने आश्वासनों, संसद प्रश्नों, स्थायी समिति से संबद्ध सामग्री, अनुदान मांगों, वार्षिक रिपोर्ट, मंत्रिमंडल टिप्पणी, प्रोटोकाल व अन्य करारों, फार्मों और प्रारूपों आदि का भी अनुवाद किया।

4.33.4.3 त्रैमासिक हिन्दी प्रगति रिपोर्टें और वार्षिक कार्यक्रम की मूल्यांकन रिपोर्ट जैसी रिपोर्टें योजना आयोग के अनुभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त की गईं

तथा समुचित रूप से समीक्षा के बाद समेकित रिपोर्टें राजभाषा विभाग को भेजी गईं।

4.33.4.4 योजना आयोग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों और स्टाफ को अधिकतम कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया गया। हिन्दी कार्यान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा हिंन्दी में सरकारी कार्य करने में हिचकिचाहट को दूर करने के लिए अधिकारियों और स्टाफ के लिए शिमला, नासिक और दिल्ली में तीन हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई।

4.33.4.5 योजना आयोग में और साथ ही इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग को तेज करने के लिए वर्ष के दौरान प्रयास किए गए। मुम्बई और चंडीगढ़ के कार्यालयों में निरीक्षण किए गए।

4.33.4.6 हिंदी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारयों की सेवाओं का उपयोग करने पर बल दिया गया। योजना आयोग के कंप्यूटरों से आधिकारिक सूचना और ई-मेल संदेश भी जारी किया गया।

4.33.4.7 योजना आयोग ने "कौटिल्य पुरस्कार योजना" आरंभ की है ताकि योजना आयोग के कार्य प्रणाली से संबंधित तकनीकी विषयों के बारे में उच्च कोटि के मूल हिंदी साहित्य लेखन को बढ़ावा दिया जा सके।

4.33.4.8 "हिंदी दिवस" यथा 14 सितंबर के अवसर पर गृह मंत्री और मंत्रिमंडल सचिव से प्राप्त संदेशों को योजना आयोग के अनुभागों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया।

4.33.4.9 योजना आयोग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 'हिंदी पखवाड़ा' आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी टंकण, हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण/ प्रारूपण, हिंदी परिचर्चा आदि में सफलतापूर्वक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान एक राजभाषा सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। तथापि, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

4.33.5 पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र

4.33.5.1 योजना आयोग का पुस्तकालय योजना आयोग के सभी स्टाफ सदस्यों, योजना भवन में स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, ई ए पी, पश्चिमी घाट सचिवालय, यू आई डी और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के स्टाफ को संदर्भ सेवा और पुस्तकें प्रदान करने की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इसने भारत सरकार के लगभग सभी पुस्तकालयों को अंतः पुस्तकालय ऋण सेवाएं भी मुहैया की हैं। अन्य विभागों के अधिकारयों तथा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधकर्ताओं को परिसर के भीतर परामर्श सुविधा प्रदान की गई।

4.33.5.2 पुस्तकालय ने अपने लगभग सभी क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण कर दिया। इन क्रियाकलापों के लिए अब एक पुस्तकालय आटोमेशन साफ्टवेयर यथा लिबसिस प्राइमा 5.7.2 का प्रयोग किया जा रहा है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके जरिए आयोग के अधिकारियों को सूचना प्रदान की जाती है।

4.33.5.3 पुस्तकालय अपने प्रकाशन भी निकाल रहा है, जैसे कि (i) **डाकप्लानः** पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली चुनी हुई पत्रिकाओं से निकाले गए/ चुने हुए लेखों की मासिक सूची; (ii) नई पुस्तकों की सूचीः पुस्तकालय में शामिल की गई पुस्तकों की सूची; (iii) पुस्तकालय द्वारा मंगाई जा रही पत्र/ पत्रिकाओं की एक सूची। पुस्तकालय ने योजना आयोग के अधिकारयों की मांग पर ग्रंथसूची भी उपलब्ध कराई।

4.33.5.4 रिपोर्टाधीन अवधि में पुस्तकालय के संग्रह में अंग्रेजी की 1212 और हिंदी की 223 पुस्तकें जोड़ी गई हैं। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय में 210 पत्रिकाएं प्राप्त हुई। पुस्तकालय ने संदर्भ संबंधी लगभग 6000 प्रश्नों के उत्तर में जानकारी प्रदान की और प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया। लगभग 10,000 पाठक पुस्तकालय में परामर्श और संदर्भ कार्य के लिए आए।

4.33.5.5 कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन : पुस्तकालय के स्टाफ ने राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में भाग लिया।

4.33.6राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र - योजना भवन यूनिट - योजना आयोग सूचना विज्ञान प्रभाग

4.33.6राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र - योजना आयोग यूनिट, योजना भवन

4.33.1 सूचना प्रौद्योगिकी आधारित हार्डवेयर, साफ्टवेयर, भंडारण/ बैक-अप सेवाएं, नेटवर्क, वीडियो कान्फ्रेंसिंग संबंधित आधारित ढांचा, वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस), डाटाबेस विकास संबंधी सभी जरूरतें, योजना आयोग का साफ्टवेयर प्रयोज्य, आधारित संरचना का सचिवालय (एस ओ आई); राष्ट्रीय विज्ञान आयोग (एन के सी) और प्रधान मंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद का कार्य अधिकांशतः योजना आयोग स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन देखता है। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आरम्भ की गई विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त ब्योरा, जिसमें दिसम्बर, 2009 की समाप्ति तक प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों पर जोर दिया गया है, नीचे प्रस्तुत है:

I आधारित ढांचा विकास

(i) **हार्डवेयरः** हार्डवेयर की जरूरी कम्प्यूटर आवश्यकता और एन आई सी एन ई टी (इंटरानेट और इंटरनेट संबंधी नेटवर्क) का समर्थन योजना आयोग, आधारित संरचना का सचिवालय (एस ओ आई) और प्रधान मंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद् को प्रदान किया जाता है। नई प्राप्तियों को न्यूनतम 4जीबी रैम, 17"/19" टी एफ टी प्रदर्शन प्रणाली और डी वी डी राइटर के साथ नवीनतम पी-IV कोर-2 डुओ प्रणाली के अनुरूप मानकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार उप सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए नवीनतम खाका वाली नोटबुक उन अधिकारियों को भी दी जा रही है, जिनके कार्य को प्रभाग के प्रमुख ने उचित ठहराया है और जिन्हें सचिव, योजना आयोग से अनुमोदन मिला है।

(ii) **लैनः** स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) को पी जी सी आई एल 34 एम बी पी एस आप्टिकल फाइबर संपर्क और 34 एम बी पी एस फाइबर लिंक से लोड बैलेंसिंग के साथ जोड़ा गया है। **पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड (पी जी सी एल) की मौजूदा पट्टाशुदा लाइन को योजना भवन प्रयोक्ताओं के लिए एड-आन 34 एम बी पी एस एम टी एन एल अतिरिक्त फाइबर कनेक्टिविटी के साथ 10 एम बी पी एस से 34 एम बी पी एस के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है।** एल सी से आर सी पैच कोडों के माध्यम से सभी स्विचों को आप्टिकल फाइबर संयोज्यता से जोड़कर आंतरिक लैन का भी स्तरोन्नयन कर दिया गया है और प्राक्सी नए ले आउट के अनुसार अधिक तेज और सुरक्षित नेटवर्क संयोज्यता सहित पुनः संरूपित कर दी गई है। इस समय योजना आयोग के इंटरनेट में लगभग 600 ग्राहक, विभिन्न सर्वर और नेटवर्क प्रिंटर हैं।

(iii) **'वीलैन' कार्यान्वयनः** बेहतर, तेज ओर सुरक्षित नेटवर्क के लिए 'वीलैन' को योजना भवन में कार्यान्वित कर दिया गया है तथा सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क नेबरहुड में एकीकृत करने के वास्ते उसके लिए 'वीलैन' पर एक **वेब-आधारित नेटशेयर** अनुप्रयोग विकसित किया गया है ताकि फाइलों/ फोल्डरों का आदान-प्रदान किया जा सके; स्पैम/ वायरस आक्रमण को रोकने तथा इसे एक सुरक्षित नेटवर्क बनाने के लिए प्रत्येक मंजिल पर अप्रयुक्त पोर्टों को निष्क्रिय कर दिया गया।

(iv) **वीफी समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क कनेक्टिविटीः** पहले चरण में, 'वीलैन' 4400 सीरीज़ नियंत्रक के माध्यम से 'सिस्को' प्रबंधित एक्सेस पाइंटों के जरिए विज्ञान भवन में पहली

और दूसरी मंजिल के प्रयोक्ताओं के लिए एक कुशल आधुनिकतम तीव्र और सुरक्षित 'वीफी' समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे कि सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेते समय अपने लैपटाप पर डाटा आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, पहली और दूसरी मंजिल पर सभी समिति कक्ष पूर्णतः 'वीफी' हैं। इस कंट्रोलर का यह लाभ है कि इन एक्सेस पाइंटों का प्रबंधन किसी भी निश्चित पूर्व-परिभाषित पाइंट से किया जा सकता है, जहां इसे नेटवर्क पर दूरस्थ वायरलैस के जरिए कायम किया जा सकता है। एलएपी सिस्को यूनिफाइड वायरलैस नेटवर्क आर्किटेक्चर का भाग है। इसके साथ, उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, सदस्यों, सभी प्रधान सलाहकारों/ वरिष्ठ सलाहकारों, सलाहकारों के चेंबर और पहली व दूसरी मंजिल पर समिति कक्ष पूर्णतः 'वीफी' समर्थित हैं।

(v) **'निकनेट' के साथ वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) संयोज्यता का सुदृढ़ीकरणः** वी पी एन पर फाइल अंतरण प्रोटोकाल (एफ टी पी) का प्रयोग करके योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में वेबसाइटों के स्थानीय रूप से दूरस्थ अपडेशन के लिए वी पी एन (विशुद्धतः निजी नेटवर्क) संयोज्यता भी स्थापित कर दी गई है।

(vi) **'निकनेट' पर डेस्कटाप 'एक्जीक्यूटिव वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम' (ई वी सी एस) की स्थापना करना - एनआईसी की एक ई-शासन पहल**

भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों में आयोजित की जा रही ई-शासन पहल को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नूतनताओं और इनके कार्यान्वयन से हमारे दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन की विधियों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यह प्रौद्योगिकी वीडियो कान्फ्रेंसिंग जैसे विकल्पों की व्यवस्था करके यात्राओं की जरूरत का स्थान ले रही है। तुरन्त निर्णय लेने को सुगम बनाने के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों/ प्रशासकों तथा भारत सरकार के सभी सचिवों के डेस्कों पर कार्यकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम (ई वी सी एस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 35 मुख्य सचिवों/ प्रशासकों और भारत सरकार के 92 सचिवों के डेस्कों पर 'निकनेट' पर कार्यकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग पद्धति (ई वी सी एस) पहले ही स्थापित कर दी गई है जिससे कि अंतरमंत्रालयी परामर्शों और तुरन्त निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न न हो। ई वी सी एस से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा पाइंट से पाइंट तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग शुरू की जा सकती है और एनआईसी, दिल्ली के माध्यम से बहु-पाइंट वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रौद्योगिकी अब सम्मेलन कक्षों से बाहर आ गई है। यहां यह पारंपरिक रूप से सीमित थी। इसका श्रेय वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपस्करों की औसत कीमत में भारी कटौती और नेटवर्क ढांचे और बैंडविड्थ क्षमताओं में कुल मिलाकर हुए सुधार को जाता है। 'निकनेट' नामक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के विद्यमान आई पी आधारित नेटवर्क ढांचे का उपयोग, उत्तम कोटि की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक उच्च गति बैंडविड्थ (2 एम बी पी एस) की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

प्रमुख तकनीकी चुनौती एक ही वर्चुअल बैठक में पूरी नेटवर्क विश्वसनीयता के साथ और यह सुनिश्चित करते हुए ई वी सी एस नेट पर संचार सुरक्षित है, सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 35 मुख्य सचिवों/ प्रशासकों को जोड़ने की है। एक अन्य तकनीकी चुनौती 'निकनेट' पर सेवा की कोटि कार्यान्वित करने की है, जो आईपी नेटवर्क पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग जैसे रियल टाइम अनुप्रयोगों पर अमल करने के लिए बहुत जरूरी है।

इस परियोजना को विद्यमान आई पी आधारित नेटवर्क अवस्थापना - 'निकनेट' पर कार्यान्वित

किया गया है, जिसके अंतर्गत संचार की कम लागत और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना सचिवों को सुविधा प्रदान करना सम्मिलित है। एन आई सी, योजना भवन यूनिट में उसको क्रियान्वित करने के लिए पहल की गई जिससे उच्च स्तर के अधिकारियों को आई पी पर बेहतर संचार पद्धति उपलब्ध हो सके। इसके प्रयोग के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इसका प्रदर्शन किया गया है। इस परियोजना को विद्यमान आईपी आधारित नेटवर्क अवस्थापना "निकनेट" पर कार्यान्वित किया गया है, जिसमें संचार की कम लागत सम्मिलित है। इस वर्ष के दौरान उपाध्यक्ष, योजना आयोग की उपाध्यक्षता में, सदस्य और सचिव के बीच लगभग 40 वीडियो कान्फेंस हुईं। इस सेवा का प्रयोग बहुत हो रहा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अनेक बार वामपंथी हिंसा वाले जिलों, सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। ई वी सी एस की भारी सफलता के कारण मंत्रिमंडल सचिव के निदेश के अनुसार इसका विस्तार निकनेट के द्वारा सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक तक किया जा रहा है।

(vii) **इंटरनेट और मेल सुविधाः** इंटरनेट और ई-मेल की सुविधाओं के लिए समर्थन योजना आयोग, अवस्थापना सचिवालय, ई ए सी, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर), नरेला और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सभी अधिकारियों को दिया गया है। योजना आयोग के मेल खातों का अद्यतन और नियमित अनुरक्षण किया जाना जारी है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को निकनेट टेलीकंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उनके निवास स्थान पर कंप्यूटर प्रणालियां अर्थात डेस्कटाप/ लैपटाप तथा ब्राड बैंड संयोज्यता प्रदान कर दी गई है।

(viii) **बैक-अप सेवाएं:** योजना भवन में एक शक्तिशाली बैक सर्वर स्थापित किया गया है। इस बैक-अप सर्वर में वेरीटास नेट बैक-अप सर्वर 6.5 साफ्टवेयर आरोपित किया गयाहै, जिसमें शामिल हैंः प्रक्रमी बैक-अप, संश्लिष्ट बैक अप, मुक्त फारमेट बैक-अप, शून्य डाउनटाइम सहित सर्वर बैक-अप और साथ ही इसमें आपदा बहाली आदि का भी विकल्प है। इसमें समूची प्रणाली, प्रचालन प्रणाली सहित सर्वरों की इमेज, डाटा सहित अनुप्रयोग और पैच विवरण ग्रहण करने की क्षमता है जिससे कि लैन अथवा किसी अन्य मीडिया के माध्यम से बहाली सुनिश्चित की जा सके। बैक-अप सर्वर सभी सर्वरों के लिए और 100 डेस्कटाप और लैपटाप एजेंटों (डी एल ओ) के लिए भी बैक-अप सेवाएं प्रदान करता है।

(ix) प्रणाली संचालन (सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन): मौजूदा प्राक्सी सर्वर को अधुनातन आई एस ए 2004 सर्वर के साथ स्तरोन्नत कर दिया गया है। सभी सर्वरों अर्थात प्राक्सी सर्वर, डाटाबेस सर्वर, पीसी सर्वर, एंटी वायरस और पैच मैनेजमेंट सर्वर का संचालन किया गया तथा वह चल रहा है। सर्वरों के बचाव और सुरक्षा के लिए समय-समय पर सभी सर्वरों के लिए आधुनिक सेवा पैक, सिक्युरिटी पैच तथा एंटी वायरस अपडेट्स स्थापित किए गए हैं।

(x) **प्रयोक्ता सहयोगः** योजना आयोग के प्रयोक्ताओं को तथा विज्ञान भवन में प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति (ई ए सी) को, जब कभी आवश्यक होता है, तकनीकी सहयोग (हार्डवेयर/ साफ्टवेयर की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे कि एंटीवायरस पैकेज, इंटरनेट और नेटवर्क संयोज्यता के लिए प्रयोक्ता की मशीन का समरूपण, ई-मेल आदि जैसे विभिन्न साफ्टवेयरों की स्थापना) प्रदान किया जाता है । प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में आयोजित आधारभूत ढांचे संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन और 2009-10 के दौरान विज्ञान भवन में **आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक** में भी, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में **ऊर्जा नीति और अर्थव्यवस्था की स्थिति** पर हाल में 1

सितंबर, 2009 को हुई **पूर्ण योजना आयोग** की पिछली बैठक में आवश्यक सहायता प्रदान की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद् की सभी बैठकों में उद्घाट न और समापन भाषण के सत्र का एन आई सी द्वारा इंटरनेट पर सजीव वेबकास्ट भी किया गया जिससे किसी भौतिक अथवा भौगोलिक सीमाओं के बिना यह राष्ट्रीय घटना विश्व के सभी कोनों में पहुंच सके।

(xi) **सेंट्रलाज्ड एंटी वायरस साल्यूशनः** योजना भवन, ई ए सी और एन के सी में ट्रेंड माइक्रो - आफिस स्केन इंटरप्राइज एडीशन साफ्टवेयर वर्जन 9.100.1001 के साथ एंटी-वायरस सोल्यूशन हेतु एक अद्यतन सेंट्रलाइज सर्वर स्थापित किया गया है। नेटवर्क में वर्म्स को फैलने से रोकने के लिए योजना आयोग में एक पेच मैनेजमेंट सर्वर भी स्थापित कर दिया गया है। सर्वर और ग्राहकों पर एंटी-वायरस और पैचेज का नियमित अद्यतनीकरण/ स्तरोन्नयन किया गया है। रोजमर्रा के आधार पर संक्रमित मशीन पर निगरानी रखी गई है तथा वायरस की समय-समय पर सफाई की गई है।

(xii) **योजना आयोग में 'योजना के लिए मल्टी लेयर जी आई एस (ज्योग्राफिकल इनफारमेशन सिस्टम) हेतु स्पेटिअल डाटा इनफ्रास्ट्रक्चर' के लिए आधारित ढांचे की स्थापना :** योजना आयोग में स्थित एन आई सी यूनिट जी आई सी के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहायता दे रहा है। **: *एन आई सी - योजना भवन यूनिट, योजना आयोग ने योजना आयोग के सभी अधिकारियों के लिए वीडयो-वॉल पर राष्ट्रीय जी आई एस पोर्टल को दिखाने की भी व्यवस्था की। योजना भवन में आयोजित वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान राज्यों के मुख्य मंत्रियों को जी आई एस के क्रियाकलाप भी दिखाए गए।*** उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने दो जी आई एस परियोजनाएं शुरू की हैं, अर्थात

- स्पेटिअल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टी-लेयर जी आई एस फॉर प्लानिंग (राष्ट्रीय जी आई एस)।
- कंप्यूटर एडिड डिजिटल मैपिंग ऑफ सिक्स मेगा सिटीज।

इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित किया जाता है। उपरोक्त प्रोजेक्ट '**नेशनल जी आइ एस वेब पोर्टल**' के रूप में '**फ्रेमवर्क सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर**' सृजित करने में समर्थ है जिससे बहु-स्रोतों से डाटा की हिस्सेदारी और लोवरएज के स्थान का लाभ उठाने में सुविधा मिलती है। विशिष्ट जी आई एस सेवाएं, जिनसे योजना और ई-शासन प्रोसेस में सम्मिलित विभिन्न पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की जरूरत के अनुसार और अधिक प्रथागत बनाया जा सकता है।

II वेब आधारित एम आई एस और डाटाबेस

1. केन्द्रीय योजना मानिटरिंग सूचना पद्धति (सी पी एल ए एन - एम आई एस)

यह एक वेब-आधारित सूचना पद्धति है जिसे योजना आयोग द्वारा एन आई सी योजना भवन यूनिट को विकास के लिए सौंपा गया है जिससे कि सभी मंत्रालयों/ विभागों द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित योजना और ग्यारहवीं योजना की चर्चा के लिए आनलाइन डाटा प्रविष्टि/ अद्यतन बनाने का काम किया जा सके। परिणामी बजट 2009-10 के अनुसार परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2009-10) का विवरण और अद्यतन वार्षिक उपलब्धि, विशेष रूप से देशज संसाधनों द्वारा अथवा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित करने के लिए परियोजनाओं/ कार्यक्रम, जो स्कीम समाप्त कर दी गई है अथवा जिन्हें मिला दिया गया है, आदि का ब्योरा इस एम आई एस के जरिए सृजित किया जाएगा। इसके लिए एक वेब-आधारित एम आइ एस डिजाइन और विकसित की गई है अर्थात यू आर एल - http://pcserver.nic.in/cplan

इसे चालू वार्षिक योजना (2010-11) पर चर्चा के लिए योजना आयोग की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया गया। प्रस्ताव, जिसमें विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के

लिए योजना व्यय दिया गया है, बाहरी और घरेलू संसाधन घटक दिए गए हैं, 11वीं योजना के लिए आंतरिक और बाहरी बजटीय संसाधन का पी एस ई-वार प्राक्कलन दिया गया है, को प्रस्तुत करने के लिए इनपुट प्रोफार्मा को 08 परिशिष्टों (12 फारमेट) में मानकीकृत किया गया है। विकास शीर्ष-वार योजना परिव्यय आदि साइट में उपलब्ध किया गया है जिससे प्रयोक्ता फारमेट को डाउनलोड कर सकें और सभी 12 प्रोफार्मा के लिए ऑनलाइन डाट ा प्रविष्टि कर सकें/ माड्यूल को अद्यतन बना सकें। सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग में निम्नलिखित सुविधाएं हैं:

- प्रमाणीकरण के साथ पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। तीन प्रकार के प्रयोक्ता हैं, प्रशासन जो प्रयोक्ता का प्रोफाइल, मंत्रालय/ विभाग के लिए मास्टर सारिणी बनाता है अथवा गलत प्रविष्टि को लोप करता है; योजना आयोग का प्रयोक्ता जो विभिन्न मंत्रालय/ प्रभाग का काम देखता है, वह विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा भरी गई सूचना की स्थिति को देखता है। 66 मंत्रालय/ विभाग स्तर के प्रयोक्ता ऑनलाइन सूचना को अद्यतन करते हैं।

- तीन विभिन्न किस्म के प्रयोक्ता उपकरण होते हैं, जो प्रयोक्ता-आई डी के विशेषाधिकार पर निर्भर हैं।

- इस पद्धति के एक्सेल टेबुलर फार्म में सभी परिशिष्टों को डाउनलोड करने की सुविधा है। बाद में डाटा का एक्सेल फारमेट में अपलोड किया जा सकता है अथवा डाटाबेस में आनलाइन प्रविष्टि/ सीधे अद्यतन माड्यूल, अर्थात ऑनलाइन अद्यतन का प्रयोग किया जाता है।

योजना आयोग के लिए मंत्रालय और विभाग-वार प्रश्न/ रिपोर्ट, तिथि और समय-वार अद्यतन स्थिति रिपोर्ट भी उपलब्ध है।

इनपुट के लिए अनुप्रयोग पहले ही कार्यरत है और आनलाइन सूचना को अद्यतन किया जा रहा है। 66 मंत्रालयों/ विभागों के डाटा वार्षिक योजना 2009-10 के लिए अद्यतन कर लिए गए हैं। 31 दिसम्बर, 2009 तक लगभग 40 मंत्रालयों/ विभागों ने 2010-11 की वार्षिक योजना के लिए इनपुट से एम आई एस को अद्यतन कर दिया गया है।

2. वामपंथी उग्रवादी जिलों के लिए निगरानी सूचना पद्धति (एम आई एस-एल डब्ल्यू ई डी)

वामपंथी उग्रवादी जिलों के लिए निगरानी सूचना पद्धति (एम आई एस) वेब-आधारित अनुप्रयोग है जिससे विभिन्न कार्यक्रमों की आनलाइन निगरानी रखने की सुविधा मिलती है। यह उल्लेखनीय है कि वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) पर एक कार्यबल मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 12 फरवरी, 2008 को गठित हुआ था, जिसका उद्देश्य अधिक व्यापक तरीके से नक्सल समस्या से निबटने के लिए विकास और सुरक्षा के समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देना है। योजना आयोग वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित 33 जिलों के लिए एकीकृत कार्यवाही को तेजी से अंतिम रूप दे रहा है। कार्यबल द्वारा निम्न क्षेत्रों की पहचान की गई है:

- सड़क मार्ग संपर्क
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- विद्युतीकरण

स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए, 10 अन्य क्षेत्रों की पहचान की गई।

उपरोक्त क्षेत्र (v) के संबंध में जिलों ने पेय जल आपूर्ति, आंगनवाड़ी केन्द्र, पुलिस के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण और जिला/ ब्लॉक स्तर पर स्टाफ के लिए आवास, पंचायत भवनों का निर्माण आदि से संबंधित परियोजनाओं/ निर्माण कार्य की पहचान की है। निगरानी सूचना पद्धति को मासिक प्रगति के लिए आवधिक अद्यतन किया जाता है।

इस पद्धति का अध्ययन किया गया है और अनुप्रयोग की डिजाइनिंग पर काम हो रहा है और इसे दो महीने में कार्यान्वित किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद वाले 33 जिलों के लिए क्षेत्रक स्कीमों पर निगरानी रखने के लिए एम आई एस एक पोर्टल विकसित किया गया है और उसे क्रियान्वित किया गया है। यह पद्धति मासिक आधार पर निगरानी रखने के लिए अत्यधिक निगरानी आवश्यकता हेतु पहचाने गए 12 क्षेत्रकों के संबंध में जिला-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति को

बताती है। आनलाइन पर http://pcserver.nic.in/Iwe से एम आई एस पोर्टल को देखा जा सकता है।

एम आई एस को इन 33 जिलों से संबंधित जनगणना 2001 जनांकिकीय और सुविधाएं डाटाबेस से संबद्ध करने से अधिक व्यापक भी बनाया गया है। यह पद्धति वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में नौ तरह की मूल सुविधाओं जैसे **शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, संचार, मनोरंजन की सुविधाएं, बैंकिंग, डाक-तार और टेलीफोन, बिजली की सप्लाई और संपर्क सुविधा** से संबंधित जिला और गांव स्तर पर जानकारी देती है। यह पद्धति 31.03.99 की स्थिति के अनुसार, गैर-जनसंख्या डाटा के आधार पर तैयार की गई है, जिसे जनसंख्या 2001 के डाटा के साथ संकलित किया गया।

3. व्यय वित समिति को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं की निगरानी - (एम आई एस-ई एफ सी)

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पी ए एम डी), योजना आयोग केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं और स्कीमों को सरकारी विनिवेश बोर्ड अथवा व्यय वित्त समिति द्वारा निवेश के लिए अनुमोदन/ निर्णय जो परियोजना के आकार और लागत पर निर्भर होती है, के लिए विचार करने से पूर्व विषय प्रभाग के परामर्श पर मूल्यांकन करता है। इस समय यह प्रभाग केन्द्रीय क्षेत्र की 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं/ स्कीमों का मूल्यांकन करता है। पी ए एम डी द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन में मोटे तौर पर विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे आवश्यकता और औचित्य, योजना के साथ संपर्क, मांग आपूर्ति, तकनीकी व्यवहार्यता, परियोजना प्राधिकारियों की संगठनात्मक, प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमता, लागत प्राक्कलन पर विश्वसनीयता, परियोजना/ स्कीमों की वित्तीय और आर्थिक लाभप्रदाता।

ई एफ सी/ पी आई बी के लिए वेब-आधारित प्रबंधन सूचना पद्धति विकसित की गई है जिससे जारी मूल्यांकन नेट की स्थिति का पता चल सकता है और जो ई एफ सी/ पी आई बी के पास मूल्यांकन के लिए लंबित है, केंद्रीय क्षेत्र की कितनी परियोजनाएं और स्कीम प्रौद्योगिकी - आर्थिक मूल्यांकन के लिए लंबित हैं और सरकारी क्षेत्र की कितनी बृहत परियोजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाना है ताकि सरकार उन पर निवेश के बारे में निर्णय ले सके। जनवरी, 2008 से जारी किए गए मूल्यांकन नोट के बारे में जानकारी अपलोड की गई है और ई एफ सी/ पी आई बी के पास अभी कितने लंबित हैं, इसे भी अपलोड किया गया है। इस पद्धति में दो क्षेत्र जनता और प्रशासक हैं। जनता का क्षेत्र रिपोर्ट को देखना है और प्रशासक का क्षेत्र रिकार्ड की प्रविष्टि करनी है, उसे अद्यतन करना है, लोप करना है और उसे वापस लाना है। यू आर एल का http://pcserver.nic.in/efc का प्रयोग करके पद्धति को देखा जा सकता है। मूल्यांकन नोट के लिए जारी इनपुट और ई एफ सी/ पी आई बी के पास लंबित प्रस्ताव भी अद्यतन है। परियोजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और उसमें मंत्रिमंडल, सी सी ई ए और अवस्थापना संबंधी समिति आदि से संबंधित परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

4. राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2009 पर प्रबंधन जानकारी पद्धति (एन एच डी आर 2009)

यह एक वेब आधारित परियोजना है, जो राष्ट्रीय और राज्य-वार सारिणी, विश्लेषण, जी आई एस नक्शे, लैंगिंक असमानता, निर्धनता, आर्थिक प्राप्ति, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य, सुविधाएं, विद्युत स्थिति, सामाजिक संकेतक, एन एन एस डाटा और विकास हेतु लोकतंत्रीय देश के लिए आवश्यक संकेतकों को बताता है। अर्थव्यवस्था और अन्य सामाजिक सांख्यिकी से मिलने वाले विभिन्न संकेतों के आधार पर सामान्यतया प्रति पांच वर्ष पश्चात यह रिपोर्ट तैयार की जाती है।

शिक्षा स्तर, कार्यरत जनसंख्या के स्तर, गरीबी की परिस्थितियां, श्रमिक बल और स्वास्थ्य आदि विभिन्न कारकों को देखते हुए, मानवीय विकास के स्तर को दर्शाने हेतु भारतीय स्थिति की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए यह स्कीम तैयार की गई है। यह प्रणाली इस प्रकार तैयार की गई है जिससे इसका प्रयोक्ता अलग-अलग राज्यों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के विभिन्न वर्षों के आंकड़ों की तुलना कर सकें। आंकड़ों को सूक्ष्मता से देखा जाता है ताकि वे प्रयोक्ता की रिट्रीवल जरूरतों के लिए अनुकूल हो सकें। डायनमिक वेब पेजों का प्रयोग करके 'फ्रंट-एंड कम्पोनेंट्स' से 400 से अधिक रिपोर्टें तैयार की जा सकती हैं। विभिन्न रिपोर्टों के लिए चित्रात्मक दृश्य भी उपलब्ध हैं। इस प्रणाली में प्रशासनिक माड्यूल की भी

व्यवस्था है, जो क्रमशः आगामी वर्षों के दौरान आंकड़े भरने (एंटर करने) की सुविधा है।

5. पकाया हुआ मध्याह्न भोजन (सी एम डी एम) : एक मूल्यांकन अध्ययन - वेब आधारित आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली

पकाया हुआ मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया है और पूर्व परिभाषित 10 फारमेट्स के जरिए राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के विभिन्न स्तरों पर लाभार्थियों को ध्यान में रख कर विभिन्न विषयों, जैसे

- निधि प्रवाह और उपयोग
- खाद्यान्न उपयोग
- लाभार्थी ब्योरा आदि

के बारे में आंकड़े एकत्र किए गए हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी ई ओ), योजना आयोग द्वारा स्कीम के लिए मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार करने में की मदद के लिए यह परियोजना तैयार की गई है। वेब आधारित पकाया हुआ मध्याह्न भोजन प्रणाली के लिए आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली (डाटा एनेलेसिस सिस्टम फॉर सी एम डी एम) को ग्राम शेड्यूल के लिए तैयार किया गया है। आंकड़े और इनपुट शेड्यूल आने पर इस प्रणाली का उपयोग कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी ई ओ) की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने हेतु किया जाता है।

6. ग्रामीण सड़कों संबंधी मूल्यांकन अध्ययन के लिए आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली - भारत निर्माण फ्लैगशिप कार्यक्रम का एक घटक

भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के कार्यान्वयन की सफलता का अनुमान लगाने और उस कार्यान्वयन में बाधाओं, आदि, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा देशव्यापी सर्वेक्षण किया गया है।

विभिन्न विषयों जैसे वित्तीय कार्य-निष्पादन, और नई संयोज्यता, बस्तियां क्षेत्र विस्तार, लम्बाई, क्षेत्र का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का स्तर और प्रभाविकता, पूर्व पारिभाषित सात शेड्यूल जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, सड़क, बस्ती, लाभार्थी और फोकस समूह के जरिए विभिन्न स्तर पर लाभार्थी ब्योरा आदि के वास्तविक कार्य-निष्पादन के आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

एकत्रित आंकड़ों का डाटाबेस बनाने और उन आंकड़ों के कम्प्यूटरीकृत विश्लेषण के बारे में संबंधित प्रभाग के अनुरोध पर ग्रामीण सड़क मूल्यांकन संबंधी वेब-आधारित आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली के अध्ययन का प्रस्ताव किया गया है और प्रणाली के विकास हेतु आरंभिक चर्चा कर ली गई है। इस मूल्यांकन अध्ययन के लिए वर्ष 2009 में निम्नलिखित कार्य किए गए:

- लाभार्थी शेड्यूल के डेटाबेस डिजाइन का काम पूरा हो गया।
- बस्ती (हेबीटेशन) शेड्यूल का डाटाबेस डिजाइन का काम पूरा हो गया और साफ्टवेयर तैयार करने का काम चल रहा है।
- ब्लॉक स्तर शेड्यूल डाटा से रिपोर्टें तैयार करने हेतु साफ्टवेयर का काम पूरा हो गया। साफ्टवेयर के परीक्षण चल रहे हैं।
- राज्य और जिला स्तर शेड्यूल आंकड़ों से रिपोट तैयार करने हेतु साफ्टवेयर विकसित करने का काम चल रहा है।
- ब्लॉक और बस्ती (हेबीटेशन) स्तर पर रिपोर्टों में पी ई ओ की आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने हेतु साफ्टवेयर में परिवर्तन कर लिया गया है।

7. राज्य वित्त संबंधी आंकड़ा - एम आई एस

वर्ष 1980 के बाद से सभी राज्यों/ संघीय क्षेत्रों के राजस्व और व्यय संबंधी राज्य वित्त आंकड़ों के लिए आनलाइन डाटा प्रविष्टि/ अद्यतन और पुनः प्राप्ति प्रणाली के विकास हेतु योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग द्वारा एन आइ सी, योजना भवन यूनिट को सौंपी गई एक वेब-आधारित मानीटरिंग सूचना प्रणाली है। राज्य वित्त संबंधी डाटाबेस का प्रभाव केन्द्र और राज्यों के बीच; और राज्य

तथा स्थानीय सरकारों के बीच वित्तीय अधिकारों के बंटवारे से संबंधित केन्द्र और राज्यों की संघीय वित्त व्यवस्था पर और अन्तर-कार्यक्षेत्र के कारण मामलों और करों के सरलीकरण के लिए भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डाटाबेस का मुख्य रूप से ध्यान निम्निलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर होगाः

- सरकारी वित्त
- मैक्रो इकोनोमिक्स विशेष रूप से वित्तीय, धन संबंधी तथा वाणिज्यिक नीति
- माइक्रो इकोनोमिकक्स विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र और नगरीय आर्थिक स्थिति और उद्योग का अध्ययन
- योजना और विकास
- आर्थिक सिद्धांत और प्रक्रिया

डाटाबेस में ये शामिल हैं -

- राजस्व प्रबंधन
- व्यय प्रबंधन, सभी राज्य और संघीय क्षेत्र ।

सिस्टम डिजाइनिंग तथा ले आउट का काम पूरा हो गया और वेब आधारित अनुप्रयोग का कार्य प्रगति पर है। योजना और गैर-योजना परिव्यय, व्यय आदि के लिए पुनः प्राप्ति माड्यूल विकसित हो गए हैं और परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

8. 'काम्प्रीहैंसिव डी डी ओ और ई-सर्विस बुक कार्यान्वयन' - एन आई सी का एक ई-शासन टूलः

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सितम्बर, 2008 महीने से योजना आयोग में सुचारु रूप से वेतन वितरण के लिए एन आई सी-योजना भवन यूनिट ने केन्द्रीकृत सी डी डी ओ पैकेज को योजना आयोग में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। एन आई सी-योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को योजना आयोग के सभी प्रशासनिक और लेखा सैक्शनों में पूर्णरूपेण स्वीकार किया गया है। इससे पूर्व मास्टर रिकार्ड को ले जाने तथा सी डी डी ओ पैकेज के कार्यान्वयन हेतु योजना भवन में विभिन्न डी डी ओ के लिए सी ओ एम पी डी ओ सफलतापूर्वक दो सर्वरों में लगाया गया। निम्नलिखित मॉड्यूल कार्यान्वित किए गएः

सामान्य भविष्य निधि (जी पी एफ) मॉड्यूलः इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक कर्मचारी को सामान्य भविष्य निधि की लेखा संख्या (एकाउंट नंबर) आबंटित की गई है और साथ ही सामान्य जानकारी दी गई है। पहली बार रनिंग एडवांस ब्योरे भरने के साथ-साथ वित्तीय वर्ष आंकड़ा और ओपनिंग बैलेंस एंट्री करके रीकास्टिंग केल्कुलेशन किया गया है। अंत में रीकास्ट शीट निकलती है, जो वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए जी पी एफ विवरण होता है। जी पी एफ विवरण इंटरा योजना पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्ष 2009-10 के वित्तीय वर्ष के लिए जी पी एफ आंकड़ा डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इन्क्रीमेंट माड्यूलः छठे वेतन आयोग के अनुसार जुलाई, 2009 से इन्क्रीमेंट मॉड्यूल भी शामिल होना चाहिए। जुलाई, 2009 के वेतन से इन्क्रीमेंट मॉड्यूल प्रभावी हो गया है।

आय कर (इनकम टैक्स) मॉड्यूलः इस प्रक्रिया का उद्देश्य विशिष्ट वित्तीय वर्ष हेतु कर्मचारियों का समेकित विवरण/ वार्षिक आय विवरण तैयार करना है। कर केल्कुलेशन शीट के साथ कर्मचारयों को विवरण दिया जाता है ताकि आयकर में अधिकतम छूट के लिए वे अधिक बचत कर पाएं।

ई-सर्विस बुकः ई-सर्विस बुक के सुचारु कार्यान्वयन हेतु एन आई सी-योजना आयोग यूनिट प्रयोक्ताओं को अपेक्षित सभी तकनीकी तथा अन्य सहायता देता है। योजना आयोग से नोडल अधिकारी होने के नाते एन आई सी यूनिट ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं में भी भाग लिया। कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक में आंकड़े दर्ज किए जाते हैं ताकि यह पूरी तरह प्रभावी हो जाए।

9. कार्यालय प्रक्रिया आटोमेशन (ओ पी ए)

योजना आयोग के उपाध्यक्ष के निदेशानुसार योजना भवन में केंद्रीकृत डायरी/ डिस्पैच तथा फाइल मानीटरिंग प्रणाली बनाने के लिए योजना आयोग के सभी प्रभागों में

ओ पी ए को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। एन आई सी-योजना भवन यूनिट ने इस कार्य के लिए अनेक कार्यशालाएं, हैंड्स आन-ट्रेनिंग मॉड्यूल तथा प्रयोक्ता को निजी प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई और उन्हें ओ पी ए प्रणाली के लाभ के बारे में जानकारी दी। की गई गतिविधियों में ये शामिल हैं:

- योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक दिन की कार्यशाला लगाई और ओ पी ए प्रणाली का आनलाइन प्रदर्शन किया।
- प्रशिक्षण और दिक्कतें दूर करना: नये प्रयोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है और जब भी प्रयोक्ताओं को जरूरत हो, उनहें तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में मदद दी जाती है।
- नियमित प्रशासनिक कार्य किया जाता है, जिसमें शामिल है - नये सेक्शन/ अधिकारियों की प्रविष्टि, कर्मचारियों की पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन तथा प्रयोक्ता की आवश्यकतानुसार एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्थानांतरण के ब्योरे को अद्यतन करना।
- **सी आर यू डाक लाना - जे जाना**: योजना आयोग की सेंट्रल रजिस्ट्री की जरूरत के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट से योजना आयोग के विभिन्न कमरों में डाक लाने-जे जाने की जानकारी रखने के लिए एक वेब-आधारित अनुप्रयोग विकसित किया गया है। इसे ओ पी ए पैकेज के साथ जोड़ा गया है।

10. योजना प्रशासन के लिए एम आई एस (योजना प्रशासन)

योजना आयोग के प्रशासनिक सेक्शनों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के कंप्यूटरीकृत रिकार्ड की जरूरतों के लिए यह वेब-आधारित जी2ई प्रबंधन सूचना प्रणाली है (http://pcserver/yojanaadm)। प्रशासन-5 सेक्शन में कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता दी गई। निम्निलिखित मॉड्यूल तथा सेक्शन बनाए गए और उन्हें प्रणाली से जोड़ा गया है:

ऐडिट बेसिक इन्फारमेशन: प्रणाली में एक नया माड्यूल जोड़ा गया है। इस सेक्शन में प्रयोक्ता विभाग के ब्योरों में रूप भेद कर सकता है। प्रयोक्ता इस सेक्शन में विभिन्न प्रभाग, पदनाम और समूह बना सकता है और उनमें रूपभेद कर सकता है। एच बी ए, एल टी सी से संबंधित मामलों को शामिल करके कार्यक्षेत्र (स्कोप) बढ़ाने के लिए आंकड़ा संरचना (डाटा स्ट्रक्चर) में रिपोर्ट देने के महीने में रूपभेद किया जाता है। प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल ये हैं:

(i) इन्क्रीमेंट डाटाबेस: योजना भवन में कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के ब्योरे रखने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली विकसित की गई है। यह कर्मचारियों के वर्तमान वेतन, वेतनवृद्धि की वर्तमान तारीख, भविष्य में वेतन आदि का रिकार्ड रखती है। विशेष महीनों में कर्मचारियों के रिकार्ड को अद्यतन करने का भी रिकार्ड रहता है। प्रत्येक कर्मचारी को वेतनवृद्धि आदेश का प्रिंट मिल जाता है। प्रभाग और उसके प्रभारी के अनुसार 'हैडर और फूटर' की वेतनवृद्धि की रिपोर्ट मिल जाती है। वेतनवृद्धि प्रबंधन प्रणाली से संबंधित डाटा प्रशासन-5 सेक्शन के लिए सर्वर में अपलोड कर दिया जाता है। इस मॉड्यूल में एक नए सेक्शन 'जेनरेट इन्क्रीमेंट सर्टीफिकेट' को जोड़ा गया है। प्रयोक्ता किसी कर्मचारी की वेतनवृद्धि के महीने और ग्रुप को जान कर वेतनवृद्धि प्रमाणपत्र तैयार कर सकता है।

(ii) छुट्टी प्रबंधन सूचना प्रणाली (लीव एम आई एस) : योजना आयोग के कर्मचारयों की छुट्टियों के रिकार्ड के लिए एक वेब आधारित रिकार्ड प्रणाली विकसित की गई है। एक विशेष अवधि के लिए किसी कर्मचारी की रिपोर्टों के डाटा, अद्यतनीकरण की प्रविष्टि इसमें आसानी से की जा सकती है। रिपोर्ट देने वाला अधिकारी छुट्टी स्वीकृत करने से पूर्व कर्मचारी की छुट्टियों का रिकार्ड देख सकता है। इंटरा योजना के जरिये किसी कर्मचारी की छुट्टियों का हिसाब देखने के लिए एक मॉड्यूल भी तैयार किया गया है। कर्मचारियों के नये समूह (पर्सनल स्टाफ) के लिए डाटा प्रविष्टि मॉड्यूल की व्यवस्था की गई है और कर्मचारी समूह चुनने की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रणाली से तैयार छुट्टी आदेश को मेल के जरिए योजना आयोग के सभी कर्मचारियों को भेजा जाता है।

- **नियुक्ति ब्योराः** इसमें कमरा संख्या, टेलीफोन संख्या, किस अधिकारी के साथ/ प्रभाग/ कमरा संख्या और नियुक्ति की अवधि का रिकार्ड होता है। कर्मचारियों की पिछली नियुक्तियों सहित सभी नियुक्तियों का डाटाबेस उपलब्ध रहता है। इसमें कर्मचारियों की योजना आयोग में नियुक्तियों का रिकार्ड उपलब्ध है और इस कारण नियमित तथा दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किए जाने की सुविधा मिल जाती है।
- **पेंशन पाने वालों का ब्योराः** पेंशन मॉड्यूल तैयार करके उसे योजना प्रशासन के साथ मिलाया गया है। इसमें डाटा प्रविष्टि, अद्यतनीकरण तथा सभी संबंधित मामलों के बारे में पूछ-ताछ करने की सुविधा है और तेजी से आंकड़ों की पुनः प्राप्ति संभव है। इसका उद्देश्य यह है कि पेंशन प्रक्रिया संबंधी सभी मामलों का कम्प्यूटरीकरण हो जाए। इससे रिकार्ड रखने और तेजी से जानकारी की पुनः प्राप्ति की सुविधा होगी। पेंशन मॉड्यूल के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि और रिपोर्ट तैयार करने की सक्रीन भी डिजाइन की गई है।
- **मास्टर अपडेट मॉड्यूलः** कर्मचारियों के पदनाम, नाम और वेतनवृद्धि के महीने को अद्यतन बनाने के लिए इस मॉड्यूल को जोड़ा गया है। ड्राप डाउन सूची से नाम चुन लेने की सुविधा होने के कारण इससे कर्मचारियों के रिकार्ड को अद्यतन रखने में मदद मिलेगी। नये कर्मचारियों के नाम जोड़ने, स्थायी और अस्थायी कर्मचारयों तथा अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के काम को सम्पादित करने में इससे सहायता मिलेगी।

11. केन्द्रीकृत ए सी सी रिक्ति मानीटरिंग प्रणाली (ए वी एम एस)

एन आई सी द्वारा डिजाइन तथा विकसित ई-शासन टूल : एन आई सी मुख्यालय में लगाई गई यह एक वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत मानीटरिंग प्रणाली है, जिस को एन आई सी द्वारा चालू किया गया है जिससे ए सी सी की सहमति प्राप्त किए जाने वाले मामलों की सामयिक प्रक्रिया पूरी करने में सहायता मिलेगी। यह प्रणाली http://avms.gov.in पर उपलब्ध है। एन आई सी-योजना भवन यूनिट ने योजना आयोग के संबंधित नोडल अधिकारी को इसका डाटाबेस अद्यतन करने में सहायता प्रदान की।

12. सरकारी आवास प्रबंधन प्रणाली (जी ए एम एस)

जी ए एम एस को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए योजना आयोग के सभी लेखा सेक्शनों को आवश्यक सहायता दी गई। जी ए एम एस एक आनलाइन लाइसेंस फीस कलेक्शन और मानीटरिंग प्रणाली है।

13. लोक शिकायत दूर करने तथा मानीटरिंग की केन्द्रीकृत प्रणाली (सी पी ग्राम्स) :

सी पी ग्राम्स संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक प्रभाग के अधिकारियों और एन आई सी यूनिट के अधिकारयों ने भाग लिया। इस प्रणाली को लागू करने के लिए योजना आयोग के प्रशासनिक अनुभागों को आवश्यक सहायता दी गई।

14. पेंशन शिकायत दूर करने और मानीटरिंग की केन्द्रीकृत प्रणाली (पेनग्राम्स):

एन आई सी के सहयोग से पेंशन तथा पेंशन प्राप्तकर्ता कल्याण प्रभाग ने विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के सरकारी/ पेंशन संबंधी शिकायतें दूर करने वाले अधिकारियों के लिए पेंशन संबंधी शिकायत दूर करने और मानीटरिंग की केंद्रीकृत प्रणाली (सीपेनग्राम्स) का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पेंशन प्राप्त करने वालों की सभी शिकायतों की मानीटरिंग के प्रयोजन से इन शिकायतों को भारत सरकार के पेंशनर पोर्टल में डाल कर इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए पहल की गई है।

15. योजना आयोग व्यय मानीटरिंग प्रणाली (पीसी-ईएमएस)

यह योजना के योजना व्यय और गैर-योजना व्यय दोनों को मानीटर करने के लिए एम आई एस है। इसका मांग और अनुदान के साथ समेकन है और इसे कार्यान्वित किया गया है। इस साफ्टवेयर को इंटेगरेटिड फाइनेंस एकाउंट (आई एफ ए) प्रभाग के लिए तैयार किया गया है और इसका प्रयोग मासिक व्यय और अनुदानों की मांग को मानीटर करने के लिए किया जाता है। इस एम आई एस द्वारा अनुदानों की मांग; योजना बजट लिंक तथा अन्य

वक्तव्यों, जिनमें बजट अनुमानों और पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार योजना और गैर-योजना विवरण का कार्य किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा विभिन्न रिपोर्टें तैयार करते हैं।

16. ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी पी आई एस) - सुविधाएं

मानीटरिंग के लिए 'फोर्थ टीयर टूल' को सुदृढ़ करने के लिए जनता के प्रयोग हेतु सभी मंत्रालयों/ विभागों ने ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी पी आई एस) को डिजाइन, विकसित तथा कार्यान्वित किया है। यह एक वेब आधारित पुनः प्राप्ति प्रणाली है, जो 31.03.1999 को ग्राम स्तर जनगणना आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें जनगणना 2001 आंकड़ों के साथ एकत्रित किया गया और भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया था। इस प्रणाली में नौ विभिन्न सुविधाएं हैं, जिनमें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, डाक-तार, टेलीफोन, संचार साधनों की उपलब्धता, समाचारपत्रों की उपलब्धता, बैंकिंग, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाएं, संयुक्तता और बिजली आपूर्ति की उपलब्धता आदि। यह प्रणाली दो भागों में आंकड़े दिखाती है - एक टेबुलर व्यू और दूसरे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यू के रूप में। इसे एन ई टी में विकसित किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, 2005 का प्रयोग किया गया है। इसका यू आर एल http://pcserver.nic.in/vips है।

17. ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी पी आई एस) जनांकिकी

यह भी एक वेब आधारित रिट्रीवल प्रणाली है, जो भारत सरकार के जनगणना-2001 आंकड़ों पर आधारित है । इस प्रणाली के द्वारा भारत के सभी गांवों की जनांकिकी (डेमोग्राफिक) विश्लेषणात्मक जानकारी को रिट्रीव किया जाता है। राज्य पुनः प्राप्ति के लिए डायनमिक कुऐरी ईंजन और डेमोग्राफिक डाटा के विश्लेषण करके इस एम आई एस को विकसित किया गया है।

18. जिला योजना सूचना प्रणाली (डी पी आई एस)

यह वेब आधारित सूचना प्रणाली है, जिसे जिला योजना के लिए डिजाइन, विकिसत तथा कार्यान्वित किया गया है, जो जनगणना-2001 के संबंध में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल तथा सुविधाओं के आंकड़ों पर आधारित है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल यासुविधाओं या इनके मिले-जुले रूप के बारे में पूछताछ की जा सकती है। यह योजना के विशेष घट क योजना (एस सी पी) और आदिवासी उप योजना (टी एस पी) जिनमें अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए योजनाओं पर बल दिया गया है, के काम में सहायता की प्रणाली है। यह प्रणाली यू आर एल के माध्यम से पर http://pcserver.nic.in/dpis उपलब्ध है।

19. आनलाइन कम्पलेंट रजिस्ट्रेशन मेकेनिज्म - योजना सेवा

ई-शासन परियोजना के अधीन योजना आयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनासेवा के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसके द्वारा सेवाओं के बारे में आनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा मानीटरिंग किया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा योजना आयोग के सभी कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं द्वारा नेटवर्क वर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं और योजना भवन में नियुक्त हार्डवेयर अनुरक्षण इंजीनियर उन शिकायतों को कम से कम समय में अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं।

20. राष्ट्रीय सम विकास योजना संबंधी एम आई एस (आर एस वी वाई)

एक वेब आधारित सूचना प्रणाली है, जो विभिन्न स्कीमों के ब्योरों के बारे में राज्य, जिला, ग्राम और क्षेत्र-वार सूचना उपलब्ध कराती है। वास्तविक और वित्तीय प्रगति के लिए डाटा प्रविष्टि/ अद्यतन करने, मिटाने और पुनः लिखने हेतु मॉडयूल तैयार किया गया है। प्रयोक्ता प्रमाणीकरण हेतु, जिसमें राज्य-वार, जिला-वार प्रयोक्ता सृजन (यूजर क्रिएशन), प्रयोक्ता रूपभेद (यूजर मोडिफिकेशन) शामिल हैं, एक वेब प्रशासन मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। रिपोर्ट भी तैयार की जा सकती है क्योंकि इसे क्रिस्टल रिपोर्ट राइटर का प्रयोग करके विकसित किया गया है। एम आई एस में निम्नलिखित मॉड्यूल डाले गए हैं:

- विशेष रूप से नक्सल प्रभावी जिलों के बारे में रिपोर्ट
- सर्च मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसमें प्रयोक्ता 'टाइप ऑफ वर्क' एंटर करके सभी राज्यों और जिलों में उस किस्म के कार्य की जानकारी ले सकता है।

21. हार्डवेयर इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली (एच आई एम एस):

आयोग के लिए विकसित नई हार्डवेयर इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली में साफ्टवेयर विकास, समेकन और कार्यान्वयन की व्यवस्था है। इसप्रणाली के पैकेज के जरिये योजना द्वारा खरीदी गई और प्रयोग की जाने वाली सभी हार्डवेयर इन्वेंटरी मदों के लिए यह वेब आधारित प्रणाली है और सभी नई आने वाली मदों, भण्डारित मदों तथा सौंदों के ब्योरों के बारे में सूचनाएं मिल सकती हैं।

22. राष्ट्रीय स्कीमों के लिए एम आई एस (सी एस एण्ड सी एस एस) :

यह वेब आधारित सूचना प्रणाली है, जिसे वार्षिक योजना 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए और मंत्रालयों/ विभागों की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय, मंत्रालयों/ विभागों की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु विकसित किया गया है। विजुअल स्टूडियो, 2005 के ए एस पी नेट का प्रयोग करके राष्ट्रीय स्कीमों के लिए एम आई एस (सी एस एण्ड सी एस एस) के यूजर इंटरफेस को पुनः डिजाइन और पुनः विकसित किया गया है। विभिन्न मॉड्यूल और डाटा के साथ साफ्टवेयर पैकेज को 2006-07 और उसके बाद के लिए अपडेट किया गया है। इस एम आई एस से योजनाएं बनाने वालों को मंत्रालयों या विभागों आदि के आधार पर परिव्यय के बारे में और डाटाबेस से श्रेणी-वार अलग-अलग जानकारी मिलती है।

सुरक्षा मॉड्यूलः यह माड्यूल साफ्टवेयर के सुरक्षा पहलू को संभालती है। इसका मुख्य कार्य है मंत्रालय/ विभाग के आधार पर प्रीवेलेज सहित नये यूजर का सृजन, रूप-भेद करना और यूजर प्रोफाइल/ आईडी को हटाना।

एंट्री/ अपडेट मॉड्यूलः यह मॉड्यूल विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, स्कीमों और परिव्यय के रिकार्ड में नई प्रविष्टि करने और उन्हें अद्यतन करने का कार्य करता है।

रेस्टोर मॉड्यूलः जब कोई प्रयोक्ता किसी रिकार्ड को मिट ाता है, तो यह स्थायी रूप से नहीं मिटता। इस प्रणाली की यह सुविधा है कि मिटाया गया रिकार्ड पुनः आ जाएगा या फिर उसे स्थायी रूप से भी प्रणाली से हटाया जा सकेगा। यह सुविधा प्रणाली के प्रशासक के पास ही होगी।

रिपोर्टें: मंत्रालय/ विभाग-वार, स्कीम-वार, श्रेणी-वार परिव्यय आदि की विभिन्न रिपोर्टें तैयार हो सकती हैं।

23. भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी घटकों संबंधी एम आई एसः

यह भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी 14 घटकों के संबंध में सिंगल विंडो वेब आधारित एम आई एस है, जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का अध्ययन करके और आपस में जोड़कर डिजाइन और विकिसत किया गया है और योजना भवन में इसे कार्यान्वित किया गया है और यह बाहर से यू आर एल का प्रयोग करके http://pcserver.nic.in/flagship पर उपलब्ध है। किसी विशेष अवधि के दौरान महीने-वार और वर्ष-वार फ्लैगशिप कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को जोड़कर यह साइट सूचना उपलब्ध कराती है।

24. योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए एम आई एस

यह एम आई एस विशेष रूप से योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए ही डिजाइन तथा तैयार किया गया है। जैसे ही नई जानकारी मिलती है, इसे अपडेट किया जाता है। यह एम आई एस उपाध्यक्ष को वार्षिक राज्य योजनाओं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संबंधी अपडेटिड डाटा, डब्ल्यू टी ओ संबंधी मामलों तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थासंबंधी मामलों की नवीनतम जानकारी देता है। इस एमआईएस से 1990-91 से

लेकर आज तक, स्वीकृत परिव्यय और व्यय के संबंध में, पिछले वर्षों में प्रतिशत उन्नति, तुलनात्मक विवरण और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त जी एस डी पी की जानकारी भी मिलती है। डाटाबेस में अन्य जानकारियों में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजस्व, व्यय, वित्तीय घाटे, कृषि जी डी पी प्रायोजन, जी आई एन आई को-एफिसिएंट, राज्य-वार पावर टी एण्ड डी हानियां, केन्द्र और राज्यों के वित्तीय घाटे, गरीबी संबंधी आंकड़े एफ डी आई और डब्ल्यू टी ओ संबंधी आंकड़े, चुनिंदा देशों की जी डी पी प्रयोजनाएं और उनका तुलनात्मक अध्ययन आदि जानकारियां शामिल हैं। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ वार्षिक योजना के बारे में चर्चाओं के दौरान तथा राज्यों और विदेश यात्राओं के समय यह एम आई एस उपाध्यक्ष को जानकारियां दे कर सहायता करता है। यह यू आर एल से http://pcserver.nic.in/dchmis पर उपलब्ध है।

25. मिनिमम स्पाटिअल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टी-लेयर्ड जी आई एस एप्लीकेशनः

योजना आयोग द्वारा प्रायोजित तथा एन आई सी की सहायता से एक नई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सी एस) *"स्पाटिअल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टीलेयर्ड जियोग्राफिकल इन्फारमेशन सिस्टम फॉर प्लानिंग* " योजना आयोग में चालू है। स्पाटिअल डाटा और जी आई एस एप्लीकेशन सेवा अब जी2जी में एन आई सी के जरिये योजना आयोग में भी उपलब्ध है। एन आई सी एच क्यू के मिरर सर्वर अर्थात सन फायर की वी 440 सर्वर सन सोलारिस को भी चालू किया गया है और यू आर एल का प्रयोग करके इसे http://plangis/website/nsdb/viewer.htm पर आसानी से देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सन-सोलोरिस सर्वर का एन एस डी बी डाटाबेस है। अंतरिक्ष विभाग ने भी योजना आयोग में अपना मिरर साइट लगाया है और योजना आयोग में इन्ट्रा योजना पोर्टल के माध्यम से इन लेयर्स को देखा जा सकता है। अंतरिक्ष विभाग सर्वर की निम्नलिखित लेयर्स हैं:

- गोल्डन क्वाड्रिलेटरलः राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें, गांव/ कच्ची सड़कें (अनमेटल्ड रोड), रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे।
- नदियां, जलाशय, वाटरशेड लेवल्स, भूमि उपयोग; वनस्पतियां टाइप; भू-उत्पादकता; भूमि ढलान; भूमि गहराई, भूमि की बनावट; भू-क्षरण आदि।
- डाटा स्रोत में ये शामिल हैं:
- जनगणना 2001 डाटा, प्राथमिक जनगणना सारांश और सुविधा डाटाबेस।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों से संबंधित डाटा, खादी और ग्राम उद्योग
- एन आर एस ए आदि से प्राप्त डाटा
- निम्नलिखित यू आर एल का प्रयोग करके यह सर्वर देखा जा सकता हैः http://g2g-isro/website/isro/India

योजना आयोग में एन आई सी-वाई बी यू यूनिट ऐसी सभी जी आई एस एप्लीकेशन्स का संरक्षक है, जहां मिरर-साइट कार्यरत है और योजना आयोग के लिए डिजीटाइज्ड नक्शे बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में बनाए गए नक्शों और डाटाबेसों को योजना आयोग में एन आई सी-वाई बी यू यूनिट स्थानीय रूप से देखभाल कर रहा है और योजना के विभिन्न प्रयोक्ताओं को बड़ी संख्या में इनपुट प्रदान करता है।

26. गैर-सरकारी संगठन भागीदारी प्रणाली (एन जी ओ पी एस) :

योजना आयोग के निदेशानुसार गैर-सरकारी संगठनों के आनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एन जी ओ/ वी ओ के वर्तमान डाटाबेस को एन जी ओ भागीदारी प्रणाली में डाल दिया गया है। भारत के योजना आयोग ने सभी स्वयंसेवी संगठनों (वी ओ)/ गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को इस प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों/ सरकारी निकायों के साथ परामर्श करके विकसित किया गया है ताकि इन निकायों की विभिन्न

स्कीमों हेतु सरकारी अनुदानों के लिए अनुरोध के संबंध में सरकार से बातचीत के समय इन वी ओ/ एन जी ओ को सुविधा हो सके:

- संस्कृति मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- जनजाति कार्य मंत्रालय
- महिला और बाल विकास मंत्रालय
- उच्च शिक्षा विभाग
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ)
- लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगीकी प्रगति परिषद (कापार्ट)
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी)

सभी वी ओ/ एन जी ओ से अनुरोध है कि वर्तमान वी ओ/ एन जी ओ का डाटाबेस बनाने और भागीदार मंत्रालयों/ विभागों/ सरकारी निकायों की विभिन्न स्कीमों के लिए अनुदान हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए वे पोर्टल http://ngo.india.gov.in में हस्ताक्षर कर दें (एक बार)। **भारत की राष्ट्रपति ने 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए, अपने भाषण में 100 दिवसीय वचनबद्धता में एन जी ओ भागीदारी प्रणाली का प्रस्ताव किया था।**

इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इसके लिए योजना आयोग में कई बैठकें आयोजित की गईं ताकि एन जी ओ भागीदारी प्रणाली लागू करने के लिए विभिन्न मामलों को सुलझाया जा सके और इस प्रणाली में एन जी ओ की जानकारी आनलाइन एकत्र की जा सके। आज तक अर्थात दिसम्बर के अंत तक लगभग 22,500 एन जी ओ ने पोर्टल के साथ आनलाइन हस्ताक्षर किए हैं और अनेक एन जी ओ ने अनुदान के लिए आनलाइन आवेदन किए हैं। एन आई सी- वाई बी यू में प्रशासक के लिए इंटरफेस विकसित किया है। एन जी ओ/ वी ओ द्वारा पूछताछ के लिए लगभग 3000 ई-मेल के और फोन काल के उत्तर दिए गए। इस प्रणाली में सर्च, एफ ए क्यू और एन जी ओ पी एस पोर्टल में एन जी ओ/ वी ओ द्वारा किए गए हस्ताक्षरों की पुष्टि/ या हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करने हेतु आटोमेटिड मेल भेजने के मॉड्यूल में यूजर आई डी तथा पासवर्ड जैसी सुविधाएं भी हैं।

27. संसद प्रश्नोत्तर का डाटाबेस:

संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके दिए गए उत्तर का एक वेब-आधारित डाटा बेस, जिसका कार्य योजना आयोग का संसद अनुभाग देखता है, इंटरानेट साइट http://pcserver.nic.in/parliament पर उपलब्ध है। वेबसाइट को पुनः डिजाइन किया गया है और विभिन्न सत्रों के दौरान योजना आयोग के बारे में संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके तैयार किए गए उत्तर वेब फारमेट में डाले गए और अपेक्षित की डेफिकेशन के बाद श्रेणी-वार और प्रभाग-वार अपेक्षित जानकारी के लिए उनके डाटाबेस को अपडेट किया गया है। वेबसाइट पर एक नया मोड् 'क्विक सर्च' बनाया गया है। संसद के सभी सत्रों में योजना आयोग के बारे में संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके तैयार किए गए उत्तर इस साइट पर उपलब्ध हैं। सभी सत्रों में 1997 से लेकर आज तक 3,301 प्रश्न पूछे गए और योजना आयोग ने उनके उत्तर तैयार किए । रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न सत्रों के दौरान योजना आयोग के बारे में 101 प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तरों की विषय-वस्तु तथा संबंधित प्रभाग की अद्यतन जानकारी उपलब्ध है।

28. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रबंधन प्रणाली (ए सी आर) :

योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के अनुरक्षण हेतु यह एम आई एस विकसित किया गया है, जो स्थानीय सर्वर http://pcserver/acr पर उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार की

गई पूछताछ के आधार पर अनेक रिपोर्टें तैयार हुई हैं। मल्टी यूजर एनवयारमेंट के लिए आनलाइन डाट ा एंट्री और अपडेशन मॉड्यूल भी बनाए गए हैं। उन्हें नियमित रूप से अद्यतन (अपडेशन) किया जाता है। आज तक 6,600 वार्षिक गोपनीय रिपोट ों की जानकारी उपलब्ध है और साइट को इन्ट ा योजना पोर्टल http://intrayojana.nic.in के साथ जोड़ा गया है। वर्ष 2009 के दौरान लगभग 1000 ए सी आर के इनपुट एम आई एस में अपडेट किए गए हैं।

29. वित्तीय संसाधन प्रभाग के लिए एम आई एसः

इंटरानेट पर आंतरिक प्रयोग के लिए "**फाइनेंशियल रिसोर्स ब्रीफ** " उपलब्ध है, जो राज्य-वार मासिक जानकारी के लिए एक वेब आधारित पुनः प्राप्ति (रिट्रीवल) प्रणाली है। प्रयोक्ता के लिए यह प्रमाणीकरण की भी सुविधा है। उन राज्यों के वित्तीय संसाधन संक्षेप, जिनके बारे में इनपुट उपलब्ध हैं, अपलोडिड किए गए हैं। डाटाबेस के यूजर-इंटरफेस में रूपभेद करके इसे अधिक 'यूजर फ्रेंडली' बनाया गया है।

30. वित्तीय संसाधन और आंकड़ा प्रबंधन के लिए वेबसाइट - वित्तीय संसाधन प्रभाग की सहायताः

एन आई सी (वाई बी यू) ने योजना आयोग के वितीय संसाधन (एफ आर) प्रभाग के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग का डिजाइन किया है और उसे विकसित किया है, जो इंटरानेट पर उपलब्ध है। यह साइट अब पूरी तरह लागू हो गया है और सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के वित्तीय आबंटन, परिव्यय, व्यय ब्योरों, केंद्रीय वित्तीय संसाधनों के बारे में मेक्रो और माइक्रो ब्योरों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा कर इसकी विषय वस्तु को बढ़ाया जा रहा है। रूप भेद (मोडिफिकेशन) किया गया तथा अधिक वेब पेज जोड़े गए हैं और अपलोड किया गया है और इस एम आई एस में सभी जानकारी एक ही स्थान पर है और योजना आयोग के सभी प्रयोक्ताओं के लिए यह यू आर एल के जरिए http://pcserver.nic.in/frmis पर 24X7 उपलब्ध है।

31. राज्य योजनाओं और आंकड़ा प्रबंधन के लिए वेबसाइट - राज्य योजना प्रभाग की सहायताः

आंतरिक प्रयोग के लिए किसी भी समय 'यूजर फ्रैंडली' ढंग से इंटरापोल पर विभिन्न रिपोर्टों, अनुच्छेदों, इनपुट, डाटा डिपोजिटरी तथा विभिन्न प्रभागों के संबंधित सभी जानकारी लेने के लिए राज्य योजना प्रभाग हेतु एक वेब आधारित अनुप्रयोग डिजाइन किया गया है। इस साइट में सभी पंच वर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं और उनके सेक्टर तथा उप सेक्टर परिव्यय, योजना आयोग में तथा राज्य/संघ क्षेत्र स्तर पर तैयार किए गए। योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए राज्यों/ संघ क्षेत्रों के संक्षेपण और मुख्य मंत्री स्तर पर वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरणों आदि का डाटा एक ही स्थान पर उपलब्ध है।

32. योजना संसाधन - इंटरा योजना पोर्टल पर विषय-वस्तु (कंटेंट) तथा आंकड़ा प्रबंधनः

योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसार कि योजना आयोग के सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रभागों के लिए **योजना संसाधन** का कॉलम रखा जाए, इंटरा योजना पोर्टल के कंटेंट मेनेजमेंट में (i) उपाध्यक्ष का कार्यालय, योजना आयोग, (ii) वित्तीय संसाधन प्रभाग, (iii) योजना आयोग का राज्य योजना प्रभाग (iv) पुस्तकालय प्रभाग के बारे में जानकारी शामिल करके इसे अधिक व्यापक किया गया है। इन प्रभागों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यूजर आई डी/ पासवर्ड दिए जा रहे हैं ताकि प्रयोक्ता स्वयं अपलोडिंग कर सकें और पोर्टल के कंटेंट मेनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत पोर्टल पर स्वयं संसाधनों का प्रबंधन कर सकें। वित्तीय संसाधन प्रभाग के सभी अधिकारियों के समक्ष कंटेंट मैनेजमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

III नेशनल पोर्टल ऑफ इण्डिया तथा अन्य वेब साइट के केंटेंट्सः

योजना आयोग से संबंधित बहुत से दसतावेज़ों को इण्डिया पोर्टल में डाला गया है ताकि इसके केंटेंटस को और व्यापक बनाया जाए (http://india.gov.in)

वेबसाइट का अपडेशन और अनुरक्षण (मेनटेनेंस) : योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 2009-10 की अवधि के दौरान निम्नलिखित वेबसाइटों को अद्यतन बनाया गया और अनुरक्षित किया गयाः

- योजना आयोग वेबसाइट http://planningcommission.gov.in
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग वेबसाइट http://knowledgecommission.gov.in
- अवसंरचना सचिवालय (एस ओ आई) वेबसाइट http://infrastructure.gov.in
- प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई ए सी) वेबसाइट http://eac.gov.in
- अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) वेबसाइट http://iamrindia.gov.in

1. योजना आयोग की वेबसाइटः

योजना आयोग वेबसाइट अर्थात http://planningcommission.gov.in को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। विभिन्न पेजों के हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के पाठ भी तैयार करके वेबसाइट में अपलोड किए गए हैं। योजना आयोग की वेबसाइट को पुनः डिजाइन करके आकर्षक बनाया गया है और कंटेंट्स को अच्छी प्रकार वर्गीकृत किया गया है ताकि वे अधिक यूजर फ्रेंडली हों। नवीन रूप में वेब साइट में निम्नलिखित अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं:

- नौवहन - अधिक सरल (सिम्पलर)
- कृषि; शिक्षा; रोजगार; स्वास्थ्य; खनिज; उद्योग; अवसंरचना; ग्रामीण विकास; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; सामाजिक न्याय तथा अन्य सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- मीडिया और प्रेस रिलीज; इन्टर्नशिप; ईएफसी/ पी आई बी स्टेट्स टेंडर्स की विशेष कवरेज
- एक बार में ही फ्लैगशिप कार्यक्रमों और मूल्यांकन अध्ययनों की मानीटरिंग
- रिपोर्टों को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और दो से अधक बार क्लिक नहीं करना पड़ता।

2. आर्थिक सलाहकार समिति (ई ए सी) की वेबसाइट :

आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि परिषद की अलग वेबसाइट हो। तदनुसार साइट रजिस्टर करा लिया गया और 27 अक्तूबर, 2006 को आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव द्वारा एक अलग वेबसाइट http://eac.gov.in को शुरू किया गया है। सरकार ने आर्थिक मामलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन किया है। यह वेबसाइट ई ए सी द्वारा की गई पहल की जानकारी को लिंक करने (जोड़ने) और सरकारी नीतियों के बारे में प्रमुख पहल की जानकारी को सिंगल विंडो के जरिये उपलब्ध कराने के लिए है।

3. अवसंरचना सचिवालय (एस ओ आई) की वेबसाइटः

माननीय वित्त मंत्री द्वारा 20 मई, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अवसंरचना सचिवालय के लिए एक नई वेबसाइट http://infrastructure.gov.in शुरू की गई है। एन आई सी (वाई बी यू) ने इस साइट को शुरू करने हेतु एस ओ आई को पूरी मदद दी है और योजना भवन में एन आई सी यूनिट इस प्रभाग को पूरी मदद दे रहा है ताकि इस वेबसाइट का समय पर अपडेशन हो और कंट ्ट्स भी व्यापक हो जाए।

4. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाइटः

'**राष्ट्रीय ज्ञान आयोग**' की वेबसाइट सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में http://knowledgecommission.gov.in को सरकारी तौर पर GOV.in डोमेन के अंतर्गत शुरू किया गया। इस साइट को शुरू करने में एन आई सी

(वाई बी यू) ने पूरी मदद की है और समय पर अपडेशन के लिए तथा कंटेंट्स बढ़ाने के लिए लगातार मदद कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान भी साइट को अधिक व्यापक बनाया गया है।

5. अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) की वेबसाइटः

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर), नरेला, जो योजना आयोग का एक स्वायत्तशासी संस्थन है, की वेबसाइट सरकारी तौर पर gov.in डोमेन के अंतर्गत शुरू की गई है। इस साइट को शुरू करने में एन आई सी (वाई बी यू) ने पूरी सहायता दी है और इसके समय पर अपडेशन तथा कंटेंट्स व्यापक बनाने के लिए लगातार सहायता दे रहा है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान भी इसे अधिक व्यापक बनाया गया है।

- क्योंकि शुरू की गई और शुरू की जाने वाली सभी वेबसाइटों के लिए यह अनिवार्य है कि वेब एप्लीकेशन में उनका 'वल्नरेबिलिटी ऑडिट' हो, इसलिए उपरोक्त सभी साइटों के संबंध में सुरक्षा ऑडिट का अनुपालन किया गया है।

- योजना आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, आर्थिक सलाहकार परिषद (ई ए सी) तथा आई ए एम आर के ई-मेल अकाउंटस का नियमित रूप से अनुरक्षण और अपडेशन होता है।

IV योजना आयोग की ई-शासन एप्लीकेशन

1. इन्ट्रा-योजना पोर्टल (http://intrayojana.nic.in)

एन आई सी (वाई बी यू) ने योजना आयोग के कर्मचारियों हेतु सभी जी2ई/ जी2जी एप्लीकेशन के लिए इंटरा योजना पोर्टल को विकसित और कार्यान्वित किया है ताकि विभिन्न जानकारियों को एक स्टाप वेब आधारित पोर्टल में समेकित किया जा सके और सर्विस का समाधान हो सके। इसे ओपन स्टेंडर्ड पर बनाया गया है और 'लीनेक्स', 'प्लोन' और 'जोप' साफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। पोर्टल की मूल्यवान जानकारी से समृद्ध किया गया है और इसमें कंटेंट और दस्तावेज प्रबंधन, केंटेंट्स की व्यक्तिगत डिलीवरी, कार्य-प्रवाह है। इससे वास्तव में समय की बचत होती है। प्रयोक्ता सर्च करके सर्वर पर सिंगल लॉग-इन द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बहु-प्रकार की जानकारी ले सकता है।

इन्ट्रायोजना के कंटेंट्स का प्रबंधन - योजना आयोग का इंटरानेट पोर्टल - वर्ष के दौरान पोर्टल के प्रबंध में निम्नलिखित कटेंट्स लिए गए -

- नये प्रयोक्ताओं का सृजन (क्रिएशन)
- जो प्रयोक्ता योजना आयोग से सेवानिवृत्त हो गए / या चले गए हैं, उनकी हैसियत का अपडेशन
- इंटरा योजना पोर्टल में अपलोड किए गए केंद्रीय राज्य योजना और पुस्तकालय प्रभाग के कंटेंट्स
- महीने के लिए पे-रोल और जी पी एफ डाटा का अपलोडिंग
- दैनिक आधार पर परिपत्रों/ कार्यालय आदेशों/ नोटि सों का अपलोडिंग
- अनुरोध प्राप्त होने पर कंटेंट्स की अपलोडिंग
- पे-रोल साफ्टवेयर के सुचारु संचालन के लिए तकनीकी मदद
- एनआईसी, योजना भवन यूनिट द्वारा विकसित नये एम आई एस सूचना प्रणाली के लिए हाइपर लिंक्स की व्यवस्था
- कार्यालय प्रक्रिया आटोमेशन (ओ पी ए) प्रबंधन, आदि

2. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 :

आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग ने एक वेब आधारित प्रणाली विकसित की है। इसमें संबंधित दस्तावेज/ सूचना अपलोड की जाती है। आर टी आई अधिनियम से संबंधित पूछताछ और उत्तर प्रक्रिया सर्वर पर इंटरानेट पर उपलब्ध है। यह साइट शुरू की गई है और योजना आयोग के होम पेज से इसे जोड़ा गया है।

3. पी ए ओ कम्पेक्ट साफ्टवेयरः

एन आई सी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयो/ विभागों के प्रयोग हेतु विभिन्न अदायगियों और लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली साफ्टवेयर '**पी ए ओ काम्पेक्ट**' शुरू की है। विंडो 2003 सर्वर की, जिस पर यह साफ्टवेयर एप्लीकेशन लगाया गया , देखभाल एन आई सी (वाई बी यू) करता है और योजना आयोग के वेतन तथा लेखा कार्यालय को सभी जरूरी सहायता दी जाती है।

4. वार्षिक योजना दस्तावेजों की तैयारीः

इन-हाउस, एन आई सी-योजना आयोग यूनिट इस अवधि के दौरान योजना समन्वय प्रभाग (पी सी) की वार्षिक योजनाओं, मध्यावधि मूल्यांकन, वार्षिक रिपोर्टों तथा पंच वर्षीय दस्तावेजों आदि की तैयारी में मदद कर रहा है।,

5. प्रशिक्षणः

कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षणः सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागृति में वृद्धि करने के लिए कम्प्यूटर संबंधित विषयों पर योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योजना भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कम्प्यूटर के बेसिक्स, विंडों आधारित माइक्रोसाफ्ट आफिस टूल्स/ एप्लीकेशन्स जैसे माइक्रोसाफ्ट वर्ड, एक्सेल, ई-मेल, पावर प्वाइंट, हिन्दी साफ्टवेयर, इंटरनेट आदि तथा अन्य पैकेजों का प्रयोग शामिल थे। **वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गएः**

- योजना आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए पांच दिवसीय '**बेसिक कम्प्यूटर एवेयरनेस**' कार्यक्रम। इसमें 30 बच्चों ने भाग लिया।
- योजना आयोग के कर्मचारियों के उन बच्चों के लिए, जिन्हें कम्प्यूटर का बुनियादी ज्ञान है, पांच दिवसीय '**अग्रणी स्तर प्रशिक्षण**' (एडवांस लेवल ट्रेनिंग)।

समूह 'घ' के कर्मचारियों को कंप्यूटर (फेमिलियर) की बुनियादी जानकारी और डायरी/ डिस्पैच और फाइलों के आवागमन (ओपीए) संबंधी प्रशिक्षण। योजना आयोग के लगभग 149 समूह 'घष कर्मचारियों को छह वर्गों में कवर किया गया, उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लिया ताकि वे आफिस ऑटोमेशन उपकरणों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में आसानी महसूस कर सकें।

प्रमुख गतिविधियों का विश्लेषणात्मक लेखा - एनआईसी (योजना आयोग इकाई)

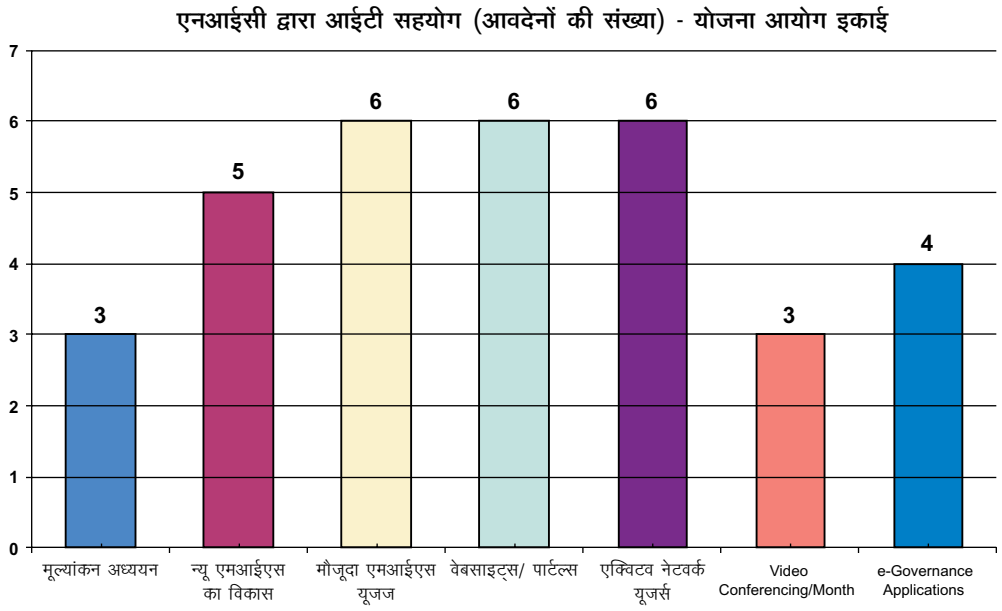

4.33.7 विभागीय अभिलेख कक्ष

4.34.7.1 भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय ने 26 अगस्त, 2009 को विभागीय अभिलेख कक्षों का आवधिक वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने सराहना की कि विभागीय अभिलेख कक्ष सही हालत में था, जो सावधानी पूर्वक स्वच्छ, सुव्यवस्थित सुप्रकाशित है तथा स्टाफ भी परिश्रमी है। कार्यालय प्रक्रिया के प्रावधानों के मैनुअल के अनुसार मानदंड निर्धारित एवं विनिर्दिष्ट हैं। सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियामवली, 1997 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस अनुभाग में कार्यरत स्टाफ ने अपने निष्ठापूर्ण परिश्रम और विवेकपूर्ण समझ से विभागीय अभिलेख कक्षों को कार्य के लिए काफी खुशनुमा बनाया हुआ है। काफी व्यापक और बृहद अभिलेखों के बावजूद भी उन्हें सावधानी के साथ व्यवस्थित रूप में रखा जा रहा है।

4.34.7.2 मंत्रिमंडल सचिव के 26 जून, 2008 के अ0शा0 पत्र जो सचिव, योजना आयोग को संबोधित था, के अनुसार श्री रवि मित्तल, सलाहकार (प्रशासन) को योजना आयोग की पीओई और आरईओ (ज) के मुख्य अभिलेख अधिकारी और श्रीमती प्रमिला माथुर, अनुभाग अधिकारी (सामान्य-1) को योजना आयोग एवं आईईओ (ज), पीईओ (ज) का अभिलेख एवं अधिकारी पदनामित किया गया है।

4.34.7.3 22 सितम्बर, 2009 को श्री एस0एम0 आर बैकर, संग्रहालय के महानिदेशक ने विभागीय अभिलेख कक्षा का निरीक्षण किया और विभागीय अभिलेख कक्षों में अभिलेखों के रखरखाव व संरक्षण के तरीकों की सराहना की।

4.34.7.4 300 गैर-चालू अभिलेख जो 25 या इससे अधिक वर्ष पुराने हैं भारतीय संग्रहालय के लिए तैयार है उनसे अनुरोध किया गया है कि अधिकारी/ अधकारियों को प्रतिनियुक्त करे। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के मानदंडों के अनुसार फाइलों को इकट्ठा करके रखा जा रहा है और भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के मूल्यांकन के बाद उन्हें शीघ्र ही स्थायी संरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संगहालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

4.34.7.5 आवधिक रिपोर्टें जैसे 31 दिसम्बर, 2008 और 30 जून, 2009 की अवधि के लिए अर्धवार्षिक रिपोर्टें जैसे फार्म-1 (25 वर्ष पुराने अभिलेख) फार्म-5 (पीसी, पीईओ और आरईओ) की वार्षिक रिपोर्टें, क श्रेणी के अभिलेखों और विभिन्न बंद हुई समितियों आदि के अभिलेखों की फिल्मिंग को पूरा किया गया और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय को भेजा गया।

4.34.7.6 मंत्रिमंडल सचिव की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय ने एक कार्रवाई योजना तैयार की है। योजना आयोग के सभी प्रभागों, अनुभागों, आरईओ (ज) और पीईओ (ज) से अनुरोध किया गया है कि वे गैर चालू अभिलेखों (25 साल पुराने) को विभागीय अभिलेख कक्ष में मूल्यांकन एवं एनएआई को अंतरित करने के लिए भेज दें। उन्हें वर्गीकृत अभिलेखों के गैर वर्गीकरण और डाऊन ग्रेडिंग के कार्य को पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया। इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया गया है, ताकि इन कार्रवाइयों के लिए विशेष प्रयास किये जा सकें और विभागीय अभिलेख कक्ष को मासिक आधार पर विकास संबंधी सूचना भी दी जाये, ताकि मुख्य अभिलेख अधिकारी, योजना आयोग द्वारा मंत्रिमंडल सचिव को मासिक आधार पर प्रगति की जानकारी दी जा सके।

4.33.8 योजना आयोग क्लब

4.33.8.1 कर्मचारियों के बीच खेलों, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए योजना आयोग क्लब की स्थापना की गई है। सचिव, योजना आयोग क्लब के पदेन संरक्षक हैं। क्लब के क्रियाकलापों की व्यवस्था एक कार्यकारी समिति के माध्यम से की जाती है, जिसका चुनाव क्लब के सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

4.33.8.2 7 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार प्लानिंग क्लब के कुल सदस्यों की संख्या 434 है, जब कि 1 अप्रैल, 2009 की स्थिति के अनुसार योजना आयोग (आरईओ9ज)/पीएओ) की कुल संख्या 1322 है। इसका प्रति सदस्य वार्षिक शुल्क 20 रूपये है। जीएफआर नियम संख्या 215 के दिशा निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2009-10 के लिए 74780/- रूपये की अनुदान सहायता मंजूर की गई है।

4.33.8.3 क्लब के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-

- योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के बीच मैत्री पूर्ण संबंधों का विकास करना।
- आंतरिक एवं बाहरी खेलों अन्य रूप में मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- सामान्य हित के मामलों के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- उपर्युक्त उद्देश्यों या समय समय पर कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की उपलब्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अन्य गतिविधियां शुरू करना।

4.33.8.4 1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक प्लानिंग क्लब ने निम्नलिखित स्पोर्टिंग/ भ्रमण दौरों में भाग लिया है:-

- राजस्थान का भ्रमण दौरा - 6 से 11 अप्रैल, 2009 तक जयपुर, अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, उदयपुर और माउंटआबु के लिए भ्रमण दौरा।
- योजना आयोग का वार्षिक समारोह 22 मई, 2009 को कंस्टीट्यूशनल क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। योजना आयोग के कलाकारों द्वारा विभिन्न खेल विधाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अभ्यर्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।
- अंतर मंत्रालयीय एक्वॉटिक खेलकूदः ये खेल कूद 29-30 अगस्त, 2009 को आयोजित किए गए। योजना आयोग से श्री ओम प्रकाश ने अंतर-मंत्रालयीय एक्वॉटिक खेलकूद 2009-10 में भाग लिया और 50 मीटर फ्री स्टाइल में चौथा स्थान प्राप्त किया और 100 मीटर फ्री स्टाइल में भी अच्छा प्रदर्श किया।
- कार्टूनः छह कार्टून प्लेयर्स के दल ने अंतर मंत्रालयीय कार्टून टुर्नामैंट में भाग लिया, जिसमें दल की ओर से तथा वैयक्तिक रूप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया।

4.33.9 कल्याण एकक

4.33.9.1 योजना आयोग कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मामले भी देखता है। योजना आयोग के आस्था चिकित्सा केंद्र के माध्यम से योजना आयोग के अधिकारियों/ स्टाफ को प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराता है। सामान्य बीमारियों जैसे - सिरदर्द, पेट दर्द आदि के लिए सामान्य दवाइयां भी उपलब्ध कराता है। योजना आयोग के कार्मिकों को प्रतिदिन 4 से 5 बजे के दौरान नियमित रूप से आयुर्वेदिक परामर्श/ दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आपात् स्थिति जैसे - दुर्घटना/ अन्य स्थितियों में कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है और उन्हें चिकित्सा हेतु अस्पताल भी ले जाया जाता है1 योजना आयोग के प्रतिनिधि के रूप में सहायक कल्याण अधिकारी विषम परिस्थितियों में मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों से मिलने भी जाते हैं और यथासंभव सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। कल्याण एकक मृतक के परिवार को तुरंत अंतरिम सहायता पहुंचाती है, जो योजना आयोग में कार्यरत थे और विषम परिस्थिति में मर जाते हैं। 31 दिसम्बर, 2009 तक 8 मृतक परिवार सदस्यों को प्रति परिवार 25,000/- की दर पर मृत्यु प्रकरणों में 1 लाख रूपये की सहायता की गई और चिकित्सा आधार पर 4000 रूपये की दर पर से योजना आयोग के कर्मचारियों को कुल 32,000/- की वित्तीय सहायात दी गई। विषम परिस्थिति में मरने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय में शोक सभाएं आयोजित की गई। यह अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई पार्टी भी आयोजित करती है। कल्याण एकक कार्यालय के कर्मचारियों को वैयक्तिक और इंटर - वैयक्तिक मामलों में उनके परिवारों और उनके आवास पर परामर्श भी देती है। कल्याण एकक की जिम्मेदारी है कि वह प्लानिंग क्लब को प्रति वर्ष कर्मचारियों के लिए खेलकूद, साहित्यिक/ सांस्कृतिक/ भ्रमण दौरों के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराए।

4.33.9.2 इसके अलावा, कल्याण एकक निम्नलिखित राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन भी करती है:-

- शहीद दिवस
- आतंक विरोधी दिवस
- सद्भावना दिवस
- कौमी एकता दिवस
- झंडा दिवस और साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए निधि की व्यवस्था।
- सशस्त्र बल झण्डा दिवस और निधि जुटाने की व्यवस्था।

4.33.9.3 इसके अलावा मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 के दौरान कल्याण एकक ने निम्नलिख्त गतिविधियां/ समारोह आयोजित किए हैं -

- सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को विदाई सभाओं का आयोजन।
- शोक सभाओं का आयोजन।
- कौमी एकता, सद्भावना, आंतक विरोधी दिवस आदि का आयोजन आदि
- सशस्त्र बल झण्डा दिवस, कौमी एकता झण्डा दिवस पर निधि जुटाना।
- 25 मई, 2009 से 30 मई, 2009 के दौरान कंप्यूटर जागृति पर एनआईसी के माध्यम से योजना आयोग के कर्मचारियों के बच्चों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योजना आयोग के आस्था चिकित्सा केंद्र पर स्वास्थ्य/ जांच शिविरों का आयोजन।

4.33.10 चार्ट, नक्शा और उपस्कर एकक

4.33.10.1 योजना आयोग की चार्टर्स, नक्शा और उपस्कर एकक दैनिक कार्यों और साथ ही विभिन्न बैठकों और संगोष्ठियों के लिए तकनीकी एवं उपस्कर सहायता उपलब्ध कराती है और कार्यालय के अन्य आंतरिक और बाह्य कार्यों के लिए सहायता करती है। एकक के पास निम्नलिखित आधुनिक उपस्कर हैं, जिन से कार्यालय की जरूरतों को पूरा किया जाता है:-

- इन्टरनैट संपर्कता के साथ लैपटॉप।
- बैठकों की अनुसूचियों, प्रस्तुतियों और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए प्लाज्मा स्क्रीन ऑडियो वीडियो प्रणाली।
- रंगीन लैजर प्रिंटर
- स्कैनर्स
- टीवी और वीसीआर
- पेज मेकर 6.5, 7 फोटोशॉप 6,7 और कोरल ड्रॉ सोफ्टवेयर 10,11 एवं 12 सहित पैंटियम-4 कंप्यूट र्स।
- ओवर हैड प्रौजेक्टर्स, स्लाइड प्रौजेक्टर्स।
- कलर फोटो कापीयर्स
- लैमीनेशन मशीन
- हैवी ड्यूटी फोटो कापीयर्स एवं डिजीटल स्कैनर कम प्रिंटिंग मशीन
- स्पायरल बाइंडिंग स्ट्रिप बाइंडिंग और पिन बाइंडिंग के साथ बाइंडिंग मशीन।

4.33.10.2 वर्ष के दौरान एकक द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का सारांश इस प्रकार है:-

- अवसंरचना क्षेत्रक के लिए संयुक्त उद्यम दिशा निर्देशों के विद्युत क्षेत्रक में खुली पहुंच के प्रचालन के लिए कार्य दल की रिपोर्ट, प्रारूप नियामक सुधार बिल 20** के लिए परामर्शदाताओं के बारे में दिशा-निर्देश, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन समिति की रिपोर्ट, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए टोल नीति पर सचिवों की समिति की समीक्षा रिपोर्ट, बंदरगाहों पर डैबल टाइम को कम करने के लिए कार्य दल की रिपोर्ट, बड़े बंदरगाहों पर पीपीपी परियोजनाओं हेतु किरायों के निर्धारण के लिए कार्यदल की रिपोर्ट, पीएफक्यू दस्तावेज पर

आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का मॉडल, मॉडल पीएफक्यू दस्तावेज - परामर्शदाताओं का चयन, पीपीपी परियोजनाओं के मॉनीटरण के लिए दिशा निदेश, एयरपोर्ट टर्मिनल्स की क्षमता के लिए मापदण्ड और मानकों हेतु अंतर - मंत्रालयीय समूह की रिपोर्टों के कवर पेज की डिजाइन तैयार कीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 पर रोजगार के लिए तकनीकी नोट की रिपोर्ट के कवर पेज की डिजाइन, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रम और रोजगार प्रक्षेपणों के गठन पर कार्य समूह की रिपोर्ट के कवर पेज की डिजाइन तैयार की। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्थापित श्रम और रोजगार स्टीयरिंग समिति की रिपोर्ट के कवर पेज की डिजाइन, वार्षिक योजना 2009-10 (i) आवंटन पत्र (एसबीई वार्षिक योजना 2009-10 (iii) 28-9-2009 को पीसी प्रभाग द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों पर प्राप्त पोजीशन पेपर के लिए कवर पेज की डिजाइन। एकीकृत जल प्रबंधन नीति एवं सदस्य, योजना आयोग (केपी) से मई, 2009 में प्राप्त कार्रवाई विचार विमर्श कागजात के कवर पेज की डिजाइन। पीईओ हेतु एससी/ एसट ी के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए मूल्यांकन अध्ययन संबंधी कवर पेज की डिजाइन, डीएफआईडी और विश्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में विकास संबंधी मूल्यांकन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हेतु कवर पेज की डिजाइन।

- योजना आयोग का संगठनात्मक चार्ट (हिंदी व अंग्रेजी) कार्य आबंटन के साथ अनुभाग अधिकारी से सलाहकार स्तर तक।
- योजना आयोग द्वारा वर्ष में नियमित रूप से आयोजित बैठकों/ सम्मेलनों में नाम और डिस्प्ले कार्डस बनाए।
- योजना राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, प्रधान सलाहकारों और योजना आयोग के अधिकारियों के उपयोग के लिए बैठकों/ सेमीनारों हेतु रंगीन ट ्रांसपेरंसीज तैयार कीं।
- हिंदी पखवाड़ा, भारत के विभिन्न भागों में आयोजित हिंदी कार्यशालाओं, राजभाषा संगोष्ठियों और योजना आयोग की विभिन्न अन्य गतिविधियों के लिए हिंदी प्रमाण-पत्रों की डिजाइन तैयार की और उनका मुद्रण किया।
- उपाध्यक्ष कार्यालय, सचिव, प्रधान सलाहकार (पीसी/ प्रशा0) के आमंत्रण पत्रों पर कैलीग्राफिक काम्र।
- बैठकों/ सेमीनारों/ संगोष्ठियों में भाग लेने वाले अधिकारियों की सीटिंग प्लान के अनुसार चार्टे तैयार किए।
- योजना आयोग की पूर्ण बैठक की सीटिंग प्लान की डिजाइनिंग और प्रस्तुति का मुद्रण, कमरा नं0 122 में लैप-टॉप की व्यवस्था और नाम पट्ट तैयार करना, प्लाज्मा प्रदर्शन।
- 1 सितम्बर, 2009 को आयोजित पूर्ण योजना आयोग की बैठक के लिए प्रति- पल कार्यक्रम का अनुमोदन कराना और उसकी डिजाइन और प्रिंटिं ग।
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आर्थिक प्रेरकों/प्रोत्साहनों पर मुख्य सचिवों की बैठक की सामग्री की डिजाइन और मुद्रण।
- 28-30 मई, 2009 को शिमला में आयोजित कार्यशाला के लिए रंगीन बैनर और पोस्टरों की डिजाइन तैयार करना और उनकी प्रिंटिंग।
- योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन/ पश्चिमी घाट के सेवा निवृत्त/ सेवारत कर्मचारियों के परिचय पत्रों को तैयार करना और उन्हें लैमिनेट कराया।
- योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों की मांग के अनुरूप विभिन्न सरकारी दस्तावेजों, फोटो आदि की स्कैनिंग, प्रिंटिंग आदि।
- योजना भवन में आने वाले आगन्तुकों के लिए तथा कार और स्कूटर पार्किंग के लिए पास/ पार्किंग लेबल तैयार किए।
- योजना आयोग के रूटीन फोटो कापी संबंधी कार्यों को करने के अलावा एकक ने हिंदीऔर अंग्रेजी में

मुद्रण संबंधी कार्य भी किया, साथ ही में बाइंडिंग कार्य के साथ वर्ष के दौरान 10वीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूलयांकन दस्तावेज भी तैयार किया।

- हैवी ड्यूटी फोटो कॉपियर, डिजिटल स्कैनर सह प्रिंटर (कलर और मोनो) के प्रापण हेतु विनिर्देश।
- फोटो कॉपियर्स, कलर फोटो ग्राफर और कलर प्रिंट आदि के लिए एएससी बिलों का प्रमाणन।
- एकक ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उपस्कर इलैक्ट्रानिक डिसप्ले बोर्डस, प्लाज्मा स्क्रीन्स लैप टॉप, टीवी, वीसीआर, ओवर हैड प्रोक्टर, स्लाइड्स प्रोजक्टर्स और फोटो कोपियर्स का प्रचालन किया और उनकी देख रेख भी की।

4.33.11 सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

4.33.11योजना आयोग में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना अक्तूबर, 2005 में की गई थी। यह योजना आयोग के भूतल पर स्थित "सूचना द्वार " में कार्यरत है। योजना आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर अलग से संयोजन "आरटीआई " अधिनियमन का प्रावधान है। सूचना द्वार के विजीटरों/ आगन्तुकों की सुविधा के लिए क्वैरीज का समाधान ऑनलाइन किया जाता है। अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2010 तक 170 पूछताछ की गईं और जनवरी, 2010 तक 169 का निपटान किया गया।

अध्याय 5
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

पीईओ का मूल्यांकन

5.1 "भारत में आयोजना की अवधारणा शुरू होने से ही वैविध्यपूर्ण भू-जलवायु स्थितियों से युक्त एक विशिष्ट स्थिति में तथा भारतीय राज्यों की बहुविध समाजार्थिक विशेषताओं के चलते कार्यान्वयन के लिए विकासात्मक स्कीमें और कार्यक्रमों की योजना कैसे तैयार की जाए- यह बात योजना निर्माताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, जो हमेशा ही सेवा सुपुर्दगी में सुधार करने के बारे में चिंतित रहे। फिर भी, पीईओ के संस्थापकों का एक दूरदृष्टिपूर्ण उद्देश्य मूल्यांकन परिणामों के माध्यम से विकास आयोजना और कार्यान्वयन में सुधार करना था जो विकास स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रत्याशित लाभार्थियों की मदद करने में सार्वजनिक हस्तक्षेप के बारे में आधार स्तरीय वास्तविक परिलक्षित करने मात्र था, जिनका उपयोग योजना आयोग और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए किया जाएगा।"

संगठनात्मक इतिहास

5.2 तदनुसार, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा अन्य गहन क्षेत्र विकास स्कीमों का मूल्यांकन करने के विशिष्ट उद्देश्य से योजना आयोग के सामान्य मार्गदर्शन तथा निदेशों के तहत, एक स्वतंत्र संगठन के रूप में अक्तूबर, 1952 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया था। मूल्यांकन पद्धति को पहली पंचवर्षीय योजना में पद्धतियों और तकनीकों का विकास करके तथा तीसरी योजना (1961-66) और चौथी योजना (1969-74) के दौरान राज्यों में मूल्यांकन तंत्र स्थापित करके और परिपक्व व सुदृढ़ किया गया। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, सहकारिता, ग्रामोद्योग, मत्स्य उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक वानिकी इत्यादि योजना कायक्रमों/स्कीमों के विस्तारीकरण से, पीईओ द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन कार्य का धीरे-धीरे अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तक विस्तार किया गया।

पीईओ के कार्य और उद्देश्य

5.3 कार्यक्रम मूलयांकन संगठन (पीईओ) योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के कहने पर प्राथमिकतापूर्ण कार्यक्रम/स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययन, कार्य-निष्पादन, कार्यान्वयन प्रक्रिया, आपूर्ति प्रणालियों की प्रभाविता और कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये अध्ययन प्रकृति से नैदानिक होते हैं और इनका उद्देश्य ऐसे कारणों का पता लगाना है जिनकी वजह से विभिन्न कार्यक्रम सफल तथा/अथवा असफल हुए और इसके साथ ही मध्यावधिक सुधार करके तथा भावी कार्यक्रमों के बेहतर डिजाइन करना इनका उद्देश्य है।

5.6 सामान्य रूप से पीईओ द्वारा निष्पादित मूल्यांकन कार्य के उद्देश्यों में विकास कार्यक्रमों की प्रकियाओं और प्रभावों का उद्देश्यपरक आकलन, कार्यान्वयवन के विभिन्न चरणों पर सफलताओं और असफलताओं के क्षेत्रों का विनिर्धारण, सफलताओं और असफलताओं के कारणों का विश्लेषण, विस्तार विधियों की जांच तथा उनके संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया और नए कार्यक्रमों स्कीमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भावी सुधार के लिए सबक सीखना सम्मिलित है। इस दृष्टि से मूल्यांकन को काफी विशिष्ट और एक ओर प्रगति तथा समीक्षा के विश्लेषण से पृथक

और दूसरी ओर स्कीमों और कार्यों के निरीक्षण, चेकिंग और संवीक्षा से पृथक समझा गया है।

5.7 पीईओ सीधे प्रेक्षणों नमूना सर्वेक्षणों और समाज विज्ञान अनुसंधान विधियों के माध्यम से बाह्य मूल्यांकन आयोजित करता है। इस प्रकार पीईओ द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययन प्रगति की रिपोर्ट करने अथवा प्रशासनिक मंत्रालयों, विभागों में किए जा रहे कार्यों की चेकिंग और संवीक्षा से भिन्न है। फिर भी मूल्यांकन के सभी स्तरों पर योजनाकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के विचारों को लेने का प्रयास किया जाता है जिससे कि निष्कर्षों और पीईओ के पाठों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

संगठनात्मक ढांचा

5.8 पीईओ मुख्यतः एक फील्ड स्तरीय संगठन है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समग्र प्रभार के अधीन है। इसका तीन स्तरीय ढांचा है जिसका मुख्यालय योजना आयोग, नई दिल्ली में है। मध्य स्तर पर क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय है जिनका प्रतिनिधित्व मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जाता है जबकि इसकी अगली कड़ी फील्ड यूनिट है जो परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों के नाम से जाने जाते हैं।

5.9 इसका शीर्षस्थ मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि उपयुक्त प्रौद्योगिकीविदों के विकास के लिए उत्तरदायी है और उसमें शामिल हैं - विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय अध्ययनों के लिए सांख्यिकीय डिजाइन, नमूना सर्वेक्षणों का आयोजन, निष्पादन और मानीटरण, आंकड़ा प्रसंस्करण, विश्लेषण और फील्ड यूनिटों द्वारा तैयार आंकड़ों की गुणात्मक और मात्रात्मक समझ भी शामिल है, ताकि मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार की जा सकें। मुख्यालय की अध्यक्षता वरिष्ठ सलाहकार (मूल्यांकन) करते हैं, जिनकी सहायता के लिए एक सलाहकार, 3 निदेशक, एक अनुसंधान अधिकारी हैं। निदेशक मूल्यांकन अध्ययनों की डिजाइन और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं जो "परियोजना निदेशकों " के रूप में कार्य करते हैं।

5.6 पीईओ की माध्यमिक लिंक के रूप में सात क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय हैं, जो कि चंडीगढ़, चेन्नै, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई में स्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय की अध्यक्षता क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी द्वारा की जाती है, जिनका रैंक निदेशक/ उप सलाहकार का होता है और उनकी सहायता के लिए दो अनुसंधान अधिकारी, दो आर्थिक/ सांख्यिकी अधिकारी और एक आर्थिक/सांख्यिकीय अन्वेषक द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी फील्ड कार्यों, मूल्यांकन अध्ययन के लिए एकत्रित फील्ड आंकड़ों के समेकन औरजांच करने एवं अपने क्षेत्राधिकार में परियोजना मूल्यांकन कार्यों के लिए मार्ग दर्शन देते हैं। वे राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं और राज्य स्तरीय अध्ययनों के आयोजन में राज्य मूल्यांकन एककों को तकनीकी मार्ग दर्शन भी देते हैं।

5.7 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय पीईओ का तृतीय टियर (स्तर) है। वे देश के 8 बड़े राज्यों की राजधानियों यानि गुवाहाटी, भुवनेश्वर, शिमला, बंगलौर, भोपाल, तिरूवनंतपुरम और अहमदाबाद में स्थित हैं। प्रत्येक परियोजना मूल्यांकन कार्यालय की अध्यक्षता परियोजना मूल्यांकन अधिकारी द्वारा की जाती है, जिनका रैंक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के स्तर का होता है, जिनकी सहायता के लिए एक अनुसंधान अधिकारी, 2 आर्थिक/ सांख्यिकीय अधिकारी और 1 आर्थिक/ सांख्यिकीय अंवेषक होते हैं। प्रत्येक परियोजना कार्यालय क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में परियोजना मूल्यांकन कार्यालय अपने क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की वर्किंग एवं प्रगति की रिपोर्टिंग करने और अपने संबंधित क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों के अंतर्गत मूल्यांकन अध्ययन संचालित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण में राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

पीईओ की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार व्याप्ति और फील्ड एककों को क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय के रूप में निम्न प्रकार से जाना जाता है।

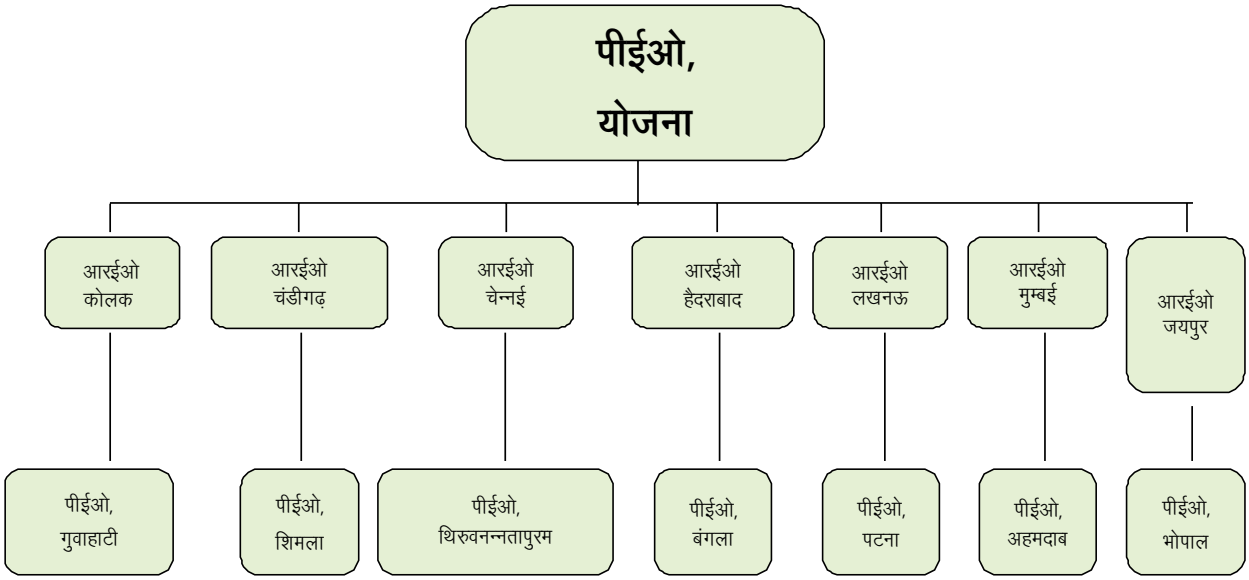

विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी)

5.8 अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों के अपनाने और पीईओ एवं विभिन्न मूल्यांकन/ अनुसंधान संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकताओं हेतु कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के दिशा निर्देशों के लिए मार्गदर्शन हेतु और मूल्यांकन परिणामों पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु योजना आयोग ने स्वतंत्र रूप से एक 29 नवंबर, 2004 को विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति के रूप में स्थापना की गई जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष योजना आयोग है जिसमें योजना आयोग के सभी सदस्य और सदस्यों के रूप में विख्यात अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रमुख अनुसंधान व्यावसायिक सम्मिलित हैं। सलाहकार (मूल्यांकन) डीईएसी का सदस्य-सचिव है। डीईएसी के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं:

- देश में मूल्यांकन अनुसंधान के लिए और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) के लिए प्रमुख वैचारिक क्षेत्रों का विनिर्धारण करना।
- पीईओ के लिए वार्षिक योजना, दीर्घावधिक योजना पर विचार और अनुमोदित करना।
- देश में विकास मूल्यांकन अनुसंधान की कोटि का आकलन और मानीटरण करना तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- आयोजना और कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा मूल्यांकन निष्कर्षों के अनुपालन का मानकीकरण करना।
- पीईओ और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य मूल्यांकन संस्थानों और साथ ही अन्य शैक्षिक संस्थानों और संगठनों के बीच और अधिक संयोजन विकसित करने के लिए उपाय और साधनों का सुझाव देना जो कार्यक्रमों/स्कीमों और अनुसंधान के मानीटरन और मूल्यांकन के कार्य में लगे हैं।
- सूचना सृजन और उपयोग की विधियों, मानकों और प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन नीति के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मंत्रालयों/विभागों, एनजीओ और देश में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में मूल्यांकन क्षमता विकास के लिए मूल्यांकन संसाधनों का आकलन और उपयुक्त कार्यनीतियों का विकास करना।

- योजनाओं/नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी मूल्यांकनकारी सूचना सृजित करने के लिए पीईओ द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी अन्य गतिविधि का सुझाव देना।

5.9 वर्ष 2009-10 में पीईओ में प्रगति पर योजना स्कीमों/कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन निम्न प्रकार हैः मूल्यांकन रिपोर्टें, योजना आयोग की वेबसाइट में शामिल कर दी गई हैं।

- इन्दिरा आवास योजना, जम्मू व कश्मीर की मूल्यांकन रिपोर्ट।
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, जम्मू व कश्मीर पर मूल्यांकन रिपोर्ट।
- संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, व कश्मीर पर मूल्यांकन रिपोर्ट।
- स्वर्ण जयंती ग्राम सवरोगार योजना, व कश्मीर पर मूल्यांकन रिपोर्ट।
- एकीकृत बाल विकास स्कीम, व कश्मीर पर मूल्यांकन रिपोर्ट।
- जम्मू व कश्मीर के 4 जिलों में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का लघु विश्लेषण
- उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए संशोधित दीर्घ अवधि कार्रवाई योजना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम।
- अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सेवा डिलीवरी को प्राथमिक मूल्यांकन पर वर्किंग पेपरः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में अध्ययन के निष्कर्ष।
- राष्ट्रीय सम विकास योजना

5.10 मार्च, 2010 तक निम्नलिखित स्कीमों की रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया जाएगाः-

- हथकरघा बुनकरों के लिए विकेंद्रीत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पकाया हुआ मध्याह्न भोजन
- सर्वशिक्षा अभियान
- ग्रामीण सड़कें।

अध्याय 6
सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

6.1 योजना आयोग का सतर्कता एकक, सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जैसेकि समूह क , समूह ख , समूह ग अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्यनिष्ठा की कमी संबंधी मामले। साथ ही यह एकक पदोन्नति के समय सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करता है, बाहरी नौकरियों/पासपोर्टों के लिए, आवेदन-पत्र अग्रेषित करने, स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने आदि पर सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, योजना आयोग से कार्यमुक्त होने और इसे परामर्श के लिए भेजे गए अन्य अनुशासनात्मक मामलों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए भी जिम्मेदार है।

6.2 क्योंकि योजना आयोग एक ऐसा विभाग है जिसका जनता के साथ सीधा वास्ता नहीं पड़ता इसलिए भ्रष्टाचार, कदाचार की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान एकक में प्राप्त हुई पांच शिकायकर्ता की जांच की गई और उनका निपटान किया गया। प्रशासन प्रभाग द्वारा भेजे गए मामलों पर आवश्यक सलाह दी गई।

6.3 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित मुकदमे 1992 की रिट याचिका संख्या (आपराधिक) 666-07 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार योजना आयोग में यौन उत्पीड़न के संबंध में एक शिकायत तंत्र समिति का गठन किया गया। इस विषय पर आचरण नियमावली के संगत प्रावधान, योजना आयोग में व्यापक रूप से परिवर्तित किए गए। अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 की अवधि के दौरान समिति को एक यौन उत्पीड़न शिकायत की रिपोर्ट की गई तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रस्तुत कर दी।

संलग्नक 6.1

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट में की गई आख्याओं का सारांश

1. वर्ष 2007-08 के लिए रिपोर्ट संख्या सीए 13

पैरा 7.10 अनुबंध-7 के साथ पठित मार्च, 2008 में अत्यधिक तेजी से हुआ व्यय के बारे में है।

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान मुख्य शीर्ष 1475 के अंतर्गत कुल व्यय - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (क्र0सं0 124 पर) 29.35 करोड़ रुपए था जिसमें से 6.17 करोड़ रुपए मार्च, 2008 में खर्च हुए जो कि कुल व्यय का 21% था।

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान मुख्य शर्भ्ष 3601 के अंतर्गत खर्च 6.37 करोड़ रुपए हुआ - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (क्र0सं0 125 पर) मार्च, 2008 में ही किया गया।

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान मुख्य शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी व्यय (क्र0सं0 126) पर कुल खर्च 3.37 करोड़ रुपए था जिसमें 1.99 करोड़ रुपए माह मार्च, 2008 में खर्च किए गए जो कि कुल खर्च का 50% है।

पैरा 8.16 अनुबंध-8 के साथ पठित जो कि अवास्तविक बजटीय अनुमानों को दर्शाने वाले विवरण के संबंध में है।

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान उप शीर्ष 2245.102.08 - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (क्र0सं0 338) में खर्च नहीं हुए प्रावधान 2.83 करोड़ रुपए था जबकि बजट प्रावधान 3.00 करोड़ रुपए था, जोकि बजट प्रावधान का 94% है।

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान उप शीर्ष 5475.00.800.14 - कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण (क्र0सं0 339) खर्च नहीं हुआ, प्रावधान 4.13 करोड़ रुपए था जबकि बजट प्रावधान 7.50 करोड़ रुपए के लिए था जो कि बजट प्रावधान का मात्र 55% है।

02.02.2010 की स्थिति के अनुसार

योजना आयोग संगठन चार्ट
भारत सरकार

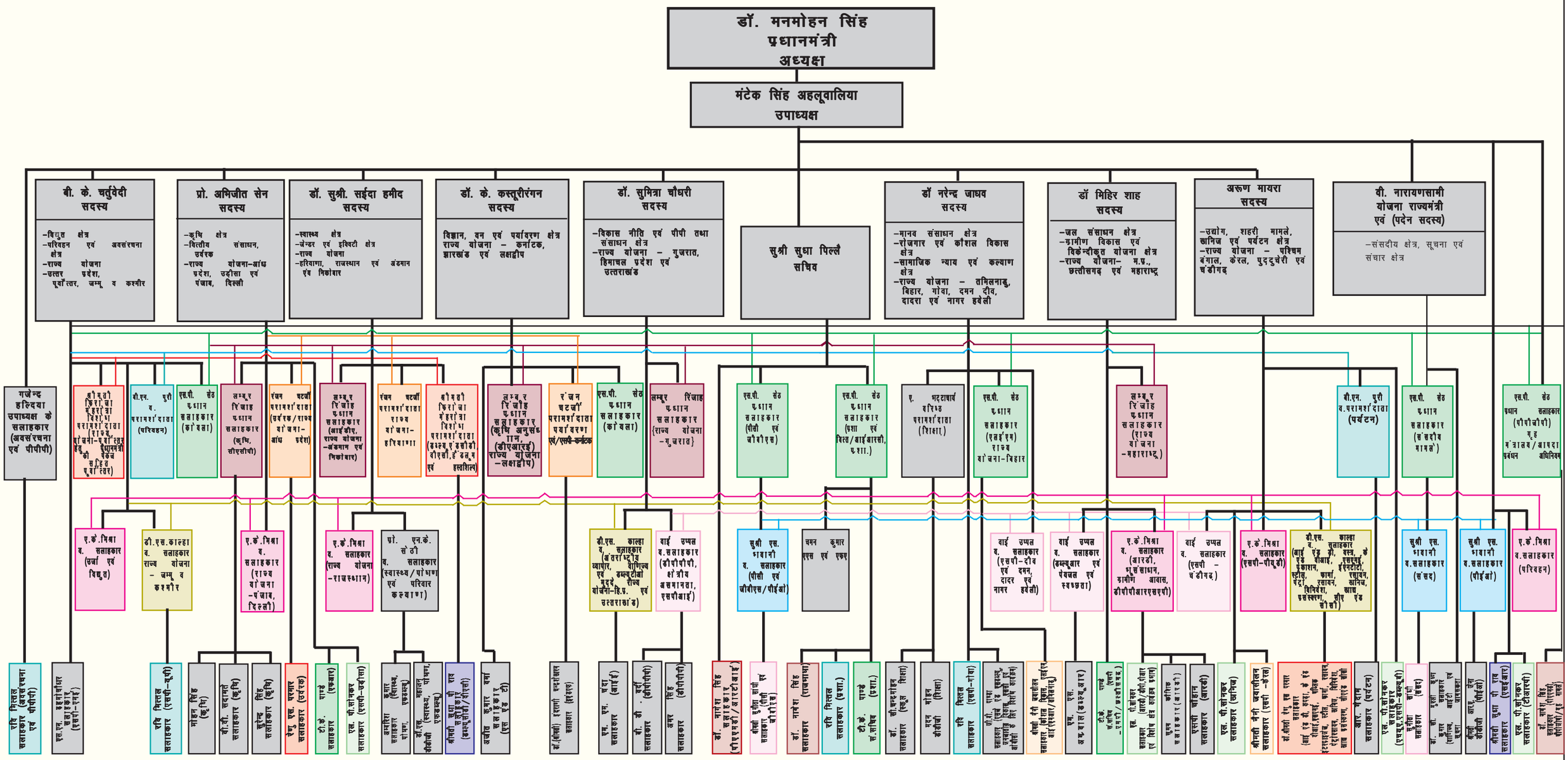

1. पदनाम

पीआर.एडीवी	प्रधान सलाहकार
एसआर.परामर्शदाता	वरिष्ठ परामर्शदाता
एसआर.एडीवी.	वरिष्ठ सलाहकार
एडीवी.	सलाहकार
जेटी.एसईसीवाई	संयुक्त सचिव
एएस एंड एफए	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

2. विभाग

एडीएमएन.	प्रशासन
एजीआरआई.	कृषि
ए.पी.	आंध्र प्रदेश
बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
सीएसपी	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
सीए	एंडसीसीकार्पोरेट मामले एवं प्रतिस्पर्धा आयोग
सीएंडआई	संचार एवं सूचना
सीओएम.	वाणिज्य
डीपीपी	विकास नीति एवं भावी योजना
डीपीपीआरएसपी	विकेन्द्रीकृत आयोजना, पंचायती राज एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम
ईडीयू	शिक्षा
ई एंड एफ	पर्यावरण एवं वन
एफआर	वित्तीय संसाधन
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचयूए	आवास एवं शहरी मामले
आईडीए	द्वीप विकास प्राधिकरण
आईएमआर	जनसाधन अनुसंधान संस्थान
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईईएम	अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रबंधन
आईई	अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
आईईपी	एकीकृत उर्जा नीति
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आई एंड बी	सूचना एवं प्रसारण
के एंड वी	आई खादी एवं ग्राम उद्योग
एलईएम	श्रम, रोजगार एवं जनसाधन
एम.पी.	मध्य प्रदेश
एमएएच.	महाराष्ट्र
एनसीटी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनई	पूर्वोत्तर
ओएल	राजभाषा
ओ/ओ डीसीएच	उपाध्यक्ष कार्यालय
पीएएमडी	परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीसी	योजना समन्वय
पीसीआरडी	क्षेत्रीय विकास हेतु नीति और समन्वय
पीईओ	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
पीओ एंड आरएम	कार्यक्रम परिणाम एवं रिसपोंस मॉनिटरिंग
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
आरडी	ग्रामीण विकास
आरएसवीवाई	राष्ट्रीय सम विकास योजना
एसआर	समाजार्थिक अनुसंधान
एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
एसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मूल्यांकन
एसजे एंड एसडब्ल्यू	सामाजिक न्याय एवं सामाजिक कल्याण
एसपी–सी	राज्य योजना–केन्द्रीय
एसपी–ई	राज्य योजना–पूर्व
एसपी–एनई	राज्य योजना–पूर्वोत्तर
एस एंड टी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एसपी एंड एडीएम	राज्य योजना एवं प्रशासन
एससीओआई	अवसंरचना समिति सचिवालय
टीपीटी	परिवहन
टीआरपी	सुनामी पुनर्निर्माण योजना
वीएसी	स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ
वीओसी.ईडीएम.	व्यवसायिक शिक्षा
वीएसई	ग्राम एवं लघु उद्योग
डब्ल्यू सीडी	महिला एवं बाल विकास
डब्ल्यू ई	महिला सशक्तिकरण
डब्ल्यूआर	जलसंसाधन
टीएफएस	कौशल कार्यदल
टीए	जनजातीय मामले

सारांश

अध्यक्ष	–	1	एएस एंड एफए	–	1
उपाध्यक्ष	–	1	वरिष्ठ सलाहकार	–	6
राज्यमंत्री	–	1	वरिष्ठ परामर्शदाता	–	2
सदस्य	–	8	परामर्शदाता	–	1
सचिव	–	1	सलाहकार/डीडीजी	–	28
प्रधान सलाहकार	–	2	संयुक्त सचिव	–	1
विशेष परामर्शदाता	–	1	कुल	–	54